सत्यमेव जयते

नगरपालिका के आम चुनावों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देशों का संकलन

(Compendium of Instructions)

2026

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

State Election Commission, Rajasthan

II Floor, Development Building, Secretariat, Jaipur

सत्यमेव जयते

नगरपालिका के आम चुनावों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देशों का संकलन

(Compendium of Instructions)

2026

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

State Election Commission, Rajasthan

II Floor, Development Building, Secretariat, Jaipur

अस्वीकरण (DISCLAIMER)

इस पुस्तिका के संकलन एवं मुद्रण में पूर्ण सावधानी बरती गई है। तथापि, यदि किसी प्रकार की शंका या स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, तो अधिनियम, नियम, अधिसूचना अथवा आदेश के मूल पाठ हेतु भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित राजपत्र (Official Gazette) का संदर्भ लिया जाए।

आमुख

भारत के संविधान के 74वें संविधान संशोधन, 1992 द्वारा संविधान में भाग IXA अन्तःस्थापित कर नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। उक्त संविधान संशोधन की अनुपालना में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 पारित किया गया। अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 पारित किया गया। उक्त संविधान संशोधन द्वारा अन्तःस्थापित भाग IXA के अनुच्छेद 243 ZA के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया।

संविधान के अनुच्छेद 243ZA (Article 243ZA) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत राज्य में नगरपालिकाओं के चुनाव के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने एवं निर्वाचनों का संचालन, अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित किया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 243U एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत राज्य में नगरपालिकाओं के चुनाव लगातार वर्ष 1994 से संपन्न कराये जा रहे हैं। बीच में रिक्त होने वाले पदों पर उपचुनाव भी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियमित रूप से संपन्न कराये गये हैं। इन चुनावों के संचालन की प्रक्रिया को सरलीकृत करने एवं विधिक प्रावधानों की समुचित पालना के लिए आयोग द्वारा समय–समय पर आदेश/निर्देश जारी किये गये है, इनमें से कुछ अस्थायी एवं कुछ स्थायी प्रकृति के हैं। ये सभी निर्देश नगरपालिका के आगामी निर्वाचनों में यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू रहेंगे।

नगरपालिकाओं के चुनाव के लिए समय–समय पर जारी किये गये महत्वपूर्ण आदेशों/निर्देशों का है। यह संकलन जिला निर्वाचन अधिकारियों सहित समस्त निर्वाचन प्राधिकारियों के लिए उपयोगी साबित होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में नियोजित अधिकारी एवं कार्मिक तथा रिटर्निंग अधिकारियों से अपेक्षा है कि इस संकलन का ठीक तरह से अध्ययन कर ले ताकि निर्वाचन का उचित रूप से पर्यवेक्षण किया जा सके। निर्वाचन कार्य में नियोजित अन्य प्राधिकारियों से भी अपेक्षा है कि वे निर्वाचन से संबंधित अपने कर्त्तव्य के निर्वहन में निर्वाचन विधि के सुसंगत प्रावधान एवं इस संबंध में आयोग द्वारा जारी किये गये निर्देशों का भली भांति अवलोकन कर ले ताकि कर्त्तव्य निर्वहन में कोई असुविधा एवं त्रुटि नहीं हो।

दिनांक : 24/3/26

(राजेश्वर सिंह)
राज्य निर्वाचन आयुक्त
राजस्थान, जयपुर

विषय–सूची

क्र. सं.	पत्रांक / दिनांक		विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	2		3	4
	भाग1– निर्वाचक नामावलियों बाबत्			
1.	प.1(2)(1)नपा–पंचा / सां.आ. / रानिआ / 14 / 887 दिनांक : 23.01.2026		जिला निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति।	2
2.	एफ.1(3)(1)न.पा. / रानिआ / 94 / 4403 दिनांकः 12.11.2025		निर्वाचक एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति।	3–18
3.	:एफ.1(3)(1)नपा / रानिआ / 94 / वो.I / 1554 दिनांकः 10.02.2026		निर्वाचक एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति में संशोधन।	19–20
4.	एफ.1(3)(1)नपा / रानिआ / 94 / वो.I / 1911 दिनांकः 19.12.2026		निर्वाचक एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति में संशोधन।	21
5.	एफ.3(1)(1)नपा / रानिआ / 2024 / 2012 दिनांकः 20.02.2026		नगरपालिकाओं की निर्वाचक नामावलियों की तैयारी के लिए संशोधित पुनरीक्षण कार्यक्रम हेतु निर्देश।	22–45
6.	एफ 1(4)(1)न.पा. / रा.नि.आ. / 14 / 910 दिनांक : 23.01.2026		फरार व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावली से विलोपित किए जाने बाबत्।	46–49
7.	प.4(1)(6)नपा / रानिआ / 94 / 299 दिनांक 14.10.94		मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को मतदाता सूचियों के सैट निशुल्क दिलाये जाने बाबत्।	50
8.	एफ. 1(4)(1)नपा / रानिआ / 14 / 898 दिनांकः 23.01.2026		मतदाता सूचियों की कार्यकारी प्रतियाँ तैयार कराने बाबत् निर्देश।	51–52
9.	एफ. 6(4)(1)पं / रानिआ / 94 / 2904 दिनांक 06.12.1995		नगरपालिका निर्वाचक नामावलियों के किसी भाग या प्रविष्टि का निरीक्षण प्रमाणित प्रतिलिपि देने संबंधित निर्देश।	53
10	एफ.7(1)(2)पंचा / रानिआ / 2024 / 655 दिनांकः 20.01.2026		निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन होने के पश्चात उसकी मतदाताओं की फोटो सहित / रहित सूचियों की सॉफ्टकॉपी उपलब्ध करवाने बाबत्।	54
	भाग 2 –मतदान केन्द्रों की स्थापना बाबत्			
11.	एफ4(3)(1)न.पा. / रा.नि.आ. / 09 / 916 दिनांक : 23.01.2026		मतदान केन्द्रों की स्थापना के लिये जिला निर्वाचन अधिकारियों को नामित किया जाना।	56
12.	एफ4(3)(1)न.पा. / रा.नि.आ. / 09 / 641 दिनांक : 19.01.2026		मतदान केन्द्र की स्थापना के संबंध में दिशा–निर्देश।	57–64
	भाग 3 –स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनावों के लिये उपायों के संबंध में			
	वर्ष 2026		आदर्श आचरण संहिता।	65–70

13.	एफ.7(1)(3)पंचा / रानिआ / 2014–15 / 980 दिनांक : 24.01.2026		नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन के दौरान कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के सम्बन्ध में	71–75
14.	एफ.1(2)(1)नपा–पंचा / सा.आ. / रानिआ / 14 / 5041 दिनांक :– 23.12.2025		सा.आ. 137 / 2025 – वाहनों, लाउडस्पीकरों, पोस्टरों, बैनरों आदि पर निर्बन्धन बाबत् आदेश।	76–82
15.	एफ.7(1)(3)पंचा / रानिआ / 2014–15 / 1783 दिनांक 01.05.2018		पैम्फलेटों, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण पर नियंत्रण।	83–87
16.	एफ.1(2)(1) नपा–पंचा / सा.आ. / रानिआ / 14 / 1016 दिनांक : 27.01.2026		मतदान दिवस पर अभ्यर्थियों द्वारा बूथ स्थापित करने के संबंध में।	88–89
17.	प1(5)(70) / संस्था / रानिआ / 2019 / 3350 दिनांक 12.09.2019		पर्यवेक्षकों को देय सुविधा / व्यवस्था सम्बन्धी निर्देश।	90–91
18.	प 1(4)(1) नपा / रानिआ / 14 / 187 दिनांक : 06.01.2026		नगरीय निकाय के चुनाव के दौरान विडियोग्राफी करवाने सम्बन्धी निर्देश।	92–94
19.	प. 7(1)(1) / पंचा / रानिआ / 2024 / 128 दिनांकः 02.01.2026		निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों को गृह जिलों में / लम्बे समय तक पदस्थापन का निषेध।	95–96
20.	F 4(1)(3)NP/SEC/14/893 Dated : 23-01-2026		Regarding authorization letter to press personnel.	97
21.	F4(1)(3)/NP/SEC/05/904 Dated : 23.01.2026		Appointment of Sitting Ministers as Election Agent and Count Agents.	98
22.	:एफ. 1(4)(1) / नपा / रानिआ / 2014 / 1259 दिनांकः 03.02.2026		नगरपालिका के आम चुनाव– पत्रकारों को प्रवेश–मतदान बूथ एवं मतगणना केन्द्र पर फोटोग्राफी / विडियोग्राफी का निषेध।	99–100
23.	एफ. 7(1)(1)पंचा / रानिआ / 2014–15 / 966 दिनांक : 24.01.2026		स्थानीय स्तर पर समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों की कटिंग अपलोड करने के संबंध में	101
भाग 4 –रिटर्निंग अधिकारियों व मतदान दलों की नियुक्ति बाबत्				
24.	एफ4(3)(1)न.पा. / रा.नि.आ. / 09 / 4038 दिनांकः–09.10.2025		मतदान दलों के गठन के सम्बन्ध में।	103–105
25.	एफ. 4(1)(2)नपा / रानिआ / 2014 / 116 दिनांक : 02.01.2026		निर्वाचन अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में।	106–107
26.	एफ. 4(1)(2)नपा / रानिआ / 2014 / 514 दिनांक : 15.01.2026		निर्वाचन अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में।	108
भाग 5 –मतपत्र बाबत्				
27.	एफ. 1(2)(1) नपा–पंचा / सा.आ. / रानिआ / 14 / 566 दिनांक :– 16.01.2026		मतपत्रों को अधिप्रमाणित करने संबंधी सां. आ.।	110
28.	एफ.1(2)(1) / नपा–पंचा / सां.आ. / रानिआ / 14 / 521 दिनांक :15.01.2026		सा.आ. 144 / 2026 – ईवीएम मतपत्र का प्ररूप विहित किए जाने हेतु।	111–114

29.	एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा / सां.आ. / रानिआ / 14 / 572 दिनांकः 16.01.2026		सां. आ. 147 / 2026 – डाक मतपत्र का प्ररूप विहित करने के सम्बन्ध में।	115–118
30.	एफ.4(2)(1)पं / नपा / रानिआ / 94 / 3059 दिनांक 28.10.99		सां.आ. 26 / 99 –निविदत्त मतपत्र का प्ररूप विहित करने के सम्बन्ध में।	119
31.	एफ.1(2)(1)नपा–पंचा / सा.आ. / रानिआ / 14 / 1670 दिनांक 20.04.2018		सां.आ. 110 / 2018–मतपत्र हेतु 'नोटा' (इनमें से कोई नहीं) का चिह्न विहित करने के सम्बन्ध में।	120
32.	एफ.1(2)(2)नपा / रानिआ / 94 / 3243 दिनांक 16.11.99		कृत्रिम (डमी) मतपत्रों के संबंध में आदेश।	121
33.	प 1(4)(1) नपा / रानिआ / 14 / 1112 दिनांक : 28.01.2026		मुद्रण के पश्चात् मुद्रणालयों में अधिशेष और रद्दी मतपत्रों के निष्पादन के संबंध में।	122
भाग 6 –चुनावो के प्रतीको के आवंटन बाबत्				
34.	एफ.4(1)(1)नपा / रानिआ / 14 / 4178 दिनांक : 17.10.2025		नगरपालिका वार्डो के निर्वाचनों के लिए प्रतीकों के आरक्षण, चयन, आवंटन के संबंध में।	124–132
35.	एफ.4(1)(1)नपा / रानिआ / 14 / 4171 दिनांक : 17.10.2025		नगरपालिका अध्यक्षीय पदों के निर्वाचनों के लिए प्रतीकों के आरक्षण, चयन, आवंटन के संबंध में।	133–141
भाग 7 –मतदान प्रकिया सम्बन्धी निर्देश				
36.	एफ.1(4)(1)नपा / रानिआ / 14 / 1418 दिनांक : 05.02.2026		निवारक निरोध के अध्यधीन व्यक्तियों के लिये नगरपालिका सदस्य पद के निर्वाचनों में मत अभिलिखित करने के संबंध में	143–147
37	एफ4(1)(9)नपा / रानिआ / 94 / 295 दिनांकः 14.10.94		मतदाता द्वारा मतपत्र के प्रतिपर्ण पर हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान लगाने से इन्कार करने पर मतपत्र व उसके प्रतिपर्ण के निस्तारण की प्रक्रिया संबंधी आदेश।	148–149
38	प.1(4)(1) नपा / रानिआ / 14 / 4056 दिनांक : 16.10.2019		नगरपालिका निर्वाचन में मतदाता सहायता केन्द्र (Voter Assistence Booth) की स्थापना के संबंध में।	150
39.	एफ. 1(4)(1) / नपा / रानिआ / 2014 / 4297 दिनांक : 24.10.2019		**नगरपालिका निर्वाचनों में Person with Disabilities (PwDs) को मतदान में सहायता उपलब्ध करवाने के संबंध में।**	151
40.	प.4(2)(1)नपा / रानिआ / 94 / 858 दिनांक 4.10.99		नगरपालिका चुनाव – पीठासीन अधिकारियों की डायरी।	152
41.	प 7(1)(3) पंचा / रानिआ / 14–15 / 1408 दिनांक : 04.02.2026		निर्वाचकों की अंगुली पर अमिट स्याही लगाना–तत्संबंधी।	153–154
42	एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा / सा.आ. / रानिआ / 14 / 603 दिनांक : 19.01.2026		मतदान हेतु मतदाता की पहचान के संबंध में फोटो–दस्तावेजों की अनिवार्यता।	155–156

भाग 8 — लोक नोटिस जारी करने, नामांकन पत्रों की प्राप्ति, जांच व वापसी के सम्बन्ध में।				
43.	एफ. 7(1)(3)/पंचा/रानिआ/2015/793 दिनांकः— 20.01.2026		अभ्यर्थियों द्वारा गलत घोषणा पत्र/मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में कार्यवाही।	158—159
44.	प.1(4)(1)/नपा/रानिआ/14/4537 दिनांक 01.11.2019		नगरपालिका निर्वाचनों में सदस्य के लिए अर्हता — स्वच्छ कार्यशील शौचालय के सम्बन्ध में।	160—162
45.	एफ. 1(4)(1)न.पा./रा.नि.आ./14/808 दिनांक : 23.01.2026		अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन पत्र के साथ स्वघोषणा पत्र।	163—171
भाग 9 — इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों से मतदान बाबत्				
46.	प.1(2)(1)नपा—पंचा/सां.आ./रानिआ/14/635 दिनांक : 19.01.2026		सां.आ. 149/2026 —आगामी नगरपालिका के समस्त निर्वाचन ईवीएम से कराने की अधिसूचना	173
47.	एफ. 1(2)(1)नपा—पंचा/सा.आ./रानिआ/14/578 दिनांकः—16.01.26		सां. आ.148/2025 —इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के डिजाईन के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	174
48.	एफ. 1(2)(1)नपा—पंचा/सां.आ./रानिआ/14/560 दिनांकः 16.01.2026		सां.आ. संख्या— 145/2026 —मतदान के पश्चात् पीठासीन अधिकारियों द्वारा वोटिंग मशीन को सीलबन्द करने एवं सुरक्षित करने बाबत् निर्देश।	175—176
49.	एफ.1(2)(1)नपा—पंचा/सां.आ./रानिआ/14/1459 दिनांकः 06.02.2026		सां.आ. 156/2026 —इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन से मतदान में निर्वाचन स्टॉफ द्वारा डाक मतपत्र की प्रक्रिया के सम्बन्ध में निर्देश।	177—178
50.	एफ.1(4)(1)नपा/रानिआ/2014/2184 दिनांकः—26.02.2026		ईवीएम के उपयोग एवं प्रथम स्तरीय जांच के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।	179—197
51.	एफ 4(1)(6)/नपा/रानिआ/09/1896 दिनाकः18.02.2026		ईवीएम से मतदान में मतपत्रों एवं निविदत्त (Tender) मतपत्रों के मुद्रण के लिए दिशा—निर्देश।	198—208
52.	एफ 4(1)(6)/नपा/रानिआ/09/1891 दिनाक : 18.02.2026		ईवीएम से मतदान में मतपत्रों एवं डाक मतपत्रों के मुद्रण हेतु दिशा निर्देश।	209—213
53.	प.3(76)स्टोर/रानिआ /एसडीएमएम/2019/705 दिनांक :20.01.2026		मल्टीपोस्ट सिंगल वोट ई.वी.एम. से मतगणना उपरान्त एस.डी.एम.एम. को सीलबन्द करने के सम्बन्ध में।	214—221
54.	प.3(76)स्टोर/रानिआ/एसडीएमएम/2019/826 दिनांक : 23.01.2026		मल्टीवोट ई.वी.एम. से नगरपालिका चुनाव की मतगणना उपरान्त डी.एम.एम. को सीलबंद करने के संबंध में।	222—229
भाग 10 — मतगणना व परिणामों की घोषणा के सम्बन्ध में				
55.	एफ. 1(2)(1) नपा—पंचा/सा.आ./रानिआ/14/882 दिनांक :— 23.01.2026		सां.आ. क्रमांकः 151/2026 —मतगणना केन्द्र में प्रवेश के लिये गणना अभिकर्ता के लिये निर्देश।	230

56.	एफ1(4)(1)न.पा. / रा.नि.आ. / 14 / 2292 दिनांक : 09.03.2026		इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों से मतदान पर मतगणना प्रक्रिया के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।	231–245
57.	प.1(2)(1)नपा–पंचा / सां.आ. / रानिआ / 14 / 1451 दिनांक : 06.02.2026		सां. आ. 157 / 2026–डाक मतपत्रों की गणना के सम्बन्ध में।	246–247
58.	एफ.4.(1)(2)न.पा. एवं पं. / रानिआ / 94 / 1063 दिनांक 13.12.94		सां.आ. 11 / 94–निर्वाचित घोषित अभ्यर्थियों की निक्षेप राशि लौटाने बाबत्।	248
भाग 11 – पुनर्मतदान सम्बन्धी निर्देश				
59.	एफ.4(1)(8)नपा / रानिआ / 2009 / 4650 दिनांक 04.11.2019		स्थगित मतदान को पूरा करने / नये सिरे से मतदान के मामलों में रिटर्निंग अधिकारी की रिपोर्ट के सम्बन्ध में।	249–250
भाग 12 – अध्यक्षीय / उपाध्यक्षीय पदों का चुनाव				
60.	एफ 1(4)(1)नपा / रानिआ / 14 / 5164 दिनांक 15.11.2019		अध्यक्षीय पदों के निर्वाचन हेतु दिशा–निर्देश।	251–262
61.	एफ. 1(4)(1) / नपा / रानिआ / 2019 / 5360 दिनांक 22.11.2019		अध्यक्षीय पदों के निर्वाचन हेतु दिशा–निर्देश (संशोधन)	263
62.	एफ 1(4)(1) / नपा / रानिआ / 14 / 1381 दिनांक : 04.02.2026		अध्यक्ष पद पर निर्वाचन की बैठक के सम्बन्ध में।	264
63.	प.1(2)(1)नपा–पंचा / सां.आ. / रानिआ / 14 / 1364 दिनांक :04.02.2026		सां. आ. 154 / 2026 –अध्यक्षीय पदों के निर्वाचन हेतु मतपत्र का प्ररूप विहित करने के सम्बन्ध में।	265–268
64.	एफ. 1(4)(1)नपा / रानिआ / 14 / 1357 दिनांकः 04.02.2026		उपाध्यक्षीय पदों के निर्वाचन हेतु मतपत्र का प्ररूप विहित करने के सम्बन्ध में।	269–270
65.	एफ 1(4)(1)न.पा. / रा.नि.आ. / 14 / 4146 दिनांक 21.10.2019		निर्वाचित अध्यक्ष एवं सदस्य की शपथ के सम्बन्ध में।	271–272
66.	एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा / सा.आ. / रानिआ / 14 / 1374 दिनांकः 04.02.2026		सां. आ. 155 / 2026 –उपाध्यक्षीय पदों के परिणाम के सम्बन्ध में।	273–277
67.	एफ. 1(4)(1)नपा / रानिआ / 14 / 1607 दिनांकः 11.02.2026		उपाध्यक्षीय पदों के निर्वाचन हेतु दिशा–निर्देश।	278–288
भाग 13 –लेखा सम्बन्धी आदेश / निर्देश				
68.	प.1(32) / रानिआ / लेखा / बजट / 2025–26 / 322 दिनांकः 09.01.2026		ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच (FLC) एवं तैयारी हेतु दरों का निर्धारण हेतु आदेश।	290
69.	No. F.1 (21)SEC/Acctt/2026/402 Date: 12.01.2026		Honorarium/Remuneration to officers for preparation & revision of Municipal/ Panchayat Electoral Rolls 2019-20	291
70.	No. F.1 (23)(2)SEC/Acctts/2025-26/622 Date : 19.01.2026		Procedure for settlement of hire & detention charges of the motor vehicle requisition.	292–296

71.	No.F.1(20)(2)SEC/Acctt/O.R./2025-26/231 Date: 07.01.2026		Order Regarding Rates sanctioned for making outright payments and incurring expenditures.	297–299
72.	No. F.1 (27)SEC/Acctt/2025-26/ 330 Date: 09.01.2026		Regarding payment of Honorarium to officers deputed for imparting training to staff deployed for conducting Municipal/Panchayat General Elections, 2019-20.	300
73	प.1(29)(2) रानिआ/लेखा/बजट/2025–26/5199 दिनांकः 30.12.2025		नगर निकाय/पंचायत चुनाव की बजट मदों से व्यय करने सम्बन्धी दिशा निर्देश।	301–307
74.	प.1(20)(2)/रानिआ/लेखा/बजट/2025–26/528 दिनांकः 16.01.2026		चुनाव कार्य में नियोजित कर्मचारियों के यात्रा भत्ता भुगतान की दरें एवं प्रक्रिया।	308–310
75.	प.1(29)(2) रानिआ/लेखा/बजट/2019–20/953 दिनांक 24.01.2026		विडियोग्राफी व टैण्ट/बैरीकेडिंग, विद्युत एवं माईक व्यवस्था पर व्यय सीमा निर्धारण बाबत्।	311
76.	प.2(8) रानिआ/लेखा/94/2283 दिनांक 09.07.19		जब्त जमानत राशि राजकोष में जमा कराए जाने के सम्बन्ध में।	312–316
77.	प. 1(9)/रानिआ/लेखा/बजट/2025–26/541 दिनांकः16.01.2026		पंचायतीराज संस्थाओं/नगरीय निकाय आम चुनाव–2026 मे मतदान दलों के कार्मिकों को प्रशिक्षण दिवस पर अल्पाहार/भोजन व्यवस्था बाबत्।	317
भाग 14 – विविध				
78.	एफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/666 दिनांकः 20.01.2026		Rate of sale price of lists of polling stations and printed forms.	319
79.	एफ. 1(4)(1)नपा/रानिआ/14/1614 दिनांकः 11.02.2026		सां.आ. 159/2026–राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 75 के अधीन निर्वाचन सम्बन्धी कागज पत्रों के निपटारे के सम्बन्ध में।	320–322
80.	F.4(2)(1)/P&M/SEC/94/2332 DATED 24.8.1995		Divisional Commissioners are authorized for general supervision on the conduct of elections and treating them and the officers/officials detailed for their assistance on election duty to enter into polling stations and counting centres.	323
81.	प.4(2)(1)पं./नपा/रानिआ/94/3148 दिनांक 06.11.1999		सां.आ. 28/99–निर्वाचन सम्बन्धी कागज पत्रों के निरीक्षण एवं प्रतिलिपि जारी करने के सम्बन्ध में।	324

82.	एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा / सा.आ. / रानिआ / 14 / 1600 दिनांकः 11.02.2026		सां. आ. 158 / 2026 –चुनाव परिणाम के बाद कागज पत्रों का निपटारा करने बाबत्।	325–327
83.	प.1(2)(1)नपा–पंचा / सां.आ. / रानिआ / 14 / 2285 दिनांक : 09.03.2026		सां.आ. 160 / 2026 –चुनाव के बाद रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा रिकार्ड की अभिरक्षा के सम्बन्ध में निर्देश।	328
84.	एफ.4(2)(1)पं / नपा / रानिआ / 94 / 3154 दिनांक 09.11.1999		सा.आ. 32 / 99–निर्वाचन अधिकारी की अभिरक्षा में चुनाव सम्बन्धी रिकार्ड निरीक्षण व प्रतिलिपि लेने के सम्बन्ध में।	329
85.	एफ4(2)(1) / नपा / रानिआ / 03 / 7127 दिनांक 04.01.2010		मुद्रित फार्मों के विक्रय के सम्बन्ध में।	330

भाग – 1

निर्वाचक नामावलियों बाबत्

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

(1)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph./FAX 0141.2227280ए 2227072

क्रमांकः प.1(2)(1)नपा–पंचा / सां.आ. / रानिआ / 14 / 887 दिनांक : 23.01.2026

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 17(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 262 दिनांक 22.08.1994 एवं आदेश क्रमांक 3464 दिनांक 22.08.2014 को अधिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार के परामर्श से राज्य के सभी जिला कलक्टर्स को संबंधित जिला क्षेत्रों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में एतद् द्वारा पदाभिहित / नाम निर्दिष्ट करता हैं।

और यतः राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 8 के प्रावधान के अनुसार जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण में अपने जिले हेतु नगरपालिका निर्वाचन के लिये समग्र प्रभारी होगा। अतः आयोग यह निर्देश प्रदान करता हैं कि पैरा 1 द्वारा पदाभिहित / नाम निर्दिष्ट जिला निर्वाचन अधिकारी ही उनके जिले में नगरपालिका निर्वाचनों के लिये जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी होंगें।

भवदीय
ह0
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकःएफ.1(3)(1)न.पा. / रानिआ / 94 / I / 4403 दिनांकः 12.11.2025

आदेश

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 (2009 का अधिनियम संख्या – 18) की धारा 13 की उप धारा (1) एवं (3) के उपबन्धों के अनुसरण में पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग निम्नांकित सारणी के स्तम्भ–2 में विनिर्दिष्ट राजस्थान राज्य के जिले में स्थित सारणी के स्तम्भ–3 में विनिर्दिष्ट नगरपालिका क्षेत्र के लिए स्तम्भ–4 में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं सारणी के स्तम्भ–5 में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के रूप में पदाभिहित करता है :–

सारणी

क्र. सं.	जिले का नाम	नगरपालिका / परिषद / निगम का नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	नगर निगम अजमेर	अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (शहर) अजमेर उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अजमेर उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पुष्कर	सहायक कलक्टर मुख्यालय, अजमेर सहायक निदेशक, लोक सेवाऐं, कलक्ट्रेट, अजमेर तहसीलदार, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी (प्रथम), अजमेर तहसीलदार, अजमेर तहसीलदार(भू. अभिलेख), अजमेर नायब तहसीलदार (प्रथम), तहसील अजमेर नायब तहसीलदार (द्वितीय), तहसील अजमेर
		नगर परिषद् किशनगढ़	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, किशनगढ़	तहसीलदार, किशनगढ़ नायब तहसीलदार, किशनगढ़
		नगर परिषद पुष्कर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, पुष्कर	तहसीलदार, पुष्कर नायब तहसीलदार, पुष्कर
		नगरपालिका नसीराबाद	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, नसीराबाद	तहसीलदार, नसीराबाद नायब तहसीलदार, नसीराबाद
		नगर परिषद् केकड़ी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, केकड़ी	1. तहसीलदार, केकड़ी 2. नायब तहसीलदार केकडी
		नगरपालिका सरवाड	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, सरवाड	1. तहसीलदार, सरवाड 2. नायब तहसीलदार सरवाड
		नगरपालिका टांटोटी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सरवाड	तहसीलदार, टांटोटी नायब तहसीलदार

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

				टांटोटी
		नगरपालिका सावर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, सावर	तहसीलदार, सावर नायब तहसीलदार सावर
		नगरपालिका पीसांगन	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, पीसांगन	तहसीलदार पीसांगन नायब तहसीलदार पीसांगन
2..	अलवर	नगर निगम अलवर	1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) अलवर 2. सहायक कलक्टर, अलवर	तहसीलदार, अलवर उप पंजीयक प्रथम, अलवर उप पंजीयक द्वितीय, अलवर नायब तहसीलदार, अलवर
		नगरपालिका राजगढ	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, राजगढ	तहसीलदार, राजगढ
		नगरपालिका लक्ष्मणगढ	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, लक्ष्मणगढ	तहसीलदार, लक्ष्मणगढ
		नगरपालिका कठूमर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, कठूमर	तहसीलदार, कठूमर
		नगरपालिका खेरली	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, कठूमर	नायब तहसीलदार, खेरली
		नगरपालिका थानागाजी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, थानागाजी	तहसीलदार, थानागाजी
		नगरपालिका रामगढ	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, रामगढ	तहसीलदार, रामगढ
		नगरपालिका गोविन्दगढ	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, गोविन्दगढ	तहसीलदार, गोविन्दगढ
		नगरपालिका मालाखेडा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, मालाखेडा	तहसीलदार, मालाखेडा
		नगरपालिका बहादुरपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, अलवर	नायब तहसीलदार, बहादुरपुर
		नगरपालिका बड़ौदा मेव	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, लक्ष्मणगढ	नायब तहसीलदार, बड़ौदा मेव
		नगरपालिका नौगांवा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, रामगढ	तहसीलदार, नौगांवा
3.	बालोतरा	नगर परिषद् बालोतरा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, बालोतरा	तहसीलदार, पचपदरा नायब तहसीलदार पचपदरा
		नगरपालिका जसोल	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, बालोतरा	1. उप पंजीयक जसोल 2. नायब तहसीलदार जसोल
		नगरपालिका सिवाना	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, सिवाना	तहसीलदार, सिवाना नायब तहसीलदार, सिवाना
		नगरपालिका समदडी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, सिवाना	तहसीलदार, समदडी नायब तहसीलदार, समदडी
		नगरपालिका सिणधरी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, सिणधरी	तहसीलदार, सिणधरी नायब तहसीलदार, सिणधरी
4.	बांसवाड़ा	नगर परिषद् बांसवाड़ा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा	तहसीलदार, बांसवाड़ा नायब तहसीलदार, बांसवाड़ा
		नगरपालिका परतापुर–गढ़ी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, गढ़ी	तहसीलदार, गढ़ी नायब तहसीलदार, गढ़ी
		नगरपालिका	उपखण्ड अधिकारी एवं	तहसीलदार, कुशलगढ

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

		कुशलगढ़	उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, कुशलगढ़	नायब तहसीलदार, कुशलगढ़
5.	बारां	नगर परिषद् बारां	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, बारां	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बारां
		नगरपालिका अन्ता	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, अन्ता	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अन्ता
		नगरपालिका मांगरोल	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, मांगरोल	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मांगरोल
		नगरपालिका सीसवाली	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, मांगरोल	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मांगरोल
		नगरपालिका अटरू	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, अटरू	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अटरू
		नगरपालिका छबड़ा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, छबड़ा	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, छबड़ा
6.	बाड़मेर	नगर परिषद् बाड़मेर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, बाड़मेर	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
		नगरपालिका चौहटन	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौहटन	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, चौहटन
		नगरपालिका धौरीमन्ना	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धौरीमन्ना	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, धौरीमन्ना
		नगरपालिका गुडामालानी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गुडामालानी	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, गुडामालानी
7.	ब्यावर	नगर परिषद् ब्यावर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, ब्यावर	तहसीलदार, ब्यावर
		नगरपालिका बिजयनगर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, मसूदा	तहसीलदार, बिजयनगर
		नगरपालिका मसूदा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मसूदा	तहसीलदार, मसूदा
		नगरपालिका जैतारण	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, जैतारण	तहसीलदार, जैतारण
		नगरपालिका रायपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, रायपुर	तहसीलदार, रायपुर
8.	भरतपुर	नगर निगम भरतपुर	अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भरतपुर	तहसीलदार, भरतपुर उप पंजीयक, भरतपुर तहसीलदार, भरतपुर विकास प्राधिकरण ,भरतपुर
		नगरपालिका नदबई	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, नदबई	तहसीलदार, नदबई
		नगरपालिका वैर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, वैर	तहसीलदार, वैर
		नगरपालिका बयाना	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, बयाना	तहसीलदार, बयाना
		नगरपालिका भुसावर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, भुसावर	तहसीलदार, भुसावर
		नगरपालिका	उपखण्ड अधिकारी एवं	तहसीलदार, रूपवास

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

		रूपवास	उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, रूपवास	
		नगरपालिका उच्चैन	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, उच्चैन	तहसीलदार, उच्चैन
9.	भीलवाड़ा	नगर निगम भीलवाड़ा	उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा	1. सहायक कलक्टर मुख्यालय भीलवाडा 2. तहसीलदार, भीलवाड़ा 3. तहसीलदार, नगर निकास व्यास भीलवाडा 4. तहसीलदार भू–अभिलेख कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाडा
		नगरपालिका आसीन्द	उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द	तहसीलदार, आसीन्द
		नगरपालिका गुलाबपुरा	उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा	तहसीलदार, हुरडा
		नगरपालिका गंगापुर	उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर	तहसीलदार, सहाड़ा मु. गंगापुर
		नगरपालिका हमीरगढ़	उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ़	तहसीलदार, हमीरगढ़
		नगरपालिका बनेडा	उपखण्ड अधिकारी, बनेडा	तहसीलदार, बनेडा
		नगरपालिका शाहपुरा	उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा	तहसीलदार शाहपुरा
		नगरपालिका जहाजपुर	उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर	तहसीलदार, जहाजपुर
		नगरपालिका बीगोद	उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ	तहसीलदार, माण्डलगढ
		नगरपालिका माण्डलगढ़	उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़	तहसीलदार, माण्डलगढ़
		नगरपालिका बिजौलिया	उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया	तहसीलदार, बिजौलिया
10.	बीकानेर	नगर निगम बीकानेर	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (शहर), बीकानेर उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर	तहसीलदार, बीकानेर उप पंजीयक–प्रथम, बीकानेर
		नगरपालिका देशनोक	उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर	उप तहसीलदार, देशनोक
		नगरपालिका डूंगरगढ	उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ	तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ
		नगरपालिका नोखा	उपखण्ड अधिकारी, नोखा	तहसीलदार, नोखा
		नगरपालिका खाजूवाला	उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला	तहसीलदार, खाजूवाला
		नगरपालिका लूणकरणसर	उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर	तहसीलदार, लूणकरणसर
		नगरपालिका नापासर	सहायक कलक्टर, बीकानेर	तहसीलदार प्रथम, बीडीए
11.	बून्दी	नगर परिषद् बून्दी	उपखण्ड अधिकारी, बून्दी	तहसीलदार, बून्दी
		नगरपालिका के0 पाटन	उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन	तहसीलदार, के0 पाटन
		नगरपालिका कापरेन	उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन	तहसीलदार, के0 पाटन

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

		नगरपालिका लाखेरी	उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी	तहसीलदार, इन्द्रगढ
		नगरपालिका इन्द्रगढ	उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी	तहसीलदार, इन्द्रगढ
		नगरपालिका नैनवां	उपखण्ड अधिकारी, नैनवां	तहसीलदार, नैनवां
		नगरपालिका देई	उपखण्ड अधिकारी, नैनवां	तहसीलदार, नैनवां
		नगरपालिका हिण्डोली	उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली	तहसीलदार, हिण्डोली
12.	चित्तौडगढ़	नगर परिषद् चित्तौडगढ़	उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, चित्तौडगढ़	तहसीलदार, चित्तौडगढ़
		नगरपरिषद निम्बाहेड़ा	उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, निम्बाहेड़ा	तहसीलदार, निम्बाहेड़ा
		नगरपालिका कपासन	उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, कपासन	तहसीलदार, कपासन
		नगरपालिका बेगूं	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, बेगूं	तहसीलदार, बेगूं
		नगरपालिका रावतभाटा	उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, रावतभाटा	तहसीलदार, रावतभाटा
		नगरपालिका बड़ीसादड़ी	उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, बड़ीसादड़ी	तहसीलदार, बड़ीसादड़ी
		नगरपालिका आकोला	उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, भूपालसागर	तहसीलदार, भूपालसागर
13.	चूरू	नगर परिषद् चूरू	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, चूरू	तहसीलदार, चूरू
		नगर परिषद् सुजानगढ़	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, सुजानगढ़	तहसीलदार, सुजानगढ़
		नगर परिषद् सरदारशहर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, सरदारशहर	तहसीलदार, सरदारशहर
		नगरपालिका राजगढ़	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, राजगढ़ (चूरू)	तहसीलदार, राजगढ़ (चूरू)
		नगरपालिका तारानगर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, तारानगर	तहसीलदार, तारानगर
		नगरपालिका साहवा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, तारानगर	नायब तहसीलदार साहवा
		नगरपालिका रतननगर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, चूरू	तहसीलदार, चूरू
		नगरपालिका रतनगढ़	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, रतनगढ़	तहसीलदार, रतनगढ़
		नगरपालिका राजलदेसर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, रतनगढ़	तहसीलदार, राजलदेसर
		नगरपालिका छापर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, सुजानगढ़	तहसीलदार, सुजानगढ़
		नगरपालिका बीदासर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, बीदासर	तहसीलदार, बीदासर
14.	दौसा	नगर परिषद् दौसा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, दौसा	तहसीलदार, दौसा नायब तहसीलदार, दौसा
		नगरपालिका	उपखण्ड अधिकारी एवं	तहसीलदार, बांदीकुई

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

		बांदीकुई	उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, बांदीकुई	नायब तहसीलदार, बांदीकुई
		नगरपालिका महवा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, महवा	तहसीलदार, महवा नायब तहसीलदार, महवा
		नगर परिषद् लालसोट	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, लालसोट	तहसीलदार, निर्झरना
		नगरपालिका सिकराय	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, सिकराय	तहसीलदार, सिकराय
		नगरपालिका रामगढ़ पचवारा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, रामगढ़ पचवारा	तहसीलदार, रामगढ़ पचवारा
		नगरपालिका लवाण	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, लवाण	तहसीलदार, लवाण
		नगरपालिका मण्डावर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, मण्डावर	तहसीलदार, मण्डावर
		नगरपालिका बसवा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, बसवा	तहसीलदार, बसवा
		नगरपालिका भाण्डारेज	सहायक कलक्टर, दौसा	तहसीलदार, भाण्डारेज नायब तहसीलदार, भाण्डारेज
		नगरपालिका मण्डावरी	सहायक कलक्टर, लालसोट	तहसीलदार, लालसोट
15.	डीग	नगर परिषद् डीग	उपखण्ड अधिकारी, डीग	तहसीलदार, डीग तहसीलदार जनूथर
		नगरपालिका कुम्हेर	उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर	तहसीलदार, कुम्हेर तहसीलदार रारह
		नगरपालिका नगर	उपखण्ड अधिकारी, नगर	तहसीलदार, नगर
		नगरपालिका कामां	उपखण्ड अधिकारी, कामां	तहसीलदार, कामां तहसीलदार जुरहरा
		नगरपालिका सीकरी	उपखण्ड अधिकारी, सीकरी	तहसीलदार, सीकरी
		नगरपालिका पहाडी	उपखण्ड अधिकारी, पहाडी	तहसीलदार पहाडी
16.	डीडवाना– कुचामन	नगरपरिषद् डीडवाना	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, डीडवाना	तहसीलदार, डीडवाना नायब तहसीलदार, डीडवाना
		नगरपरिषद् मकराना	अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कुचामन सिटी	तहसीलदार, मकराना नायब तहसीलदार, मकराना
		नगरपरिषद् कुचामनसिटी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, कुचामन सिटी	तहसीलदार, कुचामनसिटी नायब तहसीलदार, कुचामनसिटी
		नगरपालिका लाडनूं	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, लाडनूं	तहसीलदार, लाडनूं नायब तहसीलदार, लाडनूं
		नगरपालिका बोरावड	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, मकराना	नायब तहसीलदार, गच्छीपुरा नायब तहसीलदार, बुडसु
		नगरपालिका नावां	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, नावां	तहसीलदार, नावां नायब तहसीलदार, नावां
		नगरपालिका परबतसर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, परबतसर	तहसीलदार, परबतसर नायब तहसीलदार, परबतसर
		नगरपालिका खाटू खुर्द	अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) डीडवाना	तहसीलदार छोटी खाटू तहसीलदार मौलासर
17.	धौलपुर	नगर परिषद्	उपखण्ड अधिकारी एवं	तहसीलदार एवं कार्यपालक

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

		धौलपुर	उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, धौलपुर	मजिस्ट्रेट, धौलपुर
		नगरपालिका बाड़ी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, बाड़ी	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बाड़ी
		नगरपालिका राजाखेड़ा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, राजाखेड़ा	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, राजाखेड़ा
		नगरपालिका बसेड़ी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, बसेड़ी	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बसेड़ी
		नगरपालिका सरमथुरा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, सरमथुरा	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सरमथुरा
		नगरपालिका सैंपउ	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, सैंपउ	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सैंपउ
		नगरपालिका मनियां	सहायक कलक्टर (मु) धौलपुर	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मनियां
18.	डूंगरपुर	नगर परिषद् डूंगरपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर	तहसीलदार, डूंगरपुर
		नगरपालिका सागवाडा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, सागवाडा	तहसीलदार, सागवाडा
19.	हनुमानगढ़	नगर परिषद् हनुमानगढ़	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़	तहसीलदार, (राजस्व) हनुमानगढ़ उप पंजीयक, हनुमानगढ़
		नगरपालिका संगरिया	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, संगरिया	तहसीलदार, (राजस्व) संगरिया नायब तहसीलदार, संगरिया
		नगरपालिका टिब्बी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, टिब्बी	तहसीलदार, (राजस्व) टिब्बी नायब तहसीलदार, टिब्बी
		नगरपालिका पीलीबंगा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, पीलीबंगा	तहसीलदार, पीलीबंगा
		नगरपालिका गोलूवाला	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पीलीबंगा	नायब तहसीलदार गोलूवाला
		नगरपालिका रावतसर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, रावतसर	तहसीलदार, (राजस्व) रावतसर नायब तहसीलदार, रावतसर
		नगरपालिका नोहर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, नोहर	तहसीलदार, नोहर नायब तहसीलदार, नोहर
		नगरपालिका भादरा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, भादरा	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, भादरा नायब तहसीलदार, भादरा
20	जयपुर	नगरपालिका फुलेरा	सहायक कलक्टर, सांभरलेक	नायब तहसीलदार, जोबनेर
		नगरपालिका सांभरलेक	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, सांभरलेक	तहसीलदार, फुलेरा (मुख्यालय सांभर)
		नगरपालिका नरायना	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर उत्तर	नायब तहसीलदार, फुलेरा (मुख्यालय सांभर)
		नगर परिषद् शाहपुरा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, शाहपुरा	तहसीलदार, शाहपुरा
		नगरपालिका मनोहरपुर	सहायक कलक्टर, शाहपुरा	नायब तहसीलदार, मनोहरपुर

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

		नगरपालिका किशनगढ रेनवाल	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, किशनगढ रेनवाल	तहसीलदार, किशनगढ रेनवाल
		नगरपालिका जोबनेर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, जोबनेर	तहसीलदार, जोबनेर
		नगरपालिका बस्सी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, बस्सी	तहसीलदार, बस्सी
		नगरपालिका बगरू	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, सांगानेर	नायब तहसीलदार, बगरू
		नगरपालिका वाटिका	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर दक्षिण	तहसीलदार, सांगानेर
		नगरपालिका चाकसू	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, चाकसू	तहसीलदार, चाकसू
		नगर परिषद् चौमू	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, चौमू	तहसीलदार, चौमू
		नगरपालिका कानोता	सहायक कलक्टर, बस्सी	नायब तहसीलदार, बस्सी
		नगरपालिका खेजरोली	सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं	नायब तहसीलदार, खेजरोली
		नगरपालिका कालाडेरा	सहायक कलक्टर, चौमूं	नायब तहसीलदार, गोविन्दगढ
		नगर परिषद् दूदू	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, दूदू	तहसीलदार, दूदू
		नगरपालिका जमवारामगढ	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जमवारामगढ	तहसीलदार, जमवारामगढ
		नगरपालिका फागी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, फागी	तहसीलदार, फागी
		नगरनिगम, जयपुर वार्ड सं. 01 से 22	सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट आमेर मुख्यालय जयपुर	उप पंजीयक–तृतीय
		नगरनिगम, जयपुर वार्ड सं. 23 से 37	सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर	तहसीलदार जेडीए जोन–9
		नगरनिगम, जयपुर वार्ड सं. 38 से 58	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सांगानेर	तहसीलदार, सांगानेर
		नगरनिगम, जयपुर वार्ड सं. 59 से 72	जिला रसद अधिकारी, द्वितीय जयपुर	उप पंजीयक प्रथम, सांगानेर
		नगरनिगम, जयपुर वार्ड सं. 73 से 87	उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक जयपुर वृत्त द्वितीय, जयपुर	उप पंजीयक–पंचम
		नगरनिगम, जयपुर वार्ड सं. 88 से 103	सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर द्वितीय	उप पंजीयक–दशम
		नगरनिगम, जयपुर वार्ड सं. 104 से 115	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जयपुर	उप पंजीयक–नवम

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

		नगरनिगम, जयपुर वार्ड सं. 116 से 132	उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक जयपुर वृत्त तृतीय, जयपुर	तहसीलदार जयपुर
		नगरनिगम, जयपुर वार्ड सं. 133 से 147	सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर प्रथम	तहसीलदार, कृषि भूमि रूपान्तरण, जयपुर
		नगरनिगम, जयपुर वार्ड सं. 148 से 150	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, आमेर	तहसीलदार, आमेर
21.	जैसलमेर	नगरपरिषद् जैसलमेर	उपखण्ड अधिकारी, जैसलमेर	तहसीलदार, जैसलमेर नायब तहसीलदार, जैसलमेर
		नगरपालिका पोकरण	उपखण्ड अधिकारी, पोकरण	तहसीलदार, पोकरण नायब तहसीलदार, पोकरण
22.	जालोर	नगर परिषद् जालोर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, जालोर	तहसीलदार, जालोर
		नगरपालिका आहोर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, आहोर	तहसीलदार, आहोर
		नगरपालिका भीनमाल	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, भीनमाल	तहसीलदार, भीनमाल
		नगर परिषद् सांचौर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, सांचौर	तहसीलदार, सांचौर
		नगरपालिका सायला	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, सायला	तहसीलदार, सायला
23.	झालावाड़	नगर परिषद् झालावाड	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, झालावाड	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, झालरापाटन
		नगरपालिका झालरापाटन	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, असनावर	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, असनावर
		नगरपालिका भवानीमण्डी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट,भवानीमण्डी	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पचपहाड़
		नगरपालिका पिडावा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, पिडावा	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पिडावा
		नगरपालिका अकलेरा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, अकलेरा	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अकलेरा
		नगरपालिका खानपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, खानपुर	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, खानपुर
		नगरपालिका मनोहरथाना	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मनोहरथाना	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मनोहरथाना
		नगरपालिका डग	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गंगधार	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, डग
24.	झुन्झुनू	नगर परिषद् झुन्झुनू	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू	तहसीलदार, झुन्झुनू
		नगरपालिका बगड़	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू	तहसीलदार, झुन्झुनू
		नगरपालिका नवलगढ़	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, नवलगढ़	नायब तहसीलदार, उपखण्ड कार्यालय नवलगढ़
		नगरपालिका जाखल	तहसीलदार, नवलगढ	नायब तहसीलदार, तहसील नवलगढ

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

		नगरपालिका डूंडलोद	सहायक कलक्टर, नवलगढ	नायब तहसीलदार, मुकुन्दगढ
		नगरपालिका सिंघाना	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, बुहाना	नायब तहसीलदार, सिंघाना
		नगरपालिका बुहाना	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, बुहाना	तहसीलदार, बुहाना
		नगरपालिका सूरजगढ़	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, सूरजगढ़	तहसीलदार, सूरजगढ़
		नगरपालिका विद्याविहार	तहसीलदार, पिलानी	नायब तहसीलदार, पिलानी
		नगरपालिका पिलानी	तहसीलदार, पिलानी	नायब तहसीलदार, पिलानी
		नगरपालिका चिड़ावा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, चिड़ावा	तहसीलदार, चिड़ावा
		नगरपालिका सुलताना	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, चिड़ावा	नायब तहसीलदार, तहसील चिड़ावा
		नगरपालिका मण्ड्रेला	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, चिड़ावा	नायब तहसीलदार, मण्ड्रेला
		नगरपालिका बिसाउ	तहसीलदार, बिसाउ	नायब तहसीलदार, बिसाउ
		नगरपालिका मण्डावा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, मण्डावा	तहसीलदार, मण्डावा
		नगरपालिका मुकुन्दगढ़	उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, नवलगढ़	नायब तहसीलदार, मुकुन्दगढ़
		नगरपालिका खेतडी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, खेतडी	तहसीलदार, खेतडी
		नगरपालिका उदयपुरवाटी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, उदयपुरवाटी	तहसीलदार, उदयपुरवाटी
		नगरपालिका मलसीसर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, मलसीसर	तहसीलदार, मलसीसर
25.	जोधपुर	नगर निगम जोधपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, जोधपुर उत्तर उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, जोधपुर दक्षिण अपर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रथम अपर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वितीय	तहसीलदार, जोधपुर तहसीलदार कुडी भगतासनी उप पंजीयक (तृतीय), जोधपुर उप पंजीयक (प्रथम), जोधपुर
		नगरपालिका बालेसर सत्ता	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, बालेसर	तहसीलदार, बालेसर
		नगर पालिका तिंवरी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, ओसिया	तहसीलदार तिंवरी
		नगरपालिका भोपालगढ	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, भोपालगढ	तहसीलदार, भोपालगढ
		नगरपालिका बिलाडा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, बिलाडा	तहसीलदार, बिलाडा

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

		नगरपालिका पीपाड शहर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, पीपाड शहर	तहसीलदार, पीपाड शहर
		नगरपालिका मथानिया	सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर	नायब तहसीलदार, तिंवरी
26.	करौली	नगरपरिषद् करौली	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, करौली	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, करौली
		नगरपरिषद् हिण्डौन	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, हिण्डौन	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, हिण्डौन
		नगरपालिका टोडाभीम	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, टोडाभीम	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, टोडाभीम
		नगरपालिका सपोटरा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, सपोटरा	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सपोटरा
		नगरपालिका मण्डरायल	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, मण्डरायल	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मण्डरायल
		नगरपालिका सूरोठ	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, हिण्डौन	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सूरोठ
27.	खैरथल–तिजारा	नगर परिषद् खैरथल	तहसीलदार खैरथल	नायब तहसीलदार, खैरथल
		नगर परिषद् तिजारा	उपखण्ड अधिकारी, तिजारा	तहसीलदार, तिजारा
		नगर परिषद् भिवाडी	अतिरिक्त जिला कलक्टर, भिवाडी	तहसीलदार, बीडा भिवाडी
		नगरपालिका मुण्डावर	उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर	तहसीलदार, मुण्डावर
		नगरपालिका किशनगढबास	उपखण्ड अधिकारी, किशनगढबास	तहसीलदार, किशनगढबास
		नगरपालिका टपूकडा	उपखण्ड अधिकारी, टपूकडा	तहसीलदार, टपूकडा
		नगरपालिका कोटकासिम	उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम	तहसीलदार, कोटकासिम
28.	कोटपूतली–बहरोड	नगर परिषद् कोटपूतली	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट,कोटपूतली	तहसीलदार, कोटपूतली
		नगर परिषद् बहरोड़	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, बहरोड़	तहसीलदार, बहरोड
		नगरपालिका मांढण	सहायक कलक्टर एवं कार्यकारी मजिस्ट्रेट (फास्टट्रेक) बहरोड	तहसीलदार मांढण
		नगरपालिका नीमराना	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, नीमराना	तहसीलदार, नीमराना
		नगरपालिका बर्डोद	सहायक कलक्टर एवं कार्यकारी मजिस्ट्रेट बहरोड	सब रजिस्ट्रार बहरोड
		नगरपालिका बानसूर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, बानसूर	तहसीलदार, बानसूर
		नगरपालिका नारायणपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नारायणपुर	तहसीलदार, नारायणपुर
		नगरपालिका विराटनगर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, विराटनगर	तहसीलदार, विराटनगर

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

		नगरपालिका पावटा–प्रागपुरा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, पावटा	तहसीलदार, पावटा
29.	कोटा	नगर निगम कोटा	अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) कोटा	1. उप रजिस्ट्रार द्वितीय, कोटा 2. सहायक भू–प्रबंध अधिकारी, द्वितीय, कोटा 3. तहसीलदार कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा 4. तहसीलदार भू–अभिलेख कलक्ट्रेट, कोटा 5. नायब तहसीलदार दीगोद, कोटा 6. तहसीलदार प्रथम कोटा विकास प्राधिकरण 7. तहसीलदार, दीगोद 8. सहायक भू–प्रबंध अधिकारी (मुख्यालय) कोटा 9. नायब तहसीलदार , लाडपुरा 10. सहायक प्रधानाचार्य, पटवार प्रशिक्षण केन्द्र कोटा
		नगरपालिका रामगंजमण्डी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी	तहसीलदार, रामगंजमण्डी नायब तहसीलदार, रामगंजमण्डी
		नगरपालिका सुकेत	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी	तहसीलदार, रामगंजमण्डी नायब तहसीलदार, रामगंजमण्डी
		नगरपालिका सांगोद	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सांगोद	तहसीलदार, सांगोद
		नगरपालिका इटावा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, इटावा	तहसीलदार, पीपल्दा
		नगरपालिका सुल्तानपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, दीगोद	तहसीलदार, दीगोद
30.	नागौर	नगरपरिषद् नागौर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, नागौर	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, नागौर
		नगरपालिका मूण्डवा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, मूण्डवा	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मूण्डवा
		नगरपालिका कुचेरा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, खींवसर	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, खींवसर
		नगरपालिका मेड़ता	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, मेड़ता	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मेड़ता
		नगरपालिका डेगाना	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, डेगाना	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, डेगाना
		नगरपालिका बासनी	सहायक कलक्टर (मुख्यालय) नागौर	उप पंजीयक, नागौर
		नगरपालिका जायल	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, जायल	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जायल

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

		नगरपालिका रियांबडी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, रियांबडी	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, रियांबडी
		नगरपालिका मेडता रोड	उप पंजीयक मेडता	नायब तहसीलदार ,उपतहसील गोटन
31.	पाली	नगरनिगम पाली	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, पाली	तहसीलदार, पाली नायब तहसीलदार, पाली
		नगरपालिका सोजत सिटी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, सोजत	तहसीलदार, सोजत नायब तहसीलदार, सोजत
		नगरपालिका सोजत रोड	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, सोजत	तहसीलदार, सोजत नायब तहसीलदार, सोजत
		नगरपालिका मारवाड जंक्शन	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, मारवाड जंक्शन	तहसीलदार, मारवाड जंक्शन 2. नायब तहसीलदार, मारवाड जंक्शन
		नगरपालिका बाली	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, बाली	तहसीलदार, बाली नायब तहसीलदार, बाली
		नगरपालिका खुड़ाला फालना स्टेशन	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, बाली	तहसीलदार, बाली नायब तहसीलदार, बाली
		नगरपालिका रानी खुर्द	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, रानी	तहसीलदार, रानी नायब तहसीलदार, रानी
		नगरपालिका सादड़ी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, देसूरी	तहसीलदार, देसूरी नायब तहसीलदार, देसूरी
		नगरपालिका सुमेरपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, सुमेरपुर	तहसीलदार, सुमेरपुर नायब तहसीलदार, सुमेरपुर
		नगरपालिका तखतगढ़	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, सुमेरपुर	तहसीलदार, सुमेरपुर नायब तहसीलदार, सुमेरपुर
32.	फलौदी	नगरपरिषद् फलौदी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, फलौदी	तहसीलदार, फलौदी
		नगरपालिका बाप	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, बाप	तहसीलदार, बाप
33.	प्रतापगढ़	नगरपरिषद् प्रतापगढ़	उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़	तहसीलदार, प्रतापगढ़
		नगरपालिका छोटीसादड़ी	उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, छोटीसादड़ी	तहसीलदार, छोटीसादड़ी
		नगरपालिका धरियावद	उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, धरियावद	तहसीलदार, धरियावद
		नगरपालिका अरनोद	उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, अरनोद	तहसीलदार, अरनोद
34.	राजसमंद	नगरपालिका आमेट	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, आमेट	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, आमेट
		नगरपालिका भीम	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, भीम	तहसीलदार एवं कार्यपालक, भीम नायब तहसीलदार, भीम नायब तहसीलदार, दिवेर
		नगरपालिका देवगढ	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, देवगढ	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, देवगढ

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

		नगरपालिका नाथद्वारा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा नायब तहसीलदार, नाथद्वारा
		नगरपरिषद् राजसमंद	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, राजसमंद	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, राजसमंद
35.	सलूम्बर	नगरपरिषद् सलूम्बर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, सलूम्बर	तहसीलदार, सलूम्बर नायब तहसीलदार, सलूम्बर
36.	सवाई माधोपुर	नगरपरिषद् सवाई माधोपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर	तहसीलदार, सवाई माधोपुर
		नगरपरिषद् गंगापुर सिटी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी	तहसीलदार, गंगापुर सिटी
		नगरपालिका बामनवास	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, बामनवास	तहसीलदार, बामनवास
		नगरपालिका वजीरपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, वजीरपुर	तहसीलदार, वजीरपुर
		नगरपालिका बौंली	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, बौंली	तहसीलदार, बौंली
		नगरपालिका खण्डार	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डार	तहसीलदार खण्डार
37.	सीकर	नगरपालिका रामगढ शेखावाटी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, रामगढ शेखावाटी	तहसीलदार, रामगढ शेखावाटी
		नगरपरिषद् फतेहपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, फतेहपुर	तहसीलदार, फतेहपुर नायब तहसीलदार, फतेहपुर
		नगरपालिका लक्ष्मणगढ़	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, लक्ष्मणगढ़	तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ नायब तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़
		नगरपरिषद् सीकर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, सीकर	तहसीलदार, सीकर उप पंजीयक सीकर नायब तहसीलदार, सीकर
		नगरपालिका धोद	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, धोद	तहसीलदार, धोद नायब तहसीलदार, धोद
		नगरपालिका लोसल	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, धोद	तहसीलदार, धोद नायब तहसीलदार, लोसल
		नगरपालिका दांता	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, दांतारामगढ़	तहसीलदार, दांतारामगढ नायब तहसीलदार, दांतारामगढ़
		नगरपालिका खाटूश्यामजी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, दांतारामगढ़	नायब तहसीलदार, पलसाना नायब तहसीलदार, कार्या. सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दांतारामगढ़
		नगरपालिका पलसाना	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दांतारामगढ	तहसीलदार दांतारामगढ नायब तहसीलदार पलसाना
		नगरपालिका रींगस	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, रींगस	तहसीलदार, रींगस नायब तहसीलदार, रींगस

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

		नगरपालिका खण्डेला	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, खण्डेला	तहसीलदार, खण्डेला नायब तहसीलदार, खण्डेला
		नगरपरिषद् नीमकाथाना	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, नीमकाथाना	तहसीलदार, नीमकाथाना नायब तहसीलदार, नीमकाथाना
		नगरपालिका श्रीमाधोपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, श्रीमाधोपुर	तहसीलदार, श्रीमाधोपुर नायब तहसीलदार, श्रीमाधोपुर
		नगरपालिका अजीतगढ़	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, श्रीमाधोपुर	तहसीलदार, श्रीमाधोपुर नायब तहसीलदार, अजीतगढ़
38.	सिरोही	नगरपरिषद् सिरोही	उपखण्ड अधिकारी, सिरोही	तहसीलदार, सिरोही
		नगरपालिका शिवगंज	उपखण्ड अधिकारी, शिवगंज	तहसीलदार, शिवगंज
		नगरपालिका पिण्डवाडा	उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा	तहसीलदार, पिण्डवाडा
		नगरपालिका आबूरोड	उपखण्ड अधिकारी, आबूरोड	तहसीलदार, आबूरोड
		नगरपालिका आबूपर्वत	उपखण्ड अधिकारी, आबूपर्वत	तहसीलदार, देलदर
		नगरपालिका मण्डार	उपखण्ड अधिकारी, रेवदर	तहसीलदार, रेवदर
39.	श्रीगंगानगर	नगरपरिषद् श्रीगंगानगर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर	तहसीलदार, श्रीगंगानगर उप पंजीयक, श्रीगंगानगर
		नगरपालिका सादुलशहर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, सादुलशहर	तहसीलदार, सादुलशहर
		नगरपालिका करणपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, करणपुर	तहसीलदार, करणपुर
		नगरपालिका केसरीसिंहपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, करणपुर	तहसीलदार, करणपुर
		नगरपालिका पदमपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, पदमपुर	तहसीलदार, पदमपुर
		नगरपालिका गजसिंहपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, पदमपुर	तहसीलदार, गजसिंहपुर
		नगरपालिका सूरतगढ़	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़	तहसीलदार, सूरतगढ़ उप पंजीयक, सूरतगढ़
.		नगरपरिषद् अनूपगढ़	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, अनूपगढ़	तहसीलदार, अनूपगढ़ उप पंजीयक, अनूपगढ़
		नगरपालिका श्रीविजयनगर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, श्रीविजयनगर	तहसीलदार, श्रीविजयनगर
		नगरपालिका रायसिंहनगर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, रायसिंहनगर	तहसीलदार, रायसिंहनगर
		नगरपालिका घडसाना	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, घडसाना	तहसीलदार, घडसाना
40.	टोंक	नगरपरिषद् टोंक	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, टोंक	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, टोंक उप पंजीयक, टोंक

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

		नगरपालिका मालपुरा	अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, मालपुरा	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मालपुरा
		नगरपालिका निवाई	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, निवाई	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, निवाई
		नगरपालिका दूनी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, देवली	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दूनी
		नगरपालिका देवली	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, देवली	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, देवली
		नगरपालिका उनियारा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, उनियारा	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, उनियारा
		नगरपालिका टोडारायसिंह	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह
		नगरपालिका पीपलू	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, पीपलू	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पीपलू
		नगरपालिका डिग्गी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, मालपुरा	नायब तहसीलदार, डिग्गी
		नगरपालिका लाम्बाहरिसिंह	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, मालपुरा	नायब तहसीलदार, मालपुरा
41.	उदयपुर	नगर निगम उदयपुर	अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) उदयपुर उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, गिर्वा	तहसीलदार, देवस्थान तहसीलदार, यूडीए नायब तहसीलदार, बडगांव तहसीलदार, गिर्वा तहसीलदार, बडगांव तहसीलदार, बारापाल
		नगरपालिका भीण्डर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, भीण्डर	तहसीलदार, भीण्डर
		नगरपालिका कानोड	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, भीण्डर	तहसीलदार, कानोड
		नगरपालिका वल्लभनगर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, वल्लभनगर	तहसीलदार, वल्लभनगर
		नगरपालिका फतहनगर–सनवाड	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, मावली	नायब तहसीलदार, सनवाड
		नगरपालिका मावली	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, मावली	तहसीलदार, मावली

भवदीया,

ह0
(नलिनी कठोतिया)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकःएफ.1(3)(1)नपा/रानिआ/94/वो.I/1554 दिनांकः 10.02.2026

<u>आदेश</u>

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 13 के उपबन्धों के अनुसरण में संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) से प्राप्त प्रस्तावानुसार निम्नलिखित तालिका के कॉलम–3 में अंकित नगरीय निकायों हेतु कॉलम–4 में अंकित अधिकारियों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं कॉलम संख्या–5 में अंकित अधिकारियों को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के पद पर पदाभिहित किया जाता है :–

क्र सं	जिले का नाम	नगरपालिका/परिषद/निगम का नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
1	कोटा	नगर निगम कोटा	1. अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) कोटा 2. सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा	1. उप रजिस्ट्रार द्वितीय, कोटा 2. सहायक भू–प्रबंध अधिकारी, द्वितीय, कोटा 3. तहसीलदार कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा 4. तहसीलदार भू–अभिलेख कलक्ट्रेट, कोटा 5. नायब तहसीलदार दीगोद, कोटा 6. तहसीलदार प्रथम कोटा विकास प्राधिकरण 7. . सहायक भू–प्रबंध अधिकारी (मुख्यालय) कोटा 8. नायब तहसीलदार , लाडपुरा 9. सहायक प्रधानाचार्य, पटवार प्रशिक्षण केन्द्र कोटा
		नगरपालिका रामगंजमण्डी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी	नायब तहसीलदार, चेचट
		नगरपालिका सुकेत	तहसीलदार, रामगंजमण्डी	नायब तहसीलदार, रामगंजमण्डी
		नगरपालिका सांगोद	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट,	तहसीलदार, सांगोद

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

			सांगोद	
		नगरपालिका इटावा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, इटावा	तहसीलदार, पीपल्दा
		नगरपालिका सुल्तानपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, दीगोद	तहसीलदार, दीगोद
2	खैरथल–तिजारा	नगर परिषद खैरथल	उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ बास	तहसीलदार, खैरथल

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।

भवदीय,

ह0
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकःएफ.1(3)(1)नपा/रानिआ/94/वो.I/1911 दिनांकः 19.12.2026

<u>आदेश</u>

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 13 के उपबन्धों के अनुसरण में संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) से प्राप्त प्रस्तावानुसार निम्नलिखित तालिका के कॉलम–2 में अंकित नगरीय निकायों हेतु कॉलम–3 में अंकित अधिकारियों के स्थान पर कॉलम संख्या–4 में अंकित अधिकारियों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के पद पर पदाभिहित किया जाता है :–

1.	2.	3.	4.
जिले का नाम	नगरपालिका/परिषद/निगम का नाम	पूर्व में नियुक्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी	संशोधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
जोधपुर	नगर निगम जोधपुर	1. अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रथम जोधपुर	1. अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, **शहर** प्रथम जोधपुर

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

भवदीय,
ह0
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

चुनाव / अत्यावश्यक

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) इन निर्देशों को अधीनस्थ अधिकारियों को भेजने से पूर्व स्वयं भी पढे।

क्रमांकः एफ.3(1)(1)नपा / रानिआ / 2024 / 2012 दिनांकः 20.02.2026

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(नगरपालिका) (कलक्टर)।
राजस्थान

विषयः– नगरीय निकायों के आम चुनाव, 2026 हेतु निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम एवं विस्तृत दिशा–निर्देश ।

महोदय,

राज्य की नगरीय निकायों **(परिशिष्ट–1)** के आम चुनाव वर्ष, 2026 में होने है। इसी संदर्भ में मा. उच्च न्यायालय द्वारा D.B.C. W.P. No. 7718/2025 शीला कुमारी बनाम राज्य सरकार व अन्य तथा संबंध याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 14.11.2025 द्वारा नगरीय निकायों के आम चुनाव की कार्यवाही दिनांक 15.04.2026 तक सम्पादित कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। आम चुनावों के लिए मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 13 से 15 तथा राजस्थान नगरपालिका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश, 1974 के अनुसार करवाया जाना हैं। नगरपालिकाओं के लिए वार्डवार निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने, प्रकाशित करने तथा उनके संबंध में प्राप्त दावों और आक्षेपों का निस्तारण कर मतदाता सूचियो को अंतिम रूप से तैयार कर प्रकाशित करने का दायित्व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों का है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रणाधीन रहते हुए मतदाता सूचियों की तैयारी से संबंधित समस्त कार्य संपादित करेगें। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(1) के अन्तर्गत प्रत्येक नगरपालिका बोर्ड / परिषद / निगम के लिये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों की सहायतार्थ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों को अपने आदेश संख्या एफ.1(3)(1)नपा / रानिआ / 94 / । / 4403 दिनांक 12.11.2025 के द्वारा नियुक्त किया जा चुका है। सुलभ सन्दर्भ के लिये उक्त आदेश की प्रति **परिशिष्ट–2** उपलब्ध है। यदि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पदों पर पदाभिहित अधिकारियों में किन्हीं कारणों से कोई परिवर्तन किया जाना हो तो इस हेतु प्रस्ताव शीघ्र ही आयोग को भिजवाने का श्रम करें।

राजस्थान नगरपालिका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश, 1974 के खण्ड 16 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत आयोग द्वारा आगामी चुनावों हेतु मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण **अर्हता तिथि 01.01.2026** के संदर्भ में करवाया जाएगा। मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण, संदर्भ तिथि 01.01.2025 के आधार पर तैयार करवाई गई विधानसभा की मतदाता सूची, जिसका अंतिम प्रकाशन 07.01.2025 को किया गया है, के अद्यतन डेटाबेस के आधार पर नगरपालिका की वार्ड एवं आवश्यकतानुसार भागवार फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार कर, उनका भौतिक सत्यापन किया जाएगा। भौतिक रूप से सत्यापित निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन कर अग्रिम कार्यवाही संपादित की जाएगी।

A - प्रारूप मतदाता सूची तैयार एवं भौतिक सत्यापन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :–

1. आयोग स्तर पर नियुक्त स्टेट लेवल एजेन्सी (SLA) राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एडं इन्स्ट्रूमेंन्ट्स लिमिटेड **(रील) द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर (e-suchi) के माध्यम से विधानसभा की अद्यतन मतदाता सूचियों** के डेटाबेस को नगरपालिका के वार्ड एवं आवश्यकतानुसार भागों के रूप में विभाजित किया जाएगा। इस विभाजन की प्रक्रिया के लिए **निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर से** कुछ सूचनाओं की आवश्यकता होगी। **उक्त सूचनाएं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रगणकों के माध्यम से तैयार करवाएगें।** इन सूचनाओं के संकलन के लिए **प्रपत्र–ए (परिशिष्ट–3) तैयार किया** गया हैं। निर्वाचक

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रपत्र–ए की आवश्यकतानुसार फोटो प्रति करा काम में ली जा सकती हैं।

2. प्रपत्र–ए में अंकित कॉलम में सूचनाओं को भरने का विवरण :–
    - प्रपत्र में ऊपर नगरपालिका एवं जिले का नाम लिखा जाएगा।
    - कॉलम नं. 1 क्रम संख्या से संबंधित है।
    - कॉलम नं. 2 में संबंधित नगरपालिका जिस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में है उस विधानसभा क्षेत्र का नंबर लिखा जायेगा।
    - कॉलम नं. 3 में जिस नगरपालिका से संबंधित यह प्रपत्र है, उससे संबंधित विधानसभा क्षेत्र के भाग का नंबर अंकित किया जाएगा।
    - कॉलम नं. 4 एवं 5 में कॉलम नं 3 में अंकित विधानसभा क्षेत्र के नगरपालिका वार्ड से संबंधित भाग के मतदाताओं की क्रम संख्या (कहॉ से कहॉ तक) अंकित की जाएगी।
    - कॉलम नं. 6 में कॉलम नं. 4 एवं 5 में अंकित मतदाता नगरपालिका के जिस वार्ड से संबंधित हैं उस वार्ड की संख्या लिखी जाएगी।
    - कॉलम नं. 7 में कॉलम नं. 6 के वार्ड के पार्ट का नं. लिखा जाएगा।
    - कॉलम नं. 8 में कॉलम नं. 4 एवं 5 के कुल मतदाताओं की गणना स्वतः ही हो जाएगी।

3. विधानसभा डेटाबेस को नगरपालिका के वार्ड/भागवार विभक्त करने के लिये समस्त हेतु आयोग द्वारा समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रकरण अधिकारियों एवं उनके स्टाफ तथा प्रत्येक जिला कार्यालय स्तर के दो मास्टर ट्रेनर (Master Trainers) एवं एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर को प्रशिक्षण देने हेतु आयोग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम शीघ्र ही आयोजित किया जा रहा है जिसके सम्बंध में आपको पृथक से अवगत करा दिया जायेगा।

4. आयोग के पत्रांक 4123/16.10.2025 के द्वारा **प्रगणकों की नियुक्ति** संबंधी कार्य पूर्ण करने के निर्देश प्रदान किए गए है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उक्त सूचनाओं के संकलन/डेटा विभाजन के लिये एवं मतदाता सूची सम्बंधी आगामी समस्त तैयारी हेतु प्रगणकों की सहायता ली जायेगी।

5. निर्वाचक नामावली की तैयारी हेतु प्रगणकों को समुचित प्रशिक्षण के बाद ही सूचना संकलन का वास्तविक कार्य प्रारम्भ किया जाना चाहिए। अतः प्रगणकों के प्रशिक्षण के तुरन्त पश्चात् प्रपत्र–ए तैयार करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया जाए। यह कार्य निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के मुख्यालय पर ही सभी प्रगणकों को एक ही स्थान पर एकत्रित कर करवाया जाए ताकि यदि किसी विधानसभा की निर्वाचक नामावली के भाग में एक से अधिक वार्डो के मतदाता सम्मिलित हो तो प्रगणक उनके बारे में एक दूसरें को जानकारी देकर उन्हें नगरपालिका के लिए अलग–अलग भागों में विभाजित कर लें। **यह ध्यान रखा जाए कि नगरपालिका वार्ड के किसी एक भाग में दो वार्डो के मतदाता सम्मिलित नहीं हो।**

6. नगर निकायों में वार्डो के भाग बनाए जाते समय यथा संभव विधानसभा के भागों के अनुरूप ही भाग बनाए जाए। सामान्यतः नगरपालिका का सम्पूर्ण वार्ड एक ही विधानसभा क्षेत्र में समाहित होगा। यदि किन्ही मामलों में इसमें भिन्नता पाई जाती हैं तो नगरपालिका हेतु भाग बनाए जाते समय यह ध्यान रखा जाए कि एक मौहल्ला/कॉलोनी/गली के मतदाताओं को एक ही भाग में रखा जाए, चाहे उस भाग के लिए मतदाताओं की संख्या 1400 से थोडा कम या ज्यादा हो रही हो।

7. प्रपत्र–ए में सूचना संकलित करने की प्रक्रिया में प्रगणकों को विधानसभा की **दिनांक 01.01.2025** की अर्हता तिथि के आधार पर तैयार अद्यतन मतदाता सूची, वार्डो का नवीनतम सीमाकंन (परिसीमन) के आदेश की प्रति, वार्ड का नक्शा तथा यदि वार्डो को भागों में विभक्त करने की आवश्यकता हैं तो प्रत्येक भाग का नजरी नक्शा तथा नगरपालिका की वर्तमान मतदाता सूची की आवश्यकता होगी। उक्त समस्त दस्तावेज निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रगणकों को उपलब्ध करवाएं जाएगें।

8. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखे कि नगरपालिका के आम चुनाव हेतु निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए **भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 01.01.2025 की अर्हता तिथि के संदर्भ में तैयार विधानसभा की**

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

निर्वाचक नामावली जिसका अंतिम प्रकाशन दिनांक 07.01.2025 को किया गया है, को उपयोग में लेना है।

9. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं प्रगणक सर्वप्रथम विधानसभा की मतदाता सूची के कौन–कौन से भाग किस वार्ड में सम्मिलित हैं, ये पता लगाएगें। यदि इस कार्य में किसी तरह की कठिनाई महसूस हो तो नगरपालिका कार्यालय के कर्मचारियों की सहायता ली जा सकती है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के लिए उचित रहेगा कि प्रगणकों के प्रशिक्षण के दिन नगरपालिका के कर्मचारियों को भी उक्त प्रशिक्षण मे सम्मिलित करें।

10. यहां यह भी उल्लेखनीय हैं कि आयोग द्वारा मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में जारी पत्र संख्या 641 दिनांक 19.01.2026 में प्रदान किये निर्देशों के अनुसार प्रत्येक भाग में सामान्यतः **1400** मतदाता रखे जाए, चूंकि विधानसभा की **दिनांक 01.01.2025** की अर्हता तिथि के संदर्भ में तैयार मतदाता सूचियों के प्रत्येक भाग में भी भारत निर्वाचन आयोग ने यही मापदण्ड निर्धारित किए हुए हैं। इसलिए **विधानसभा की मतदाता सूची के अधिकांश भाग नगरपालिका के वार्डो के भागों के समरूप ही होगें। यदि विधानसभा की मतदाता सूची के किसी भाग में 1400 से अधिक मतदाता है तो नगरपालिका के लिए भी वार्ड की सीमा में रखते हुए उसका एक ही भाग बनाया जाएगा।**

11. नगरनिगम/नगरपरिषद अथवा बडी नगरपालिकाओं में जहां वार्ड भागों में विभाजित किए जायेगें, वहां विधानसभा की मतदाता सूची के वे भाग जो पूर्ण रूप से उसी वार्ड में सम्मिलित हैं, को यथावत नगरपालिका के वार्ड के भाग के रूप में मान लिया जाएगा तथा उसका वही मतदान केन्द्र निर्धारित कर दिया जाएगा जो विधानसभा/लोकसभा चुनाव के दौरान निर्धारित किया गया था। **अधिकांश मामलों में यही संभावना रहेगी।** सिर्फ विधानसभा के वे भाग जिनमे नगरपालिका के दो या अधिक वार्डो के मतदाता हैं, वहां विधानसभा के भाग के मतदाताओं की क्रम संख्या को वार्ड की सीमा तक विभाजित किया जाएगा तथा नगरपालिका के लिए उक्त विधानसभा के भाग से दो या अधिक, जैसी भी स्थिति हो, नगरपालिका के भाग सृजित कर दिए जाएगें, अथवा यदि इस प्रकार सृजित हो रहे किसी भाग में मतदाताओं की संख्या कम हैं तो नगरपालिका की मतदाता सूची के लिए नवीन भाग नहीं बनाया जाकर उसी वार्ड के किसी निकटस्थ भाग में उन्हें सम्मिलित कर लिया जाएगा।

12. प्रपत्र ए को तैयार करने से लेकर प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने तक की तिथियां निम्नानुसार रहेंगीः–

क्र. सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	प्रपत्र ए को तैयार करने की अंतिम तिथि	09.03.2026 (सोमवार)
2.	प्रपत्र ए को ई–सूची पर अपलोड करने की अंतिम तिथि	11.03.2026 (बुधवार)
3.	प्रपत्र ए को ई–सूची पर Process करने की अंतिम तिथि	13.03.2026 (शुक्रवार)
4.	चैकलिस्ट डाउनलोड करने की अंतिम तिथि	14.03.2026 (शनिवार)
5.	चैकलिस्ट को Verify करने की अंतिम तिथि	16.03.2026 (सोमवार)
6.	संशोधित प्रपत्र ए को तैयार/अपलोड करने की अंतिम तिथि (यदि आवश्यक हुआ तो)	19.03.2026 (गुरूवार)
7.	संशोधित प्रपत्र ए को Process करने की अंतिम तिथि	
8.	प्रपत्र ए को Freeze करने की अंतिम तिथि	
9.	प्रारूप मतदाता सूची को डाउनलोड करने की अंतिम तिथि	22.03.2026 (रविवार)

13. इस प्रकार प्रगणकों द्वारा सूचनाएं संकलित कर तैयार किए गए प्रपत्र–ए के अनुसार सूचना निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी स्वयं की देख–रेख में ई–सूची

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

(**URL https://www.esuchi.rajasthan.gov.in) पर Excel Sheet (.CSV format) में दिनांक 11.03.2026 तक अपलोड की जानी है।** उक्त लिंक पर सूचनाओं को अपलोड करने के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को आवंटित यूजरनेम (Username) एवं पासवर्ड (Password) का उपयोग किया जाएगा। स्टेट लेवल एजेन्सी रील द्वारा प्रपत्र–ए की सूचनाओं को अपलोड करने संबंधी प्रक्रिया हेतु तैयार किए निर्देश **परिशिष्ट–4** पर उपलब्ध है।

14. उक्त सूचनाओं के अपलोड करने के पश्चात् नगरपालिकाओं की वार्डवार/भागवार फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची तैयार हो जाएगी। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर से यह जांच भी कर ली जावें कि **मतदाता सूची के मुख्य पृष्ठ पर अंकित वार्ड के परिसीमन का विवरण सही है, इसमें अन्य वार्डो का कोई स्थान सम्मिलित नहीं हैं एवं इस वार्ड का कोई भी स्थान छूटा नहीं है।** यदि किसी स्थान का सम्मिलित नहीं होना अथवा छूटा होना पाया जाता है तो ई–सूची में यह सुविधा है कि आप अपने स्तर पर इसे अपडेट कर सकते है।

15. उक्तानुसार तैयार मतदाता सूची (Check List) का प्रिंट लेकर संबंधित प्रगणकों द्वारा मौके पर जाकर प्रारूप मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं का भौतिक सत्यापन किया जाएगा एवं यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि मतदाता सूची वार्ड के परिसीमन के अनुसार ही है। भौतिक सत्यापन का कार्य दिनांक 16.03.2026 तक पूर्ण कर लिया जाए। यदि भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया जाता है कि विधानसभा की मतदाता सूची में अंकित किसी मतदाता का नाम नगरीय निकाय के संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में नही है अथवा किसी अन्य वार्ड के मतदाताओं का नाम सम्मिलित हो गया है, तो इसका अर्थ यह है कि आपके द्वारा तैयार किया गया प्रपत्र ए त्रुटिपूर्ण है। अतः ऐसी त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए संबंधित वार्ड के लिए संशोधित प्रपत्र ए तैयार कर पुनः ई–सूची (e-suchi) पर सूचना अपलोड कर संशोधित प्रारूप मतदाता सूची तैयार कर लेवें। संशोधित प्रपत्र ए तैयार कर अपलोड करने, प्रोसेस कर Freeze करने एवं प्रारूप मतदाता सूची को डाउनलोड करने हेतु तिथियां पैरा 12 के अनुसार रहेंगी। ये सभी कार्य दिनांक 19.03.2026 तक आवश्यक रूप से पूर्ण किए जाने है, ताकि दिनांक 24.03.2026 को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जा सकें।

16. भौतिक सत्यापन के दौरान यदि ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं जिनका नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं है तो प्रगणकों द्वारा ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार कर मौके पर ही उनको **मतदाता सूची में नाम जुडवाने के लिए प्रेरित किया जाए।** दावों व आपत्तियों के समय यदि उन व्यक्तियों द्वारा नाम जुडवाने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाते है तो उनके भौतिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं रहेगी।

17. उक्त कार्यो का समुचित पर्यवेक्षण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वयं के स्तर पर किया जाएगा। पर्यवेक्षण में अन्य कार्यो के अतिरिक्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रगणक द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन के कार्य का कम से कम क्रमशः **5 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत नमूना जांच (Sample Testing)** की जाएगी।

18. मतदाता सूचियों के भौतिक सत्यापन का कार्य पूर्ण होने के बाद संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा **परिशिष्ट–5** पर उपलब्ध प्रारूप में एक प्रमाण पत्र **जिला निर्वाचन अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर से** आयोग को **दिनांक 23.03.2026 तक** आवश्यक रूप से प्रेषित किया जाएगा।

19. निर्वाचनों को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिए मतदाता सूचियों का शुद्व एवं अद्यतन होना आवश्यक हैं, अर्थात् प्रत्येक योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची में सही विवरण के साथ अंकित हो। इसका दायित्व प्रगणक से शुरू होकर जिला निर्वाचन अधिकारी तक का हैं। इस हेतु मतदाता सूची के तैयारी के हर स्तर पर पूर्ण **सावचेती एवं पर्यवेक्षण** की आवश्यकता होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के यह निर्देश हैं कि जिला निर्वाचन अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के स्तर से मतदाता सूचियों का निकटता एवं गहनता से पर्यवेक्षण किया जाए।

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

B. मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन एवं इसके बाद की तिथियां निम्नानुसार रहेगीः–

क. सं.	कार्य विवरण	तिथि / अवधि
1.	निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन	24.03.2026 (मंगलवार)
2.	निर्वाचक नामावलियों का वाड़ों / मतदान केन्द्रों पर पठन	25.03.2026 (बुधवार)
3.	दावों एवं आक्षेपों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	07.04.2026 (मंगलवार)
4.	विशेष अभियान की तिथियॉ	29.03.2026 (रविवार) एवं 05.04.2026 (रविवार)
5.	दावों एवं आक्षेपों के निस्तारण की अन्तिम तिथि	15.04.2026 (बुधवार)
6.	पूरक सूचियों की तैयारी	20.04.2026 (सोमवार)
7.	निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन	22.04.2026 (बुधवार)

C. – निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु सामान्य निर्देश :–

1. नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा–13(5) के प्रावधानों के अनुसार उस व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जा सकता है जिसकी आयु अर्हता की तिथि को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो तथा जो संबंधित वार्ड का मामूली तौर पर निवासी हो। मामूली तौर पर निवासी के संबंध में स्पष्टीकरण धारा–13(5) में दिये हुये हैं। निर्वाचक नामावलियों को दिनांक 01.01.2026 को अर्हता तिथि के आधार पर तैयार किया जाना है, इसलिए जिस व्यक्ति की **आयु 01.01.2026 को 18 वर्ष पूर्ण** नहीं हुई हो, वह व्यक्ति निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने का पात्र नहीं है।

2. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 13(6) के प्रावधानों के अनुसार **किसी भी व्यक्ति का नाम नगरपालिका में किसी एक से अधिक वार्ड की निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं किया जा सकता** तथा धारा 13(7) के अनुसार किसी व्यक्ति का नाम वार्ड की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार सम्मिलित नहीं हो सकता है। यह सम्भव है कि **नगरपालिका क्षेत्र से संबंधित विधानसभा निर्वाचक नामावली में किसी व्यक्ति का नाम त्रुटिवश एक से अधिक बार सम्मिलित हो गया हो ऐसे व्यक्ति का नाम उसी एक स्थान पर रहने दिया जावे, जहां के लिए वह पात्र है तथा शेष स्थान / स्थानों से उसका नाम हटा दिया जाए।**

3. किसी ऐसे व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित नहीं किया जाए, **जो भारतीय नागरिक नहीं है।**

4. निर्वाचक नामावली वार्डवार तैयार की जायेगी एवं इसे सुविधाजनक भागों में विभक्त किया जा सकेगा। एक भाग में सामान्यतः 1400 मतदाताओं के नाम सम्मिलित किये जाएगें। प्रत्येक वार्ड में एक से अधिक भाग हो सकते हैं किन्तु एक भाग में एक से अधिक वार्ड के मतदाता किसी भी स्थिति में नहीं होंगे। प्रत्येक भाग के लिए पृथक मतदान केन्द्र होगा। इसका आशय यह है कि नगरपालिका निर्वाचक नामावलियों का भाग तथा मतदान केन्द्र का क्षेत्र समरूप (Coterminous) होंगे। प्रत्येक भाग का क्रमांक–1 से प्रारम्भ होगा। नगरपालिका के ऐसे वार्ड, जिनमें 1400 से कम मतदाता हैं, में एक ही मतदान केन्द्र पर्याप्त रहेगा। अतः ऐसे वार्डों को भागों में विभाजित करने की आवश्यकता नहीं है।

5. किन्नर (Transgender) एवं लिंग रूपान्तरक (Sex Changer) मतदाता अपने आप को स्त्री अथवा पुरूष मतदाता के रूप में प्रकट नहीं करना चाहे तो वे अपना लिंग 'तृतीय लिंग' के रूप में वर्णित कर सकते हैं। उक्त प्रकार के मतदाताओं द्वारा चाहे जाने पर उनके लिंग के कॉलम में 'तृतीय लिंग' अंकित किया जाए।

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

6. चूंकि नगरपालिका प्रारूप मतदाता सूचियों में मतदान केन्द्र के विवरण का भी अंकन किया जाता है, अतः मतदान केन्द्र भी प्रारूप मतदाता सूचियों के तैयार होने से पूर्व ही निर्धारित कर लिये जाये। मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में **आयोग ने परिपत्र संख्या एफ 4(3)(1)नपा/रानिआ/09/641 दिनांक 19.01.2026 से मापदण्ड निर्धारित कर सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रेषित कर दिए गए हैं।** जहां तक संभव हो, मतदान केन्द्र वे ही रखे जावे जो लोकसभा/विधानसभा चुनावों में रखे गए थे, ताकि मतदाता के लिए मतदान केन्द्र की पहचान आसान हो सके। मतदान केन्द्रों की संख्या निर्धारित प्रपत्र में मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के तुरन्त पश्चात् आयोग को आवश्यक रूप से प्रेषित की जावे।

7. राजस्थान नगरपालिका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश, 1974 के खण्ड–8 के अनुसार मुद्रित सूचियों से निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप का प्रकाशन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी व नगरपालिका कार्यालयों के सूचना पट्टों पर तथा वार्ड में सहज दृश्य कम से कम पाँच स्थानों पर किया जायेगा। **मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की सूचना के फोटो जिला स्तर पर संकलित कर आयोग को ई–मेल के माध्यम से प्रारूप प्रकाशन के तीन दिवस के भीतर भिजवाएं जाएगें।** मतदाता सूची के प्रकाशन हेतु नोटिस उपरोक्त आदेश, 1974 में प्ररूप–2 में विहित किया हुआ है। वार्डो की निर्वाचक नामावलियां निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी और नगरपालिका के कार्यालयों में निरीक्षण हेतु उपलब्ध रखी जावेगी।

8. निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन के बाद दावे व आपत्तियॉ दि. 24.03.2026 से 07.04.2026 के मध्य प्ररूप 3, 5 एवं 6 में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएगें। मतदान केन्द्रों के लिये पदाभिहीत अधिकारियों की नियुक्ति भी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा की जाएगी जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से मतदान केन्द्रों पर उक्त अवधि में दावे और आपत्तियॉ प्राप्त कर सकेगें। प्रगणकों को भी पदाभिहीत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सका है।

9. प्रारूप मतदाता सूची की प्रति सभी पदाभिहित अधिकारियों को उपलब्ध करवाकर **दिनांक 25.03.2026 को नगरनिगम/परिषद/बोर्ड के वार्ड/मतदान केन्द्रों पर वार्ड सभायें** आयोजित कर संबंधित भागों की निर्वाचक नामावलियों **का पठन किया** जायेगा तथा मतदाता सूची निरीक्षण के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि मतदाता इन निर्वाचक नामावलियों का अवलोकन कर या सुनकर नामावली की किसी प्रविष्टी के विवरण के संबंध में यदि कोई दावा या आपत्ति है तो मतदान केन्द्रों पर विशेष अभियान तिथियों में अथवा निर्धारित अवधि में आवेदन पत्र भरकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए पदाभिहित अधिकारियों को दे सकें। अतः यह सुनिश्चित करलें कि अभियान तिथियों को पदाभिहित अधिकारियों के पास पर्याप्त मात्रा में संबंधित आवेदन पत्र (प्ररूप 3, 5 एवं 6) उपलब्ध हैं। पठन–पाठन के उक्त कार्यक्रम में नगरपालिकाओं के संबंधित अधिकारी व कर्मचारी भी आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे व क्षेत्र के लोगो को कार्यक्रम की जानकारी भी देगें।

10. उपरोक्त आदेश के खण्ड–9 के अनुसार दावें व आपत्तियां प्रस्तुत करने का समय 15 दिन निश्चित है और इन्हें निर्धारित प्ररूप–3, 5 और 6 में प्रस्तुत किया जा सकता हैं। प्ररूप 3, 5 और 6 का वितरण निःशुल्क किया जाए। दावें व आपत्तियां डाक द्वारा भी प्राप्त हो सकती हैं। यदि किसी व्यक्ति द्वारा में नाम जोडने के लिए अधिक मात्रा (Bulk) में आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं, तो ऐसे प्राप्त दावों व आपत्तियों की विस्तृत एवं गहन जांच की जाकर उनका निस्तारण किया जाए।

11. मतदान केन्द्रों पर दावे व आपत्तियॉ प्रस्तुत करने के लिए **विशेष अभियान** तिथियॉ दिनांक 29.03.2026 एवं 05.04.2026 निर्धारित की गई है। इन दिनों पदाभिहीत अधिकारी पूरे दिवस को प्रातः 9 बजे से सांय 6 बजे तक अपने–अपने मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहकर दावे आपत्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे। **शेष दिनों में आधा दिवस पूर्वान्ह या अपरान्ह में उपस्थित रहेंगे।**

12. मतदाता सूचियों को अद्यतन करने के प्रयोजन से आयोग द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि दावे व आपत्तियॉ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु मतदान केन्द्रों में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियुक्त पदाभिहीत अधिकारियों को भी निर्धारित अवधि के मध्य प्रस्तुत किये जा सकते हैं। पदाभिहीत अधिकारी भी उसी दिन प्राप्त दावों व आपत्तियों की सूची मतदान केन्द्र पर प्रकाशित करेगा साथ ही मूल दावे व आपत्तियों को अपनी टिप्पणी सहित प्ररूप 8, 9, 10

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

(परिशिष्ट क्रमशः 6, 7 एवं 8) में सूची के साथ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रेषित करेगा। पदाभिहीत अधिकारी के माध्यम से प्राप्त दावों व आपत्तियों व अन्य प्रकार से प्राप्त दावों व आपत्तियों की सूची निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रतिदिन अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा तथा निर्वाचको का रजिस्ट्रीकरण आदेश 1974 के **खण्ड–12 के अनुसार कार्यवाही** करेगा।

13. दावें व आपत्तियां सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। ऐसे दावों व आपत्तियों को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के पास उसी दिन भेज दिया जावेगा।

14. दावों व आपत्तियों के निस्तारण की प्रकिया उक्त आदेश, 1974 के खण्ड–12 में बतायी गयी है। इसके अलावा खण्ड–13 व खण्ड–14 में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को स्वविवेक से भी कार्य करने की प्रकिया बतायी गयी है। दावों व आपत्तियों के निस्तारण एवं स्वविवेक से नाम हटाये जाने की प्रक्रिया के पश्चात् निर्वाचक नामावलियों की पूरक सूची भागवार तैयार कर ई–सूची (e-suchi) पर अपलोड की जाएगी। इसके बाद पूरक सूची का लेजर प्रिंट लेकर आवश्यकतानुसार फोटो प्रतियां कराकर निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन उक्त आदेश, 1974 के खण्ड 15 में विहित प्ररूप–7 में किया जावेगा।

15. निर्वाचक नामावली में अंकित ऐसे मतदाता (जो राजस्थान नगरपालिका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश 1974 के खण्ड 13 एवं 14 में उल्लेखित है) को चिह्नित कर उनका नाम विलोपित किए जाने की कार्यवाही उक्त प्रावधानानुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को स्वविवेक से कार्य करने संबंधी प्राप्त शक्तियों के अन्तर्गत की जाए। उक्त खण्ड निम्नानुसार हैः–

Section 13. Inclusion of names inadvertently omitted.- If it appears to the Electoral Registration Officer that owing to inadvertence or error during preparation, the names of any electors have been left out of the roll and that remedial action should be taken under this clause, the Electoral Registration Officer shall-

(a) prepared a list of the names and other details of such electors;

(b) exhibit on the notice board of his office a copy of the list together with a notice as to the time and place at which the inclusion of these means in the roll will be considered, and also publish the list and the notice in such other manner as he may thinks fit; and

(c) after considering any verbal or written objections that may be preferred, decide whether all or any of the names should be included in the roll.

Section 14. Deletion of names of dead electors and persons who cease to be or are not, ordinarily residents. - If it appears to the Electoral Registration Officer during preparation of the roll that owing to inadvertence or error or otherwise, the names of dead persons or of persons who cease to be, or are not, ordinarily residents in the ward have been included in the roll and that remedial action should be taken under this clause, the Electoral Registraiion Officer shall-

(a) prepare a list of the names and other details of such electors;

(b) exhibit on the notice board of his office a copy of the list together with a notice as to the time and place at which the question of deletion of these names from the roll will be considered, and also publish the list and the notice in such other manner as he may think fit; and

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

(c) after considering any verbal or written objections that may be preferred, decide whether all or any of the names should be deleted from the roll:

Provided that before taking any action under this clause in respect of any person on the ground that he has ceased to be, or is not, ordinarily resident in the ward, the Electoral Registration Officer shall make every endeavor to give him a reasonable opportunity to show cause why the action should not be taken in relation to him.

मृत मतदाताओं को चिह्नित करने के लिए नगर निकाय कार्यालय में उपलब्ध जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर से मृत व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त प्रगणकों को भी निर्देश प्रदान किए जाएं कि वे भौतिक सत्यापन के दौरान मृत मतदाताओं की भी पहचान कर लेवें।

16. निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् संबंधित रिकार्ड अर्थात् प्रारूप निर्वाचक नामावलियां, दावों/आपत्तियों के प्रार्थना पत्र तथा उन पर दिया गया निर्णय और अंतिम रूप से तैयार की गई निर्वाचक नामावलियों की प्रमाणित प्रति संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा खण्ड–19 के प्रावधानों के अनुसार उसके कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी।

17. मतदाताओं के वार्ड/भागवार आंकडे प्रगणकों द्वारा तैयार कर निर्धारित प्रपत्र में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को प्रस्तुत किये जायेगे। इन आंकडों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के कार्यालय में एक पत्रावली में पत्रित किया जावेगा तथा **परिशिष्ट–9** पर बताये गये प्रपत्र (मतदाताओं की संख्या दावें/आपत्तियों के विवरण) में एक रजिस्टर वार्डवार संधारित किया जायेगा जिसमें नगरपालिका निर्वाचक नामावलियों से संबंधित आंकडे यथा मतदाताओं की कुल संख्या, स्त्री, पुरूष एवं अन्य मतदाताओं की संख्या अंकित की जाकर मय गोश्वारे के संकलित किये जायेंगे।

18. निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन एवं अंतिम प्रकाशन के पश्चात उक्त रजिस्टर में संकलित आकडों के आधार पर **परिशिष्ट–10** में सूचना तैयार कर जिला निर्वाचन अधिकारी तथा राज्य निर्वाचन आयोग को ई–सूची पर अपलोड कर ऑन लाईन भेजी जाएगी। इन आकडों से यह पता चलेगा कि हाल में हुई लोकसभा चुनाव की मतदाता सूची के तुलना में मतदाताओं में कितनी वृद्वि व कमी हुई हैं। असाधारण (Unusal) परिवर्तन की जांच जिला निर्वाचन अधिकारी व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी स्वयं भी करें ताकि मतदाता सूची में कोई गलती ना रहें। यह सुनिश्चित किया जाए कि मतदाता सूची में **पात्र व्यक्ति का नाम जुड़ने से नही रह जाए व अपात्र का नाम सम्मिलित नहीं हो।**

19. आयोग के परिपत्र सं0 4(1)(6) नपा/रानिआ/94/299 दिनांक 14.10.94 के अनुसार निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन के समय तथा अंतिम प्रकाशन के समय निर्वाचक नामावलियों का **एक–एक सैट मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए।**

20. पुनरीक्षण कार्यक्रम तथा मतदान केन्द्रों पर विशेष अभियान की तिथियों का समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से तथा पम्फलेट वितरित करवाकर विस्तृत प्रचार–प्रसार किया जाए। इसके अतिरिक्त विद्यालयों के प्रार्थना सभाओं में विद्यार्थियों को कार्यक्रम की तिथियों सहित पूर्ण जानकारी देने हेतु शाला प्रधानों को निर्देशित किया जाए, ताकि विद्यार्थी अपने परिवारजनों को अवगत करा सकें। जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी अपने–अपने स्तर पर राजनैतिक दलों/स्वयं सेवी संस्थाओं की बैठक आयोजित कर उन्हें मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण के कार्य से जोडे ताकि सभी योग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोडे जा सके।

21. मतदाता सूची तैयारी, प्रारूप प्रकाशन व अंतिम प्रकाशन में स्टेशनरी व आवश्यक सामग्री क्रय हेतु प्रारम्भिक बजट का आवंटन यथा समय कर दिया जाएगा।

22. निर्वाचक नामावली तैयार करने की उक्त प्रक्रिया में यदि किसी तरह की कोई कठिनाई महसूस होती है तो उके निराकरण के लिए आयोग कार्यालय एवं SLA के निम्नलिखित कार्मिकों/प्रतिनिधियों से सम्पर्क किया जा सकता हैः–

क्र.सं.	नाम एवं पद	मोबाईल नम्बर	विशेष विवरण
1	श्री अम्बालाल मीणा, उप सचिव SEC	0141–2227280	निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए
2	श्री विपिन कुमार, अति. प्रशासनिक अधिकारी, SEC	9785853381	
3	श्रीमती किरण मीणा, एनालिस्ट – कम–प्रोग्रामर, SEC	7877052527	विधानसभा डेटाबेस के विभाजन एवं सॉटवेयर संचालन संबंधी प्रकिया के लिए
4	श्री ललित बंसल, प्रतिनिधि SLA	8209224672	
5	श्री हिमांशु चौधरी, प्रतिनिधि SLA	7014758543	

निर्वाचक नामावली तैयार किए जाने हेतु राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) आदेश, 1974 में उपलब्ध विधिक प्रावधानों एवं आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए।

समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों से अपेक्षा हैं कि वे अपने कार्य को उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार समय पर सम्पन्न करेंगें। **यदि निर्वाचक नामावली में नाम छूटने या गलत नाम जुडने की व्यापक शिकायतें प्राप्त होती हैं तो आयोग राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 20 के अन्तर्गत संबंधित दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्व कार्यवाही करेगा। इस धारा के प्रावधान को जिला निर्वाचन अधिकारी समस्त संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के ध्यान में लाए।**

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरांत जारी किये गये है।

भवदीय,

ह0
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

परिशिष्ट–1

196 नगरीय निकायों की सूची

क्र. सं.	जिला	कम संख्या	नगर निगम / नगर परिषद / नगर पालिका	निकाय का नाम	वार्डो की संख्या
1.	अजमेर	1	नगर निगम	अजमेर	80
		2	नगर परिषद	किशनगढ़	60
		3	नगर पालिका	पुष्कर	25
		4	नगर पालिका	नसीराबाद	20
		5	नगर पालिका	सांवर	20
		6	नगर पालिका	टांटोटी	20
		7	नगर पालिका	पीसांगन	25
2.	नागौर	8	नगर परिषद	नागौर	60
		9	नगर पालिका	मेड़तारोड़	25
		10	नगर पालिका	जायल	25
		11	नगर पालिका	बासनी	40
		12	नगर पालिका	रियांबडी	20
3.	टोंक	13	नगर परिषद	टोंक	60
		14	नगर पालिका	देवली	35
		15	नगर पालिका	निवाई	40
		16	नगर पालिका	मालपुरा	40
		17	नगर पालिका	टोडारायसिंह	35
		18	नगर पालिका	दूनी	20
		19	नगर पालिका	डिग्गी	25
		20	नगर पालिका	पीपलू	20
		21	नगर पालिका	लाम्बाहरिसिंह	20
4.	ब्यावर	22	नगर परिषद	ब्यावर	60
		23	नगर पालिका	बिजयनगर	40
		24	नगर पालिका	मसूदा	20
		25	नगर पालिका	रायपुर	25
5	भीलवाड़ा	26	नगर पालिका	आसीन्द	25
		27	नगर पालिका	हमीरगढ़	20
		28	नगर पालिका	बिजौलियाँ	25
		29	नगर पालिका	बीगोद	25
		30	नगर पालिका	बनेडा	20
6.	डीडवाना–कुचामन	31	नगर परिषद	मकराना	60
		32	नगर परिषद	डीडवाना	40
		33	नगर पालिका	बोरावड़	25
		34	नगर पालिका	खाटू–खूर्द	20
7	बीकानेर	35	नगर निगम	बीकानेर	80
		36	नगर पालिका	खाजूवाला	20
		37	नगर पालिका	लूनकरणसर	35

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

		38	नगर पालिका	नापासर	25
8	श्रीगंगानगर	39	नगर परिषद	श्रीगंगानगर	65
		40	नगर पालिका	पदमपुर	25
		41	नगर पालिका	अनूपगढ़	35
		42	नगर पालिका	घडसाना	25
9	हनुमानगढ	43	नगर परिषद	हनुमानगढ	60
		44	नगर पालिका	भादरा	40
		45	नगर पालिका	पीलीबंगा	35
		46	नगर पालिका	रावतसर	35
		47	नगर पालिका	टिब्बी	20
		48	नगर पालिका	गोलूवाला	25
10	चुरू	49	नगर परिषद	चुरू	60
		50	नगर परिषद	सुजानगढ़	60
		51	नगर पालिका	रतनगढ़	45
		52	नगर पालिका	बीदासर	35
		53	नगर पालिका	साहवा	20
11	भरतपुर	54	नगर निगम	भरतपुर	65
		55	नगर पालिका	नदबई	35
		56	नगर पालिका	उच्चैन	25
12	धौलपुर	57	नगर परिषद	धौलपुर	60
		58	नगर पालिका	सरमथुरा	25
		59	नगर पालिका	बसेडी	25
		60	नगर पालिका	सैपऊ	20
		61	नगर पालिका	मनिया	20
13	करौली	62	नगर परिषद	हिण्डौनसिटी	60
		63	नगर पालिका	सपोटरा	20
		64	नगर पालिका	मण्डरायल	20
		65	नगर पालिका	सूरोठ	20
		66	नगर पालिका	टोडाभीम	35
14	डीग	67	नगर पालिका	नगर	35
		68	नगर पालिका	कुम्हेर	25
		69	नगर पालिका	सीकरी	25
		70	नगर पालिका	पहाड़ी	20
15	सवाई माधोपुर	71	नगर परिषद	सवाई माधोपुर	60
		72	नगर पालिका	बामनवास	20
		73	नगर पालिका	बौंली	25
		74	नगर पालिका	खण्डार	25
		75	नगर पालिका	वजीरपुर	25
16	जयपुर	76	नगर निगम	जयपुर	150
		77	नगर परिषद	शाहपुरा	55
		78	नगर पालिका	बस्सी	35

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

		79	नगर पालिका	नरायना	25
		80	नगर पालिका	मनोहरपुर	35
		81	नगर पालिका	वाटिका	25
		82	नगर पालिका	फागी	20
		83	नगर पालिका	जमवारामगढ़	35
		84	नगर पालिका	दूदू	25
		85	नगर पालिका	कानोता	20
		86	नगर पालिका	कालाडेरा	20
		87	नगर पालिका	खेजरोली	25
17	अलवर	88	नगर निगम	अलवर	65
		89	नगर पालिका	लक्ष्मणगढ़	25
		90	नगर पालिका	खेडली	25
		91	नगर पालिका	राजगढ़	40
		92	नगर पालिका	कठूमर	20
		93	नगर पालिका	रामगढ़	35
		94	नगर पालिका	गोविन्दगढ़	25
		95	नगर पालिका	बर्डोदमेव	25
		96	नगर पालिका	नौगांव	20
		97	नगर पालिका	मालाखेडा	20
		98	नगर पालिका	बहादुरपुर	25
18	दौसा	99	नगर परिषद	दौसा	55
		100	नगर पालिका	बांदीकुई	40
		101	नगर पालिका	महवा	35
		102	नगर पालिका	मण्डावरी	20
		103	नगर पालिका	मण्डावर	25
		104	नगर पालिका	रामगढ पचवारा	20
		105	नगर पालिका	बसवा	25
		106	नगर पालिका	लवाण	20
		107	नगर पालिका	भाण्डारेज	25
		108	नगर पालिका	सिकराय	25
19	सीकर	109	नगर परिषद	सीकर	65
		110	नगर परिषद	फतेहपुर	55
		111	नगर पालिका	नीमकाथाना	40
		112	नगर पालिका	लक्ष्मणगढ	45
		113	नगर पालिका	खण्डेला	40
		114	नगर पालिका	लोसल	35
		115	नगर पालिका	श्रीमाधोपुर	35
		116	नगर पालिका	दांता	25
		117	नगर पालिका	अजीतगढ	25
		118	नगर पालिका	धोंद	20
		119	नगर पालिका	पलसाना	20

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

20	झुंझुंनू	120	नगर परिषद	झुन्झुनूं	60
		121	नगर पालिका	चिडावा	45
		122	नगर पालिका	सिंघाना	35
		123	नगर पालिका	डूण्डलोद	20
		124	नगर पालिका	जाखल	20
		125	नगर पालिका	सुलताना	25
		126	नगर पालिका	खेतड़ी	25
		127	नगर पालिका	उदयपुरवाटी	35
		128	नगर पालिका	मण्ड्रेला	25
		129	नगर पालिका	मलसीसर	20
		130	नगर पालिका	बुहाना	20
21	कोटपूतली–बहरोड़	131	नगर परिषद	कोटपूतली	60
		132	नगर परिषद	बहरोड	55
		133	नगर पालिका	विराटनगनर	25
		134	नगर पालिका	पावटा–प्रागपुरा	45
		135	नगर पालिका	बानसूर	35
		136	नगर पालिका	नीमराना	25
		137	नगर पालिका	नारायणपुर	35
		138	नगर पालिका	मांढण	20
		139	नगर पालिका	बर्डोद	25
22	खैरथल–तिजारा	140	नगर परिषद	खैरथल	45
		141	नगर परिषद	तिजारा	35
		142	नगर पालिका	किशनगढबास	25
		143	नगर पालिका	कोटकासिम	20
		144	नगर पालिका	मुण्डावर	25
		145	नगर पालिका	टपूकड़ा	20
23	जोधपुर	146	नगर निगम	जोधपुर	100
		147	नगर पालिका	बिलाडा	40
		148	नगर पालिका	भोपालगढ़	25
		149	नगर पालिका	बालेसरसत्ता	25
		150	नगर पालिका	तिंवरी	25
		151	नगर पालिका	मथानिया	25
24	बाडमेर	152	नगर परिषद	बाडमेर	55
		153	नगर पालिका	चौहटन	20
		154	नगर पालिका	गुडामालानी	20
		155	नगर पालिका	धौरीमन्ना	20
25	बालोतरा	156	नगर परिषद	बालोतरा	55
		157	नगर पालिका	सिवाना	25
		158	नगर पालिका	सिंणधरी	20
		159	नगर पालिका	समदडी	25
		160	नगर पालिका	जसोल	20
26	जालौर	161	नगर परिषद	जालोर	40

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

		162	नगर पालिका	आहोर	25
		163	नगर पालिका	सायला	25
27	फलौदी	164	नगर पालिका	बाप	20
28	पाली	165	नगर पालिका	सुमेरपुर	35
		166	नगर पालिका	मारवाड–जंक्शन	25
		167	नगर पालिका	सोजत रोड	25
29	सिरोही	168	नगर पालिका	मण्डार	20
30	कोटा	169	नगर निगम	कोटा	100
		170	नगर पालिका	सांगोद	35
		171	नगर पालिका	सुकेत	25
		172	नगर पालिका	सुल्तानपुर	25
31	बारां	173	नगर परिषद	बारां	60
		174	नगर पालिका	अन्ता	35
		175	नगर पालिका	अटरू	25
		176	नगर पालिका	सीसवाली	20
32	बूंदी	177	नगर परिषद	बूंदी	60
		178	नगर पालिका	नैनवॉ	25
		179	नगर पालिका	देई	20
		180	नगर पालिका	हिण्डोली	20
33	झालावाड़	181	नगर पालिका	झालरापाटन	35
		182	नगर पालिका	मनोहरथाना	20
		183	नगर पालिका	डग	20
		184	नगर पालिका	खानपुर	25
34	उदयपुर	185	नगर निगम	उदयपुर	80
		186	नगर पालिका	मावली	20
		187	नगर पालिका	वल्लभनगर	20
35	बांसवाड़ा	188	नगर परिषद	बांसवाड़ा	60
36	चितोड़गढ़	189	नगर परिषद	निम्बाहेडा	45
		190	नगर पालिका	बेंगू	35
		191	नगर पालिका	रावतभाटा	40
		192	नगर पालिका	आकोला	20
37	राजसंमद	193	नगर पालिका	भीम	20
38	प्रतापगढ़	194	नगर पालिका	धरियावद	20
		195	नगर पालिका	अरनोद	20
39	सलूम्बर	196	नगर परिषद	सलूम्बर	25

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

परिशिष्ट – 2

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियुक्ति आदेश संख्या 4403 दिनांक 12.11.2025 आईटम (2) पर उपलब्ध है।

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

STATE ELECTION COMMISSION, RAJASTHAN

Draft Electoral Roll Control Chart

Name of District :

Name of Council / Corporation :

FORMAT - A

Please use this temaplate to create electoral rolls. Please enter values in english. Please do not change or make copies of this template. Please start filling the template from Sr. No. 1

version,1.1

1	2	3	4	5	6	7	8
Sr. No.	Assembly Constituency No.	Assembly Part No.	From Sr.No.	To Sr.No.	Ward No.	Ward Part No.	Total
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

राज्य निर्वाचन आयोग

परिशिष्ट-5

नगर निकायो में वार्ड पार्ट वाइज मतदाता सूची तैयार करने के लिए सॉफ्टवेर (ई-सूची) संचालन हेतु दिशा निर्देश

क.स.	स्टेप		विवरण
1	स्टेप-1	लॉग इन	Browser पर जाकर https://www.esuchi.rajasthan.gov.in टाइप करें। लॉग इन password डालकर लॉग इन करें।
2	स्टेप-2	ULB का चयन करना	Change Preferences फॉर्म में जाकर जिला और काउन्सिल/कार्पोरेशन का चयन कर DONE बटन पर क्लिक करें।
3	स्टेप-3	काउन्सिल/कार्पोरेशन का नाम निर्धारित करना	Set name for election फॉर्म को ओपन कर काउन्सिल/कार्पोरेशन का नाम हिंदी में दर्ज करें।
4	स्टेप-4	मतदान केंद्र का नाम निर्धारित करना	Polling station detail फॉर्म को ओपन कर मतदान केंद्र मास्टर सूची की डाटा एंट्री/सत्यापन कर लेवें।
5	स्टेप-5	काउन्सिल/कार्पोरेशन के वार्ड निर्धारित करना	Ward-Create/Edit More.. फॉर्म को ओपन कर काउन्सिल/कार्पोरेशन के ward की मास्टर सूची की डाटा एंट्री/सत्यापन कर लेवें। **कृपया वार्ड के परिसीमन अनुसार विवरण का इंद्राज होना सुनिश्चित करें यह मतदाता सूची के मुख्य पृष्ठ पर प्रिंट होगा।**
6	स्टेप-6	काउन्सिल/कार्पोरेशन के वार्ड पार्ट निर्धारित करना	Ward-Part Create/Edit More.. फॉर्म को ओपन कर काउन्सिल/कार्पोरेशन के ward part की मास्टर सूची की डाटा एंट्री/सत्यापन कर लेवें। **Note :** सभी पार्ट की डीटेल – मतदान केंद्र, तहसील, town, **वार्ड पार्ट के परिसीमन अनुसार विवरण** इत्यादी की एंट्री होना सुनिश्चित करें।
ड्राफ्ट मतदाता सूची की पीडीऐफ़ फाइल तैयार करना			
7	स्टेप-7	Format-A तैयार कर अपलोड करना	Draft Voter List->Upload A document फॉर्म को ओपन कर, वार्ड संख्या को चुनकर Format-A की Excel की Comma Delimited (.CSV format) अपलोड करें। **Format-A की EXCEL file Download Section मे डाउनलोड की जा सकती है।**
8	स्टेप-8	Draft Voter List सत्यापन करना	Draft Voter List->View Draft Voter List & Remaining voter Summary के माध्यम से ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सत्यापन के लिए देख सकते है। डाउनलोड सेक्शन में eSuchi PDF Factory Software डाउनलोड कर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की चेकलिस्ट PDF फाइल डाउनलोड सत्यापन के लिए की जा सकती है। इस समय डाऊनलोड की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में चेकलिस्ट शब्द प्रिंट होगा।
9	स्टेप-9	काउन्सिल/कार्पोरेशन को फ्रीज करना	Draft Voter List->Freeze draft ward summary फॉर्म को ओपन कर वार्ड संख्या का चयन करें। चेकबॉक्स को चेक करने के बाद freeze draft roll बटन पर क्लिक कर ड्राफ्ट रोल फ्रीज करें।
10	स्टेप-10	काउन्सिल/कार्पोरेशन का कम्पलीशन सर्टिफिकेट कन्फर्मेशन	Draft Voter List->Draft Roll completion certificate फॉर्म ओपन कर वार्ड नंबर का चयन करें। चेकबॉक्स को चेक करने के बाद confirm बटन पर क्लिक कर ड्राफ्ट रोल वेरीफाई करें।
11	स्टेप-11	ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की पीडीऐफ़ फाइल डाउनलोड करना	डाउनलोड सेक्शन में eSuchi PDF Factory Software डाउनलोड करें। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की पीडीऐफ़ फाइल(With photo,Without Photo) डाउनलोड करें। इस समय डाऊनलोड की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में **चेकलिस्ट शब्द प्रिंट नही होगा।**
12	स्टेप-12	ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की पीडीऐफ़ फाइल वेब साईट पर अपलोड करना।	डाऊनलोड की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को पूर्ण रूप से चेक करने के बाद eSuchi PDF Factory Software में उपलब्ध अपलोड सेक्शन मे जाकर पीडीऐफ़ फाइल को अपलोड करें। Note : यह सुनिश्चित कर ले की पीडीऐफ़ फाइल का नाम वही है जो की डाउनलोड के समय था, नाम में बदलाव करने पर पीडीऐफ़ फाइल अपलोड नही होगी।

13	स्टेप-13	मतदाता का Section Address सही करना	अगर जरूरत है तो मतदाता सूची में प्रिंट होने वाले Section Address में बदलाव Setup->Update/Delete Address फॉर्म ओपन कर किया जा सकता है |
Supplement/Final मतदाता सूची की पीडीएफ़ फाइल तैयार करना			
14	स्टेप-14	Format-B तैयार कर अपलोड करना	अगर मतदाता को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने की जरूरत है या वार्ड के एक वार्ड पार्ट से दूसरे वार्ड पार्ट में शिफ्ट करने की जरूरत है तो Format-B की Excel की Comma Delimited (.CSV Format) तैयार कर अपलोड करें | अपलोड के पश्चात FORMAT-B को Process कर लेवें| Format-B की EXCEL फाइल Download Section में डाउनलोड की जा सकती है | **NOTE : FORMAT-B मे मतदाता की क्रम संख्या DRAFT VOTER LIST की क्रम संख्या होगी | ECI वोटर लिस्ट की क्रम संख्या FORMAT-B मे उपयोग नही करें |**
15	स्टेप-15	नए मतदाता को जोड़ना/संशोधन करना	अगर नए मतदाता को जोड़ने की जरूरत है तो claim objection->Add new voter का फॉर्म ओपन कर जोड़ लेवें| अगर नए मतदाता में संशोधन की जरूरत है तो claim Objection->search/modify new voter का फॉर्म ओपन कर संशोधन कर लेवें |
16	स्टेप-16	फाइनल वोटर लिस्ट मतदाता में संशोधन/डिलीट करना	अगर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट मतदाता में संशोधन/डिलीट की जरूरत है तो claim objection->update delete voter का फॉर्म ओपन कर संशोधन/डिलीट कर लेवें |
17	स्टेप-17	Accept/Reject ऑनलाइन एप्लिकेशन	eSuchi PDF factory से ऑनलाइन एप्लिकेशन को डाउनलोड करने के पश्चात Field verification होने के बाद सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होने के उपरांत Claim-Objection -> online Forms में जाकर ऑनलाइन एप्लिकेशन को Accept/Reject करें | Accept होने पर एप्लिकेशन के मतदाता सप्लिमेंट/फाइनल मतदाता सूची में जुड़ जाएंगे |
18	स्टेप-18	वार्ड संख्या को फ्रीज करना	Final Voter List->Freeze Final Roll ward summary फॉर्म ओपन कर वार्ड संख्या का चयन करें | चेकबॉक्स को चेक करने के बाद Freeze Final roll बटन पर क्लिक कर फाइनल रोल फ्रीज करें |
19	स्टेप-19	वार्ड संख्या का कम्पलीशन सर्टिफिकेट कन्फर्मेशन	Final Voter List->Final Roll completion certificate फॉर्म ओपन कर वार्ड संख्या का चयन करें | चेकबॉक्स को चेक करने के बाद confirm बटन पर क्लिक कर final रोल वेरीफाई करें |
20	स्टेप-20	फाइनल/सप्लीमेंट वोटर लिस्ट की पीडीएफ़ फाइल डाउनलोड करना	डाउनलोड सेक्शन से eSuchi PDF Factory Software डाउनलोड करें | तो इन कर फाइनल/सप्लीमेंट वोटर लिस्ट की PDF फाइल(with Photo,Without Photo) डाउनलोड करें **| इस समय डाऊनलोड की गई फाइनल/सप्लीमेंट वोटर लिस्ट मे चेकलिस्ट शब्द प्रिंट नही होगा |**
21	स्टेप-21	फाइनल/सप्लीमेंट वोटर लिस्ट की पीडीएफ़ फाइल वेब साईट पर अपलोड करना।	फाइनल/सप्लीमेंट वोटर लिस्ट को पूर्ण रूप से चेक करने के बाद eSuchi PDF Factory Software में उपलब्ध अपलोड सेक्शन में जाकर पीडीएफ़ फाइल को अपलोड करें। **Note** : यह सुनिश्चित कर ले की पीडीएफ़ फाइल का नाम वही है जो की डाउनलोड के समय था. नाम में बदलाव करने पर पीडीएफ़ फाइल अपलोड नही होगी।
22	स्टेप-22	मतदाता का section Address सही करना	अगर जरूरत है तो मतदाता सूची में प्रिंट होने वाले Section Address में बदलाव Setup->Update/Delete Address फॉर्म ओपन कर किया जा सकता है |

परिशिष्ट –5

कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

नगरपालिका / नगरपरिषद / नगरनिगम ....

<u>प्रमाण – पत्र</u>

मैं .... , निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, नगरपालिका / नगर परिषद / नगर निगम .... प्रमाणित करता हूँ कि नगर निकाय .... के वार्ड संख्या 1 से .... तक तैयार कराई गई सभी वार्डो की प्रारूप मतदाता सूची इनके परिसीमन के अनुसार सही है। प्रारूप मतदाता सूची में अंकित सभी मतदाताओं का भौतिक सत्यापन प्रगणकों द्वारा किया गया है। मेरे स्वयं के द्वारा .... प्रतिशत एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा .... प्रतिशत भौतिक सत्यापन के कार्य की नमूना जॉच कर ली गई है।

(अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर)
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
न.पा. / न.प. / न.नि. ....

प्रतिहस्ताक्षर

(**अधिकारी का नाम**)
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)
जिला ....

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

प्ररूप 8

स्थान का नाम (जहॉं आवेदन प्राप्त किए गए हैं)	नाम सम्मिलित करने के लिए प्ररूप 3 में प्राप्त आवेदनों की सूची
	नगरपालिका का नाम :–
1. वार्ड संख्या 2. भाग संख्या	3. आवेदनों की प्राप्ति की अवधि (इस सूची में सम्मिलित) तारीख .... से तारीख .... तक
4. सुनवाई का स्थान* :	

आवेदन की क्रम संख्या$	प्राप्ति की तारीख	दावेदार का नाम	पिता / माता / पति का नाम और (संबंध)#	निवास स्थान	सुनवाई की तारीख*	सुनवाई का समय*
1	2	3	4	5	6	7

* निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा नियत सुनवाई का स्थान, समय और तारीख।

$ प्रत्येक स्थान के लिए क्रमशः क्रम संख्या देनी होगी।

संबंध पि–पिता, मा–माता, और प–पति के रूप में कोष्ठकों में अर्थात (पि), (मा), (प) दें।

मतदान केन्द्र पर प्रदर्शन की तारीख	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर के कार्यालय में प्रदर्शन की तारीख

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

परिशिष्ट–7

प्ररूप 9

स्थान का नाम (जहॉं आवेदन प्राप्त किए गए हैं)	नामों को सम्मिलित करने के विरूद्ध आपत्ति करने के लिए प्ररूप 5 में प्राप्त आवेदनों की सूची
	नगरपालिका का नाम :–

1. वार्ड संख्या 2. भाग संख्या	3. आवेदनों की प्राप्ति की अवधि (इस सूची में सम्मिलित) तारीख .... से तारीख .... तक
4. सुनवाई का स्थान* :	

आवेदन की क्रम संख्या$	प्राप्ति की तारीख	आक्षेपकर्ता का नाम (पूरा नाम)	आक्षेपित व्यक्ति का ब्यौरा			आक्षेप के लिए संक्षेप में कारण	सुनवाई की तारीख*	सुनवाई का समय*
			भाग संख्यांक	क्रम संख्यांक	पूरा नाम			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

* निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा नियत सुनवाई का स्थान, समय और तारीख।

$ प्रत्येक पुनरीक्षण हेतु प्रत्येक अभिहित स्थान के लिए क्रमशः क्रम संख्या देनी होगी।

मतदान केन्द्र पर प्रदर्शन की तारीख	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर के कार्यालय में प्रदर्शन की तारीख

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

प्ररूप 10

अभिहित स्थान की पहचान (जहॉ आवेदन प्राप्त किए गए हैं)	निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि की विशिष्टियों पर आक्षेप के लिए प्ररूप 6 में प्राप्त आवेदनों की सूची
	नगरपालिका का नाम :–
1. वार्ड संख्या 2. भाग संख्या	3. आवेदनों की प्राप्ति की अवधि (इस सूची में सम्मिलित) तारीख .... से तारीख .... तक
4. सुनवाई का स्थान* :	

आवेदन की क्रम संख्या$	प्राप्ति की तारीख	आक्षेप करने वाले निर्वाचन का नाम (पूरा नाम)	आक्षेपित प्रविष्टि की विशिष्टियां		आक्षेप की प्रकृति	सुनवाई की तारीख*	सुनवाई का समय*
			भाग संख्यांक	क्रम संख्यांक			
1	2	3	4	5	6	7	8

* निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा नियत सुनवाई का स्थान, समय और तारीख।

$ प्रत्येक पुनरीक्षण हेतु प्रत्येक अभिहित स्थान के लिए क्रमशः क्रम संख्या देनी होगी।

मतदान केन्द्र पर प्रदर्शन की तारीख	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर के कार्यालय में प्रदर्शन की तारीख

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

परिशिष्ट–9

नगरपालिका आम चुनाव 2026

मतदाताओं की संख्या दावे/आपत्तियों का विवरण

जिले का नामः .... नगरपालिका का नामः ....

वार्ड संख्या	*विधान सभा की अद्यतन मतदाता सूची (2025) के अनुसार न.पा. वार्ड से संबंधित मतदाताओं की संख्या (नगरपालिका मतदाता सूची में प्रारूप प्रकाशन के समय मतदाताओं की संख्या)*				*दावे/आपत्तियों का विवरण*										*ERO द्वारा स्वविवेक से*		*अन्तिम प्रकाशन के समय मतदाताओं की संख्या*			
					प्राप्त			निस्तारण												
					दावे	नाम हटाने हेतु प्रस्तुत आपत्तियां	प्रविष्टि में शुद्धि हेतु प्रस्तुत आपत्तियां	दावे		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		शुद्धि संबंधी आपत्ति		जोडे गये नाम	हटाये गये नाम	कुल	पुरूष	स्त्री	अन्य
	कुल	पुरूष	स्त्री	अन्य				स्वीकार	अस्वीकार	स्वीकार	अस्वीकार	स्वीकार	अस्वीकार						
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

परिशिष्ट—10

नगरपालिका आम चुनाव 2026

मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन एवं अंतिम प्रकाशन का विवरण

जिले का नामः .... नगरपालिका का नामः ....

ERO का नाम व पदनाम	वार्ड संख्या	विधान सभा की अद्यतन मतदाता सूची (2025) के अनुसार न.पा. वार्ड से संबंधित मतदाताओं की संख्या (नगरपालिका मतदाता सूची में प्रारूप प्रकाशन के समय मतदाताओं की संख्या)				प्रारूप प्रकाशन के समय मतदाताओं की संख्या				अन्तिम प्रकाशन के समय मतदाताओं की संख्या			
		कुल	पुरूष	स्त्री	अन्य	कुल	पुरूष	स्त्री	अन्य	कुल	पुरूष	स्त्री	अन्य

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

(6)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in , FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमाक : एफ 1(4)(1)न.पा./रा.नि.आ./14/910 दिनांक : 23.01.2026

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर) राजस्थान।

विषयः– फरार व्यक्तियों एवं उद्घोषित अपराधियों के नाम निर्वाचक नामावली में से विलोपित करने के संबंध में।

संदर्भः– आयोग के आदेश क्रमांक 1993 दिनांक 15.05.2006 एवं 3517 दिनांक 20.09.2019

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेशों द्वारा फरार (absconded) व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावली में से विलोपित करने के संबंध में निर्देश दिये गये थे। उक्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए आयोग यह निर्देश देता है कि:–

1. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव कराया जाता है, जिसके लिए नगरपालिका अधिनियम, 2009/नगरपालिका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश, 1974 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए मतदाता सूची तैयार की जाती है। प्रारूप मतदाता सूची/अन्तिम मतदाता सूची में ऐसे व्यक्तियों के नाम भी सम्मिलित हो सकते हैं जिनके विरूद्ध अजमानतीय वारण्ट (Non- bailable warrant) जारी किये गये हों और लम्बी अवधि तक उसका निष्पादन नहीं हो पाया हो।

2. नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 13(5) के अन्तर्गत यह आवश्यक उपबंध है कि निर्वाचक नामावली में किसी व्यक्ति का नाम रजिस्टर करने के लिए उस संस्था के वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र का साधारणतया निवासी होना चाहिए। पैरा 1 में वर्णित मामलों में यह उपधारणा (Presumption) की जा सकती है कि वह मतदाता अब निर्वाचक नामावली में दिये गये पते पर सामान्यतः निवास नहीं कर रहा है और उस स्थान का सामान्यतः निवासी नहीं रहने के कारण मतदाता के रूप में रखे जाने के योग्य नहीं रह गया है।

3. राजस्थान नगरपालिका मतदाता रजिस्ट्रेशन आदेश, 1974 का खण्ड 17A इस प्रकार है–

   17A. Deletion of entries in Rolls.- If the Electoral Registration Officer for wards in a Municipality on application made to him in duplicate in Form 5 or on his own motion, is satisfied after such enquiry as he thinks fit, that any entry in an electoral roll of the ward should be deleted on the ground that the person concerned is dead or has ceased to be ordinarily resident in the ward or the person concerned is already enrolled in the current voters list of any ward of a panchayat or is otherwise not entitled to be registered in that roll, the Electoral Registration Officer shall delete the entry:

   Provided that before taking any action under this clause the Electoral Registration Officer shall give the person concerned a reasonable opportunity of being heard in respect of the action proposed to be taken in relation to him except in the case of deletion of name of dead person.

4. जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन/अंतिम प्रकाशन के साथ ही ऐसे व्यक्तियों की सूची जिला पुलिस प्रशासन से प्राप्त

कर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को इस निर्देश के साथ उपलब्ध कराये कि इन व्यक्तियों के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही कर उनके नाम मतदाता सूची में से विलोपित किये जाएं।

5. इस संबंध में पुलिस आयुक्त/जिला पुलिस अधीक्षक से अपेक्षा की जाती है कि ऐसे व्यक्तियों की सूची जिनके विरूद्ध अजमानतीय वारण्ट (Non- bailable warrant) जारी किये गये हैं और 6 माह से अधिक अवधि तक उनका निष्पादन नहीं हो पाया हो, पूर्ण विवरण सहित जिला निर्वाचन अधिकारी को उनके द्वारा अपेक्षा किये जाने पर तीन दिन के अन्दर उपलब्ध करवाई जाये।

6. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि जिला निर्वाचन अधिकारी/पुलिस आयुक्त/पुलिस अधीक्षक से पैरा 5 में वर्णित व्यक्तियों की सूची प्राप्त होने पर यह उपधारणा करते हुए कि ऐसे व्यक्ति उनके वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दिये गये पते पर सामान्यतः निवास नहीं कर रहे हैं, स्वप्रेरणा से उनके नाम मतदाता सूची में से नियमों में दी गई प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए विलोपित करने की कार्यवाही करे।

भवदीय
ह0
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव,

नाम हटाने के लिए राजस्थान नगरपालिका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश, 1974 के आदेश 17(ए) के अधीन नोटिस

प्रेषक : निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर (..)
पद एवं कार्यालय का पूर्ण पता
नगरपालिका / नगरपरिषद / नगरनिगम निर्वाचन क्षेत्र ....

प्रेषितिः

....
....
.... ।

नोटिस

महोदय / महोदया,

1. यतः अभिलेख के अनुसार, राजस्थान राज्य के .... नगरपालिका / नगरपरिषद / नगरनिगम निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या ....के क्रम सं. ....पर आपका नाम एक निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है : और

2. यतः अद्योहस्ताक्षरकर्ता को यह रिर्पोट मिली है कि आप पिछलें छः माह से अधिक समय से निर्वाचक नामावली में दिये गये अपने मामूली तौर पर निवास करने के स्थान से अनुपस्थित पाये गये है। इसलिए यह उपधारणा की जाती है कि आपने निर्वाचन क्षेत्र में ऊपर उल्लिखित पते पर मामूली तौर पर निवास करना बंद कर दिया है।

3. आपको सूचित किया जाता है कि निर्वाचक नामावली से आपका नाम राजस्थान नगरपालिका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश 1974 के आदेश 17(ए) के अधीन हटाने का प्रस्ताव अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा इस आधार पर किया जाता है कि आपने निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर पर निवास करना बंद कर दिया है। यदि आपके संबंध में प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्व आपको कुछ कहना है तो आप अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक ....को ....बजे अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष वैयक्तिक रूप से उपस्थित हो।

4. यह और सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त तारीख और समय पर अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहने की दशा में यह उपधारणा की जायेगी कि आपको इस मामलें में कुछ नहीं कहना है और आपका मामला, आपको और सूचित किये बिना, उक्त आदेश 17(ए) के अधीन विनिश्चित कर दिया जायेगा।

स्थानः ....
दिनांक : ....

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर (..)
पद एवं कार्यालय का पूर्ण पता

नगरपालिका / नगरपरिषद / नगरनिगम निर्वाचन क्षेत्र ....

नाम हटाने के लिए राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 20(द) के अधीन नोटिस

प्रेषक : निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर (...)
पद एवं कार्यालय का पूर्ण पता
जिला परिषद / पंचायत समिति / पंचायत निर्वाचन क्षेत्र ....

प्रेषितिः

....
....
.... ।

नोटिस

महोदय / महोदया,

यतः अभिलेख के अनुसार, राजस्थान राज्य के .... जिला परिषद / पंचायत समिति / पंचायत निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या ....के क्रम सं. ....पर आपका नाम एक निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है : और

2. यतः अद्योहस्ताक्षरकर्ता को यह रिपोट्र मिली है कि आप पिछलें छः माह से अधिक समय से निर्वाचक नामावली में दिये गये अपने मामूली तौर पर निवास करने के स्थान से अनुपस्थित पाये गये है। इसलिए यह उपधारणा की जाती है कि आपने निर्वाचन क्षेत्र में ऊपर उल्लिखित पते पर मामूली तौर पर निवास करना बंद कर दिया है।

3. आपको सूचित किया जाता है कि निर्वाचन नामावली से आपका नाम राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 20(द) के अधीन हटाने का प्रस्ताव अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा इस आधार पर किया जाता है कि आपने निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर पर निवास करना बंद कर दिया है। यदि आपके संबंध में प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्व आपको कुछ कहना है तो आप अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक ....को ....बजे अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष वैयक्तिक रूप से उपस्थित हो।

4. यह और सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त तारीख और समय पर अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहने की दशा में यह उपधारणा की जायेगी कि आपको इस मामलें में कुछ नहीं कहना है और आपका मामला, आपको और सूचित किये बिना, उक्त आदेश 20(द) के अधीन विनिश्चित कर दिया जायेगा।

स्थानः ....
दिनांक : ....

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर (...)
पद एवं कार्यालय का पूर्ण पता

जिला परिषद / पंचायत समिति / पंचायत निर्वाचन क्षेत्र ....

(7)

राज्य निर्वाचन आयोग

क्रमांक : एफ. 4(1)(6)नपा/रानिआ/94/299 जयपुर, दिनांक : 14.10.1994

प्रेषकः–

मुख्य निर्वाचक अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर

प्रेषितः–

अध्यक्ष/सचिव,
समस्त मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, राजस्थान

विषयः– मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को पंचायत एवं नगरपालिका मतदाता सूचियों के दो–दो सेट निःशुल्क दिलाये जाने के संबंध में।

प्रसंगः– राज्य निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांकः एफ. 4(1)(1)पंचा/रानिआ/94/ 206 जयपुर, दिनांकः 26.9.94

प्रासंगिक पत्र के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग ने यह अवगत कराया था कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रसारित चुनाव प्रतीक ; आवंटन व आरक्षण आदेश 1968 के प्रावधानों के अधीन मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को पंचायत एवं नगरपालिका मतदाता सूचियों के 2–2 सेट निःशुल्क मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् दिलवाये जायेंगे।

चूँकि राजनीतिक दल निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन के पश्चात् छूटे हुये नामों, गलत नामों के अंकन व अशुद्व प्रविष्टियों के संबंध में सहयोग कर सकते है, अतः ऐसी स्थिति में मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन के तुरन्त बाद ही राजनीतिक दलों को मतदाता सूचियों का एक सेट मिलना उपयोगी रहेगा। ऐसी स्थिति में आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को दिये जाने वाले 2–2 निःशुल्क सेटों में से एक सेट तो मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन के समय तथा दूसरा सेट मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा ऐसे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्राधिकृत प्रतिनिधि को निःशुल्क दिये जायें।

भवदीय
ह0

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

(8)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक एफ. 1(4)(1)नपा / रानिआ / 14 / 898 दिनांकः 23.01.2026

1. समस्त जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी,
   (कलक्टर) राजस्थान।
2. समस्त निर्वाचक राजिस्ट्रीकरण अधिकारी
   मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।

विषयः– नगरपालिका आम चुनावों हेतु मतदाता सूचियों की कार्यकारी प्रतियॉ तैयार करने बाबत्।

महोदय,

आयोग के पूर्व पत्र 3705–06 दिनांक 02.09.2014 को अधिक्रमित करते हुए नगरपालिका आम चुनावों हेतु निर्वाचक नामावलियों के अन्तिम प्रकाशन हो जाने के बाद प्रत्येक मतदान केन्द्र से संबंधित निर्वाचक नामावलियों के सुसंगत भागों से पांच कार्यकारी प्रतियां (Working copies) तैयार की जाएंगी। निर्वाचक नामावली की तैयार की गई पांच कार्यकारी प्रतियों को निम्नानुसार उपयोग में लिया जाएगा :–

1. 3 प्रतियां मतदान दल के लिये जारी की जाएगी, जिनका उपयोग निम्नलिखित के द्वारा किया जाएगा :–
   (i) एक प्रति पीठासीन अधिकारी हेतु।
   (ii) मतदाता सूची की चिन्हित प्रति प्रथम मतदान अधिकारी को मतदाता की पहचान हेतु।
   (iii) एक प्रति द्वितीय मतदान अधिकारी हेतु।
2. एक प्रति रिटर्निंग अधिकारी हेतु।
3. एक प्रति रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय उपयोग हेतु।

प्रत्येक मतदान केन्द्र की कार्यकारी प्रति तैयार करने के लिये आपको निम्नांकित कार्य करने हैं :–

1. यह सुनिश्चित कर लें कि जिन मतदाताओं के लिये मतदान केन्द्र स्थापित किया गया है, उनके क्षेत्र से संबंधित निर्वाचक नामावलियों के सुसंगत भाग उनकी प्रत्येक अनुपूरक सूची (यदि कोई हो) सहित समस्त प्रकार से पूर्ण हो।

2. अनुपूरक सूचियों के अनुसार समस्त प्रतियों में हटाये जाने वाले नाम काट दिये जायें, परन्तु मतदाताओं की क्रम संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जाये अर्थात्, मुद्रित क्रम संख्या को शुद्ध नहीं किया जाये और उनके स्थान पर नये संख्यांक प्रतिस्थापित नहीं किये जायें।

3. अनुपूरक शुद्धि की सूचियों के अनुसार निर्वाचक नामावली में शुद्धियां कर दी जायें।

4. राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 10(6) के अधीन नाम निर्देशन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक राजस्थान नगरपालिका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश, 1974 के खण्ड 17, 17–ए, 17–बी एवं 18 के प्रावधानों के अनुसार कोई नाम सम्मिलित करने या प्रविष्टि को संशोधित करने, अंतरित करने या हटा दिए जाने बाबत् यदि कोई आदेश निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अपीलीय अधिकारी द्वारा दिया जाता है तो, उसके अनुरूप अंकन समस्त कार्यकारी प्रतियों में होना सुनिश्चित किया जावे, लेकिन नियम 10(6) के अधीन नाम निर्देशन पत्र भरने की अंतिम तिथि के बाद तथा निर्वाचन की समाप्ति तक कोई परिवर्तन नहीं किया जावे।

5. नामावली की प्रत्येक कार्यकारी प्रति के समस्त पृष्ठ, मूल प्रति के अनुसार क्रम संख्या–1 के अनुक्रम में संख्यांकित हों।

6. पुरूष, महिला और अन्य तथा कुल मतदाताओं की संख्या की गणना कर अंकन कराया जावे।

7. प्रत्येक मतदान केन्द्र की निर्वाचक नामावली के साथ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नांकित प्रमाण पत्र (जिस पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम, और पदनाम की सील अंकित होगी) संलग्न किया जाएगाः–

> ''प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मतदान केन्द्र की कार्यकारी मतदाता सूची मेरी देखरेख में सही–सही तैयार की गई है, जिसमें पूरक सूची में दर्शित विलोपन होने वाले नामों को स्याही से काट दिया गया है। क्रम संख्या नहीं बदली गई है तथा शुद्ध होने वाली प्रविष्टियों को शुद्ध कर दिया गया है।''

8. प्रत्येक मतदान केन्द्र की निर्वाचक नामावली के प्रत्येक पृष्ठ पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर और सील अंकित होनी चाहिये तथा इस प्रकार हस्ताक्षरित निर्वाचक नामावली ही प्रमाणित प्रति मानी जायेगी।

भवदीय,

ह0
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

(9)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

क्रमांकः एफ. 6(4)(1)पं/रानिआ/94/2904 जयपुर, दिनांकः 6.12.95

—:: *आदेश* ::—

राज्य निर्वाचन आयोग अपने पूर्व आदेश क्रमांकः एफ. 6(4)(1)पं./रानिआ/94/1481 दिनांक 31.10.94 को अतिक्रमण करते हुये आदेश प्रदान करता है कि राजस्थान नगरपालिका निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण आदेश 1974 के खण्ड 15 के अन्तर्गत निर्वाचक नामावली का अन्तिम प्रकाशन होने के पश्चात उसकी, किसी भाग या प्रविष्टि का निरीक्षण/प्रमाणित प्रतिलिपि या प्रतिलिपियॉ निम्नानुसार शुल्क का भुगतान करने पर किया जा सकता है/प्राप्त की जा सकती है।

(1) खण्ड 15 के उप खण्ड (1) के पैरा (ख) में प्रकाशित एक वार्ड की निर्वाचक नामावली का निरीक्षण :—

(अ) प्रथम घण्टा या उसका भाग। रूपये 10/—
(ब) प्रत्येक अतिरिक्त घण्टे या उसके भाग के रूपये 4/—

(2) वार्ड के प्रत्येक भाग में प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रतिलिपि :—
(अ) प्रत्येक भाग की 5 निर्वाचकों की प्रविष्टियों तक प्रति, प्रतिलिपि रूपये 3/—
(ब) प्रत्येक भाग की 5 प्रविष्टियों से अधिक किन्तु 20 प्रविष्टियों से कम की प्रति प्रतिलिपि :— रूपये 5/—
(स) प्रत्येक भाग की 20 या 20 से अधिक प्रविष्टियों की प्रतिलिपि :— रूपये 10/— प्रथम 100 प्रविष्टियों तक और उसके अग्रेतर प्रत्येक 100 प्रविष्टियों तक रू. 10.00 की दर से अतिरिक्त भुगतान पर।

निर्वाचक नामावली के उदधृत अंशों की प्रमाणित प्रतिलिपि देने बाबत प्रत्येक भाग को एक अलग स्वतंत्र दस्तावेज माना जावेगा।

जैसे यदि कोई व्यक्ति भाग संख्या 2 की प्रविष्टि संख्या 5, भाग संख्या 4 की प्रविष्टि संख्या 15, भाग संख्या 11 की प्रविष्टि संख्या 306, की प्रमाणित प्रतिलिपि एक ही प्रार्थना पत्र के द्वारा लेने के लिये आवेदन करता है तो उसके यह तीन स्वतंत्र प्रार्थना—पत्र माने जावेंगे और उससे 9/— रूपये उपरोक्त शुल्क के लिये जावेंगे।

(3) शुल्क नकद देय होगा। प्रार्थना पत्र साधारण पेपर पर उपरोक्त प्रयोजनार्थ स्वीकार्य होगा।

(4) यह शुल्क सम्बन्धित नगरपालिका के प्राप्ति शीर्षक में जमा होगा।

(5) यह आदेश तुरन्त प्रभावशील होंगे।

ये दरें वित्त (व्यय—1) विभाग की आई.डी.सं. 2854/94 दिनांक 28/29.10.95 और आई.डी.संख्या. 3263 दिनांक 27.11.95 द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार है।

— ह. —
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,

(10)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकः एफ. 7(1)(2)पंचा/रानिआ/2024/655 दिनांकः 20.01.2026

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग अपने पूर्व आदेश क्रमांक 4906 दिनांक 21.10.2014 एवं 5897 दिनांक 07.08.2015 को अधिक्रमित करते हुए आदेश प्रदान करता है कि पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन होने के पश्चात् निर्वाचक नामावली की मतदाताओं की फोटो रहित सूचियों की सॉफ्ट कॉपी (सी.डी. में पी.डी.एफ. के रूप में) एवं हार्ड कॉपी (फोटो रहित/सहित) गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनैतिक दल/एनजीओ/आमजन को उपलब्ध कराने हेतु दरें निम्नानुसार हैः–

1. मतदाता सूची की हार्ड कॉपी (In Photo Copy) – रू. 2/– प्रति पृष्ठ एक तरफ
   (मतदाताओं की फोटो रहित/सहित)
2. मतदाता सूची की हार्ड कॉपी (In Photo Copy) – रू. 4/–प्रति पृष्ठ दोनों तरफ
   (मतदाताओं की फोटो रहित/सहित)
3. मतदाता सूची की सॉफ्ट कॉपी (In Compact Disk) – रू. 100/– प्रति सी.डी.
   (मतदाताओं की फोटो रहित) (In Pdf Formate)

आवेदन करने पर आवेदक द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर निर्वाचक नामावली की प्रति उपलब्ध करवायी जा सकती है।

भवदीय,
ह0
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

भाग – 2

मतदान केन्द्रों की स्थापना बाबत्

(11)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमाक : एफ4(3)(1)न.पा. / रा.नि.आ. / 09 / 916 दिनांक : 23.01.2026

आदेश

आयोग के पूर्व आदेश 08 दिनांक 27.08.1994 को अधिक्रमित करते हुए राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 2(K) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एवं नियम 27(1) के प्रावधानों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग आगामी नगरपालिका चुनावों के लियें मतदान केंन्द्र स्थापित करने हेतु समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) को उनके अधिकारिता क्षेत्र में नामित करता है।

भवदीय
ह0
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

(12)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमाक : एफ4(3)(1)न.पा. / रा.नि.आ. / 09 / 641 दिनांक : 19.01.2026

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(नगरपालिका)(कलक्टर) राजस्थान।

विषय :– नगरपालिका निर्वाचन के लिए मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में।

महोदय,

नगरपालिका निर्वाचन के लिए मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 27 में प्रावधान वर्णित है, जो निम्नानुसार है :–

> ''Subject to any general or special directions of the State Election Commission, the District Municipal Election Officer shall select for each ward as many polling stations as he deems necessary and shall publish a list of polling stations so selected and the respective polling areas covered by them.''

उक्त प्रावधानों के अनुसार जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग के सामान्य या विशेष दिशा–निर्देशों के अधीन प्रत्येक वार्ड के लिए आवश्यकतानुसार मतदान केन्द्रों का चयन कर सकेंगे एवं चयनित मतदान केन्द्रों तथा उनमें समाविष्ट निर्वाचन क्षेत्रों की सूची प्रकाशित करेंगे।

आयोग मतदान केन्द्र स्थापित करने के संबंध **में पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए** निम्नलिखित निर्देश जारी करता है : –

1. मतदान केन्द्र का चयन करते समय यह ध्यान रखा जाए कि मतदान केन्द्र यथा सम्भव उसी वार्ड में स्थापित किया जाए। अन्य वार्ड में मतदान केन्द्र स्थापित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि यदि उस वार्ड में किसी ऐसे राजकीय अथवा निजी भवन का निर्माण हो गया हो, जो मतदान केन्द्र के लिए उपयुक्त हो, तो उस वार्ड के लिए मतदान केन्द्र उसी भवन में स्थापित किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि यदि किसी मतदान केन्द्र के संबंध में पिछले आमचुनाव / उपचुनाव में कोई शिकायत प्राप्त हुई हो या निर्वाचन अधिकारियों के ध्यान में कोई कमी आई हो, तो अब मतदान केन्द्र के चयन करते समय उसे भी ध्यान में रखा जावे।

2. चूंकि निर्वाचक नामावली में मतदान केन्द्रों का नाम भी अंकित होगा, अतः मतदान केन्द्रों का चयन निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन से पूर्व ही कर लिया जावे।

3. निर्वाचक नामावली वार्डवार तैयार की जाएगी, जिसे आवश्यकतानुसार सुविधाजनक भागों में विभक्त किया जा सकेगा। इस प्रकार विभक्त प्रत्येक भाग एवं उस हेतु स्थापित मतदान केन्द्र का क्रमांक–1 से प्रारम्भ होगा।

4. निर्वाचक नामावली के प्रत्येक भाग के लिये पृथक–पृथक मतदान केन्द्र स्थापित किए जाएगें अर्थात मतदाता सूची का भाग तथा मतदान केन्द्र का क्षेत्र समरूप (Coterminus) होगें।

5. यदि एक भवन में एक से अधिक मतदान केन्द्र स्थापित किया जाना आवश्यक हो तो ऐसी स्थिति में मतदान केन्द्र का पूर्ण विवरण यथा भवन का दाहिना भाग/बॉया भाग/कमरा नं. आदि पूर्ण पहचान अंकित की जाए।

6. मतदान केन्द्र यथा सम्भव सरकारी, अर्द्ध–सरकारी व सार्वजनिक भवनों में स्थापित किए जाए। किन्तु यदि किन्हीं कारणों से निजी भवन में कोई मतदान केन्द्र स्थापित करना पडे तो ऐसे व्यक्ति या संस्था के मकान में मतदान केन्द्र स्थापित नहीं किये जाऐं, जो किसी राजनीतिक दल अथवा चुनाव लडने वाले उम्मीदवार से संबद्ध हो। चूंकि मतदान केन्द्रों का चयन चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार होने से काफी पहले ही कर लिया जायेगा, इसलिए तत्समय यदि चयनित मतदान केन्द्र किसी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार से किसी भी रूप में संबंधित पाया जाता है, तो उसे आयोग की सहमति प्राप्त कर तुरन्त परिवर्तित किया जाये।

7. मतदान केन्द्र पक्के भवनों में ही स्थापित किए जाए।

8. किसी धार्मिक महत्व के स्थल, पूजा स्थल, अस्पताल, पुलिस थाना भवन पर मतदान केन्द्र स्थापित नहीं किए जाए।

9. मतदान केन्द्र विद्यालय/महाविद्यालय में स्थापित किए जाने पर इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि मतदान कक्ष विद्यालय/महाविद्यालय का स्टोर या कार्यालय कक्ष नहीं हो। जहां तक संभव हो सके शिक्षण कक्षों को ही मतदान केन्द्र के रूप में काम में लेवे। पिछले आम चुनाव के पश्चात् राज्य एवं केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विद्यालय/महाविद्यालय में नए कक्षों का निर्माण कराया गया है। इन्हें मतदान केन्द्रों के रूप में प्राथमिकता देवें।

10. मतदान केन्द्र पर सुस्पष्ट रूप से पीले रंग की पृष्ठभूमि पर काले रंग से वार्ड/भाग संख्या, मतदान केन्द्र का क्रमांक पेन्ट कराया जाना भी सुनिश्चित करें।

11. जहां तक संभव हो मतदान केन्द्र उन भवनों में ही स्थापित किए जाने चाहिए जिनके बारे में मतदाताओं को जानकारी हो कि उस स्थान पर मत डाले जाते है। इस हेतु विधानसभा एवं लोकसभा निर्वाचनों के लिए जो मतदान केन्द्र निर्धारित किए गए थे यथा संभव उन्हीं स्थानों पर नगरपालिका निर्वाचन के लिए मतदान केन्द्र स्थापित किए जाने चाहिए।

12. मतदान केन्द्रों की स्थापना करते समय यह भी ध्यान रखा जाए कि मतदाता को मत डालने के लिये सामान्यतः दो किलोमीटर से अधिक नहीं चलना पड़े।

13. मतदान केन्द्र पर अधिक भीड़–भाड़ से बचने के लिए यथा संभव एक भवन में चार से अधिक मतदान केन्द्र स्थापित नहीं किए जाऐं।

14. सामान्यतः एक मतदान केन्द्र में 1400 से अधिक मतदाता नहीं होनें चाहिए। मतदाता सूची के अन्तिम प्रकाशन के पश्चात् मतदान केन्द्रवार स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि मतदान केन्द्र विशेष में मतदाताओं की संख्या कितनी हैं। यदि किसी मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की संख्या 1400 से अधिक हो तो उस मतदान केन्द्र के लिए आयोग की अनुमति से सहायक मतदान केन्द्र स्थापित किए जा सकते हैं। सहायक मतदान केन्द्रों की स्थापना हेतु प्रस्ताव संलग्न प्रपत्र–4 में आयोग को प्रेषित किए जाए। सहायक मतदान केन्द्रों की स्थापना करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखा जाए :–

(i) सहायक मतदान केन्द्र की स्थापना उसी भवन में की जाए जहां मूल मतदान केन्द्र स्थापित हो।

(ii) सहायक मतदान केन्द्र में सम्मिलित होने वाले क्षेत्र/परिक्षेत्र को संयुक्त रूप से सम्मिलित किया जाए अर्थात् मतदान केन्द्र विशेष की मतदाता सूची के अनुसार लगभग आधे–आधे मतदाता एवं उनका सम्पूर्ण क्षेत्र/परिक्षेत्र सम्मिलित हो।

(iii) सहायक मतदान केन्द्र की स्थापना से पूर्व संसाधनों यथा जगह, मतदान दलों हेतु कार्मिक, पुलिस बल आदि की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए।

15. मतदाता सूची का भाग संख्या तथा मतदान केन्द्र की संख्या समरूप होनी चाहिए। मतदाता सूचियों का प्रारूप/अंतिम प्रकाशन मुद्रित प्रतियों से होने के कारण मतदान केन्द्र की संख्या एवं नाम भी मतदाता सूचियों के साथ ही मुद्रित होगें। यह संभव है कि आप द्वारा चयनित मतदान केन्द्रों में मतदाता सूचियों के प्रारूप/अंतिम प्रकाशन के पश्चात कोई परिवर्तन हो जाये तो ऐसी स्थिति में आप मतदाता सूचियों के संबंधित भाग की मुद्रित प्रतियों में मतदान केन्द्र की संख्या एवं नाम में शुद्धि हेतु रबड़ की मोहर का प्रयोग कर सकते हैं। मतदान केन्द्र/सहायक मतदान केन्द्रों के स्थान में इस प्रकार किये जाने वाले परिवर्तन से पूर्व प्रत्येक मामले में राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति आवश्यक होगी।

16. एक मतदान केन्द्र में केवल एक ही वार्ड के मतदाता मत डाल सकते हैं। एक वार्ड में एक से अधिक मतदान केन्द्र हो सकते हैं लेकिन एक मतदान केन्द्र में एक से अधिक वार्ड का क्षेत्र नहीं हो सकता, क्योंकि नगरपालिका चुनावों में वार्ड ही निर्वाचन क्षेत्र है। इससे स्पष्ट हैं कि किसी मतदान केन्द्र में उससे संबंधित भाग के निर्वाचक ही मत डाल सकते हैं।

17. मतदान केन्द्र के भवन का चयन करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि वहां मतदाताओं के प्रवेश एवं निकासी के लिये पर्याप्त स्थान हों। जहां तक संभव हो मतदान केन्द्र के रूप में ऐसे भवनों का चयन किया जाना चाहिए जिसमें कमरों में प्रवेश एवं निकास के लिए पृथक–पृथक दरवाजे हो। साथ ही यह भी देखा जाना चाहिए कि मतदान कक्ष में हवा एवं रोशनी की पर्याप्त सुविधा हो।

18. राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 27 में प्रावधान है कि चयनित मतदान केन्द्रों एवं उनमें समाविष्ट निर्वाचन क्षेत्रों की एक सूची जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रकाशित की जायेगी, चूँकि नियमों में यह विनिर्दिष्ट नहीं है कि सूची का प्रकाशन कब किया जावेगा, अतः आयोग निर्देश देता है कि उपरोक्त सूची का प्रकाशन अभ्यर्थिता वापिस लेने के अगले दिन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जायेगा। प्रकाशित सूची की एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर, एक–एक प्रति रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर तथा नगरपालिका के नोटिस बोर्ड पर तथा संबंधित वार्ड के कम से कम दो प्रमुख सहजदृष्य स्थानों पर प्रदर्शित की जायेगी। उक्त सूची को सम्बन्धित जिला कलक्टर अपनी जिला वेब–साईट पर भी प्रदर्शित करेंगे।

19. मतदान केन्द्रों की सूची का व्यापक प्रचार–प्रसार स्थानीय समाचार–पत्रों के माध्यम से कराया जाये।

20. मतदान केन्द्रो की सूची के प्रकाशन के तुरन्त पश्चात् चुनाव लडने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को सूची की दो प्रतियां निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेंगी।

21. नगरपालिकावार मतदान केन्द्रों की सूची संलग्न प्रपत्र–1 में एवं मतदान केन्द्रों का विवरण संलग्न प्रपत्र–2 में तैयार कर राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित की जाए।

22. प्रत्येक आम/उपचुनाव से पूर्व चयनित मतदान केन्द्र का भौतिक सत्यापन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर से करवाया जाए तथा यह देखा जाए कि मतदान केन्द्र भवन की ईमारत जर्जर अवस्था में तो नहीं हैं, उक्त भवन में निशक्तजन हेतु स्थाई रैम्प हैं अथवा नहीं। यदि स्थाई रैम्प मतदान केन्द्र में नहीं बना हुआ है तो अस्थाई रैम्प की व्यवस्था की जावें। यह भी देखा जाये मतदान केन्द्र मतदान हेतु पूर्ण सुरक्षित हैं अथवा नहीं यथा चारदीवारी बनी हुई हैं, अथवा नहीं। मतदान केन्दों के भौतिक सत्यापन का कार्य निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन से पूर्व ही पूर्ण कर लिया जाए। मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट संलग्न प्रारूप–प्रपत्र–3 में तैयार कर मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की दिनांक को ही आयोग को प्रेषित की जाए।

23. मतदान केन्द्र की सूची के प्रकाशन के पश्चात् यदि किसी कारण से मतदान केन्द्र को परिवर्तित किया जाना आवश्यक हो तो आयोग की अनुमति के पश्चात् ही मतदान केन्द्र परिवर्तित किया जायें। इस हेतु संलग्न प्रपत्र–5 में नवीन मतदान केन्द्रों के प्रस्ताव अनुमोदन हेतु आयोग को प्रेषित किए जाए।

भवदीय
ह0
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

<u>प्रपत्र – 1</u>

मतदान केन्द्रों की सूची

नगरपालिका/परिषद/निगम का नाम : ....

क्र. सं.	मतदान केन्द्र का विवरण (स्थान, भवन आदि)	वार्ड संख्यांक	मतदाता सूची का भाग संख्यांक	मतदाताओं की संख्या	विशेष विवरण
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*

जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका)
(कलक्टर) ....

प्रपत्र – 2

<u>नगरपालिका के मतदान केन्द्रों का विवरण</u>

जिला ....

क.सं.	नगरपालिका / परिषद / निगम का नाम	वार्डो की संख्या	मतदान केन्द्रों की संख्या	विशेष विवरण
1.	2.	3.	4.	5.

जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका)
(कलक्टर) ....

प्रपत्र–3

मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट

जिले का नाम .... नगरपालिका का नाम ....

विधानसभा क्षेत्र का नाम .... विधानसभा क्षेत्र की संख्या ....

क्र. सं.	मतदान केन्द्र का स्थान	भवन का नाम एवं पता	भवन की विशिष्टियां (सरकारी / अर्द्धसरकारी / प्राईवेट)	मतदान केन्द्र में मतदाताओं की संख्या	मतदान केन्द्र धार्मिक स्थल, पुलिस स्टेशन या अस्पताल में स्थापित तो नहीं हैं उल्लेख करें	मतदान केन्द्र की भौतिक स्थिति यथा भवन की स्थिति	मतदान केन्द्र का क्षेत्रफल	क्या भवन में एक से अधिक मतदान केन्द्र हैं। यदि हां तो संख्या लिखे	मतदान केन्द्र तक पहुंचने हेतु रोड की स्थिति (मतदान केन्द्र तक चलकर पहुंचने हेतु कितनी दूरी तय करनी होगी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

क्या मतदान केन्द्र में निम्न सुविधाए उपलब्ध हैं							क्या भवन के चारो ओर चार दीवारी हैं	क्या विद्युत कनेक्शन उपलब्ध हैं	क्या सिलिंग फैन लगा हुआ एवं चालू स्थिति में हैं	खिडकिया / दरवाजें टूटे हुए हैं या ठीक स्थिति में हैं	क्या स्थाई रैम्प हैं अथवा नहीं	टिप्पणी
पेयजल	शौचालय / मुत्रालय	शेड	प्रकाश	फर्नीचर	प्रवेश एवं निकास हेतु पृथक दरवाजें	स्त्री / पुरूष मतदाता हेतु पृथक–पृथक लाईन हेतु स्थान उपलब्ध हैं या नहीं						
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

प्रपत्र – 4

सहायक मतदान केन्द्रों के प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु प्रारूप

क्र. सं.	वार्ड संख्यांक	मुख्य मतदान केन्द्र का विवरण (क्रमांक, नाम एवं पता)	मतदाताओं की कुल संख्या	प्रस्तावित सहायक मतदान केन्द्र का विवरण	सहायक मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की संख्या	मुख्य मतदान केन्द्र पर शेष रहे मतदाताओं की संख्या
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*

जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका)
(कलक्टर).....................................

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर),..द्वारा प्रेषित उक्तानुसार सहायक मतदान केन्द्र/केन्द्रों का अनुमोदन किया जाता हैं।

आज्ञा से,

ह0
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

प्रपत्र – 5

<u>मतदान केन्द्रों की सूची के प्रकाशन के पश्चात् उनमें परिवर्तन हेतु प्रस्ताव का प्रारूप</u>

क्र. सं.	वार्ड संख्यांक	मतदान केन्द्र का विवरण (क्रमांक, नाम एवं पता)	मतदाताओं की कुल संख्या	प्रस्तावित मतदान केन्द्र का विवरण (क्रमांक, नाम एवं पता)	मतदान केन्द्र में परिवर्तन का कारण
1	2	3	4	5	6

जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका)
(कलक्टर).....................................

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर),..द्वारा प्रेषित उक्तानुसार परिवर्तित मतदान केन्द्र / केन्द्रों को अनुमोदन किया जाता हैं।

आज्ञा से,

ह0
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

भाग – 3

स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के लिए उपायों के सम्बन्ध में

राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिये
आदर्श आचरण संहिता

(I) सामान्य आचरण –

1. किसी भी दल या उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय व जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुँचे या उनमें विद्वेष व तनाव पैदा हो।

2. **यदि राजनैतिक दलों की आलोचना की जाए, तो यह उनकी नीतियों और कार्यक्रम, गत रिकॉर्ड और कार्य तक ही सीमित रखी जाएगी। दलों और अभ्यर्थियों को अन्य दलों के नेताओं या कार्यकत्ताओं के सार्वजनिक गतिविधियों से असंबद्ध निजी जीवन के सभी पहलुओं की आलोचना करने से बचना होगा। असत्यापित आरोपों या मिथ्या कथन के आधार पर अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना करने से बचना होगा।**

3. मत प्राप्त करने के लिये धार्मिक, साम्प्रदायिक या जातीय भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाना चाहिये तथा चुनाव प्रचार के लिये किसी पूजा–स्थल जैसे कि मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, गिरजाघर आदि का उपयोग नहीं किया जाना चाहिये।

4. किसी भी दल और उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण और अपराध माना गया है, जैसे कि मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय पर पूरी होने वाली 48 घन्टे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभा करना, किसी चुनाव सभा में **गड़बड़ी** करना या विघ्न डालना, मतदान केन्द्र व मतदान केन्द्र की 100 मीटर की परिधि के अन्दर मत संयाचना (Convassing) करना, मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने या ले जाने के लिये वाहनों का उपयोग करना, मतदान केन्द्र में या उसके आस–पास विच्छृंखल (Disorderly Conduct) आचरण करना, मतदान की कार्यवाही में बाधा डालना, मतदाताओं को रिश्वत देना, **मतदाताओं को डराना–धमकाना** तथा मतदाताओं का प्रतिरूपण करना आदि।

5. दलों या उम्मीदवारों को चाहिये कि वे अन्य व्यक्ति के विचारों या कार्यों का विरोध करने के लिये उनके निवास पर प्रदर्शन आयोजित करने या धरना देने जैसे तरीकों का सहारा नहीं लेवें तथा इस बात का प्रयास करें कि प्रत्येक व्यक्ति के शांन्तिपूर्ण और विघ्न रहित घरेलू **जीवन** के अधिकार (Right of peaceful and undisturbed home-life), का वे आदर करें, चाहे वे उसके राजनीतिक विचारों या क्रिया कलापों के कितने ही विरूद्ध क्यों न हों।

6. किसी दल या उम्मीदवार को किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार आदि **पर** चुनाव प्रतीक लगाने, ध्वज लगाने, पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने, बैनर लगाने आदि के लिये बिना अनुमति के उपयोग नहीं करना चाहिये और न ही ऐसा करने की अनुमति अपने समर्थको (Followers) को देनी चाहिये।

7. मतदान के दिन और इससे एक दिन पूर्व की अवधि में किसी दल या किसी उम्मीदवार और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा न तो शराब खरीदी जाये और न ही उसे किसी को पेश किया जाये और न ही वितरित की जाये। प्रत्येक दल व उम्मीदवार को अपने कार्यकर्ताओं को ऐसा करने से रोकना चाहिये।

8. किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपना निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणन–अभिकर्ता नियुक्त नहीं करना चाहिये जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के

अधीनस्थ कर्मचारी है और न ही उन्हें अपने चुनाव प्रचार संबंधी कोई कार्य में शामिल करना चाहिये।

9. **राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 12.08.2021 की अक्षरशः पालना की जानी सुनिश्चित की जायें।**

(II) सभाएं –

1. दलों और उम्मीदवारों को चाहिये कि वे और उनके समर्थक अन्य दलों या उम्मीदवारों द्वारा आयोजित सभाओं व जुलूसों में बाधा उत्पन्न नहीं करें, और न ही अन्य दलों अथवा उम्मीदवारों द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभाओं में मौखिक रूप से या लिखित रूप से प्रश्न पूछकर या अपने अथवा अपने दल के पर्चे वितरित कर कोई विघ्न पैदा करना चाहिये। दलों व अभ्यर्थियों द्वारा उन स्थानों से होकर अपना जुलूस नहीं ले जाना चाहिये जहाँ पर दूसरे दल अथवा अभ्यर्थी द्वारा सभा की जा रही है। किसी दूसरे दल अथवा अभ्यर्थी के द्वारा लगाये गये पोस्टर भी नहीं हटाने चाहिये।

2. दल या अभ्यर्थी को चुनाव प्रचार के लिये सभा करने से पूर्व यह **<u>सुनिश्चित</u>** कर लेना चाहिये कि जहाँ पर उनके द्वारा सभा करने का प्रस्ताव है, वहाँ कोई निर्बन्धात्मक या प्रतिबन्धात्मक आदेश लागू तो नहीं हैं और यदि ऐसे आदेश लागू हों तो उनका **<u>कड़ाई</u>** के साथ पालन करना चाहिये। यदि ऐसे आदेशों से कोई छूट अपेक्षित है तो उसके लिये यथासमय संबंधित सक्षम अधिकारी को आवेदन करना चाहिये और छूट प्राप्त कर लेनी चाहिये।

3. दल या अभ्यर्थी को किसी प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारियों को उपयुक्त समय पर सूचना देनी चाहिये ताकि वे यातायात नियंत्रित करने और शांति तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये आवश्यक इंतजाम कर सके। यदि अपेक्षित हो तो संबंधित सक्षम अधिकारी से उसकी अनुमति भी लेनी चाहिये।

4. दल या अभ्यर्थी को चाहिये कि वे अपनी किसी प्रस्तावित सभा के संबंध में लाऊड–स्पीकरों के प्रयोग या अन्य किसी सुविधा के लिये अनुमति प्राप्त करना चाहे तो संबंधित सक्षम अधिकारी के पास पर्याप्त समय पहले ही आवेदन करें और ऐसी अनुमति प्राप्त करें। लाऊड–स्पीकरों के उपयोग की अनुमति यदि अपेक्षित है तो बिना अनुमति लाऊड–स्पीकरों का प्रयोग नहीं करना चाहिये और सक्षम अधिकारी से अनुमति लेने के पश्चात् भी लाऊड–स्पीकरों को ऊँची आवाज में कदापि नहीं बजायें।

5. किसी दल या अभ्यर्थी के द्वारा सभा आयोजित करने पर यदि ऐसी सभा में कोई विघ्न डाले या अन्यथा अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करे तो सभा के आयोजकों को चाहिये कि विघ्न डालने वाले और अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिये ड्यूटी पर तैनात पुलिस की सहायता प्राप्त करे। आयोजकों को स्वयं ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिये।

(III) जुलूस –

1. दल या अभ्यर्थी को चाहिये कि वे पहले ही यह तय कर लें कि जुलूस किस समय और किस स्थान से शुरू होकर किस समय और किस स्थान पर समाप्त होगा तथा किस मार्ग से होकर जायेगा। कार्यक्रम में बाद में सामान्यतः कोई फेर बदल नहीं करना चाहिये।

2. जुलूस के आयोजकों को चाहिये कि वे जूलूस के कार्यक्रम के बारे में स्थानीय पुलिस को पर्याप्त समय पूर्व सूचित कर दें, ताकि आवश्यक इंतजाम हो सके।

3. जुलूस का आयोजन करने से पूर्व यह आवश्यक रूप से पता कर लेना चाहिये कि जुलूस के निकालने के संबंध में कोई प्रतिबन्धात्मक आदेश तो लागू नहीं है और जब तक सक्षम अधिकारी द्वारा ऐसे प्रतिबन्धात्मक आदेशों से विशेष रूप से छूट न दे दी जावे तब तक उन निर्बन्धनों का पालन करना चाहिये। जुलूस के आयोजन के समय यातायात नियमों का भी पालन करना चाहिये। जुलूस की व्यवस्था ऐसी करनी चाहिये जिससे यातायात में रूकावट न हो और यातायात का जमाव नहीं हो। जुलूस को सडक के एक ओर रखना चाहिये तथा पुलिस के निर्देश व सलाह का पालन करना चाहिये। **आयोजक जुलूस निकालने के लिए अग्रिम व्यवस्था करने हेतु कदम उठाएंगे ताकि यातायात में कोई रूकावट या बाधा ना आयें। यदि जुलूस बहुत लम्बा है तो इसे उचित लम्बाई के कई हिस्सों में आयोजित किया जाएगा, ताकि सुविधाजनक अन्तरालों पर, विशेष रूप से उन स्थानों पर जहां जुलूस को सड़क का चौराहा पार करना है, रूके हुए यातायात को चरणों में छोड़ा जा सके जिससे यातायात में भारी जाम से बचा जा सके।**

4. यदि दो या दो से अधिक राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों ने लगभग उसी समय पर उसी रास्ते से या उसके भाग से जुलूस निकालने का प्रस्ताव किया है तो, आयोजकों को चाहिये कि वे समय से पूर्व आपस में सम्पर्क स्थापित करें और ऐसी योजना बनायें कि जिससे जुलूसो में टकराव न हो एवं यातायात मे बाधा न पहुँचे। स्थानीय पुलिस की सहायता संतोषजनक इंतजाम करने के लिये सदा उपलब्ध होगी। इस प्रयोजन के लिये दलों को यथाशीघ्र पुलिस से सम्पर्क स्थापित करना होगा।

5. दल या अभ्यर्थी को उनके द्वारा आयोजित जुलूसों में किसी व्यक्ति को कोई ऐसी वस्तु लेकर चलने की अनुमति नहीं देनी चाहिये जिसका कि उत्तेजना के क्षणों में दुरूपयोग हो सके।

6. किसी दल या अभ्यर्थी को अन्य दल के सदस्यों या उनके नेताओं या अन्य अभ्यर्थी के पुतले लेकर चलने, उनको किसी सार्वजनिक स्थान पर जलाने का कार्य नहीं करना चाहिये और न ही ऐसे प्रदर्शनों का समर्थन करना चाहिये।

(IV) मतदान दिवस –

सभी राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को चाहिये कि वे –

1. यह सुनिश्चित करने के लिये कि मतदान निष्पक्ष, शान्तिपूर्वक और सुव्यवस्थित ढंग से हो और मतदाताओं को पूरी स्वतंत्रता हो कि वे बिना किसी परेशानी या बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, निर्वाचन कर्तव्य पर लगे हुये अधिकारियों के साथ सहयोग करें।

2. अपने प्राधिकृत कार्यकर्ताओं को उपयुक्त बिल्ले या पहचान पत्र दें।

3. ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें कि मतदाताओं को उनके द्वारा दी गई पहचान पर्चियाँ सादे सफेद कागज पर होंगी और उन पर कोई प्रतीक, अभ्यर्थी का नाम या दल का नाम **अंकित** नहीं होगा।

4. मतदान के दिन और उसके पूर्व के 48 घंटों के दौरान किसी को शराब पेश या वितरित न करें।

5. मतदान केन्द्रों के निकट लगाये गये कैम्पों के नजदीक अनावश्यक भीड इकट्ठी न होने दें जिससे दलों और अभ्यर्थियों के कार्यकर्ताओं और शुभचिन्तकों में आपस में तनाव **या संघर्ष** न होने पावे।

6. यह सुनिशिचित करें कि अभ्यर्थियों के कैम्प साधारण हों, उन पर टैंट नहीं लगाये जायें **तथा** उन पर कोई पोस्टर, झंडे, प्रतीक या कोई अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित न की जाये। कैम्पों में खाद्य पदार्थ पेश न किये जायें और **ना ही भीड़ को शिविरों में इकठ्ठा होने की अनुमति दी जाएगी।**

7. मतदान के दिन वाहन चलाने पर लगाये जाने वाले निर्बन्धनों का पालन करने में प्राधिकारियों के साथ सहयोग करें और वाहनों के लिये परमिट प्राप्त कर लें और उन्हें उन वाहनों पर ऐसे लगा दें जिससे **वे** साफ–साफ दिखाई देते रहें।

8. मतदान केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में अपना कैम्प किसी भी स्थिति में नहीं लगावें।

9. मतदान केन्द्र व इसकी 100 मीटर परिधि में किसी मतदाता से मत संयाचना (Convassing) नहीं करें और न ही अपने कार्यकर्ताओं को करने दें।

10. वाहन का परमिट सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर लेने के बाद भी ऐसे वाहन में स्वयं अभ्यर्थी व उसके परिवारजन अथवा निर्वाचन एजेंट व उसके परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य किसी मतदाता को नहीं बिठायें।

11. अपने कार्यकर्ताओं को किसी भी वाहन से अन्य ऐसे मतदाताओं को जो उनके स्वयं के परिवारजन नहीं हैं, मतदान केन्द्रों तक लाने व वहाँ से ले जाने का कार्य करने से पूर्णतः रोकें।

12. मतदाताओं का प्रतिरूपण अर्थात गलत नाम से मत डालने का प्रयास नहीं करें।

(V) मतदान केन्द्र –

मतदाताओं के सिवाय कोई भी व्यक्ति राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये विधिमान्य पास के बिना मतदान केन्द्रों में प्रवेश नहीं करेगा।

(VI) पर्यवेक्षक –

राज्य निर्वाचन आयोग **द्वारा** पर्यवेक्षक **नियुक्त किये जाते हैं।** यदि निर्वाचनों के संचालन के संबंध में अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को कोई विशिष्ट शिकायत या समस्या हो तो वे उसकी सूचना पर्यवेक्षक को दे सकते हैं।

(VII) सत्ताधारी दल –

सत्ताधारी दल को, चाहे वह केन्द्र में हो या राज्य में हो, यह **सुनिश्चित** करना चाहिये कि यह शिकायत करने का कोई मौका न दिया जाये कि उस दल ने अपने निर्वाचन अभियान के प्रयोजनों के लिये अपने सरकारी पद का **उपयोग** किया है, और विशेष रूप से –

(1) (क) मंत्रियों को अपने शासकीय दौरों को निर्वाचन क्षेत्रो में निर्वाचन से संबंधित प्रचार कार्य के साथ नहीं **जोड़ना** चाहिये और निर्वाचन के दौरान प्रचार करते हुये शासकीय मशीनरी अथवा कार्मिकों का **उपयोग** नहीं करना चाहिये।

(ख) सरकारी विमानों, **गाड़ियों** सहित सरकारी वाहनों, मशीनरी और कार्मिकों का सत्ताधारी दल के हित को बढावा देने के लिये प्रयोग नहीं किया जायेगा।

(2) सत्ताधारी दल को चाहिये कि वह सार्वजनिक स्थान जैसे मैदान इत्यादि पर निर्वाचन सभाएं आयोजित करने और निर्वाचन के संबंध में हवाई उडानों के लिये हैलिपैड के इस्तेमाल करने के लिये अपना एकाधिकार न जमाएं । ऐसे स्थानों का प्रयोग दूसरे दलों और अभ्यर्थियों को भी उन्हीं शर्तों पर करने दिया जाए जिन शर्तों पर सत्ताधारी दल उनका प्रयोग करता है।

(3) सत्ताधारी दल या उसके अभ्यर्थियों का विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों पर एकाधिकार नहीं होगा और ऐसे आवासों का प्रयोग निष्पक्ष तरीके से करने के लिये अन्य दलों और अभ्यर्थियों को भी अनुमति दी जायेगी लेकिन कोई भी दल या अभ्यर्थी ऐसे आवासों का व इनके साथ संलग्न परिसरों का प्रचार कार्यालय के रूप में या निर्वाचन प्रोपेगंडा के लिये कोई सार्वजनिक सभा करने की दृष्टि से प्रयोग नहीं करेगा या प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(4) निर्वाचन अवधि के दौरान, राजनैतिक समाचारों तथा प्रचार की पक्षपातपूर्ण ख्याति के लिये सरकारी खर्चे से समाचार पत्रों में या अन्य माध्यमों से ऐसे विज्ञापनों का जारी किया जाना, तथा सरकारी जन–माध्यमों का दुरूपयोग कर्तव्यनिष्ठ होकर बिल्कुल बन्द रहना चाहिये जिनमें सत्ताधारी दल के हितों को अग्रसर करने की दृष्टि से उनकी उपलब्धियाँ दिखाई गई हों।

(5) मंत्रियों और अन्य प्राधिकारियों को उस समय से जब से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किये जाते हैं, विवेकाधीन निधि में से अनुदानों/अदायगियों की स्वीकृति नहीं देनी चाहिये।

(6) मन्त्री और अन्य प्राधिकारी, उस समय से जब से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन–कार्यक्रम घोषित किये जाते हैं :–

(क) किसी भी रूप में कोई भी वित्तीय मंजूरी या वचन देने की घोषणा नहीं करेंगे, अथवा

(ख) किसी प्रकार की परियोजनाओं अथवा स्कीमों के लिये आधार शिलाएं आदि नहीं रखेंगे, या

(ग) सडकों के निर्माण का कोई वचन नहीं देंगे, पीने के पानी की सुविधायें नहीं देंगे, आदि या

(घ) शासन, सार्वजनिक उपक्रमों आदि में कोई भी तदर्थ नियुक्ति न की जाये जिससे सत्ताधारी दल के हित में मतदाता प्रभावित हो।

(7) केन्द्रीय या राज्य सरकार के मन्त्री, अभ्यर्थी या मतदाता अथवा प्राधिकृत अभिकर्ता की अपनी हैसियत को छोडकर किसी भी मतदान केन्द्र या गणना स्थल में प्रवेश न करें।

(8) मन्त्रियों और अन्य प्राधिकारियों को उस समय से जब से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किया जाता है, निर्वाचन संबंधी कार्यो से जुडे हुये अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण नहीं करने चाहिये।

टिप्पणी – राज्य निर्वाचन आयोग कोई भी निर्वाचन की तारीख की घोषणा करेगा जो ऐसे निर्वाचनों के बारे में जारी होने वाली अधिसूचना की तारीख से सामान्यतः तीन सप्ताह से अधिक नहीं होगी।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकः एफ.7(1)(3)पंचा / रानिआ / 2014–15 / 980 दिनांक : 24.01.2026

1. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
2. पुलिस आयुक्त, आयुक्तालय जयपुर, जोधपुर।
3. समस्त महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।
4. समस्त जिला मजिस्ट्रेट व जिला निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
5. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।

विषयः–नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन के दौरान कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के संबंध में।

महोदय,

स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने हेतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक मतदाता अपने मत का उपयोग स्वतंत्र व निर्भीक होकर कर सके। इस हेतु राज्य की कानून एवं व्यवस्था मशीनरी को चुनाव संबंधित अपराधों की रोकथाम व नियन्त्रण हेतु प्रभावी कदम उठाने की महत्ती आवश्यकता है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 K व 243 ZA द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग में निहित शक्तियों के अन्तर्गत आयोग ने समय–समय पर नगरपालिकाओं व पंचायतीराज संस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने हेतु दिशा–निर्देश जारी किए हुए हैं। इन समस्त निर्देशों को संकलित करते हुए पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 3230–3233 दिनांक 8.8.2014 को अधिक्रमित करते हुए निम्न निर्देश जारी किए जाते हैः–

1. नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों में कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने की दृष्टि से आयोग जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं जिला पुलिस अधीक्षकों से यह अपेक्षा करता है कि आवश्यक कानूनी प्रावधानों के अनुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए विशेष तौर पर निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए :

   1.1 स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग कर चुनाव के दौरान आचार संहिता के पालन व कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया जावे।

   1.2 प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में **संवेदनशील (Vulnerable) एवं क्रिटीकल मतदान केन्द्रों** की पहचान जिला मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस अधीक्षक एवं रिटर्निंग अधिकारी के परामर्श से तैयार करें–

   - **संवेदनशील मतदान केन्द्र** में ऐसे क्षेत्रों के मतदान केन्द्र आऐंगे, जहॉ कमजोर वर्गों व मतदाताओं को मतदान देने से रोके जाने की संभावना हो। ऐसे भय व प्रताडना से ग्रस्त क्षेत्रों में Vulnerable परिवार और मतदाताओं

की पहचान की जाए एवं जिला प्रशासन द्वारा ऐसे मतदाताओं को निर्भिक होकर मतदान करने हेतु आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए।

- **क्रिटीकल मतदान केन्द्र** में ऐसे मतदान केन्द्रों को शामिल किया जाए, जिनमें–
  - (अ) जहॉ गत आम चुनाव में 90% से अधिक मतदान हुआ हो और 75% से अधिक मत किसी एक अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गये हों,
  - (ब) गत आम चुनावों में हिंसा, मारपीट, बूथ कैप्चरिंग आदि की घटनाऐं हुई हो अथवा गड़बड़ी के कारण पुनर्मतदान हुआ हो,
  - (स) जहॉ पर धार्मिक, जातिगत अथवा आर्थिक–सामाजिक असमानता के आधार पर हिंसा/गड़बड़ी होने की संभावना हो
  - (द) जहॉ बड़ी संख्या में आदतन अपराधी/असामाजिक तत्व रहते हों

ऐसे संवेदनशील (Vulnerable) एवं क्रिटिकल मतदान केन्द्रों के क्षेत्रों में पूर्व में घटी घटनाओं तथा ऐसी घटनाओं में लिप्त व्यक्तियों का गहन विश्लेषण कर ऐसी रणनीति तैयार कर अमल में लाई जावें कि इन क्षेत्रों में चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक सम्पन्न हों।

1.3 निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी नहीं किए जाएं।

1.4 चुनाव कार्यक्रम के घोषित होते ही आग्नेय शस्त्रों एवं धारदार हथियारों को धारण कर आने जाने को प्रतिबंधित किया जाए।

1.5 चुनाव घोषणा होते ही असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जाकर उनकी गतिविधियों संबंधी नियमित सूचना की व्यवस्था की जावे। हिस्ट्री शीटर व आदतन अपराधियों पर विशेष ध्यान दिया जावे व पुलिस द्वारा नियमानुसार उनकी गतिविधियां नियन्त्रित की जावे और जहां भी आवश्यक समझा जाए बिना विलम्ब कानूनी कार्यवाही की जावे ताकि चुनाव शांतिपूर्ण हों।

1.6 मतदान दिवस पर ट्रकों, लारियों तथा अन्य यातायात के साधनों को चुनाव क्षेत्र में नियंत्रित किया जाए।

1.7 उन क्षेत्रों में, जहां असामाजिक तत्वों द्वारा अवैद्य शस्त्र तथा गोला बारूद बनाने, बेचने या उपयोग में लेने की संभावनाएं हों, अभियान चलाया जाए व तत्संबंधी प्रभावी कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। इस संबंध में की गई कार्यवाही का उल्लेख LOR में यथास्थान किया जावे।

1.8 राज्य के कई क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों व अन्य कमजोर वर्गो को स्वतंत्र व निर्भीक होकर मतदान नहीं करने दिए जाने की घटनाएं पूर्व के कई चुनावों में सामने आई हैं तथा यह भी देखा गया है कि कई व्यक्तियों के विरूद्व अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम के अन्तर्गत एक से अधिक मुकदमें दर्ज हैं। ऐसे क्षेत्रों व व्यक्तियों को विशेष रूप से चिन्हित कर प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जावे ताकि चुनाव हेतु भयमुक्त वातावरण तैयार हो सके।

1.9 मतदान समाप्ति से 48 घण्टों से पूर्व से तथा मतगणना दिवस को शराब के उपयोग एवं बिक्री एवं वितरण को प्रतिबंधित किया जाए।

1.10 मतदान की घोषण के पश्चात नामनिर्देशन पत्र वापिस लिये जाने की तिथि से ही समस्त वाहनों की जॉच के लिए अभियान चलाया जाए साथ ही मतदान दिवस के चार दिन पूर्व से उक्त अभियान को और अधिक सघन कर दिया जाये

ताकि असामाजिक तत्वों द्वारा चुनाव क्षेत्रों में हथियार, गोला–बारूद, मादक पदार्थो की तस्करी व अवैद्य धन के परिवहन को प्रभावी ढ़ंग से रोका जा सके।

1.11 चुनाव रैली में तीन से अधिक वाहनों को निकलने की अनुमति नहीं दी जाए तथा यदि अधिक वाहनों के साथ कोई चुनाव रैली निकाली जाती है तो उसे रोका जाए।

1.12 निर्वाचन के दौरान चुनाव कर्तव्यों हेतु नियुक्त किए गए कार्मिकों के साथ यदि दुर्व्यवहार किया जाता है अथवा उन्हें धमकी दी जाती हैं, जिससे चुनाव प्रक्रिया बाधित होने के साथ निर्वाचन कर्तव्यों हेतु नियुक्त कार्मिकों के आत्मविश्वास में कमी आती है तो **उनके विरूद्ध राज्य कार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज कराया जाये। आयोग ऐसी घटनाओं को गम्भीरता से लेता है।** अतः निर्वाचन के दौरान ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जावे। यदि कोई अप्रिय घटना होती है तो जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा तुरन्त प्रभावी कार्यवाही कर आयोग को अवगत करायेंगे।

1.13 अनुज्ञापत्र धारियों के शस्त्र जमा कराये जाने के संबंध में चुनाव के दौरान एक जॉच समिति (screening committee) गठित की जायेगी, जो जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक से मिलकर बनेगी तथा महानगर क्षेत्र में पुलिस आयुक्त एवं उपायुक्त से मिलकर बनेगी, जो कि चुनाव की घोषणा से अपना कार्य प्रारम्भ करेगी। जॉच कमेटी द्वारा निम्नलिखित श्रेणी के अनुज्ञापत्र धारियों के शस्त्र जमा करने संबंधी प्रकरण कमेटी के समक्ष रखे जाकर गुणावगुण के आधार पर चिन्हित अनुज्ञापत्र धारियों के अनुज्ञा पत्र जमा कराने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा–

i) जो जमानत पर छूटे हुए हों,

ii) जिनकी पृष्ठभूमि आपराधिक रही हो, एवं

iii) जो किसी निर्वाचन के दौरान या अन्य किसी समय दंगा–फसाद में सम्मिलित रहे हों।

iv) जिनके विरूद्व कमजोर तबके के लोगों को डराने–धमकाने की शिकायत करें।

v) जिनके द्वारा आम लोगों को डराने–धमकाने की प्रबल संभावना हो।

उक्त बिन्दु उदाहरण मात्र हैं, इनके अतिरिक्त चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी विधि के प्रावधानों के अनुसार जिन अनुज्ञापत्र धारियों के शस्त्र जमा करना आवश्यक समझे, कर सकते हैं। शस्त्र जमा करने की कार्यवाही दिनांक 25.02.2026 तक पूर्ण कर लें। चुनाव समाप्ति के 7 दिवस के अंदर शस्त्र (यदि अन्य कारण से सस्पेन्ड ना हो) अनुज्ञापत्र धारी को वापिस कर दिया जाए।

1.14 मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्र के आसपास निषिद्ध क्षेत्र के भीतर चुनाव प्रचार की रोकथाम एवं मतगणना के समय मतगणना केन्द्र पर कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए आयोग के निर्देश हैं कि मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को छोडकर किसी भी अन्य व्यक्ति को कोर्डलैस फोन, वायरलैस सैट, इलेक्ट्रोनिक गजेट्स इत्यादि को लाने व उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी तरह किसी भी

व्यक्ति के मतगणना स्थल पर प्रवेश को नियंत्रित करने वाली सीमा या सुरक्षा बलों द्वारा घेराबंदी क्षेत्र के भीतर इस तरह के उपकरणों को लाने व उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा इन निर्देशों का उल्लंघन करते हुए उसे इस तरह के साधनों के साथ पाया जाता है तो सुरक्षा प्रभारी अधिकारियों द्वारा उन साधनों को जब्त कर लिया जाएगा। मतगणना समाप्ति तथा चुनाव परिणामों की घोषणा हो जाने के पश्चात् ऐसे जब्त साधन संबंधित व्यक्ति को लौटा दिए जाएंगे।

2. यह निर्देश सामान्य (indicative) हैं, विस्तृत एवं अंतिम (Comprehensive and final) नहीं। अतः कानून व्यवस्था से संबंधित अधिकारी वे समस्त कदम उठाऐंगे जिससे चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण हों।
3. इन निर्देशों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित संभागीय आयुक्त व महानिरीक्षक/आयुक्त पुलिस का होगा। वे अपने–अपने संभाग में जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक की नियमित मीटिंग कर इन निर्देशों की पालना की समीक्षा करेंगे व जिला प्रशासन को उचित दिशा–निर्देश प्रदान करेंगे। इन समीक्षा बैठकों में उपरोक्त समस्त बिन्दुओं की बिन्दुवार समीक्षा की जावेगी। बैठक के कार्यवाही विवरण की एक प्रति आयोग को भी प्रेषित की जावे। यह अपेक्षा की जाती है कि निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ होने से समाप्त होने तक प्रत्येक जिले की कम से कम दो समीक्षा बैठके आयोजित की जायें।
4. आयोग के स्तर पर कानून व्यवस्था की निरंतर समीक्षा की जावेगी। इस हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक सप्ताह संलग्न प्रपत्र LOR-I में जिला पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त पुलिस से सूचना प्राप्त कर अपनी समीक्षा टिप्पणी सहित माह की 7, 14, 21 व 28 तारीख को आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करेंगे। यह सूचना चुनाव घोषणा होने की तिथि से चुनाव की समाप्ति तक भेजी जाऐंगी। जिला निर्वाचन अधिकारी उक्त LOR में अपनी टिप्पणी अंकित कर यह सुनिश्चित करेंगे कि यह सूचना निर्धारित तिथि को सांय 6.00 बजे तक अपलोड कर दी जाये। साथ ही LOR की एक प्रति जिला पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त पुलिस की हस्ताक्षरित प्रति पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी मय हस्ताक्षर आयोग को ई–मेल के माध्यम से भी तत्समय भिजवाने की व्यवस्था करेंगे।

संलग्न : फॉर्म LOR- I

भवदीय,
ह0
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

Form LOR-I

Weekly Law & Order Report for Districts for Electoral Events
MUNICIPAL/PANCHAYAT ELECTIONS, ……………………(Year)

To
1) District Election Officer (District Magistrate)

1) Start Date of these reports …………………..……….. (DD/MM/YY)
2) Report for ………………… …………………..……….. (DD/MM/YY)

Name of Police District :

Sr. No.	Item		Reporting Week	Cumulative from Start Date upto and Including Reporting Day
1	No. of Unlicensed arms/explosive seized			
	(a) Arms	(I) Fire arms		
		(II) Weapons (other than fire arms)		
	(b)	(1) Cartidges		
		(2) Explosives (in Kgs)		
		(3) Others, if any		
2	No. of illicit arms manufacturing centres raided and seizures made			
3	Licensed Arms (Para 1.13 of the instructions)	issued		
		Deposited		
		Impounded		
		Cancelled		
4	(a) No. of cases put up under praventive section of CrPC			
	(b) No. of persons bound down under preventive sections of CrPC			
5	Execution of non-bailable warrants	a) Executed		
		b) Pending		
6	No. of incidents of violence related to poll campaign etc.			
	(a) Total killed			
	(b) Total injured			
	(c) Damage to property (in Rs. Lakhs)			
	(d) No. of cases Registered			
	(e) No. of Accused Persons arrested			
7	(a) No. of incidents occurred under Atrocities Act 1989 during election			
	(b) No. of FIR's Registered			
	(c) No. of Accused Persons Arrested			
	(d) No. of Persons against whom action taken as per para 1.7 of the instructions			
8	Information regarding Vulnerable and sensitive areas			
	(a) No. of Villages/Mohalla identified as Vulnerables			
	(b) No. of persons identified as probable source of trouble			
	(c) Of which preventive action taken against			
9	Seized Liquor	Estimated value (in Rs.)		
			Name & Signature of SP	
	Comments by District Magistrate			
			Name & Signature of DM	

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ. 1(2)(1) नपा–पंचा / सा.आ. / रानिआ / 14 / 5041 दिनांक :– 23.12.2025

अधिसूचना

सां. आ.: 137 / 2025– भारत के संविधान के अनुच्छेद 243–यक (Article 243ZA) के अंतर्गत नगरीय निकायों के अध्यक्ष / सदस्यों के निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 23 की उप–धारा (1) में यह उपबंध है कि राज्य निर्वाचन आयोग नगरपालिका के निर्वाचन के लिए अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको निर्वाचन की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होती है, समाप्त होने वाली निर्वाचन की कालावधि के दौरान किसी भी अभ्यर्थी या उसके सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्त्ता द्वारा यानों या ध्वनि विस्तारकों के उपयोग या कट आउटों, होर्डिंगों, पोस्टरों और बैनरों के प्रदर्शन पर युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित कर सकेगा।

उपधारा (2) यदि कोई भी उम्मीदवार या उसका सम्यक् रूप से प्राधिकृत निर्वाचन अभिकर्ता, उप–धारा (1) के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिरोपित निर्बंधनों में से किसी का भी उल्लंघन करता है तो वह, दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो [1] (पांच हजार रूपये) तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

उपधारा (3) उप–धारा (2) के अधीन दंडित प्रत्येक व्यक्ति, राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश से, किसी नगरपालिका का सदस्य चुने जाने या होने के लिए ऐसी कालवधि के लिए, जो ऐसे आदेश की तारीख से छह वर्ष तक की हो सकेगी, निरर्हित किये जाने का भागी होगाः

परन्तु राज्य निर्वाचन आयोग किसी पश्चात्वर्ती आदेश द्वारा, लेखबद्ध कारणों से, इस धारा के अधीन किसी भी निरर्हता को हटा सकेगा या ऐसी किसी भी निरर्हता की कालावधि को कम कर सकेगा।

उपधारा (4) कोई भी न्यायालय उप–धारा (2) में निर्दिष्ट किसी भी अपराध का संज्ञान, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किये गये परिवाद के सिवाय नहीं करेगा।

अतः नगरपालिका सदस्यों के निर्वाचन के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243–यक (Article 243ZA) एवं नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 23(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आयोग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.4(2)(1) नपा–पंचा / सां.आ. / रानिआ / 2014 / 4237 दिनांक 21.10.2019 (सां. आ. 127 / 2019) को अधिक्रमित करते हुये निम्न आदेश जारी करता हैः–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारम्भः–** (i) इस आदेश का नाम राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन में वाहनों एवं लाउडस्पीकरों के उपयोग तथा पोस्टरों, बैनरों आदि के प्रदर्शन पर प्रतिबंध) आदेश, 2019 है;
   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य पर है।
   (iii) यह तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।
2. **परिभाषाऐंः–** (1) आदेश में जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–
   (i) ''निर्वाचन'' से नगरपालिका के सदस्य के लिए ''साधारण निर्वाचन'' और ''उप निर्वाचन'' अभिप्रेत है;
   (ii) ''सदस्य '' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी नगरपालिका का विधिपूर्वक सदस्य है और इसमें नगर निगम के मामले में निगम पार्षद, नगर परिषद के मामले में पार्षद और नगरपालिका मण्डल के मामले में सदस्य सम्मिलित है;
   (iii) ''प्ररूप'' से इस आदेश में उल्लेखित ''प्ररूप'' अभिप्रेत है;
   (iv) ''खण्ड'' से इस आदेश का ''खण्ड'' अभिप्रेत है;
   (v) ''उप खण्ड'' से उस ''खण्ड'' का ''उप खण्ड'' अभिप्रेत है जिसमें यह शब्द आता है; और
   (vi) ''नियम'' से नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 अभिप्रेत है;

(2) जो शब्द और पद इस आदेश में प्रयुक्त किये गये हैं किन्तु परिभाषित नहीं किये गये हैं और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 अथवा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 में परिभाषित हैं, उनके वे ही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम और नियम में क्रमशः समनुदिष्ट हैं।

3. कतिपय प्रकार के वाहनों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध होगा– अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से निर्वाचन समाप्ति तक चुनाव प्रचार या चुनाव संबंधी यात्रा (campaigning or election related travel) के लिए निम्नांकित वाहनों का उपयोग पूर्णतः निषिद्ध रहेगाः–
(i) बस (ii) ट्रक (iii) मिनी बस और (iv) मेटाडोर एवं (v) पशुचालित किसी भी प्रकार का वाहन यथा तांगा, ऊँटगाडी, बैलगाड़ी आदि।

4. कतिपय प्रकार के वाहनों के उपयोग को नियंत्रित करना– उक्त वर्णित वाहनों से भिन्न अन्य किसी वाहन का उपयोग निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए किया जा सकेगा–

(1) नगर निगम पार्षद के चुनाव में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम तीन वाहनों का उपयोग किया जा सकेगा;

(2) नगर परिषद पार्षद के चुनाव में अधिकतम दो वाहनों का उपयोग किया जा सकेगा;

(3) नगरपालिका सदस्य के चुनाव में अधिकतम एक वाहन का उपयोग किया जा सकेगा;

(4) उप खण्ड (1), (2) एवं (3) के अंतर्गत वाहन का उपयोग करने से पूर्व अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा वाहन संख्या एवं उसका प्रकार तथा वाहन चालक के नाम व पते की लिखित सूचना संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को कम से कम 24 घंटे पूर्व देनी होगी। उक्त सूचना के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी द्वारा वाहन उपयोग की अनुमति निर्धारित प्ररूप 'ख' में जारी की जायेगी, जो अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किये जा रहे वाहन पर प्रदर्शित (display) की जायेगी।

(5) किसी भी निर्वाचन में उक्त उप खण्ड (1), (2) अथवा (3), जैसी भी स्थिति हो, में बताये गये तीन वाहनों से अधिक की रैली या काफिला नहीं निकाला जायेगा। मतदान समाप्ति के लिये निर्धारित समय के 48 घण्टे पूर्व की अवधि में ऐसी रैली या काफिला निकाला जाना पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।

(6) उप खण्ड (1), (2) एवं (3) के अन्तर्गत मतदान दिवस को वाहन के उपयोग के लिए लिखित अनुमति संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से लेनी होगी, जिसके लिए अनुमति रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी और यदि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 133 सपठित धारा 123(5) के उपबंधों का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी अनुमति रिटर्निंग अधिकारी द्वारा बिना किसी नोटिस के निरस्त कर दी जायेगी।

स्पष्टीकरणः– इस खण्ड के प्रयोजन के लिए वाहन से अभिप्रेत जीप, कार, तिपहिया टैम्पों, मोटरसाईकिल, स्कूटर है।

5. लाऊड स्पीकरों के उपयोग पर प्रतिबंधः– लाऊड स्पीकरों का उपयोग निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए किया जा सकेगा–

(1) अभ्यर्थी द्वारा चुनाव प्रचार के लिए स्थापित चुनाव कार्यालय पर लाऊड स्पीकरों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा;

(2) मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से पूर्व की 48 घंटे की अवधि में एवं हॉस्पिटल, स्कूल एवं धार्मिक स्थल के 100 मीटर की परिधि में लाऊड स्पीकरों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा;

(3) प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक क्षेत्राधिकार रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट या अन्य सक्षम अधिकारी की प्ररूप 'ग' में लिखित अनुमति के उपरान्त ही उपयोग किया जा सकेगा;

(4) ऐसी अनुमति प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता यदि कोई हो, को लिखित रूप में अवगत कराना होगा कि वह किस प्रकार और किसी स्थान पर उसका उपयोग करेगा।

6. कट–आऊटों, होर्डिंग्स, पोस्टर एवं बैनरों के प्रदर्शन का निषेध :– (1) निर्वाचन में सार्वजनिक या निजी स्थान पर किसी अभ्यर्थी या राजनैतिक दल के नेता की तस्वीर अथवा चुनाव चिन्ह अथवा नारे दर्शाते हुये कट आऊट, होर्डिंग्स, पोस्टर या बैनर आदि निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन प्रदर्शित किये जा सकेगें–

(i) **पोस्टरों का मुद्रण कराते समय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127–क के उपबंधों और उसके आदेशों की पालना करनी होगी;**

(ii) **कट–आऊटों, होर्डिंग्स, पोस्टरों एवं बैनरों के प्रदर्शन में नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अध्याय 12क "सम्पत्ति के विरूपण का निवारण" के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए यदि वे सार्वजनिक स्थल पर लगाये जाते है तो संबंधित स्थानीय प्राधिकारी या इस निमित्त विधि द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति लेनी होगी;**

(iii) **नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अध्याय 12क "सम्पत्ति के विरूपण का निवारण" के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए किसी निजी संपत्ति पर केवल ऐसी प्रचार सामग्री जो आसानी से हटायी जा सके, यथा झण्डियां, बैनर, आदि लगायी जा सकेगी लेकिन ऐसी प्रचार सामग्री लगाने से पूर्व संबंधित संपत्ति के स्वामी से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी;**

(iv) **किसी भी मतदान बूथ के भवन के 200 मीटर परिधि क्षेत्र में ऐसे पोस्टर या बैनर या प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जायेगी;**

परन्तु मतदान के दिन अभ्यर्थियों द्वारा लगाये जाने वाले निर्वाचन बूथों पर एक बैनर लगाया जा सकता है जिसका आकार 2x5 फीट से अधिक नहीं होगा लेकिन इस बैनर पर किसी राजनैतिक दल के नेता या अभ्यर्थी का चित्र/फोटो या चुनाव चिन्ह या नारा प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

(v) **आमसभा/जुलूस/रैली आदि के लिए अधिकारिता रखने वाले कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक होगी।**

स्पष्टीकरणः– स्थान में गृह, भवन, तम्बू और वाहन शामिल हैं।

7. अधिकतम चुनाव खर्च सीमा एवं इस आदेश के उल्लंघन :– (1) निर्वाचन हेतु धारा 23 के अन्तर्गत ऊपर उल्लेखित मदों के लिए किए जाने वाले खर्च की अधिकतम सीमा नीचे दी गई तालिका में अंकितानुसार होगी;

क्रम संख्या	पद का नाम	अधिकतम खर्च सीमा
1.	नगर निगम पार्षद (corporator)	रूपये 3,50,000/–
2.	नगर परिषद पार्षद (councillor)	रूपये 2,00,000/–
3.	नगरपालिका सदस्य (member)	रूपये 1,50,000/–

(2) चुनाव खर्च का लेखा संलग्न प्ररूप 'क' में परिणामों की घोषणा के 15 दिवस के अन्दर संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) (कलक्टर) या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी/ प्राधिकृत अधिकारी प्राप्त लेखा को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर तीन दिन तक प्रदर्शित करेगा। इसके आगामी सात दिवस में कोई भी व्यक्ति उक्त प्रारूप में दर्शित खर्चे के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत कर सकेगा।

(3) उक्त आदेश द्वारा अधिरोपित प्रतिबंध के उल्लघंन की शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष की जा सकेगी। ऐसा अधिकारी या तो स्वयं जांच कर सकेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारी, जो तहसीलदार स्तर से निम्न श्रेणी का नहीं होगा, से जांच करा सकेगा। शिकायत में अंकित तथ्यों के साबित पाए जाने पर समुचित कार्यवाही के लिए प्रकरण क्षेत्राधिकार रखने वाले उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा।

(8) प्रतिबंधों के उल्लंघन पर न्यायालय में शिकायत प्रस्तुत करनाः— (1) क्षेत्राधिकार रखने वाला उपखण्ड अधिकारी आयोग के निर्देशों के उल्लघंन के संबंध में जांच रिपोर्ट पर अपना समाधान करेगा। निर्वाचन में किसी अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उल्लंघन किया जाना प्रकट होने पर संबंधित उपखण्ड अधिकारी क्षेत्राधिकार रखने वाले सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करेगा तथा ऐसे परिवाद एवं की गयी जांच की सूचना राज्य निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) को भी तीन दिन के भीतर भेजेगा।

(2) न्यायालय द्वारा उप पैरा (1) में प्रस्तुत प्रकरण के निस्तारण पर निर्णय की प्रति 15 दिन के भीतर संबंधित उपखंड अधिकारी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग तथा जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) को भेजी जायेगी।

राज्य निर्वाचन आयोग सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों को एतद्द्वारा यह सूचित करता है कि उपर्युक्त विषय पर वैधानिक प्रावधानों एवं आयोग के निर्देशों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जायेगा और दोषियों के विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

ह0

(राजेश वर्मा)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

एवं सचिव

प्ररूप–क

अभ्यर्थी द्वारा किए गए चुनाव खर्च का विवरण

नगरपालिका .... के सदस्य लिए निर्वाचन

1. वार्ड संख्या
2. अभ्यर्थी का नाम
3. अभ्यर्थी के पिता का नाम
4. अभ्यर्थी का पता

क्रम संख्या	खर्च की प्रकृति एवं अन्य विवरण			खर्च की गई राशि (रूपयों में)
1.	वाहन (नाम एवं रजिस्ट्रेशन नम्बर सहित) (i) (ii) (iii)	अवधि दिवस में	दर	POL सहित
2.	लाउडस्पीकर, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर। (फर्म का नाम एवं पता)	अवधि दिवस में	दर	
3.	पोस्टर, बैनर, हैण्डविल पम्फलेट, कट–आउट, होर्डिंग्स (मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम एवं पता)			
4.	अन्य व्यय (पूर्ण विवरण सहित)			
कुल राशि				

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

मैं सत्य निष्ठा से प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण मेरी निजी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य है और कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

<u>प्ररूप–ख</u>

रिटर्निंग अधिकारी नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगम ....
<u>नगरपालिका चुनाव हेतु वाहन के उपयोग की अनुमति</u>

श्री/श्रीमती .... जो नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगम .... के वार्ड संख्या ....के लिए स्वतंत्र/..पार्टी के अभ्यर्थी है, को उनके आवेदन पर निम्न वाहन/वाहनों के चुनाव प्रचार में उपयोग की अनुमति नीचे दी गई शर्तों पर दी जाती है–

वाहन का विवरण

क्रम संख्या	वाहन की श्रेणी (LMV/Three wheeler/two wheeler)	रजिस्ट्रेशन नं. एवं चेसिस नं.	वाहन का प्रकार (e.g. Innova, Dzire, Bolero etc)	तारीख जिनके लिए अनुमति प्रदान की गई।	वाहन पर लाउडस्पीकर की अनुमति प्राप्त है अथवा नहीं
1					
2					
3					

1. **आदर्श आचार संहिता का पालन किया जावे।**
2. **यातायात नियमों/सडक सुरक्षा नियमों/मोटर वाहन अधिनियम एवं अन्य तत्समय प्रभावी अधिनियम/नियम/दिशानिर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।**
3. **नगरपालिका निर्वाचन नियम एवं राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशों की अक्षरशः पालना की जायेगी।**
4. **वाहन में तय क्षमता से अधिक व्यक्तियों को नहीं बिठाया जावे।**
5. **मूल स्वीकृति एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज वाहन के साथ रखे जावें।**
6. **वाहन में निर्धारित डेसीबल से अधिक ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग नहीं किया जावे।**
7. **वाहन की अनुमति का प्रयोग अभ्यर्थी या उसके अभिकर्त्ता द्वारा ही किया जा सकेगा।**
8. **तीन से अधिक वाहनों का काफिला नहीं चलेगा।**

रिटर्निंग अधिकारी
नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगम

प्ररूप–ग

रिटर्निंग अधिकारी नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगम ....
नगरपालिका चुनाव हेतु लाउडस्पीकर/माईक के उपयोग की अनुमति

श्री/श्रीमती .... जो नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगम .... के वार्ड संख्या ....के लिए स्वतंत्र/...पार्टी के अभ्यर्थी है को उनके आवेदन पर **लाउडस्पीकर/माईक/ध्वनि विस्तारक यंत्र** के चुनाव प्रचार में उपयोग की अनुमति निम्न स्थान/स्थानों या वाहन/वाहनों के लिए नीचे दी गई शर्तो पर दी जाती है–

(अ) वाहन का विवरण

क्रम संख्या	वाहन की श्रेणी (LMV/Three wheeler/two wheeler)	रजिस्ट्रेशन नं. एवं चेसिस नं.	वाहन का प्रकार (e.g. Innova, Dzire, Bolero etc)	तारीख जिनके लिए अनुमति प्रदान की गई।
1				
2				

(ब) सभा स्थल का विवरण

क्रम संख्या	स्थान के स्वामी का नाम	स्थान का पता	तारीख एवं समय अवधि जिनके लिए अनुमति प्रदान की गई
1			
2			

(अ) एवं (ब) में से जो लागू नहीं हो उसे काट दिया जाये।

1. **आदर्श आचार संहिता एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 यदि लागू हो, की पालना की जावे।**
2. **यातायात नियमों/सडक सुरक्षा नियमों/मोटर वाहन अधिनियम एवं अन्य तत्समय प्रभावी अधिनियम/नियम/दिशानिर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।**
3. **नगरपालिका निर्वाचन नियम एवं राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अक्षरशः पालना की जायेगी।**
4. **मूल स्वीकृति एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज स्थान/भवन पर रखे जावें।**
5. **निर्धारित डेसीवल से अधिक ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग नहीं किया जावे। अनुमति का प्रयोग अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा ही किया जा सकेगा।**
6. **किसी की धार्मिक भावना का ठेस पहुचाने आशय से वक्तव्य नहीं दिये जावें।**
7. **लाउडस्पीकर/माईक/ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग अस्पताल, नर्सिंग होम, विद्यालय, पुस्तकालय एवं छात्रावास से 100 मीटर की परिधि में नहीं किया जाये।**
8. **लाउडस्पीकर/माईक/ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग स्वीकृत अवधि तक ही किया जायेगा तथा लाउडस्पीकर/माईक/ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बॉक्सनुमा स्पीकर द्वारा धीमी आवाज में किया जावे।**
9. **रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउडस्पीकर/माईक/ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।**

रिटर्निंग अधिकारी
नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगम

(15)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ.7(1)(3)पंचा / रानिआ / 2014–15 / 1783 जयपुर, दिनांकः 01.05.2018

आदेश

विषय : पैम्फलेटों, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण पर नियंत्रण।

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 28 एवं राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 22 के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127–क के प्रावधान नगर पालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों में भी लागू माने गये हैं।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127–क के प्रावधान निम्न प्रकार हैं :–

''127 क. पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदि के मुद्रण पर निर्बन्धन :–

(1) कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते न हों, मुद्रित या प्रकाशित न करेगा और न मुद्रित या प्रकाशित कराएगा।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को :–

(क) उस दशा में के सिवाय न तो मुद्रित करेगा, और न मुद्रित करायेगा। जिसमें वह उसके प्रकाशक की अनन्यता के बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा जो उसे स्वयं जानते हैं अनुप्रमाणित द्विप्रतीक घोषणा मुद्रक को परिदत कर देता है; तथा

(ख) उस दशा में के सिवाय न तो मुद्रित करेगा, और न मुद्रित कराएगा, जिसमें कि मुद्रक घोषणा की एक प्रति दस्तावेज की एक प्रति के सहित –

(i) उस दशा में जिसमें कि वह राज्य की राजधानी में मुद्रित की जाती है, मुख्य निर्वाचन ऑफिसर को, तथा

(ii) किसी अन्य दशा में उस जिले के, जिसमें कि वह मुद्रित की जाती हैं, जिला मजिस्ट्रेट को दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात् युक्तियुक्त समय के भीतर भेज देता है।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए –

(क) दस्तावेज की अनेकानेक प्रतियां बनाने की किसी ऐसी प्रक्रिया की बाबत जो हाथ से नकल करके ऐसी प्रतियां बनाने से भिन्न है, यह समझा जायेगा कि वह मुद्रण है, और ''मुद्रक'' पद का अर्थ तदनुसार लगाया जायेगा; तथा

(ख) ''निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर'' से किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन को सम्प्रवर्तित या प्रतिकूलतः प्रभावित करने के प्रयोजन के लिये वितरित कोई मुद्रित पुस्तिका, पर्चा या अन्य दस्तावेज जो निर्वाचन के प्रति निर्देश करने वाला कोई प्लेकार्ड या पोस्टर अभिप्रेत है, किन्तु किसी निर्वाचन सभा की तारीख, समय, स्थान और अन्य विशिष्टिओं को केवल आख्यापित करने वाला या निर्वाचन अभिकर्ताओं या कार्यकर्ताओं को चर्या संबंधी अनुदेश देने वाला कोई पर्चा, प्लेकार्ड या पोस्टर इसके अन्तर्गत नहीं आता।

(4) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा।''

निर्वाचनों के समय यह पाया जाता है कि बड़ी संख्या में ऐसे दस्तावेजों को मुद्रित, प्रकाशित, परिचालित किया जाता है, जिनके संबंध में ऊपर उल्लिखित विधि की अपेक्षाओं का अनुसरण नहीं किया जाता है। मुद्रणालयों द्वारा संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को धारा 127–क की अपेक्षानुसार प्रकाशक से प्राप्त घोषणा पत्र के साथ मुद्रित दस्तावेजों को यदा–कदा ही भेजा जाता है। निर्वाचन पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदि के मुख पृष्ठ पर धारा 127–क (1) के उपबंध के अनुसार उसके मुद्रक (Printer) और या प्रकाशक (Publisher) के नाम और पते प्रायः मुद्रित नहीं किये जाते।

उक्त धारा–127–क के अन्तर्गत निर्वाचन पुस्तिकाओं, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण पर नियंत्रण इस दृष्टि से आरोपित किए गए हैं कि ऐसे दस्तावेजों के प्रकाशकों (Publishers) और मुद्रकों (Printers) की पहचान स्थापित हो सके, जिससे कि यदि ऐसे दस्तावेज में कोई ऐसी विषय वस्तु हो जो विधि विरूद्ध (अवैध) हो, क्षतिकारक या आपत्तिजनक हो (यथा धर्म, प्रजाति, जाति समुदाय या भाषा के आधार पर अपील, या किसी विपक्षी इत्यादि के चरित्र हनन की सामग्री) तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक दण्डात्मक या निरोधक कार्यवाही की जा सके।

अतः ऊपर उल्लिखित विषय और कानून के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन और अनुसरण किये जाने के आशय से राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद–243–K एवं 243–ZA के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों हेतु जारी आदेश क्रमांक प.7(1)(28)पं.चु./रानिआ/99/4364 दिनांक 22.12.2000 को अधिक्रमित करते हुए नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों में पैम्फलेटों, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण पर नियंत्रण के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी करता हैः–

(i) जैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरपालिकाओं के साधारण या किसी उप निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित किया जायेगा, वैसे ही संबंधित जिला मजिस्ट्रेट निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा किये जाने के तीन दिन के भीतर अपने जिले के सभी मुद्रणालयों को–

(क) उक्त धारा 127–क की अपेक्षाओं को इंगित करते हुए और विशेष रूप से यह निर्देश देते हुए लिखेगा कि उनके द्वारा मुद्रित किसी निर्वाचन पुस्तिकाओं, पोस्टरों या ऐसी अन्य सामग्री पर मुद्रकीय हाशिये में स्पष्ट रूप से उसके मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम एवं पता अंकित किया जाए,

(ख) उक्त धारा 127–क की उप धारा (2) के अधीन अपेक्षित प्रकाशक से प्राप्त किये गये घोषणा–पत्र और मुद्रित सामग्री की प्रतियां (प्रत्येक ऐसी मुद्रित सामग्री की तीन अतिरिक्त प्रतियों के साथ) मुद्रित किये जाने के तीन दिन के भीतर भेजने के लिए मुद्रकों (Printers) को लिखेगा,

(ग) यह लिखेगा कि धारा 127–क के प्रावधानों और राज्य निर्वाचन आयोग के इन निर्देशों का किसी प्रकार से उल्लंघन/अतिक्रमण को गम्भीरता पूर्वक लिया जाएगा और उपर्युक्त मामलों में राज्य के सुसंगत नियमों के अधीन मुद्रणालयों के अनुज्ञा पत्रों को समाप्त किये जाने सहित अन्य कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

(ii) जिला मजिस्ट्रेट जयपुर, जयपुर शहर में स्थित मुद्रणालयों के संबंध में भी समान रूप से कार्यवाही करेगा।

(iii) निर्वाचन पुस्तिकाओं, पोस्टरों, आदि के मुद्रण के कार्य को लेने से पूर्व प्रत्येक मुद्रक धारा 127–क की उपधारा (2) की शर्तों के अनुसार आयोग द्वारा विहित ''परिशिष्ट–क'' (प्रति संलग्न) में प्रकाशक (Publisher) से हस्ताक्षरित घोषणा–पत्र प्राप्त कर लेगा। यह घोषणा पत्र दो व्यक्तियों द्वारा सत्यापित भी किया जायेगा जो प्रकाशक (Publisher) को व्यक्तिगत रूप से जानते हों। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (राज्य निर्वाचन आयोग) या जिला मजिस्ट्रेट (जैसी भी स्थिति हो) को उसे प्रेषित करते समय, मुद्रक (Printer) द्वारा भी उसे प्रमाणित किया जाएगा।

(iv) जैसा ऊपर निर्देश दिया गया है, मुद्रक (Printer) द्वारा प्रकाशक (Publisher) के घोषणा–पत्र के साथ मुद्रित सामग्री की चार (4) प्रतियां उसके मुद्रित किये जाने के तीन दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। ऐसी मुद्रित सामग्री और घोषणा–पत्र के साथ आयोग द्वारा विहित ''परिशिष्ट–ख'' (प्रति संलग्न) में मुद्रित दस्तावेजों की प्रतियों की संख्या और ऐसे कार्य के लिये ली गयी

कीमत से संबंधित सूचना भी मुद्रक (Printer) द्वारा प्रस्तुत की जायेगी। मुद्रक (Printer) द्वारा प्रत्येक निर्वाचन पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदि के संबंध में ऐसी सूचना प्रत्येक ऐसे दस्तावेज के मुद्रण के तीन के भीतर सामूहिक रूप से नहीं अपितु अलग–अलग प्रस्तुत की जायेगी।

(v) किसी मुद्रणालय से पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदि के प्राप्त होने के तत्काल पश्चात् जिला मजिस्ट्रेट इस बात की जांच करेगा कि प्रकाशकों (Publishers) और मुद्रकों (Printers) ने कानून की और ऊपर दिये गये आयोग के निर्देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है या नहीं। इसके अतिरिक्त कार्यालय में किसी सहजदृश्य स्थान/नोटिस बोर्ड पर उसकी एक प्रति प्रदर्शित करवाएगा, जिससे कि सभी राजनीतिक दल, प्रत्याशी और दिलचस्पी रखने वाले अन्य व्यक्ति इस बात की जांच कर सकें कि ऐसे दस्तावेजों से संबंधित कानून की अपेक्षाओं का सम्यक अनुपालन हुआ है या नहीं और इस प्रकार से वे ऐसे अन्य निर्वाचन पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदि के मामलों की जिनके संबंध में ऊपर दिये गये कानून की अपेक्षाओं का उल्लंघन हुआ हैं, संबंधित प्राधिकारियों के संज्ञान में ला सकने में सक्षम होंगे।

(vi) जिला मजिस्ट्रेट जयपुर द्वारा जयपुर शहर के मुद्रणालयों से प्राप्त पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदिकी 4 प्रतियों मे से दो प्रतियां राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय को भेजी जायेगी।

(vii) धारा 127–क के प्रावधानों के और आयोग के उक्त निर्देशों के अतिक्रमण/उल्लंघन में प्रकाशित किन्हीं पैम्फलेटों, पोस्टर आदि का मामला यदि जिला मजिस्ट्रेट के संज्ञान में आता है या लाया जाता है तो सम्यक जांच उपरान्त दोषी व्यक्तियों के विरूद्व सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर कार्यवाही की जावें।

राज्य निर्वाचन आयोग सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों को एतद्द्वारा यह सूचित करता है कि उपर्युक्त विषय पर कानून एवं आयोग के निर्देशों के उल्लंघन को गम्भीरता से लिया जायेगा और दोषियों के विरुद्व विधि अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

आज्ञा से
ह0
(चन्द्रशेखर मूथा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

परिशिष्ट–क

निर्वाचन पोस्टर, पर्चे इत्यादि छापने हेतु प्रकाशक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा का प्रारूप

(राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 22 एवं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 28 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127–क देखे)

मैं...(नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी/ श्री..(नाम) निवासी ....(पूर्ण पता) एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं.. ....(नाम) ....(निर्वाचन पोस्टरों, पर्चो–आदि मुद्रित सामग्री का विवरण) का प्रकाशक हूं जो .... (छापेखाने का नाम) द्वारा छापे जा रहे हैं।

स्थान ....

दिनांक..

पूरा पता..

....

प्रकाशक के हस्ताक्षर

अनुप्रमाणित

(ऐसा व्यक्ति जिसे प्रकाशक व्यक्तिगत रूप से जानता हो)

1. हस्ताक्षर
(नाम तथा पता)

2. हस्ताक्षर
(नाम तथा पता)

परिशिष्ट–ख

मुद्रक द्वारा निर्वाचन पोस्टर, पर्चे इत्यादि छापने हेतु प्रस्तुत की जाने वाली सूचना का प्रारूप

1. मुद्रक का नाम व पता ....
2. प्रकाशक का नाम व पता ....
3. प्रकाशक के मुद्रण आदेश की तिथि ....
4. प्रकाशन की घोषणा की तिथि ....
5. निर्वाचन पोस्टर पर्चे इत्यादि के बारे में संक्षिप्त विवरण ....
6. उपर वर्णित दस्तावेज की मुद्रित प्रतियों की संख्या ....
7. मुद्रण की तिथि ....
8. उपर वर्णित दस्तावेजों के संबंध में प्रकाशक से वसूल किया गया मुद्रण प्रभार (कागज की कीमत सहित) ....

स्थान :

तिथि :

मुद्रक के हस्ताक्षर मय सील

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in , FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः–एफ.1(2)(1) नपा–पंचा / सा.आ. / रानिआ / 14 / 1016 दिनांक : 27.01.2026

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(नगरपालिका) (कलक्टर) राजस्थान।

विषयः– नगरीय निकायों के निर्वाचनों में अभ्यर्थियों द्वारा मतदान दिवस को मतदान बूथ स्थापित करने के संबंध में।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा / सां.आ. / रानिआ / 14 / 5041 दिनांक 23.12.2025 की पैरा 6 के खण्ड–4 में यह उपबन्धित किया गया है कि किसी भी मतदान बूथ के 200 मीटर परिधी क्षेत्र में किसी भी निर्वाचन में सार्वजनिक या निजी स्थान पर किसी अभ्यर्थी या राजनैतिक दल के नेता की तस्वीर अथवा चुनाव चिन्ह अथवा नारे दर्शाते हुये कट आऊट, होर्डिंग्स, पोस्टर या बैनर या प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जायेगी तथा उक्त पैरा के परन्तुक में यह उपबन्धित है कि मतदान के दिन अभ्यर्थियों द्वारा लगाये जाने वाले निर्वाचन बूथों पर एक बैनर लगाया जा सकता है, जिसका आकार 2 X 5 फिट से अधिक नहीं होगा, लेकिन इस बैनर पर किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी का चित्र / फोटो या चुनाव चिन्ह या नारा प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

उक्त अधिसूचना दिनांक 23.12.2025 के पैरा 6 खण्ड (iv) के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नवीन दिशा–निर्देशों की समरूपता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त खण्ड में वर्णित निर्देशों के स्थान पर निर्देशित किया जाता है कि–

''मतदान दिवस को मतदान केन्द्र के भवन के 100 मीटर की परिधी में किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार–प्रसार नहीं किया जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि अभ्यर्थियों के निर्वाचन बूथ सादे हो। उन पर किसी भी प्रकार के पोस्टर, झण्डे, प्रतीक चिन्ह या प्रचार सामग्री प्रदर्शित ना की जाए। निर्वाचन बूथो में खाने – पीने की कोई वस्तु ना परोसी जाए और ना ही उनमें भीड़ एकत्रित हो।''

साथ ही मतदान केंद्र के भीतर या उसके आस–पास प्रचार पर प्रतिबंध के संबंध में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 130 के अंतर्गत प्रावधान वर्णित है, जो निम्नानुसार हैः

(1) कोई भी व्यक्ति, जिस दिन या जिन दिनों किसी मतदान केंद्र पर मतदान लिया जा रहा हो, उस मतदान केंद्र के भीतर या उससे 100 मीटर की दूरी के भीतर किसी सार्वजनिक या निजी स्थान पर निम्नलिखित में से कोई भी कार्य नहीं करेगा, यथा
  (क) मतों के लिए प्रचार करना; या
  (ख) किसी मतदाता से उसका मत माँगना; या
  (ग) किसी मतदाता को किसी विशेष अभ्यर्थी को मत न देने के लिए प्रेरित करना; या
  (घ) किसी मतदाता को चुनाव में मतदान न करने के लिए प्रेरित करना; या
  (ङ) चुनाव से संबंधित कोई सूचना या संकेत (आधिकारिक सूचना के अतिरिक्त) प्रदर्शित करना।

(2) उक्त अधिनियम की धारा 130 की उपधारा (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति अधिकतम ढाई सौ रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय होगा।

(3) इस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा।

अभ्यर्थियों द्वारा स्थापित किये जाने वाले निर्वाचन बूथों हेतु निम्नांकित प्रतिबन्ध लागू रहेंगे :–

(1) कोई भी अभ्यर्थी मतदान के दिन मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार से 100 की दूरी के भीतर अपना निर्वाचन बूथ स्थापित नहीं करेगा। यहां तक कि जहां एक ही परिसर / स्थान पर एक से अधिक मतदान केन्द्र स्थापित किए गए हो, वहां भी किसी अभ्यर्थी का निर्वाचन बूथ किसी भी मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वारा से 100 मीटर की दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जाएगा।

(2) किसी भी अभ्यर्थी द्वारा धार्मिक स्थल अथवा धार्मिक स्थलों के परिसर में निर्वाचन बूथ स्थापित नहीं किए जाए।

(3) इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि किसी भी अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक संस्थान और अस्पताल के निकट निर्वाचन बूथ स्थापित नहीं किए जाए।

(4) अभ्यर्थी के द्वारा अधिकतम एक मेज एवं दो कुर्सियाँ लगाई जा सकेंगी और ऐसे बूथ पर छाया के लिए 'छाता' अथवा मौसम की परिस्थिति के अनुरूप छोटा टेन्ट जिसका आकार '10X10' फीट से अधिक नहीं हो, लगाया जा सकता है, लेकिन साईडों में 'कनात' या 'टेन्ट' लगाने की अनुमति नहीं होगी।

(5) अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग अधिकारी/संबंधित अधिकारियों से निर्वाचन बूथ स्थापित करने के लिए लिखित रूप में बूथों के नाम और क्रमांक सूचित करते हुए अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक है।

(6) ऐसे निर्वाचन बूथ का उपयोग अभ्यर्थी द्वारा केवल मतदाता पहचान पर्ची का वितरण करने के लिए ही किया जायेगा। मतदाता पहचान पर्चियों पर किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी का नाम या चुनाव चिन्ह अंकित नहीं होगा। मतदाता पहचान पर्चियों पर मतदाता का नाम, मतदाता सूची का क्रमांक, वार्ड सं. एवं मतदान केन्द्र का नाम ही अंकित हो सकेगा। अन्य किसी भी प्रकार का लेख उस पर अंकित नहीं होगा।

(7) ऐसे निर्वाचन बूथों पर भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी जायेगी और ऐसे किसी व्यक्ति को वहाँ खड़ा होने की अनुमति नहीं दी जायेगी जिसने कि अपना मत दे दिया हो।

(8) ऐसे निर्वाचन बूथों पर किसी मतदाता को अपनी इच्छा से मत देने से रोकने के लिये उपयोग में नहीं लिया जायेगा और ना ही अन्य अभ्यर्थियों के बूथों से आने वाले मतदाताओं के आने जाने में बाधा पहुँचायी जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों की पालना नहीं करने पर अभ्यर्थी के निर्वाचन बूथ को हटाया जायेगा एवं आयोग की उपरोक्त अधिसूचना के प्रावधानों सहित अन्य सुसंगत कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी। **शेष आदेश यथावत प्रभावी रहेगा।**

भवदीय

ह0
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

(17)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः– प.1(5)(70)/संस्था/रानिआ/2019/3350 दिनांकः–12.09.2019

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) राजस्थान।

विषयः–राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक– शिष्टाचार एवं सुविधाओं के संबंध में।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भारत संविधान के अनुच्छेद 243के और 243जेडए के तहत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत राज्य में स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनावों के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाती है ताकि स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किए जा सके तथा सुचारू, कुशल और प्रभावी तरीके से चुनावों के संचालन का प्रबंधन हो सके। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन की संवैधानिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में राज्य निर्वाचन आयोग की सहायतार्थ पर्यवेक्षकों को लगाया और नियुक्त किया जाता है। पर्यवेक्षक राज्य निर्वाचन आयोग की आंख और कान हैं। वे विश्वसनीय और स्वतंत्र स्त्रोत के रूप में फील्ड की सूचनाओं से राज्य निर्वाचन आयोग को अवगत कराते हैं और उनकी वरिष्ठता एवं लम्बे प्रशासनिक अनुभव का उपयोग स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव प्राधिकारियों के कार्य का उचित पर्यवेक्षण में किया जाता है।

इसलिए, जिला प्रशासन और चुनावी गतिविधियों से संबंधित सभी कार्मिकों को उनसे आदरपूर्ण व्यवहार एवं शिष्टाचार से पेश आने हेतु निर्देशित किया जाता है।

पर्यवक्षकों के लिए निम्नानुसार सुविधा/व्यवस्था उपलब्ध करावें :–

1. उनके कार्यक्रम के अनुसार उनकी अगवानी और प्रस्थान व्यवस्था का ध्यान रखें।
2. जैसा कि सभी पर्यवेक्षक राज्य कैडर (IAS एवं RAS) से होंगे, इसलिएवे अपने राजकीय वाहनों का उपयोग कर सकेंगे। फिर भी आवश्यकतानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षक को विश्वसनीय और भरोसेमन्द परिवहन दिया जाना चाहिए, जिससे उन्हें नगरपालिका/पंचायतीराज संस्थाओं में जहॉ भी आवश्यक हो, पहुंचने में सुविधा रहे।
3. पर्यवेक्षक के सर्किट हाऊस में ठहरने की व्यवस्था, स्थानीय परिवहन और सुरक्षा की व्यवस्था जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी। इन व्यवस्थाओं में पीएसओ, वाहन चालक, सचिवीय सहायता, संपर्क अधिकारी (liasion officer) आदि शामिल होंगे। बोर्डिंग और लॉजिंग का खर्च संबंधित पर्यवेक्षक द्वारा अपने दैनिक भत्ते से वहन किया जाएगा। टीए/डीए का भुगतान पर्यवेक्षक द्वारा उनके विभाग/कार्यालय से लिया जाएगा।
4. पर्यवेक्षक के आगमन से लेकर उनके मूल स्थान तक लौटने, विशेषकर उन्हें आवंटित स्थानीय निकाय/पंचायती राज संस्थाओं में उनके ठहरने और भ्रमण के दौरान उनकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जाये।
5. सूचना की उपलब्धता– जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक पर्यवेक्षक को एक फोल्डर में निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करायेंगे–
   (i) नगरपालिका/पंचायत समिति का नक्शा।
   (ii) क्रिटीकल मतदान केन्द्र एवं व्लनरेबल (vulnerable) क्षेत्र के साथ–साथ मतदान केन्द्रों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची।
   (iii) प्रत्येक नगरपालिका/पंचायती राज वार्डवार संस्थाओं के मतदाताओं की संख्या।

(iv) मतदान केन्द्रों, पुलिस स्टेशनों, सिविल और पुलिस अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं चुनाव से जुड़े अन्य अधिकारियों की सूची मय टेलीफोन व मोबाईल नं.।

(v) जिले की चुनाव योजना से संबंधित एक बुकलेट एवं अन्य ऐसे दस्तावेज जो आवश्यक हो।

(vi) मतगणना केन्द्र एवं मतगणना से संबंधित समस्त आवश्यक सूचनाऐं।

6. पर्यवेक्षकों को गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान नहीं किया जायेगा।
7. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षकों को सर्किट हाऊस या इनके ठहरने के किसी अन्य स्थान पर टेलीफोन की सुविधा प्रदान की जायेगी। जहॉ एक ही परिसर में एक से अधिक पर्यवेक्षक ठहरे हुए हों वहॉ केवल एक फैक्स मशीन व एसटीडी सुविधा वाली टेलीफोन लाईन पर्याप्त होगी।
8. मतगणना केन्द्रों में पर्यवेक्षकों को मतगणना केन्द्र में एक एसटीडी टेलीफोन व फैक्स की सुविधा के साथ एक अलग टेबल उपलब्ध करायी जायेगी। एसटीडी टेलीफोन व फैक्स का उपयोग पर्यवेक्षक एवं रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।
9. जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षकों के ठहरने के स्थान और टेलीफोन नंबर, उनकी व यात्रा की तारीख का विधिवत प्रचार किया जाना चाहिए, ताकि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, उम्मीदवार आदि उनसे चुनाव संबंधी शिकायतों या सूचनाओं के साथ मिल सके।
10. जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षकों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक स्टेशनरी उपलब्ध करायी जायेगी।

— ह0 —
(शुचि त्यागी)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

(18)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक : प 1(4)(1) नपा/रानिआ/14/187 दिनांक : 06.01.2026

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(नगरपालिका) (कलक्टर), राजस्थान।

विषयः—नगरीय निकायों के निर्वाचनों में वीडियोग्राफी करवाने के सबंध में।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ZA के अनुसार नगरीय निकायों के निर्वाचन के संचालन के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियत्रंण की सभी शक्तियां आयोग में निहित है। अतः स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना राज्य निर्वाचन आयोग का संवैधानिक दायित्व है।

नगरीय निकायों के निर्वाचन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्‌देश्य से समय—समय पर जारी किए गए विभिन्न निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने एवं निर्वाचन से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण घटनाओं की व्यापक, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सारगर्भित जानकारी संकलित करने के लिए वीडियोग्राफी कराई जानी आवश्यक है ताकि निर्वाचनों को अधिक पारदर्शी बनाया जा सके। रिटर्निंग अधिकारी (नगरीय निकाय) अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के निर्देशन में निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान वीडियोग्राफी कराई जाएगी। अतः नगरीय निकायों के निर्वाचनों में वीडियोग्राफी करवाने के सम्बंध में आयोग द्वारा जारी पत्रांक 2834 दिनांक 09.08.2019 को अधिक्रमित करते हुए नगरीय निकायों के निर्वाचन हेतु वीडियोग्राफी के संबंध में निम्नानुसार आदेश जारी किया जाता है :—

A — ऐसी गतिविधियां जिनकी वीडियोग्राफी आवश्यक रूप से कराई जानी हैंः—

1. ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच।
2. मतदान के लिए ईवीएम तैयार करने एवं सुरक्षित अभिरक्षा में रखने संबंधी प्रक्रिया।
3. ऐसे मतदान बूथ जिनका गत चुनावों में बूथ कैपचरिंग/झगडा/दंगा आदि का पूर्व इतिहास रहा हो एवं जिन्हें वल्नरेबल (Vulnerable) एवं क्रिटीकल (Critical) बूथ घोषित किया गया हो।
4. मतदान के दौरान चुनाव संबंधित हिंसा/उपद्रव/पत्थरबाजी/आगजनी आदि की घटनाएं।
5. उम्मीदवारों द्वारा मतदाताओं को डराने/धमकाने/लुभाने संबंधी गतिविधियां।
6. पर्यवेक्षक द्वारा निर्देशित कोई गतिविधि।
7. अध्यक्ष/सदस्य के लिए सम्पूर्ण मतगणना प्रक्रिया।
8. यदि किसी भी पद का परिणाम अभिनिश्चित करने के लिए लॉट प्रक्रिया अपनाई जाती हैं, तो सम्पूर्ण लॉट प्रक्रिया।
9. मल्टी पोस्ट सिंगल वोट मशीनों के एसडीएमएम एवं मल्टी पोस्ट मल्टी वोट मशीनों के डीएमएम को सील एवं संग्रहण करने संबंधी प्रक्रिया।
10. ऐसे अन्य गतिविधियां जो राजनैतिक दलो अथवा चुनाव लडने वाले उम्मीदवारों द्वारा चुनाव खर्च को प्रदर्शित करतीं हो। जैसे बडे—बडे कट—आउट/होर्डिंग, बैनर इत्यादि।

B — ऐसी गतिविधियां जिनकी वीडियोग्राफी जिला निर्वाचन अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी अपने स्वविवेक के आधार पर कराने का निर्णय ले सकते हैंः—

निर्वाचन के दौरान स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए चुनाव से संबंधित निम्नलिखित गतिविधियां ऐसी हो सकती हैं जिनकी वीडियोग्राफी कराने का निर्णय संबंधित अधिकारियों द्वारा तत्समय ही लिया जा सकता है :—

1. चुनाव प्रचार हेतु की जाने वाली ऐसी सभाएं जिन्हें किसी राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय जनप्रतिनिधियों द्वारा संबोधित किया जा रहा हो एवं उनमें आचार संहिता अथवा निर्वाचन विधि के उल्ल्घंन की शिकायत हो।
2. राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लडने वाले उम्मीदवारों द्वारा मतदान केन्द्र के सौ मीटर के अन्दर मत याचना संबंधी गतिविधियां।
3. ऐसी अन्य कोई गतिविधियां जिनमें आचार संहिता अथवा निर्वाचन विधि का उल्लंघन हो रहा हो।
4. उक्त के अतिरिक्त ऐसी अन्य गतिविधियां जिनकी वीडियोग्राफी कराना जिला निर्वाचन अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी अथवा मौके पर उपस्थिति पुलिस अधिकारी द्वारा आवश्यक समझा जाए।

C – नगरीय निकाय के निर्वाचनों के दौरान निर्वाचन संबंधी गतिविधियों की वीडियोग्राफी हेतु नियोजित किए गए वीडियोग्राफर निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन रहेगें :–

1. वीडियोग्राफर का किसी राजनैतिक दल से सम्बद्ध नहीं होना चाहिए।
2. ऐसे वीडियोग्राफर की सेवाएं नहीं ली जाएं जिसका कोई अभिन्न मित्र या रिश्तेदार चुनाव लड रहा हो।
3. वीडियोग्राफर निर्वाचन अवधि के दौरान अपनी सेवाएं किसी राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार को उपलब्ध नहीं कराएगा।
4. वीडियोग्राफर राजनैतिक दलों/कार्यकर्ताओं का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेगा।
5. वीडियोग्राफर रिटर्निंग अधिकारी अथवा उसके द्वारा नामित चुनाव से सम्बन्धित अधिकारी के निर्देशन में कार्य करेगा।
6. वीडियोग्राफर को कार्य सुपुर्द करने से पूर्व उन घटनाओं के बारे में स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि उसे किन घटनाओं की वीडियोग्राफी करनी है। यदि वीडियोग्राफर द्वारा उसे दिए गए निर्देशों से बाहर जाकर वीडियोग्राफी की जाती है तो ऐसी अवांछित रिकार्डिंग के लिए भुगतान नहीं किया जाए।
7. वीडियोग्राफर द्वारा निम्न प्रारूप में एक लॉग बुक का संधारण कर प्रत्येक रिकार्डिंग का इन्द्राज किया जाएगा। वीडियोग्राफी का कार्य समाप्त होने के पश्चात् वीडियोग्राफर द्वारा लॉग बुक को रिटर्निंग अधिकारी को सुपुर्द किया जाएगा।

जिले का नाम			नगरीय निकाय का नाम		
दिनांक	समय	वीडियोग्राफी के स्थान का विवरण	रिकार्ड की गई घटना का विवरण	रिकार्डिंग का कुल समय	जिस अधिकारी के निर्देशन में वीडियोग्राफी कराई गई, उस अधिकारी का नाम एवं पद
1	2	3	4	5	6

8. रिकॉर्डिंग से पूर्व वीडियोग्राफर द्वारा वीडियो कैमरे में समय एवं दिनांक सेट किया जाएगा एवं यह सुनिश्चित किया जाएगा कि रिकार्डिंग में समय एवं दिनांक डिस्पले हो रहा है।
9. वीडियोग्राफर एवं चुनाव से संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया जाए कि वीडियोग्राफी की गोपनीयता व सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि रिकार्डिग के साथ किसी तरह की छेडछाड न हो और न ही इस तक किसी अनाधिकृत व्यक्तियों की पंहुच हो।

D – रिकार्ड की गई गतिविधियों की निगरानी :–

रिटर्निंग अधिकारी ऐसी समस्त रिकॉर्डिग का नियमित अवलोकन कर यह सुनिश्चित करेगें कि ऐसी सभाओं/गतिविधियों के आयोजकों/नेताओं/वक्ताओं/संभागीयों

द्वारा किसी भी प्रकार से चुनाव नियमों या आदर्श आचार संहिता या वाहनों एवं लाउडस्पीकरों के उपयोग तथा पोस्टर, बैनरों आदि के प्रदर्शन पर प्रतिबंध हेतु आयोग द्वारा लागू किए गए प्रतिबन्धों का उल्लंघन तो नहीं किया गया है। यदि किसी मामलें में आचार संहिता अथवा आयोग द्वारा अधिरोपित प्रतिबंधों का उल्ल्घंन पाया जाता है तो ऐसे समस्त प्रकरणों में रिटर्निंग अधिकारी तुरन्त कार्यवाही करेगें।

E – रिकार्ड की गई सीडी/डीवीडी के रिकार्ड का संधारण :–

ऐसी समस्त रिकॉर्डिंग एवं अभिलेख जो इन आदेशों की पालना में तैयार किए गए हैं, चुनाव के अभिलेख का अंश माने जाएगे और इन्हें पूर्ण सावधानी एवं सुरक्षा के साथ तब तक संग्रहित रखा जाएगा जब तक कि इन्हें आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, जैसी कि अन्य अभिलेखों के बारे में निर्धारित है, के अनुसार नष्ट नहीं किया जाता है। ऐसे समस्त अभिलेख, अन्य चुनाव सम्बन्धी अभिलेखों की भॉति ही सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी की अभिरक्षा में रखे जाएंगें। ऐसे समस्त सीडी/डीवीडी की रिकॉर्डिंग को दिनांक व स्थान तथा रिकार्ड की गई घटना के संक्षिप्त विवरण को दर्शित करते हुये रिकार्ड में रखा जायेगा।

F – रिकार्ड की गई सीडी/डीवीडी के रिकॉर्ड को उपलब्ध कराने के संबंध में :–

यदि राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लडने वाले उम्मीदवारों से रिकॉर्डिंग के अवलोकन एवं उनकी प्रतियां प्राप्त करने के लिए आवेदन प्राप्त होते रहते है तो ऐसे आवेदनों के निस्तारण हेतु समान मापदण्ड अपनाते हुए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाए :–

1. रिकॉर्डिंग के निरीक्षण हेतु लिखित में प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर ऐसे आवेदक को रिकॉर्डिंग निरीक्षण के लिए 50/– प्रति घंटा का शुल्क लिया जाएगा। ''अत्यावश्यक निरीक्षण'' के लिए यही शुल्क 100/– प्रति घंटा होगा। साधारण निरीक्षण आवेदन की दिनांक के पश्चातवर्ती दिवस या बाद के किसी दिन करवाया जाएगा परन्तु ''अत्यावश्यक निरीक्षण'' की स्थिति में उसी दिन निरीक्षण करवाया जाएगा।

2. यदि किसी आवेदक द्वारा रिकॉर्डिंग की सत्यापित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जाता है तो आवेदक को रिकॉर्डिंग की प्रमाणित प्रति 50/–रूपये के आवेदन शुल्क एवं स्थानीय स्तर पर निर्धारित व्यय, लेकर दी जा सकेगी। ऐसे प्रत्येक आवेदक को निरीक्षण करने एवं प्रति प्राप्त करने के अपने अधिकार को साबित करना होगा एवं यह भी स्पष्ट रूप से दर्शाना होगा कि आवेदक का उस रिकॉर्डिंग में किस प्रकार से समुचित हित निहित है।

3. सरकारी उपयोग हेतु निरीक्षण या प्रति प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा। रिकॉर्डिग से किसी प्रकार की छेड–छाड या नुकसान नहीं हो, इस के लिए प्रभावी सर्तकता रखी जाएगी एवं रिकॉर्डिंग का एकाधिक व्यक्तियों द्वारा सामूहिक निरीक्षण भी वर्जित रहेगा।

4. किसी रिकॉर्डिंग की विषय वस्तु के बारे में किसी प्रकार की प्रमाणिकता या सत्यापन नहीं दिया जाएगा बल्कि ''जैसी है, जहां है'' के आधार पर उपलब्ध करवायी जाऐगी।

भवदीय,

ह0
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकः प. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/128 दिनांकः 02.01.2026

आदेश

राज्य के समस्त जिलों की पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के आम चुनाव शीघ्र ही सम्पन्न कराये जाने है।

संविधान के अनुच्छेद 243K एवं 243ZA के अनुसार राज्य में क्रमशः पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों की मतदाता सूचियाँ तैयार करने तथा चुनावों के संचालन पर पर्यवेक्षण, नियंत्रण, निर्देशन की शक्तियां राज्य निर्वाचन आयोग में निहित हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का दायित्व स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने का है। इन निर्वाचनों के संचालन में सरकारी कार्मिकों, विशेषकर संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर, असामाजिक तत्वों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही, अवैध गतिविधियों की रोकथाम एवं कानून–व्यवस्था बनाये रखने का दायित्व पुलिस प्रशासन का है ताकि निर्वाचनों के दौरान मतदाता बिना किसी दबाव के निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इस प्रकार की कार्यवाही में पुलिस अधिकारीगण रेंज पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, जिला पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक, उपपुलिस अधीक्षक (वृताधिकारी), थानाधिकारी तथा उपनिरीक्षक के साथ–साथ जयपुर, जोधपुर शहर में कार्यरत पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त एवं सहायक पुलिस आयुक्त की भूमिका महत्त्वपूर्ण है।

निर्वाचनों के दौरान उपरोक्त वर्णित अधिकारियों की अपने क्षेत्र में भूमिका निष्पक्ष एवं असंदिग्ध होना आवश्यक है। अतः समग्र परिस्थितियों का आकलन कर राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 243K एवं 243ZA में प्रदत्त शक्तियों एवं इस निमित्त सशक्त करने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित आदेश जारी करता है–

पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के आम चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के दिन से निर्वाचन समाप्ति तक,

(a) संभागीय आयुक्त, रेंज पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला कलक्टर, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक, उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर, उपपुलिस अधीक्षक (वृत्ताधिकारी), तथा तहसीलदार के साथ–साथ जयपुर, जोधपुर शहर में कार्यरत पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त एवं सहायक पुलिस आयुक्त अपने गृह जिले में पदस्थापित नहीं रहे।

(b) आयुक्त नगरनिगम/नगरपरिषद, अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका, थानाधिकारी, नायब तहसीलदार एवं पुलिस उपनिरीक्षक उस नगरपालिका क्षेत्र में पदस्थापित नहीं रहे जो उनका गृह नगरपालिका क्षेत्र है।

(c) खण्ड विकास अधिकारी पंचायत समिति, थानाधिकारी, नायब तहसीलदार एवं पुलिस उपनिरीक्षक उस पंचायत समिति क्षेत्र में पदस्थापित नहीं रहे जो उनका गृह पंचायत समिति क्षेत्र है।

(d) उपरोक्त खण्ड (a), (b) व (c) में वर्णित अधिकारी दिनांक 30.04.2026 को कट ऑफ डेट मानते हुए गत चार वर्षों में तीन वर्ष से अधिक की अवधि में उक्त

जिला/नगरपालिका/पंचायत समिति क्षेत्र में पदस्थापित नहीं रहेगें, जहां पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के चुनाव होने है।

उपरोक्त मापदण्ड के विपरीत यदि कोई अधिकारी पदस्थापित है तो उसे वर्तमान पद से स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जावे। स्थानान्तरित करने की कार्यवाही **दिनांक 28.02.2026** तक आवश्यक रूप से संपन्न कर ली जायें।

मतदाता सूची की तैयारी से जुड़े अधिकारियों (उपखण्ड़ अधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार इत्यादि) का स्थानांतरण पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के आम चुनाव वर्ष, 2026 की मतदाता सूची का कार्य प्रारम्भ होने से पूर्ण होने (अंतिम प्रकाशन) तक आयोग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जाये तथा यदि ऐसा कोई स्थानांतरण मतदाता सूची का कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व कर दिया गया है तो उसकी क्रियान्विति मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन तक स्थगित रखी जावे।

इसके साथ ही चुनाव से सीधे तौर पर जुड़े किसी भी पद पर ऐसे कार्मिक का पदस्थापन नहीं करे जिसके विरूद्ध गत चुनावों में भारत निर्वाचन आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव संबंधी लापरवाही के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये हों।

चुनाव की घोषणा होने के पश्चात् निर्वाचन से किसी भी रूप से जुड़े हुए किसी भी कार्मिक का स्थानांन्तरण नहीं किया जाये किन्तु विशेष परिस्थितियों में यदि ऐसा किया जाना आवश्यक हो अथवा किसी मामले में राज्य सरकार उपरोक्त मापदण्ड में शिथिलता चाहे तो ऐसे मामलों को राज्य निर्वाचन आयोग को पूर्ण विवरण के साथ भेजा जाये।

भवदीय,

ह0
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

(20)

STATE ELECTION COMMISSION, RAJASTHAN

2nd Floor, Vikas Khand, Secretariat, Jaipur – 302005

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

No. F 4(1)(3)NP/SEC/14/893 Dated : 23-01-2026

Order

The State Election Commission, Rajasthan authorises all District Election Officers in their respective districts to issue authorisation letter to press personnel for municipal elections. The list of these personnel shall be submitted by Astt. Director (Public Relation)/ PRO of the District to the District Election Officers who will take decision for the press personnel with regard to issue such passes, as per local circumstances and exigency.

(Rajesh Verma)
Chief Electoral officer
& Secretary

(21)

STATE ELECTION COMMISSION, RAJASTHAN

2nd Floor, Vikas Khand, Secretariat, Jaipur – 302005

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

No. F4(1)(3)/NP/SEC/05/904 Dated : 23.01.2026

To,

All District Election Officers (Muicipality)
(Collectors) Rajasthan.

Sub : Appointment of sitting ministers as election agents and counting agents in municipal elections.

Sir,

There may be a case, when a candidate appoints a sitting Minister as his Election Agent or Counting Agent to facilitate his electoral activities.

In this regard, it is clarified that security personnel are not allowed to enter the counting hall or the polling booths, except in the situation provided for in the relevant rules.

Minister of a government or such person who has been provided security cover (PSO) after assessing the threat perceptions at the appropriate level in the government, it is clarified that such persons (Ministers or such persons) are not allowed to be appointed as election agents or counting agents at all. This may be brought to the notice of all returning officers of the municipalities.

-Sd-
(Rajesh Verma)
Chief Electoral officer
& Secretary

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकःएफ. 1(4)(1)/नपा/रानिआ/2014/1259 दिनांकः 03.02.2026

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(नगरपालिका) (कलक्टर)।

विषय :— नगरीय निकायों के आम चुनाव— पत्रकारों को प्रवेश— मतदान बूथ एवं मतगणना केन्द्र पर फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी का निषेद्य।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग अपने पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 4587 दिनांक 01.11.2019 को अधिक्रमित करते हुए नगरीय निकायों के निर्वाचन के सुचारू संचालन, चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से भारत के संविधान के अनुच्छेद 243—k के अन्तर्गत विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतदान के दिन मतदान केन्द्रों में एवं मतगणना के दौरान मतगणना केन्द्रों में पत्रकारों व अन्य मीडियाकर्मियों के प्रवेश की अनुमति के संबंध में दिशा—निर्देश प्रदत्त करता है कि **जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला जनसम्पर्क अधिकारी की अनुशंषा पर अधिस्वीकृत पत्रकार व अन्य मीडियाकर्मी को स्वयं की संतुष्टि पर मतदान केन्द्रों व मतगणना स्थलों के लिए प्रवेश पत्र जारी कर सकेंगे। जिला जनसम्पर्क अधिकारी का यह दायित्व होगा कि प्रवेश अधिकार पत्र जारी करने के लिए उनके द्वारा की गई अनुशंषा में पत्रकारों एवं मीडियाकर्मियों की संख्या यथोचित मात्रा में हो। साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवेश अधिकार पत्र जारी करने की शक्ति किसी अन्य अधिकारी को प्रदत्त नहीं करेंगे।**

प्रवेश निम्नांकित शर्तों के अधीन रहेगें:—

1. अधिकार पत्रधारी पत्रकार जब मतदान बूथ के अन्दर जाये तो किसी प्रकार की फोटोग्राफी अथवा वीडियोग्राफी नहीं करेंगे और ना ही मोबाइल फोन ले जा सकेंगे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 131 के अन्तर्गत पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यरत मतदान अधिकारी को यह अधिकार है कि वह उक्त निर्देशों की पालना नहीं करने वाले किसी मीडियाकर्मी को मतदान केन्द्र के भवन में प्रवेश नहीं करने दे और भवन से बाहर जाने के लिए निर्देशित कर दें, भले ही ऐसे मीडियाकर्मी के पास प्रवेश हेतु अधिकार पत्र जारी किया हुआ हो।
2. नगरपालिका सदस्यों के मतगणना के समय मतगणना कक्ष के भीतर अधिकार पत्रधारी कोई भी पत्रकार/कैमरा टीम को वीडियोग्राफी अथवा फोटोग्राफी करने की अनुमति नहीं दी जावे और ना ही उन्हें मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति दी जावे।
3. नगरीय निकायों की मतगणना हेतु बनाये गये मतगणना केन्द्र पर पत्रकारों के लिए एक पृथक कक्ष आरक्षित कर उन्हें वहाँ सभी जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए और जब अधिकार पत्रधारी कोई पत्रकार वास्तविक मतगणना का अवलोकन मतगणना कक्ष में जाकर करना चाहे तो उसे बिना किसी कैमरे या मोबाइल फोन के मतगणना कक्ष में प्रवेश करने दिया जाए लेकिन कोई जिम्मेदार अधिकारी ऐसे समय

मतगणना कक्ष में उनके साथ रहे ताकि मतों की गोपनीयता एवं मतगणना की व्यवस्था पर किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो।

4. मतगणना कक्ष में रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी को भी यह अधिकार है कि वह मतों की गोपनीयता बनाये रखने हेतु और मतगणना की सुचारू व्यवस्था हेतु ऐसे किसी भी मीडियाकर्मी को मतगणना कक्ष में प्रवेश होने से रोक देवे जो उपरोक्त शर्तो की पालना नहीं करता हो भले ही उसके पास प्रवेश हेतु अधिकार पत्र जारी किया हुआ हो।

5. मतगणना स्थल पर एक समाचार पत्र के लिए एक पत्रकार एवं एक फोटोग्राफर के लिए ही प्रवेश पत्र जारी किए जायें।

6. प्रवेश पत्र जिन पत्रकारों/मीडिया कर्मियों को जारी किये जाने हैं उनके नामों की अनुशंषा विवरण सहित जिला निर्वाचन अधिकारी के पास चुनाव से 15 दिवस से पहले तक प्राप्त हो जायें।

कृपया उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिशिचित करने हेतु सभी संबंधित को अवगत कराया जाये और अधिस्वीकृत पत्रकारों को मतदान केन्द्र/मतगणना केन्द्र में प्रवेश के लिए अधिकार पत्र जारी करते समय उक्त शर्तों का उल्लेख भी किया जाये।

भवदीय
ह0
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
(email- secraj@rajasthan.gov.in FAX 0141-2227280, 2227072)

क्रमांकःएफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/2014–15/966 दिनांक : 24.01.2026

आदेश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243K एवं 243ZA के अनुसार राज्य में नगरपालिकाओं एवं पंचायतीराज संस्थाओं की मतदाता सूची की तैयारी तथा इनके चुनावों के संचालन पर पर्यवेक्षण, नियत्रंण, निर्देशन की शक्तियां राज्य निर्वाचन आयोग में निहित हैं। इन संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन के क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रयोजन स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराना है। इस क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग यह निर्देश प्रदान करता है कि मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के पश्चात् से लेकर चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक प्रतिदिन जिलों में स्थानीय स्तर पर समाचार पत्रों में नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव से संबंधित समाचारों का संकलन हेतु जिला जन सम्पर्क अधिकारी के प्रभार में एक प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। इस प्रकोष्ठ द्वारा संबंधित समाचारों का संकलन कर इन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से आयोग की वेबसाईट पर अपलोड किया जाएगा।

आयोग स्तर पर जन सम्पर्क अधिकारी द्वारा प्रतिदिन जिलों से इस प्रकार प्राप्त समाचारों का विश्लेषण कर, ऐसे समाचार, जो निर्वाचनों के सफल संचालन तथा स्वंतत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के उद्देश्य पर विपरीत प्रभाव डालने वाली घटनाओं एवं तथ्यों से संबंधित हों, को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से आयोग के ध्यान में लाया जाएगा।

इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अतिक्रमित करते हुए यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

भवदीय

ह0
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

भाग – 4

रिटर्निंग अधिकारियों व मतदान दलों की नियुक्ति बाबत्।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in , FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमाक : एफ4(3)(1)न.पा. / रा.नि.आ. / 09 / 4038 दिनांकः–09.10.2025

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) (नगरपालिका) राजस्थान।

विषय :–नगरपालिका निर्वाचन हेतु मतदान दलों के गठन के संबंध में।

महोदय,

राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 9 में निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अंकित हैं। इन प्रावधानों के अनुसार किसी नगरपालिका के निर्वाचन के संचालन हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी उक्त नियम–9 में अंकित प्रावधानों के अधीन, निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है।

इसी क्रम में नियम 28(1) के अनुसार निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक पीठासीन अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी की सहायतार्थ एक या एक से अधिक मतदान अधिकारी की नियुक्ति करने में सक्षम हैं। नियम 28(1) के प्रावधान निम्नानुसार हैंः–

> ''**28. Presiding Officers and Polling Officers.-** (1) The returning officer shall, appoint a presiding officer for each polling station and one or more polling officers to assist the presiding officer.''

उक्त नियम–28(1) के अन्तर्गत पीठासीन अधिकारी की सहायतार्थ एक या एक से अधिक मतदान अधिकारी की नियुक्ति करने की शक्तियां प्रदान की गई है, किन्तु कोई अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं की गई है। चूँकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243य के अन्तर्गत नगरपालिकाओं के निर्वाचनों में अधीक्षण, निर्देशन एवं नियन्त्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित हैं, अतः संविधान के अनुच्छेद 243य में प्रदत्त शक्तियों एवं इस निमित्त आयोग को समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग नगरपालिका निर्वाचनों हेतु मतदान दलों के गठन के संबंध में पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 1647 दिनांक 17.05.2019 एवं पत्रांक 4182 दिनांक 21.10.2019 को अधिक्रमित करते हुए इस संबंध में यह निर्देश जारी करता हैं कि :–

1. नगरपालिका सदस्य पद का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से कराया जाना है। अतः मतदान दलों के गठन के संबंध में ऐसे मतदान केन्द्र जिनमें मतदाताओं की संख्या 1400 तक हैं, वहां एक पीठासीन अधिकारी एवं तीन मतदान अधिकारी होंगे किन्तु ऐसे मतदान केन्द्र जहां मतदाताओं की संख्या 1400 से अधिक हैं, वहां एक अतिरिक्त मतदान अधिकारी लगाया जा सकता है।

2. पीठासीन अधिकारी सामान्यतः राजपत्रित अधिकारी या उसके समकक्ष होगें। राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 28(3) के अनुसार यदि पीठासीन अधिकारी द्वारा बीमारी या अन्य किन्ही कारणों से जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता हों, स्वयं को मतदान केन्द्र से अनुपस्थित रखता हैं तो उसके कर्त्तव्य का निवर्हन उस मतदान अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो कि निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस हेतु नियुक्त किया गया हो।

3. मतदान दल में कार्मिकों की नियुक्ति उनके मूल पद/वेतनमान/स्तर के अनुरूप ही की जाए। चुनाव ड्यूटी लगाते समय कार्मिकों की वरिष्ठता का ध्यान रखा जाए एवं यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी कनिष्ठ कार्मिक के अधीनस्थ किसी वरिष्ठ कार्मिक को नहीं लगाया जाए। उदाहरणार्थ निम्न वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहें उच्च कैडर के कार्मिक को उच्चतर वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहें निम्न कैडर के कार्मिक के अधीन नहीं लगाया जाना चाहिए अर्थात पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी से उच्चतम पद/स्तर का होना चाहिए। इसी तरह मतदान अधिकारियों के नियुक्ति में भी पद/स्तर का ध्यान रखा जाए।

4. मतदान दलों के गठन से पूर्व सभी शासकीय एवं अर्द्ध–शासकीय विभागों/कार्यालयों/संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की अद्यतन सूचियॉ तैयार की जाए। किसी उम्मीदवार या राजनैतिक दलों से मिलीभगत या उनके पक्ष में होने के आरोप से बचने एवं उम्मीदवारों, राजनैतिक दलों तथा जनता के मन में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हेतु विश्वास पैदा करने के लिए आवश्यक हैं कि विभिन्न शासकीय एवं अर्द्ध–शासकीय विभागों/कार्यालयों/संस्थानों के अधिकारियों/कर्मचारियों को एक मतदान दल में जहां तक संभव हो, समुचित रूप से मिलाया (Mix-up) जाए।

5. नगरपालिका मंडल/नगरपरिषद क्षेत्र के चुनाव के लिए मतदान कार्मिक संबंधित नगरपालिका मंडल/नगरपरिषद क्षेत्र का निवासी नहीं होने चाहिए तथा ना ही वह उस नगरपालिका मंडल/नगरपरिषद क्षेत्र में कार्यरत/पदस्थापित होना चाहिए अर्थात् मतदान कार्मिक आवश्यक रूप से नगरपालिका मंडल/नगरपरिषद क्षेत्र से बाहर का निवासी तथा कार्मिक होना चाहिए।

6. नगरनिगम के चुनाव के लिए मतदान कार्मिक संबंधित वार्ड का निवासी तथा उस वार्ड में कार्यरत/पदस्थापित नहीं होना चाहिए। इस प्रतिबंध के साथ मतदान दल के आधे कार्मिक नगरनिगम क्षेत्र के बाहर के भी होने चाहिए। अर्थात् मतदान दल में ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों तथा संबंधित वार्ड से बाहर के कार्मिकों का अनुपात बराबर होना चाहिए। सभी मतदान केन्द्रों के लिए मतदान दलों के गठन का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र भी आयोग को भिजवाया जाएगा।

7. किसी भी मतदान केन्द्र पर आपातकाल से निपटने एवं पुनर्मतदान हेतु पीठासीन अधिकारियों, मतदान अधिकारियों एवं ऐसे सभी अधिकारियों जिनको जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान दिवस के लिए चुनाव ड्यूटी पर नियुक्त किया हो, के लिए आरक्षित कार्मिकों की सूची तैयार रखी जाए। ऐसे आरक्षित दलों की संख्या 10% रखी जाए।

8. मतदान दलों के प्रशिक्षण का आयोजन यथासंभव संबंधित नगरपालिका मुख्यालय पर किया जाए। मतदान दलों को दो बार प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रथम प्रशिक्षण केवल पीठासीन अधिकारी एवं प्रथम मतदान अधिकारी को दिया जाएगा। द्वितीय प्रशिक्षण मतदान दलों के सभी सदस्यों को मतदान केन्द्र हेतु रवानगी के दिन दिया जाएगा। मतदान दलों को प्रशिक्षण यथासंभव अवकाश के दिन या अध्यापन समय से भिन्न समय (Non Teaching Hours) में दिया जाए ताकि शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों के प्रशिक्षण में भाग लेने पर शिक्षण कार्य प्रभावित न हो।

9. निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आयोग द्वारा आवश्यकतानुसार दिन–प्रतिदिन विभिन्न निर्देश जारी किए जा सकते हैं। अतः ऐसा संभव हैं कि मतदान दलों का प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात् आयोग द्वारा ऐसे निर्देश जारी किए जाए, जिनसे मतदान दलों को भिज्ञ कराना आवश्यक हो। इस हेतु जिला निर्वाचन अधिकारियों को चाहिए कि वे उन निर्देशों को एक सूचना पत्रक पर तैयार कर EVM एवं अन्य चुनाव सामग्री के वितरण के समय प्रत्येक मतदान दल को उपलब्ध कराएं।

10. मतदान दलों को उनके गन्तव्य मतदान केन्द्रों की जानकारी मतदान दिवस से तीन दिन से पूर्व नहीं दी जाए।

11. मतदान दलों में आवश्यकतानुसार महिला कार्मिकों की नियुक्ति की जा सकती है, लेकिन ऐसे मतदान दल की ड्यूटी कठिन/दुर्गम स्थानों पर स्थित मतदान केन्द्रों पर नहीं लगाई जाए।

12. निम्नलिखित की ड्यूटी मतदान दल में नहीं लगाई जाएः–
    1. केन्द्र सरकार एवं उसके अधीनस्थ संस्थाओं के कार्मिक।
    2. संबंधित नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरनिगम कार्यालय में पदस्थापित कार्मिक।
    3. अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित कार्मिक।
    4. ऐसे कार्मिक जो किसी राजनैतिक दल या उम्मीदवार से संबद्ध हों।
    5. दिव्यांग कार्मिकों को यथा संभव मतदान दल में नियुक्त नहीं किया जाए।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीया,
ह0
(नलिनी कठोतिया)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

(25)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in , FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ. 4(1)(2)नपा / रानिआ / 2014 / 116 दिनांक : 02.01.2026

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(नगरपालिका),(कलक्टर), राजस्थान।

विषयः—नगरपालिका निर्वाचन हेतु निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में।

महोदय,

राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम–9 में रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति करने संबंधी प्रावधान अंकित है। उक्त नियम–9 के प्रावधान निम्नानुसार है। :–

> "**9. Appointment of returning officers and assistant returning officers.-** For the conduct of elections to a municipality, the District Municipal Election Officer may, subject to the provisions of these rules, appoint a returning officer and as many assistant returning officers as he may deem necessary."
>
> Explanation:- Election to a municipality includes elections of members, Chairperson and Deputy Chairperson of a municipality.

उक्त प्रावधानों के अनुसार किसी नगरपालिका के निर्वाचनों के संचालन के लिए जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी, इन नियमों के प्रावधानों के अधीन, नगरपालिका निर्वाचनों के लिए एक रिटर्निंग अधिकारी एवं आवश्यकतानुसार सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति कर सकते हैं। उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार नगरपालिका के निर्वाचनों में नगरपालिका सदस्य, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन सम्मिलित है।

चूँकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243य के अन्तर्गत नगरपालिकाओं के निर्वाचनों में अधीक्षण, निर्देशन एवं नियन्त्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित हैं, अतः संविधान के अनुच्छेद 243य में प्रदत्त शक्तियों एवं इस निमित्त आयोग को समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका के सदस्य, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों के निर्वाचनों हेतु रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति करने के संबंध में पूर्व में जारी आदेश कमांक 4139 दिनांक 21.10.2019 को अधिक्रमित करते हुए यह निर्देश जारी करता हैं :–

1. एक अधिकारी को सदस्य, अध्यक्षीय एवं उपाध्यक्षीय पदों के निर्वाचन हेतु रिटर्निंग अधिकारी / सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है।
2. एक अधिकारी को एक से अधिक नगरपालिका हेतु रिटर्निंग अधिकारी / सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाएगा।
3. नगरपालिका मंडल एवं नगरपरिषद के मामले में रिटर्निंग अधिकारी राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी नायब तहसीलदार या इससे उच्च स्तर का अधिकारी होगा।
4. नगरनिगम के मामलें में रिटर्निंग अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी अथवा राजस्थान प्रशासनिक सेवा का चयनित वेतन श्रृखंला या इससे उच्च वेतन श्रृखंला का

अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी तहसीलदार या इससे उच्च स्तर का अधिकारी होगा।

5. रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति आदेश में उनके कार्यालय का पता, स्थाई टेलिफोन/मोबाईल नम्बर तथा ई–मेल आई. डी. अंकित कर प्रति राज्य निर्वाचन आयोग एवं मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को प्रेषित की जाए।

आज्ञा से,

ह0
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in , FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ. 4(1)(2)नपा/रानिआ/2014/514 दिनांक : 15.01.2026

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(नगरपालिका),(कलक्टर), राजस्थान।

विषयः–नगरपालिका निर्वाचन हेतु निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में।
संदर्भः– आयोग का पत्रांक 116 दिनांक 02.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति करने के संबंध में निर्देश जारी किये गये थे। उक्त पत्र के बिन्दु संख्या 03 में अंकित किया गया है कि ''नगरपालिका मंडल एवं नगरपरिषद के मामले में रिटर्निंग अधिकारी राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी नायब तहसीलदार या इससे उच्च स्तर का अधकारी होगा।''

उपरोक्त बिन्दु संख्या 03 के कम में शिथिलता प्रदान करते हुए यह निर्देश प्रदान किए जाते है कि यदि रिटर्निंग अधिकारी हेतु राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो तो ऐसी स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति के पश्चात राजस्थान तहसीलदार सेवा के अधिकारियों (तहसीलदार) को नियुक्त किया जा सकेगा।

सलंग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

ह0
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

भाग – 5

मतपत्र बाबत्

राज्य निर्वाचन आयोग,राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ. 1(2)(1) नपा–पंचा/सा.आ./रानिआ/14/ 566 दिनांक :– 16.01.2026

आदेश

सां. आ. 146/ 2026 – राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 35 के उप नियम (1) में मतदाता को मतपत्र जारी करने की प्रक्रिया निम्नानुसार विहित हैः–

> " **35. Procedure for Issue of ballot paper to a voter** .- (1) Every ballot paper before it is issued to a voter and the counterfoil attached thereto shall be stamped on the back with such distinguishing mark as the State Election Commission may direct and every ballot paper before it is issued, shall be signed in full on its back by the presiding officer;"

उक्त नियम 35(1) के अनुसरण में राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा यह निर्दिष्ट करता हैं कि मतदाता को जारी किये जाने से पूर्व प्रत्येक मतपत्र और उससे सम्बंद्ध प्रतिपर्ण के पृष्ठ भाग पर सुभेदक चिन्ह के रूप में रबर की मोहर से स्टाम्पित किया जाएगा और पीठासीन अधिकारी द्वारा मतपत्र और उससे सम्बंद्ध प्रतिपर्ण के पृष्ठ भाग पर पूर्ण हस्ताक्षर किये जायेगें अर्थात एक वर्गाकार आयतन के अन्दर एक भिन्न के रूप में ऊपर उस नगरपालिका का वार्ड, जिसके अन्दर उस मतदान केन्द्र का निर्वाचन क्षेत्र स्थित हैं, का कम संख्यांक और नीचे उस मतदान केन्द्र, जो कि राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 27 के अधीन मतदान केन्द्र की प्रकाशित सूची में सम्मिलित हैं, का कम संख्यांक अंकित रहेगा, को रबर स्टाम्पित एवं पूर्ण हस्ताक्षरित किया जायेगा।

भवदीय,

ह0
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग,राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ.1(2)(1)/नपा–पंचा/सां.आ./रानिआ/14/ 521 दिनांक :15.01.2026

आदेश

सा.आ. 144/2026 – राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 अध्याय–3क के उपबन्धों के अनुसार मतों को इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीनों द्वारा निर्धारित रीति से डाले और रिकार्ड किये जाने के प्रावधान विहित किए हुए हैं और उक्त नियमों के नियम 32क के उपनियम (क) के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नामों एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) और उनके चिन्हों को अन्तर्विष्ट करने वाला मतपत्र रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदान यूनिट में लगाया जायेगा। उक्त नियमों के नियम 34क के उपबन्धों के अनुसार प्रत्येक मतपत्र ऐसे प्ररूप में होगा जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किया जाए।

राज्य निर्वाचन आयोग, सदस्य पदों के निर्वाचन के लिए पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 4176/21.10.2019 (सा. आ. 122/2019) को अधिक्रमित करते हुए सदस्य पद के निर्वाचन हेतु मतदान यूनिट में प्रदर्शित किये जाने वाले मतपत्र का प्ररूप एतद्द्वारा निम्न प्रकार विहित करता है :–

A. इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंण्डिया लिमिटेड़ (ECIL) द्वारा निर्मित मशीनों हेतु सामान्य निर्देशः–

मशीन का संक्षिप्त परिचय :–

- ECIL द्वारा मल्टी पोस्ट सिंगल वोट इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (EVM) विशेष रूप से राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के लिए निर्मित की गई है। इन मशीनों का रंग गुलाबी होगा जो किसी अन्य राज्य को आवंटित नहीं किया जायेगा एवं इन मशीनों पर SEC Rajasthan अंकित होगा।
- **इन मशीनों के द्वारा एक ही कन्ट्रोल यूनिट (CU) से एक से अधिक पदों के लिए निर्वाचन कराया जा सकता है, किन्तु एक पद के लिए निर्वाचन में इन मशीनों को सिंगल पोस्ट सिंगल वोट मशीनों की तरह उपयोग में लाया जा सकता है।**
- एक कन्ट्रोल यूनिट (CU) के साथ अधिकतम चार बैलेट यूनिट (BU) जोड़ी जा सकती हैं।
- ईवीएम की बैलेट यूनिट (BU) पर कुल 16 पैनल अंकित है किन्तु चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों (नोटा सहित) के लिए 15 पैनल ही उपयोग में लेने है। बैलेट यूनिट (BU) के अंतिम पैनल में End Button स्थापित हैं, जो ईवीएम में निर्वाचन से संबंधित Setting को Save करने के उपयोग में लाया जायेगा। किसी भी निर्वाचन में एक से अधिक बैलेट यूनिट (BU) का उपयोग होने की स्थिति में भी निर्वाचन संबंधी Setting के लिए प्रथम बैलैट यूनिट (BU) का End Button ही उपयोग में आएगा अन्य बैलेट यूनिट (BU) का नहीं।
- एक पद के लिए निर्वाचन होने की स्थिति में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (EVM) में निर्वाचन संबंधी Setting के बाद मतदान के लिए उपयोग में लाई जा रही बैलेट यूनिट/यूनिटों (BU) के End Button को बन्द (Mask) रखा जायेगा।

ECIL द्वारा निर्मित उक्त इलेक्ट्रोनिक्स वोटिंग मशीनों (EVM) के लिए मतपत्र का प्रारूप निम्न प्रकार विहित किया जाता हैः–

1. मतपत्र की कुल लम्बाई 458 मिलीमीटर होगी और उसकी चौड़ाई 138 मिलीमीटर होगी।
2. मतपत्र के ऊपर 12.7 मिलीमीटर ऊंचाई में और 138 मिलीमीटर चौड़ाई में खाली जगह होगी।
3. उक्त मद संख्या–2 में वर्णित मतपत्र के ऊपर खाली जगह के ठीक नीचे दो मिलीमीटर की आर–पार मोटी लाईन होगी।

4. उक्त मद संख्या–3 में वर्णित लाईन के नीचे प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम तथा उसे आवंटित प्रतीक प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए पृथक पैनल में मुद्रित होगा। इसी प्रकार अंतिम अभ्यर्थी के नाम के नीचे नोटा (इनमें से कोई नहीं) हेतु विकल्प एवं इस हेतु निर्धारित प्रतीक भी पृथक पैनल में मुद्रित होगा।
5. निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी का पैनल 25.4 एम.एम. ऊंचाई में और 138 एम.एम. चौड़ाई के आकार में होगा।
6. अभ्यर्थियों के पैनल एक दूसरे से दो एम.एम. मोटी लाईन से पृथक किये जायेंगे। तथा अंतिम अभ्यर्थी एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) हेतु विकल्प का पैनल भी एक दूसरे से दो एम.एम. मोटी लाईन से पृथक किया जायेगा।
7. मतपत्र का क्रम संख्यांक, निर्वाचन की विशिष्टयां तथा शीट नम्बर मतपत्र के बायीं ओर एक आड़े कॉलम (Vertical Coulmn) में मुद्रित किये जायेंगे और ऐसे आडे कॉलम को अभ्यर्थियों के नाम व नोटा (इनमें से कोई नहीं) हेतु विकल्प तथा चिन्हों वाले पैनल से एक मोटी लाईन से पृथक किया जायेगा।
8. चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम मतपत्र में उसी क्रम में आयेंगे जिस क्रम में वे चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में वर्णित हैं। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात नोटा (इनमें से कोई नहीं) हेतु विकल्प उपलब्ध होगा।
9. जहाँ चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या (नोटा सहित) 15 या इससे कम है, वहाँ अभ्यर्थियों के नाम मतपत्र की एक शीट पर व्यवस्थित किये जायेंगे अर्थात् मतपत्र एक ही शीट में मुद्रित होगा। अभ्यर्थियों की संख्या (नोटा सहित) 15 से कम होने की स्थिति में नोटा के पैनल से नीचे का स्थान खाली रखा जायेगा।
10. यदि अभ्यर्थियों की संख्या 15 से अधिक एवं नोटा सहित 30 या इससे कम है तो मतपत्र दो शीटों में मुद्रित होगा। प्रथम शीट पर 1 से 15 तक के अभ्यर्थी व्यवस्थित किये जायेगें और द्वितीय शीट पर 16 से 30 तक के अभ्यर्थी (नोटा सहित) व्यवस्थित किये जायेगें। अभ्यर्थियों की संख्या 30 से कम होने की स्थिति में द्वितीय शीट में अंतिम अभ्यर्थी के नीचे अंकित नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प के पैनल के नीचे का स्थान खाली रखा जायेगा।

    उदाहरणार्थ यदि अभ्यर्थियों की संख्या 25 है तो 1 से 15 तक के अभ्यर्थी प्रथम शीट पर एवं 16 से 25 तक के अभ्यर्थी द्वितीय शीट पर एवं 25 वें अभ्यर्थी के बाद नोटा का विकल्प दिया जायेगा। नोटा के बाद का स्थान खाली रखा जायेगा।
11. यदि अभ्यर्थियों की संख्या 30 से अधिक एवं नोटा सहित 45 या इससे कम है तो मतपत्र तीन शीटों में मुद्रित होगा। प्रथम शीट पर 1 से 15 तक के अभ्यर्थी, द्वितीय शीट पर 16 से 30 तक के अभ्यर्थी एवं तृतीय शीट पर 31 से 45 तक के अभ्यर्थी (नोटा सहित) व्यवस्थित किये जायेगें। अभ्यर्थियों की संख्या 45 से कम होने की स्थिति में तृतीय शीट में अंतिम अभ्यर्थी के नीचे अंकित नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प के पैनल के नीचे का स्थान खाली रखा जायेगा।

    उदाहरणार्थ यदि अभ्यर्थियों की संख्या 40 है तो 1 से 15 तक के अभ्यर्थी प्रथम शीट पर, 16 से 30 तक के अभ्यर्थी द्वितीय शीट पर एवं 31 से 40 तक के अभ्यर्थी तृतीय शीट पर एवं 40 के बाद नोटा का विकल्प दिया जायेगा। नोटा के बाद का स्थान खाली रखा जायेगा।
12. यदि अभ्यर्थियों की संख्या 45 से अधिक एवं नोटा सहित 60 या इससे कम है तो मतपत्र चार शीटों में मुद्रित होगा। प्रथम शीट पर 1 से 15 तक के अभ्यर्थी, द्वितीय शीट पर 16 से 30 तक के अभ्यर्थी, तृतीय शीट पर 31 से 45 तक के अभ्यर्थी एवं चतुर्थ शीट पर 46 से 60 तक के अभ्यर्थी व्यवस्थित किए जाएगें। अभ्यर्थियों की संख्या 60 से कम होने की स्थिति में चतुर्थ शीट पर अंतिम अभ्यर्थी के नीचे अंकित नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प के पैनल के नीचे का स्थान खाली रखा जायेगा।

    उदाहरणार्थ यदि अभ्यर्थियों की संख्या 55 है तो 1 से 15 तक के अभ्यर्थी प्रथम शीट पर, 16 से 30 तक के अभ्यर्थी द्वितीय शीट पर, 30 से 45 तक के अभ्यर्थी तृतीय शीट पर एवं 46 से 55 तक के अभ्यर्थी चतुर्थ शीट पर एवं 55 के बाद नोटा का विकल्प दिया जायेगा। नोटा के बाद का स्थान खाली रखा जायेगा।

13. यदि किन्ही स्थितियों में अभ्यर्थियों की संख्या 15/30/45 है (नोटा सम्मिलित नहीं), तो मतपत्र क्रमशः दो/तीन/चार शीटों में मुद्रित होगा एवं द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ शीट पर सिर्फ नोटा का विकल्प ही अंकित किया जाएगा। नोटा से नीचे के सभी पैनल खाली रहेगें।
14. यदि मतपत्र की एक से अधिक शीट होती है वहाँ मद संख्या 7 में वर्णित आड़े कॉलम, जिसमें कि मतपत्र का क्रम संख्यांक और निर्वाचन की विशिष्टयां अंकित करने के लिये स्थान छोड़ा गया है, में ही शीट की क्रम संख्यांक दर्शित करते हुए शब्द व अंक मोटे अक्षरों में यथा शीट नम्बर–1, शीट नम्बर–2 आदि मुद्रित किया जायेगा।
15. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) हेतु विकल्प हिन्दी में देवनागरी लिपि में लिखे जायेंगे। निर्वाचन की विशिष्टयां और शीट नम्बर भी हिन्दी में देवनागिरी लिपि में रखे जायेंगे।
16. अभ्यर्थियों के लिये निर्दिष्ट पैनल में बाँई ओर क्रम संख्या के साथ अभ्यर्थियों का नाम मुद्रित होगा तथा पैनल में दाईं ओर उन्हें आवंटित निर्वाचन प्रतीक मुद्रित होगा। इसी प्रकार अंतिम अभ्यर्थी के नीचे नोटा (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प बांई ओर तथा उसके लिए निर्धारित प्रतीक दांई ओर होगा।
17. सदस्य पद के चुनाव के लिए **मतपत्र सफेद रंग के कागज पर** मुद्रित होगा।

B. भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (BEL) द्वारा निर्मित मशीनों हेतु

1. मतपत्र की कुल लम्बाई 461.5 मिलीमीटर होगी और उसकी चौड़ाई 138 मिलीमीटर होगी।
2. मतपत्र के ऊपर 7.50 मिलीमीटर ऊंचाई में और 138 मिलीमीटर चौड़ाई में खाली जगह होगी।
3. उक्त मद संख्या–2 में वर्णित मतपत्र के ऊपर खाली जगह के ठीक नीचे एक मिलीमीटर की आर–पार मोटी लाईन होगी।
4. उक्त मद संख्या–3 में वर्णित लाईन के नीचे प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम तथा उसे आवंटित प्रतीक प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए पृथक पैनल में मुद्रित होगा। इसी प्रकार अंतिम अभ्यर्थी के नाम के नीचे नोटा (इनमें से कोई नहीं) हेतु विकल्प एवं इस हेतु निर्धारित प्रतीक भी पृथक पैनल में मुद्रित होगा।
5. प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का पैनल 27.5 एम.एम. ऊंचाई में और 138 एम.एम. चौड़ाई के आकार में होगा।
6. अभ्यर्थियों के पैनल एक दूसरे से एक एम.एम. मोटी लाईन से पृथक किये जायेंगे। तथा अंतिम अभ्यर्थी एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) हेतु विकल्प का पैनल भी एक दूसरे से 1 एम.एम. मोटी लाईन से पृथक किया जायेगा।
7. मतपत्र का क्रम संख्यांक, निर्वाचन की विशिष्टयां तथा शीट नम्बर मतपत्र के बायीं ओर एक आड़े कॉलम (Vertical Coulmn) में मुद्रित किये जायेंगे और ऐसे आडे कॉलम को अभ्यर्थियों के नाम व नोटा (इनमें से कोई नहीं) हेतु विकल्प तथा चिन्हों वाले पैनल से एक मोटी लाईन से पृथक किया जायेगा।
8. चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम मतपत्र में उसी क्रम में आयेंगे जिस क्रम में वे चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में वर्णित हैं। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात नोटा (इनमें से कोई नहीं) हेतु विकल्प उपलब्ध होगा।
9. जहाँ चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या (नोटा सहित) 16 या इससे कम है, वहाँ अभ्यर्थियों के नाम मतपत्र की एक शीट पर व्यवस्थित किये जायेंगे अर्थात् मतपत्र एक ही शीट में मुद्रित होगा। अभ्यर्थियों की संख्या (नोटा सहित) 16 से कम होने की स्थिति में नोटा के पैनल से नीचे का स्थान खाली रखा जायेगा।
10. यदि अभ्यर्थियों की संख्या 16 से अधिक एवं नोटा सहित 32 या इससे कम है तो मतपत्र दो शीटों में मुद्रित होगा। प्रथम शीट पर 1 से 16 तक के अभ्यर्थी व्यवस्थित किये जायेगें और द्वितीय शीट पर 17 से 32 तक के अभ्यर्थी (नोटा सहित) व्यवस्थित किये जायेगें। अभ्यर्थियों की संख्या 32 से कम होने की स्थिति में द्वितीय शीट में अंतिम अभ्यर्थी के नीचे अंकित नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प के पैनल के नीचे का स्थान खाली रखा जायेगा।

उदाहरणार्थ यदि अभ्यर्थियों की संख्या 25 है तो 1 से 16 तक के अभ्यर्थी प्रथम शीट पर एवं 17 से 25 तक के अभ्यर्थी द्वितीय शीट पर एवं 25 वें अभ्यर्थी के बाद नोटा का विकल्प दिया जायेगा। नोटा के बाद का स्थान खाली रखा जायेगा।

11. यदि अभ्यर्थियों की संख्या 32 से अधिक एवं नोटा सहित 48 या इससे कम है तो मतपत्र तीन शीटों में मुद्रित होगा। प्रथम शीट पर 1 से 16 तक के अभ्यर्थी, द्वितीय शीट पर 17 से 32 तक के अभ्यर्थी एवं तृतीय शीट पर 33 से 48 तक के अभ्यर्थी (नोटा सहित) व्यवस्थित किये जायेगें। अभ्यर्थियों की संख्या 48 से कम होने की स्थिति में तृतीय शीट में अंतिम अभ्यर्थी के नीचे अंकित नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प के पैनल के नीचे का स्थान खाली रखा जायेगा।

    उदाहरणार्थ यदि अभ्यर्थियों की संख्या 40 है तो 1 से 16 तक के अभ्यर्थी प्रथम शीट पर, 17 से 32 तक के अभ्यर्थी द्वितीय शीट पर एवं 33 से 40 तक के अभ्यर्थी तृतीय शीट पर एवं 40 के बाद नोटा का विकल्प दिया जायेगा। नोटा के बाद का स्थान खाली रखा जायेगा।

12. यदि अभ्यर्थियों की संख्या 48 से अधिक एवं नोटा सहित 64 या इससे कम है तो मतपत्र चार शीटों में मुद्रित होगा। प्रथम शीट पर 1 से 16 तक के अभ्यर्थी, द्वितीय शीट पर 17 से 32 तक के अभ्यर्थी, तृतीय शीट पर 33 से 48 तक के अभ्यर्थी एवं चतुर्थ शीट पर 49 से 64 नोटा सहित तक के अभ्यर्थी व्यवस्थित किए जाएगें। अभ्यर्थियों की संख्या 64 से कम होने की स्थिति में चतुर्थ शीट पर अंतिम अभ्यर्थी के नीचे अंकित नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प के पैनल के नीचे का स्थान खाली रखा जायेगा।

    उदाहरणार्थ यदि अभ्यर्थियों की संख्या 55 है तो 1 से 16 तक के अभ्यर्थी प्रथम शीट पर, 17 से 32 तक के अभ्यर्थी द्वितीय शीट पर, 33 से 48 तक के अभ्यर्थी तृतीय शीट पर एवं 49 से 55 तक के अभ्यर्थी चतुर्थ शीट पर एवं 55 के बाद नोटा का विकल्प दिया जायेगा। नोटा के बाद का स्थान खाली रखा जायेगा।

13. यदि किन्ही स्थितियों में अभ्यर्थियों की संख्या 16/32/48 है (नोटा सम्मिलित नहीं), तो मतपत्र क्रमशः दो/तीन/चार शीटों में मुद्रित होगा एवं द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ शीट पर सिर्फ नोटा का विकल्प ही अंकित किया जाएगा। नोटा से नीचे के सभी पैनल खाली रहेगें।

14. यदि मतपत्र की एक से अधिक शीट होती है वहाँ मद संख्या 7 में वर्णित आड़े कॉलम, जिसमें कि मतपत्र का क्रम संख्यांक और निर्वाचन की विशिष्टयां अंकित करने के लिये स्थान छोड़ा गया है, में ही शीट की क्रम संख्यांक दर्शित करते हुए शब्द व अंक मोटे अक्षरों में यथा शीट नम्बर–1, शीट नम्बर–2 आदि मुद्रित किया जायेगा।

15. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) हेतु विकल्प हिन्दी में देवनागरी लिपि में लिखे जायेंगे। निर्वाचन की विशिष्टयां और शीट नम्बर भी हिन्दी में देवनागिरी लिपि में लिखे जायेंगे।

16. अभ्यर्थियों के लिये निर्दिष्ट पैनल में बाँई ओर क्रम संख्या के साथ अभ्यर्थियों का नाम मुद्रित होगा तथा पैनल में दाईं ओर उन्हें आवंटित निर्वाचन प्रतीक मुद्रित होगा। इसी प्रकार अंतिम अभ्यर्थी के नीचे नोटा (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प बांई ओर तथा उसके लिए निर्धारित प्रतीक दांई ओर होगा।

17. सदस्य पद के चुनाव के लिए **मतपत्र सफेद रंग के कागज पर** मुद्रित होगा।

भवदीय
ह0
(राजेश वर्मा)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा / सां.आ. / रानिआ / 14 / 572 दिनांकः 16.01.2026

आदेश

सां. आ. 147 / 2026 – राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 46–क के उपनियम (4) के द्वितीय परन्तुक के उपबंधों में यह प्रावधान है कि प्रत्येक डाक मतपत्र से एक प्रतिपर्ण सम्बद्व होगा और यह मतपत्र एवं प्रतिपर्ण ऐसे प्ररूप में होगा जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दे। उक्त नियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा आदेश क्रमांक 4195 दिनांक 21.10.2019 (सां. आ. संख्या 124 / 2019) द्वारा सदस्य पदों के निर्वाचन में उपयोग हेतु डाक मतपत्र एवं उसके सम्बद्ध प्रतिपर्ण का प्ररूप विहित किया हुआ है।

राज्य निर्वाचन आयोग, सदस्य पदों के निर्वाचन के लिए पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 4195 दिनांक 21. 10.2019 (सां. आ. संख्या 124 / 2019) को अधिक्रमित करते हुए सदस्य पद के निर्वाचनों के लिए डाक मतपत्र एवं उससे सम्बद्व प्रतिपर्ण का प्ररूप निम्नानुसार विहित करता है :–

1. मतपत्र की चौडाई 4 इंच होगी। प्रत्येक मतपत्र से एक प्रतिपर्ण सम्बद्ध होगा। प्रतिपर्ण मतपत्र के शीर्ष भाग पर होगा एवं प्रतिपर्ण के नीचे मतपत्र होगा।
2. प्रतिपर्ण पर विशिष्टयों का विवरण निम्नानुसार अंकित होगा :–
   - (क) प्रतिपर्ण के शीर्ष भाग पर बीच का स्थान सिलाई के लिए होगा।
   - (ख) प्रतिपर्ण के शीर्ष भाग पर 4 MM मोटाई का एक काली लाईन होगी।
   - (ग) प्रतिपर्ण में विशिष्टयां अंकित करने हेतु पैनल की ऊचाई 40 MM होगी।
   - (घ) उपर्युक्त मद (ख) के ठीक नीचे बांई ओर से निर्वाचन के विवरण मुद्रित किये जायेंगे। यथा वार्ड सदस्य संख्या, नगरपालिका का नाम, साधारण निर्वाचन या उप–निर्वाचन और वर्ष का उल्लेख होगा। उदाहरण के लिए–''वार्ड 15 / झालरापाटन / सा.नि. / 2019''
   - (ड.) इसके नीचे बांई ओर से 'निर्वाचक नामावली भाग संख्या', इसके नीचे 'निर्वाचक की क्रम संख्या' एवं इसके नीचे 'मतपत्र क्रमांक' सुविधानुसार अंकित किए जाएगें।
   - (च) दाहिनी ओर शब्द 'हस्ताक्षर / अंगूठे की छाप' के ठीक उपर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप के लिए जगह रखी जाएगी।
   - (छ) इसके नीचे छेददार पटटी के साथ 4 MM मोटाई का एक लाईन में एक के नीचे एक पृथक सीधी रेखायें जो मतपत्र को प्रतिपर्ण से अलग करती हो, अंकित की जाएगी।
3. प्रतिपर्ण के नीचे मतपत्र वाले भाग पर पैनलों में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम और उनको आवंटित प्रतीक तथा 'नोटा (इनमें से कोई नहीं) एवं उसके लिए निर्धारित प्रतीक' अंकित किए जायेंगे। प्रथम एवं द्वितीय पैनल को 10 MM एवं इसके बाद के सभी पैनल को 4 MM मोटी छायादार (Shaded) लाईन से पृथक किया जाएगा।
4. प्रथम पैनल के नीचे 10 MM मोटी लाईन को बीच से खडी लाईन से विभाजित किया जाएगा अर्थात् 2 इंच चौडाई के दो भाग बनाए जाएगें। बांई ओर वाले प्रथम भाग में मतपत्र क्रमांक अंकित किया जाएगा। दांई ओर वाले दूसरे भाग को आडी लाईन से विभाजित कर 5 MM की दो लाईन बनाई जाएगीं। प्रथम लाईन में बिन्दु संख्या 2 (घ) के अनुसार निर्वाचन का विवरण अंकित किया जाएगा एवं द्वितीय लाईन को छायादार (Shaded) रखा जायेगा।
5. अभ्यर्थी का नाम पैनल में बांई ओर तथा उसका प्रतीक दाहिनी ओर अंकित होगा। इसी प्रकार अंतिम अभ्यर्थी के नीचे नोटा (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प बांई ओर तथा उसके लिए निर्धारित प्रतीक दांई ओर होगा।
6. प्रत्येक अभ्यर्थी एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) के लिये आवंटित पैनल की ऊंचाई 25 MM होगी।

7. अभ्यर्थी एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) के सम्मुख उनके लिए निर्धारित प्रतीक का आकार 35X20 MM (चौडाई X ऊंचाई) से अधिक नहीं होगा।

8. अभ्यर्थियों के नाम उसी रीति से दर्शित किये जायेंगे और उसी क्रम में व्यवस्थित किये जायेंगे, जिसमें वे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में आये हैं।

9. मतपत्र पर विशिष्टियॉ हिन्दी में देवनागरी लिपि में होंगी।

10. सदस्य पद के लिए मतपत्र सफेद रंग के कागज पर मुद्रित होगा।

11. जहॉ किसी निर्वाचन में निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प सहित 9 से अधिक हो जायें वहां मतपत्र दो स्तम्भों में, 18 से अधिक होने पर तीन स्तम्भों में होगा एवं आगे भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मतपत्र का प्रत्येक स्तम्भ 4 इंच का होगा।

12. मतपत्र के दो अथवा दो से अधिक स्तम्भों में होने की स्थिति में स्तम्भों को 10 MM मोटाई की छायादार (Shaded) ऊर्ध्वाधर (Vertical) लाईन से विभाजित किया जाएगा। मतपत्र के प्रतिपर्ण को स्तम्भों में विभाजित नहीं किया जाएगा। निर्वाचन की विशिष्टियां पहले स्तम्भ में ही अंकित की जायेंगी।

13. निर्वाचन लडने वाले उम्मीदवारों के नाम हिन्दी वर्णानुक्रम में निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार एक दूसरे के नीचे यथास्थिति प्रथम स्तम्भ, दूसरे, तीसरे आदि स्तम्भों में अंकित किए जाएगें। अंतिम अभ्यर्थी के बाद नोटा (इनमें से कोई नहीं) अंकित किया जाएगा।

14. नोटा (इनमें से कोई नहीं) सहित जहां निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों की संख्या विषम में हो वहां मतपत्र के दाहिने/अंतिम स्तम्भ का अंतिम पैनल पूर्णतया छायादार (Shaded) होगा।

15. मतपत्र एक एवं दो स्तम्भ में मुद्रित होने की स्थिति में नमूना मतपत्र क्रमशः परिशिष्ट–1 एवं परिशिष्ट–2 पर उपलब्ध है।

आज्ञा से,
ह0
(राजेश वर्मा)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर।

मतपत्र का नमूना
(मतपत्र एक स्तम्भ में मुद्रित होने की स्थिति में)

वार्ड 4 / झालरापाटन / सा. नि. / 2019 निर्वाचक नामावली भाग संख्या .... निर्वाचक की क्रम संख्या .... No. .... हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी	
विपिन कुमार	
No. ………..	वार्ड 4 / झालरापाटन / सा.नि. / 19
विपिन कुमार	
विपिन कुमार	
विपिन कुमार	
विपिन कुमार	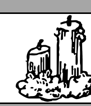
विपिन कुमार	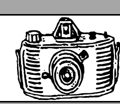
विपिन कुमार	
विपिन कुमार	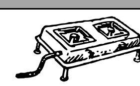
नोटा (इनमें से कोई नहीं)	

मतपत्र का नमूना
(मतपत्र दो स्तम्भ में मुद्रित होने की स्थिति में)

वार्ड 4 / झालरापाटन / सा. / नि. / 2019
निर्वाचक नामावली भाग संख्या ....
निर्वाचक की क्रम संख्या ....
No. ....

हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी

No. ………..
वार्ड 4 / झालरापाटन / सा.नि. / 19

विपिन कुमार		विपिन कुमार	
विपिन कुमार		विपिन कुमार	
विपिन कुमार		विपिन कुमार	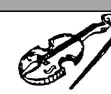
विपिन कुमार		विपिन कुमार	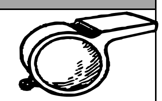
विपिन कुमार	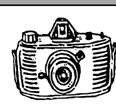	विपिन कुमार	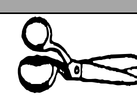
विपिन कुमार		नोटा (इनमें से कोई नहीं)	
विपिन कुमार	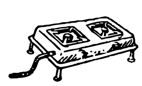		

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

क्रमांकः एफ.4(2)(1)पं/नपा/रानिआ/94/3059 जयपुर, दिनांक : 28.10.99

आदेश

सां.आ. संख्या–26/99 जिन निर्वाचनों में मत इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीनों से डाले और रिकार्ड किये जायेंगे उनके संबंध में राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 44–क के उपबन्धों के अनुसार निविदत्त मतपत्र ऐसी डिजाईन का होगा जो राज्य निर्वाचन आयोग विनिर्दिष्ट करे। अतः राज्य निर्वाचन आयोग उक्त नियम 44–क के उपबन्धों के अनुसरण में एतत्द्वारा यह विनिर्दिष्ट करता है कि निविदत्त मतपत्र उसी मतपत्र की डिजाईन में होगा जो इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीन के मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने के लिए विहित किया हुआ है तथा उसकी पीठ पर ''निविदत्त मतपत्र'' स्टाम्पित किया जायेगा।

आज्ञा से,
–ह0–
(आर.के. पारीक)
उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकः एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा/सा.आ./रानिआ/14/1670 दिनांकः 20.04.2018

आदेश

सां.आ. 110/2018– आयोग के आदेश क्रमांक 4030/16.09.2014 (सां. आ. 96/2014) एवं 8129/17.11.2014 (सा. आ. 98/2014) के माध्यम से क्रमशः नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु 'नोटा' (उपरोक्त में से कोई नहीं) का चिन्ह एवं इसकी विशिष्टियां निर्धारित की गई थी।

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा अपने पत्र दिनांक 18.09.2015 के माध्यम से 'नोटा' (उपरोक्त में से कोई नहीं) के चिन्ह एवं शब्दावली को परिवर्तित कर दिया गया है। चुनावों में एकरूपता बनाए रखने एवं मतदाताओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग अपने उक्त आदेशों के द्वारा विहित किए गए 'नोटा' (उपरोक्त में से कोई नहीं) के चिन्ह एवं उसकी शब्दावली को एतद् द्वारा भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशों के अनुरूप निम्नानुसार परिवर्तित करता हैः–

नोटा (इनमें से कोई नहीं)

आयोग द्वारा जारी ऐसे समस्त आदेश जिनमें 'नोटा' (उपरोक्त में से कोई नहीं) का संदर्भ दिया गया है, उन्हें उक्तानुसार संशोधित माना जाए।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आज्ञा से,

–ह0–

(चन्द्रशेखर मूथा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

(32)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

क्रमांकः एफ.1(2)(2)नपा / रानिआ / 94 / 3243 जयपुर, दिनांक : 16.11.99

आदेश

राज्य में नगरपालिकाओं एवं पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग निम्नांकित आदेश जारी करता है :—

1. उक्त निर्वाचनों में किसी अभ्यर्थी द्वारा ऐसे कृत्रिम (डमी) मतपत्र मुद्रित कराये जा सकते हैं जिसमें उसका अपना नाम आदि का प्रयोग करते हुए वह जगह उपदर्शित की है जहां वह निर्वाचन में प्रयोग में लाये जाने वाले मतपत्र दिखाई दे परन्तु उसमें वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले किसी अन्य अभ्यर्थी के नाम और प्रतीक नहीं होने चाहिए। कृत्रिम मतपत्र का आकार या रंग असली मतपत्र के सदृश्य नहीं होना चाहिये।
2. राजनैतिक दल या अभ्यर्थी मतदाताओं को ऐसी अशासकीय पर्चियां जारी कर सकते हैं जिनमें निम्न सूचना दी गई हो :—

   (क) नगरपालिका या यथास्थिति, पंचायती राज संस्था का नाम।
   (ख) वार्ड या, यथास्थिति, निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक।
   (ग) निर्वाचन नामावली की भाग संख्या (नगरपालिका निर्वाचन की स्थिति में)
   (घ) निर्वाचन नामावली में मतदाता का नाम और क्रम संख्या।
   (ड.) मतदान केन्द्र की क्रम संख्या और नाम।

पहचान पर्चियां सफेद कागज पर होनी चाहिए और उनमें अभ्यर्थी का नाम या उसके दल का नाम या उसके निर्वाचन प्रतीक नहीं दिये जायेंगे ऐसी पर्चियों में किसी दल या किसी अभ्यर्थी को वोट देने से संबंधित कोई नारा या प्रबोधन भी नहीं होगा। मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि के भीतर किसी ऐसी पर्ची का संचरण (Circulation) जिसमें ऐसा कोई नारा या प्रबोधन अंकित हो, निषिद्ध रहेगा।

आज्ञा से,
—ह0—
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक : प 1(4)(1) नपा/रानिआ/14/1112 दिनांक : 28.01.2026

आदेश

नगरपालिका चुनावों के लिये मतपत्रों का मुद्रण का कार्य निजी मुद्रणालयों से कराने के आदेश आयोग द्वारा जारी किए हैं। निजी मुद्रणालय में मतपत्रों के मुद्रण के पश्चात् शेष अधिशेष और रद्दी मतपत्रों के निस्तारण के बाबत् आयोग द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं :–

जैसे ही किसी नगरपालिका के वार्डों में मतदान समाप्त हो जाये और यह सुनिश्चित् कर लिया जाये कि, नगरपालिका के किसी वार्ड में किसी मतदान केन्द्र पर मतदान के स्थगन या नये सिरे से मतदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। संबंधित मुद्रणालयों पर अधिशेष मतपत्रों के छोटे–छोटे टुकड़ें किए जाकर फर्श की बुहारन और अन्य रद्दी मतपत्रों के टुकड़ों को एकत्रित कर साथ जलाकर नष्ट किया जाएगा। यह कार्य रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी, जो कि राजपत्रित अधिकारी के स्तर का होगा एवं मुद्रणालय के प्रबंधक की उपस्थिति में किया जाएगा।

अपनी उपस्थिति में अधिशेष और रद्दी मतपत्र को जलाकर नष्ट किये जाने वाले मतपत्रों की संख्या/परिमाप के बारे में प्रमाण–पत्र रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जायेगा।

परिणाम की घोषणा होने के बाद यथाशीघ्र और किसी भी दशा में उसके 10 दिन के भीतर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित करते हुए कि, निर्वाचन के लिये मुद्रित कराये गये समस्त अधिशेष और रद्दी मतपत्र ऊपर बताई गई रीति से नष्ट कर दिए गए हैं, एक रिर्पोट आयोग को भेजी जायेगी।

इस सम्बंध में आयोग द्वारा पूर्व में जारी पत्रांक 3245 दिनांक 16.11.1999 एवं 3494 दिनांक 25.08.2014 को अधिक्रमित करते हुए यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

भवदीय,
ह0
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

भाग – 6

चुनाव के प्रतीकों के आवंटन बाबत्।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in ph- 0141-2227407, 2227280,2227072

क्रमांकः एफ.4(1)(1)नपा / रानिआ / 14 / 4178 दिनांक : 17.10.2025

अधिसूचना

राजस्थान राज्य में नगरपालिकाओं के लिए सभी निर्वाचनों में अधीक्षण, निर्देशन तथा नियन्त्रण भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 य क के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है,

और **नगरपालिका वार्डों के निर्वाचनों** के शुद्ध एवं सुचारू संचालन के लिए निर्वाचन प्रतीकों की सूची विहित करने और प्रतीकों के आरक्षण, चयन, आवंटन एवं तत्संबंधी विषयों को विनिर्दिष्ट करने की आवश्यकता है,

अतः राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 20 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 य क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस निमित्त आयोग को समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी पूर्व की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(1)(1)नपा / रानिआ / 14 / 1516 दिनांक 02.05.2019, संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ.4(1)(1)नपा / रानिआ / 14 / 3888 दिनांक 07.10.2019, अधिसूचना क्रमांक एफ. 4(1)(1)नपा / रानिआ / 14 / 1903 दिनांक 24.05.2023, अधिसूचना क्रमांक एफ. 4(1)(1)नपा / रानिआ / 14 / 1439 दिनांक 06.05.2025 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ. 4(1)(1)नपा / रानिआ / 14 / 2469 दिनांक 28.07.2025 को अधिक्रमित करते हुए निम्न आदेश जारी करता है:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारम्भ** –

   (1) इस आदेश का नाम राजस्थान नगरपालिका निर्वाचन प्रतीक (सदस्य पद के निर्वाचन हेतु सूची और आवंटन) आदेश, 2025 है,

   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है तथा यह नगरपालिकाओं के वार्डों के निर्वाचन के संबंध में लागू होगा, और

   (3) यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

2. **परिभाषाए** – इस आदेश में जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

   (i) "सविरोध निर्वाचन" से वार्ड के लिए ऐसा निर्वाचन अभिप्रेत है जिसमें मतदान होता है;

   (ii) "निर्वाचन" से नगरपालिका के किसी वार्ड के लिए "साधारण निर्वाचन" और "उप निर्वाचन" अभिप्रेत है;

   (iii) "प्ररूप क" से इस आदेश के संलग्न प्ररूप "क" अभिप्रेत है;

   (iv) "प्ररूप ख" से इस आदेश के संलग्न प्ररूप "ख" अभिप्रेत है;

   (v) "खण्ड" से इस आदेश का खण्ड़ अभिप्रेत है;

   (vi) "दल" से मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल अभिप्रेत है;

   (vii) "मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल" से निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन राजस्थान राज्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल अभिप्रेत है;

   (viii) "नियम" से राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 अभिप्रेत है;

   (ix) "सारणी–1" से इस आदेश के संलग्न सारणी–1 अभिप्रेत है;

(x) "सारणी–2" से इस आदेश के सलंग्न सारणी–2 अभिप्रेत है;

(xi) "वार्ड" से किसी नगरपालिका का वार्ड अभिप्रेत है; और

(xii) जो शब्द ओर पद इस आदेश में प्रयुक्त किये गये हैं किन्तु परिभाषित नहीं किये गये हैं और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 अथवा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे, जो उक्त अधिनियम और नियम में क्रमशः समनुदिष्ट किये गये हैं।

3. **निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन** – निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों को इस आदेश के उपबन्धों के अधीन प्रत्येक सविरोध निर्वाचन में एक प्रतीक आंवटित किया जायेगा तथा किसी वार्ड के निर्वाचन में भिन्न–भिन्न अभ्यर्थियों को भिन्न–भिन्न प्रतीक आवंटित किया जायेगा।

4. **निर्वाचन प्रतीकों का वर्गीकरण** –

(1) इस आदेश के प्रयोजन के लिए प्रतीक, या तो आरक्षित है अथवा मुक्त।

(2) आरक्षित प्रतीक वह प्रतीक है जो सारणी–1 के स्तंभ 2 में वर्णित दल के लिए, उस दल के सम्मुख स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(3) मुक्त प्रतीक ऐसा प्रतीक है जो आरक्षित प्रतीक से भिन्न है और जिसे सारणी–2 के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

5. **दलों के अभ्यर्थियों द्वारा प्रतीकों का चयन तथा उनका आवंटन** –

(1) सारणी–1 के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट आरक्षित प्रतीक उसके सम्मुख स्तम्भ 2 में वर्णित दल द्वारा किसी निर्वाचन में खड़े किये गये अभ्यर्थी को ही आवंटित किया जायेगा, अन्य अभ्यर्थी को नहीं।

(2) सारणी–1 के स्तम्भ 2 में वर्णित दल द्वारा किसी निर्वाचन में खड़े किये गये अभ्यर्थी को उस दल के सम्मुख स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट प्रतीक ही आवंटित किया जायेगा, कोई अन्य प्रतीक नहीं।

6. **कोई अभ्यर्थी किसी दल द्वारा खड़ा किया गया कब माना जायेगा** – कोई अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खडा किया गया तभी माना जायेगा, जबकि :–

(क) उस अभ्यर्थी ने अपने नाम निर्देशन पत्र में उस आशय की घोषणा की हो,

(ख) संबंधित राजनैतिक दल के अध्यक्ष या राज्य इकाई के प्रमुख या इस निमित्त उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित **प्ररूप 'ख'** में इस आशय की लिखित सूचना **नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के अन्तिम दिनांक को 3 बजे अपरान्ह तक** रिटर्निंग अधिकारी को प्रदत्त कर दी गई हो,

(ग) यदि राजनैतिक दल के अध्यक्ष या राज्य इकाई के प्रमुख द्वारा नियम 12 के उपनियम (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत किया है और इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को पत्र प्रेषित किया हो तो प्राधिकृत व्यक्ति के नमूने के हस्ताक्षर **प्ररूप 'क'** में रिटर्निंग अधिकारी को **नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक के अपरान्ह 3.00 बजे तक** उपलब्ध करा दिये गये हों, और

(घ) **प्ररूप 'क' और प्ररूप 'ख'** पूर्वोक्त पदाधिकारी अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा केवल स्याही से हस्ताक्षरित किये गये हों।

स्पष्टीकरण–1 इस खण्ड के उप खण्ड् (ख) एवं (ग) में किसी राजनैतिक दल की राज्य इकाई के प्रमुख से अभिप्रेत दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष और जहां दल की राज्य इकाई का अध्यक्ष पद नहीं है, वहाँ सचिव से है।

स्पष्टीकरण–2 राजनैतिक दलों द्वारा उनके दल की राज्य इकाई के प्रमुख के हस्ताक्षर निर्वाचन की लोकसूचना जारी होने की तिथि से पूर्व

आयोग को उपलब्ध कराए जायेंगे। आयोग द्वारा उक्त नमूने के हस्ताक्षर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्फत प्रेषित किए जायेंगे।

स्पष्टीकरण–3 प्ररूप 'क' और, यथास्थिति, प्ररूप 'ख' पर यदि दल के किसी पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति के अनुलिपि (Facsimile) हस्ताक्षर या रबड़ स्टाम्पों के हस्ताक्षर है तो उन्हें नहीं माना जायेगा तथा फैक्स/ई–मेल/व्हाट्सअप इत्यादि द्वारा प्रेषित कोई प्ररूप भी स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7. **<u>दल द्वारा खड़ा किया गया प्रतिस्थानी अभ्यर्थी (Substitute Candidate)</u>** :–

(1) प्ररूप 'ख' के स्तम्भ 6 में वर्णित प्रतिस्थानी उम्मीदवार (Substitute Candidate) जिसका नाम–निर्देशन पत्र संवीक्षा में खारिज नहीं किया गया हो एवं उसके द्वारा अभ्यर्थिता वापस नहीं ली गई हो, को उस दल द्वारा खड़ा किया गया तभी माना जायेगा जबकि उस दल के उम्मीदवार का नामनिर्देशन–पत्र को नियम–13 के अन्तर्गत संवीक्षा में रद्द कर दिया गया हो या उसने अपनी अभ्यर्थिता नियम–16 के अन्तर्गत वापस ले ली हो।

(2) ऐसी स्थिति में जहाँ दल के अनुमोदित अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र स्वीकार कर लिया जाता है और वह अपनी अभ्यर्थिता वापिस नहीं लेता है, यदि प्ररूप 'ख' के स्तम्भ 6 में वर्णित प्रतिस्थानी उम्मीदवार (Substitute Candidate) का कोई नामनिर्देशन–पत्र स्वीकार कर लिया जाता है तथा ऐसा प्रतिस्थानी उम्मीदवार (Substitute Candidate) भी अपनी अभ्यर्थिता वापिस नहीं लेता है तो ऐसे प्रतिस्थानी उम्मीदवार (Substitute Candidate) को दल द्वारा खड़ा किया गया नहीं माना जायेगा और उसे मुक्त प्रतीक इस आदेश के खण्ड़ 11 के अनुसार आवंटित किया जायेगा।

8. **<u>दल द्वारा अनुमोदित अभ्यर्थी को प्रतिस्थापित किया जाना</u>** – यदि किसी दल द्वारा पूर्व में अनुमोदित अभ्यर्थी का मनोनयन निरस्त करते हुये अन्य अभ्यर्थी को अनुमोदित किया गया है तो अन्य अभ्यर्थी को ही दल का अनुमोदित अभ्यर्थी माना जायेगा।

परन्तु दल द्वारा पूर्व में अनुमोदित अभ्यर्थी का मनोनयन निरस्त करते हुये अन्य अभ्यर्थी का मनोनयन तभी माना जायेगा जबकि प्ररूप 'ख' में यह स्पष्ट उल्लेख हो कि पूर्व में अनुमोदित अभ्यर्थी का मनोनयन निरस्त कर दिया गया है और दल के अध्यक्ष या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्ररूप 'ख' इस आदेश के खण्ड़ 6 में बतायी गयी समयावधि के भीतर रिटर्निंग अधिकारी को प्राप्त हो गया हो।

परन्तु यह और कि यदि किसी एक ही वार्ड के निर्वाचन के लिये एक से अधिक प्ररूप 'ख' भिन्न– भिन्न अभ्यर्थियों का मनोनयन वर्णित करते हुये रिटर्निंग अधिकारी को प्राप्त होते हैं और दल यह बताने में असफल रहता है कि पूर्ववर्ती प्ररूप 'ख' वापिस ले लिया गया है या ले लिये गये हैं, तो रिटर्निंग अधिकारी केवल ऐसे एक अभ्यर्थी को ही उक्त दल द्वारा खड़ा किया हुआ मानेगा जिसका नाम निर्देशन पत्र सबसे पहले प्राप्त हुआ है और शेष अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के लिये यह माना जायेगा कि वे दल द्वारा खडे नहीं किये गये हैं।

9. **<u>विनिर्दिष्ट प्रतीकों से भिन्न प्रतीकों के चयन व आवंटन पर निषेध</u>** – जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खडे नहीं किये गये हों, उन्हें नगरपालिका सदस्य के निर्वाचन में संलग्न सारणी–2 के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट मुक्त प्रतीकों में से ही निर्वाचन प्रतीक आवंटित किये जायेंगे। अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रतीक आवंटित करते समय उनके द्वारा नामनिर्देशन–पत्र में उल्लिखित रूचि को ध्यान में रखा जायेगा। कोई भी अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार विनिर्दिष्ट निर्वाचन प्रतीकों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतीक की मांग नहीं

कर सकता है और यदि उसके द्वारा अपने नामनिर्देशन–पत्रों में किसी अन्य प्रतीक का उल्लेख किया गया हो तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा।

10. **<u>प्रथम नाम निर्देशन–पत्र में चुने गये प्रतीकों पर विचार किया जाना</u>** – अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम नामनिर्देशन–पत्र में दर्शाये गये प्रतीकों पर ही विचार किया जायेगा, भले ही वह नामनिर्देशन–पत्र संवीक्षा के दौरान खारिज ही क्यों न हो गया हो। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत बाद के किसी नामनिर्देशन–पत्र में उल्लिखित (Mentioned) प्रतीकों को विचार में नहीं लिया जावेगा;

परन्तु किसी दल द्वारा खडे किये अभ्यर्थी के प्रकरण में ऐसे नामनिर्देशन पत्र, जिसमे अभ्यर्थी ने स्वयं को उस दल द्वारा खड़ा किया जाने की घोषणा की हो, में दर्शाये गये दल के आरक्षित प्रतीक पर विचार किया जायेगा, भले ही ऐसा नाम निर्देशन पत्र प्रथम नहीं हो;

परन्तु यह और कि यदि किसी अभ्यर्थी ने अपने भिन्न–भिन्न नामनिर्देशन पत्रों में भिन्न–भिन्न दलों द्वारा स्वयं को खड़ा किया जाने की घोषणा इस अधिसूचना के खण्ड़ 6(क) के अन्तर्गत की है तो ऐसे नाम निर्देशन पत्र, जिसमें दर्शाये गये दल ने खण्ड़ 6 के अन्तर्गत नोटिस द्वारा अभ्यर्थी का मनोनयन किया है, पर विचार किया जायेगा और यदि अभ्यर्थी का एक से अधिक दलों ने खण्ड़ 6 के अंतर्गत नोटिस द्वारा मनोनयन किया है तो ऐसे नामनिर्देशन पत्रों में पश्चात्वर्ती नामनिर्देशन पत्र में की गयी घोषणा पर ही विचार किया जायेगा तथा पूर्ववर्ती नामनिर्देशन पत्रों में की गयी घोषणाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण– 1. यदि अभ्यर्थी ने प्रथम नाम निर्देशन पत्र में स्वयं को किसी दल द्वारा खड़ा किये जाने की घोषणा की है, साथ ही मुक्त निर्वाचन प्रतीकों का भी चयन किया है और अभ्यर्थी को दल द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है तब उक्त प्रथम नाम निर्देशन पत्र में दर्शाये गये मुक्त प्रतीकों पर ही विचार किया जायेगा।

2. ऐसे मामले में जहाँ अभ्यर्थी ने किसी दल द्वारा खडे किये जाने की उम्मीद में प्रथम नाम निर्देशन पत्र में स्वयं को दल द्वारा खड़ा किया जाना घोषित किया है, लेकिन निर्वाचन प्रतीकों का चयन नहीं किया है और दल ने उसे अनुमोदित नहीं किया है तो द्वितीय नाम निर्देशन पत्र में उल्लिखित निर्वाचन प्रतीक के आवंटन के प्रयोजनार्थ प्रथम माना जायेगा। यदि द्वितीय और तृतीय नाम निर्देशन पत्र भी इसी प्रकार दल द्वारा खड़े किये जाने की घोषणा करते हुए प्रस्तुत किये गये हैं और प्रतीकों का चयन नहीं किया गया है तो चतुर्थ नाम निर्देशन पत्र में दर्शाये गये प्रतीकों पर विचार किया जायेगा। यदि किसी भी नाम निर्देशन पत्र में प्रतीकों का चयन नहीं किया गया है तो खण्ड 11 के अर्न्तगत मुक्त प्रतीक आवंटित किये जायेंगे।

11. **<u>अन्य अभ्यर्थियों (निर्दलीय अभ्यर्थियों) को प्रतीकों का आवंटन</u>** – ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें किसी दल ने खड़ा नहीं किया है, उनके प्रथम नामनिर्देशन पत्र में अंकित प्राथमिकता क्रम के आधार पर सारणी–2 में से निम्नानुसार निर्वाचन प्रतीक आवंटित किया जायेगा :–

(क) यदि रूचि में प्रथम वरीयता पर उल्लिखित प्रतीक को एक ही अभ्यर्थी द्वारा चाहा गया है तो वह प्रतीक उसी उम्मीदवार को आवंटित कर दिया जायेगा,

(ख) यदि एक ही प्रतीक को एक से अधिक अभ्यर्थियों ने अपनी रूचि की प्रथम वरीयता पर रखा हो तो मुक्त प्रतीक के आवंटन का निर्णय 'लॉट' (Lot) द्वारा किया जायेगा। जिस अभ्यर्थी के पक्ष में लॉट (Lot) निकले उसे ही वह प्रतीक आवंटित

किया जायेगा। लॉट (Lot) निकालने की कार्यवाही उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के समक्ष की जाएगी,

(ग) रूचि में प्रथम वरीयता पर उल्लिखित प्रतीकों का आवंटन हो जाने पर, शेष बचे अभ्यर्थियों को उनकी रूचि की द्वितीय वरीयता पर उल्लिखित प्रतीकों का आवंटन उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

(घ) तत्पश्चात् शेष रहे अभ्यर्थियों को उनकी रूचि की तृतीय वरीयता पर उल्लिखित निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन उपरोक्तानुसार ही किया जायेगा, और

(ड.) प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वरीयता के सभी निर्वाचन प्रतीक आवंटित हो जाने के पश्चात् यदि कोई अभ्यर्थी ऐसा रह जाता है, जिसे अपनी रूचि का (तीन में से) कोई प्रतीक आवंटित न हुआ हो या जिसने कोई रूचि ही न दी हो तो उसे सारणी–2 के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट मुक्त निर्वाचन प्रतीकों में से क्रम में सबसे ऊपर वाला वह प्रतीक आवंटित किया जायेगा जो किसी को आवंटित नहीं किया गया है। प्रतीकों का क्रमवार इस प्रकार का आवंटन, अभ्यर्थियों को हिन्दी वर्णक्रमानुसार चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची में, उनके नामों के अनुसार (एक के बाद एक) किया जायेगा।

12. **<u>निर्वाचन प्रतीकों के आवंटन में रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय एवं उनका पुनरीक्षण</u>** :– रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किसी अभ्यर्थी को किसी प्रतीक का आवंटन अंतिम होगा सिवाय वहां के जहाँ वह राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त जारी किये गये निदेशों से असंगत है, उस स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग आवंटन को ऐसी रीति से पुनरीक्षित कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

13. **<u>अनुदेश तथा निदेश निकालने की आयोग की शक्ति</u>** – राज्य निर्वाचन आयोग,–

(क) इस आदेश के उपबन्धों मे से किसी का स्पष्टीकरण करने के लिए;

(ख) किसी ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए, जो किन्हीं ऐसे उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में उत्पन्न हो; तथा

(ग) प्रतीकों के आरक्षण तथा आवंटन के किसी मामले के संबंध में जिसके लिए इस आदेश में कोई उपबन्ध नहीं है या उपबन्ध अपर्याप्त है, तथा जिसके लिए निर्वाचनों के निर्बाध तथा व्यवस्थित संचालन के लिए आयोग की राय में उपबन्ध करना आवश्यक है, अनुदेश तथा निदेश निकाल सकेगा।

सारणी–1

(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल व आरक्षित प्रतीक)

क.सं.	मान्यता प्राप्त दल	आरक्षित प्रतीक
1.	2.	3.
A- राष्ट्रीय दल		
1.	आम आदमी पार्टी	झाडू
2.	बहुजन समाज पार्टी	हाथी
3.	भारतीय जनता पार्टी	कमल
4.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट)	हथौड़ा, हँसिया और सितारा
5.	इंडियन नेशनल कॉंग्रेस	हाथ
6.	नेशनल पीपुल्स पार्टी	किताब
B- राज्यीय दल (राजस्थान राज्य के लिए)		
1.	राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी	बोतल
2.	भारत आदिवासी पार्टी	हॉकी और बॉल

सारणी–2

(नगरपालिका सदस्य के निर्वाचन के लिए मुक्त प्रतीकों की सूची)

क्र.सं.	मुक्त प्रतीक	क्र.सं.	मुक्त प्रतीक
1.	अलमारी	2.	चप्पलें
3.	सेब	4.	कोट
5.	गुब्बारा	6.	चारपाई
7.	चूड़ियाँ	8.	मिक्सी
9.	मोतियों का हार	10.	पेन्सिल डिब्बा
11.	बेन्च	12.	तकिया
13.	आदमी व पाल युक्त नौका	14.	बिजली का खंभा
15.	बक्सा	16.	बाँसुरी
17.	ईंटें	18.	फ्राक
19.	बाल्टी	20.	रेफ्रिजरेटर
21.	लिफाफा	22.	टेलीविजन
23.	फव्वारा	24.	टेलीफोन
25.	फूलगोभी	26.	गैस का चूल्हा
27.	जंजीर	28.	टॉफियाँ
29.	चक्की	30.	साइकिल पम्प
31.	अंगूर	32.	आरी
33.	हरी मिर्च	34.	स्कूल का बस्ता
35.	हाथ गाड़ी	36.	कैंची
37.	हारमोनियम	38.	सिलाई की मशीन
39.	आइस क्रीम	40.	जूता

प्ररूप – 'क'

राज्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खडे किये गये उम्मीदवारों के नामों की सूचना के लिये प्राधिकृत व्यक्तियों के संबंध में सूचना

(देखिए अधिसूचना संख्या एफ 4(1)(1)नपा/रानिआ/14/4178 दिनांक 17.10.2025 का खण्ड़ 6)

प्रेषिति –

रिटर्निंग अधिकारी,
नगरपालिका ....

विषयः– नगरपालिका सदस्य के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन– उम्मीदवारों के नामों की सूचना देने के लिये व्यक्तियों का प्राधिकृत किया जाना।

महोदय,

अधिसूचना संख्या एफ 4(1)(1)/नपा/रानिआ/14/4178 दिनांक 17.10.2025 के खण्ड़ (6) के अनुसरण में, मैं, इसके द्वारा संसूचित करता/करती हूँ कि ऊपर उद्धृत निर्वाचन में दल द्वारा खडे किये जाने के लिये प्रस्तावित उम्मीदवारों के नामों की सूचना देने के लिये .... (दल का नाम) जो निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के अंतर्गत राजस्थान में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल है, द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को प्राधिकृत किया गया है :–

सूचना भेजने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति का नाम	दल में धारित पद का नाम	नगरपालिका का नाम और वार्ड संख्या जिसके संबंध में उसे प्राधिकृत किया गया है
1.	2.	3.
1. 2. 3.		

2. इस प्रकार प्राधिकृत ऊपर उल्लिखित व्यक्ति/व्यक्तियों के हस्ताक्षरों के नमूने नीचे दिये गये हैं :–

1. श्री .... के नमूना हस्ताक्षर
   (1) .... (2) .... (3) ....
2. श्री .... के नमूना हस्ताक्षर
   (1) .... (2) .... (3) ....
3. श्री .... के नमूना हस्ताक्षर
   (1) .... (2) .... (3) ....

भवदीय,

स्थानः ....
दिनांक ....

अध्यक्ष/दल के प्रधिकृत व्यक्ति का नाम
एवं हस्ताक्षर व दल का नाम दल की मोहर सहित

नोटः– 1. यह प्ररूप नाम निर्देशन–पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को 3.00 बजे अपरान्ह तक रिटर्निंग अधिकारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत हो जाना चाहिये।
2. प्ररूप उपर्युक्त पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा स्याही से हस्ताक्षरित किया जाना चाहिये। किसी पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति के अनुलिपि (Facsimile) हस्ताक्षर या रबड़ स्टाम्प के हस्ताक्षरों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
3. फैक्स/ई–मेल/व्हाट्सअप इत्यादि से भेजा गया प्ररूप मान्य नहीं होगा।

प्ररूप–'ख'

राज्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खडे किये गये उम्मीदवारों के नामों के बारे में सूचना

(देखिए अधिसूचना संख्या एफ4(1)(1)नपा/रानिआ/2014/4178 दिनांक 17.10.2025 का खण्ड़ 6)

प्रेषितः–

रिटर्निंग अधिकारी,
नगरपालिका ——————————————

विषय :– **नगरपालिका सदस्यों के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार खडे करना ।**

महोदय,

अधिसूचना संख्या एफ 4(1)(1)नपा/रानिआ/2014/4178 दिनांक 17.0.2025 के खण्ड़ (6) के अनुसरण में.. (दल का नाम) जो निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के अंतर्गत राजस्थान में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल है, ने निम्नलिखित व्यक्तियों को ऊपर उद्धृत निर्वाचन में अपने उम्मीदवारों के रूप में उनके सामने बताये गये वार्ड से खडा किया है । मैं उक्त दल की ओर से एत्‌दद्वारा सूचना देता हूँ कि वह व्यक्ति जिसका विवरण नीचे :–

1.(i) स्तम्भ 3 से 5 में दिया गया है उक्त दल का अनुमोदित अभ्यर्थी है, और

(ii) वह व्यक्ति जिसका विवरण नीचे स्तम्भ 6 से 8 में वर्णित है, दल का प्रतिस्थानी अभ्यर्थी है, जो अनुमोदित अभ्यर्थी के नाम निर्देशन–पत्र की संवीक्षा में खारिज किये जाने अथवा उसके अभ्यर्थिता वापस लेने पर उसका स्थान लेगा, यदि प्रतिस्थानी अभ्यर्थी अभी भी निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी है :–

नगर–पालिका का नाम	वार्ड संख्या	अनुमोदित उम्मीदवार का नाम	अनुमोदित उम्मीदवार के*पिता/ माता / पति का नाम	अनुमोदित उम्मीदवार का डाक का पता	प्रतिस्थानी उम्मीदवार का नाम (जो अनुमोदित उम्मीदवार के नामनिर्देशन– पत्र को संवीक्षा में रद्द कर दिये जाने/अभ्यर्थिता वापस लेने पर उसका स्थान लेगा, यदि प्रतिस्थानी अभ्यर्थी अभी भी निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी है।	प्रतिस्थानी उम्मीदवार के*पिता/ माता/ पति का नाम	प्रतिस्थानी उम्मीदवार के डाक का पता
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

2. प्ररूप 'ख' में दल के अनुमोदित अभ्यर्थी के रूप में श्री/श्रीमती/सुश्री .... दल के प्रतिस्थानी अभ्यर्थी के रूप में श्री/श्रीमती/सुश्री .... के पक्ष में पहले दी गई सूचना एत्‌दद्वारा विखंड़ित की जाती है।

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक अभ्यर्थी जिसके नाम का ऊपर उल्लेख किया गया है, इस राजनैतिक दल का एक सदस्य उसका नाम, इस दल के सदस्यों की नामावली में विधिवत्‌ शामिल है।

भवदीय,

स्थानः ....
दिनांकः ....

अध्यक्ष / दल के प्रधिकृत व्यक्ति का नाम
एवं हस्ताक्षर व दल का नाम दल की मोहर सहित

नोटः– 1. यह प्ररूप नाम निर्देशन–पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को 3.00 बजे अपरान्ह से पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत हो जाना चाहिये।
2. प्ररूप उपर्युक्त पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा स्याही से हस्ताक्षरित किया जाना चाहिये। किसी पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति के अनुलिपि (Facsimile) हस्ताक्षर अथवा रबड़ स्टाम्प आदि के माध्यम से किये गये हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किये जायेगें।
3. फैक्स / ई–मेल / व्हाट्सअप से भेजा गया प्ररूप स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. यदि लागू न हो तो प्ररूप का पैरा 2 काट दें और यदि लागू हो तो उसे उचित रूप से भरा जाना चाहिये।

---

*जो लागू नही हो उसे काट दीजिये

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीया,

ह0
(नलिनी कठोतिया)
सचिव

(35)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ.4(1)(1)नपा / रानिआ / 14 / 4171 दिनांक : 17.10.2025

अधिसूचना

राजस्थान राज्य में नगरपालिकाओं के लिए सभी निर्वाचनों में अधीक्षण, निर्देशन तथा नियन्त्रण की शक्तियाँ भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 य क के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है,

और **नगरपालिका अध्यक्षीय पदों के निर्वाचनों** के शुद्व एवं सुचारू संचालन के लिए निर्वाचन प्रतीकों की सूची विहित करने और प्रतीकों के आरक्षण, चयन, आवंटन एवं तत्संबंधी विषयों को विनिर्दिष्ट करने की आवश्यकता है,

अतः राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 20 तथा 78 एवं 78A के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 य क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस निमित्त आयोग को समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी पूर्व की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(1)(1)नपा / रानिआ / 14 / 2979 दिनांक 20.08.2019, संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ.4(1)(1)नपा / रानिआ / 14 / 3880 दिनांक 07.10.2019, अधिसूचना क्रमांक एफ.4(1)(1)नपा / रानिआ / 14 / 1895 दिनांक 24.05.2023, अधिसूचना क्रमांक एफ.4(1)(1)नपा / रानिआ / 14 / 1431 दिनांक 06.05.2025 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ.4(1)(1)नपा / रानिआ / 14 / 2462 दिनांक 28.07.2025 को अधिक्रमित करते हुए निम्न आदेश जारी करता है:–

1. <u>संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारम्भ</u> –
   (1) इस आदेश का नाम राजस्थान नगरपालिका निर्वाचन प्रतीक (अध्यक्षीय पदों के निर्वाचन हेतु सूची और आवंटन) आदेश, 2025 है,
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है तथा यह नगरपालिकाओं के अध्यक्षीय पदों के निर्वाचन के संबंध में लागू होगा, और
   (3) यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।
2. परिभाषाए – इस आदेश में जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –
   (i) "सविरोध निर्वाचन" से नगरपालिका के अध्यक्ष के लिए ऐसा निर्वाचन अभिप्रेत है जिसमें मतदान होता है;
   (ii) "निर्वाचन" से नगरपालिका के अध्यक्षीय पद के लिए "साधारण निर्वाचन" और "उप निर्वाचन" अभिप्रेत है;
   (iii) "प्ररूप ग" से इस आदेश के संलग्न प्ररूप "ग" अभिप्रेत है;
   (iv) "प्ररूप घ" से इस आदेश के संलग्न प्ररूप "घ" अभिप्रेत है;
   (v) "खण्ड" से इस आदेश का खण्ड़ अभिप्रेत है;
   (vi) "दल" से मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल अभिप्रेत है;
   (vii) "मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल" से निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन राजस्थान राज्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल अभिप्रेत है;
   (viii) "नियम" से राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम अभिप्रेत है;
   (ix) "सारणी–1" से इस आदेश के संलग्न सारणी–1 अभिप्रेत है;

(x) "सारणी–2" से इस आदेश के सलंग्न सारणी–2 से अभिप्रेत है;

(xi) "अध्यक्ष" से किसी नगरपालिका मण्डल का अध्यक्ष, नगरपरिषद् का सभापति और नगर निगम का मेयर अभिप्रेत है; और

(xii) जो शब्द और पद इस आदेश में प्रयुक्त किये गये हैं किन्तु परिभाषित नहीं किये गये हैं और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 अथवा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे, जो उक्त अधिनियम और नियम में क्रमशः समनुदिष्ट किये गये हैं।

3. **<u>निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन</u>** – निर्वाचन लडने वाले अभ्यार्थियों को इस आदेश के उपबन्धों के अधीन प्रत्येक सविरोध निर्वाचन में एक प्रतीक आंवटित किया जायेगा तथा किसी नगरपालिका के अध्यक्ष के लिए निर्वाचन में भिन्न–भिन्न अभ्यर्थियों को भिन्न–भिन्न प्रतीक आवंटित किया जायेगा।

4. **<u>निर्वाचन प्रतीकों का वर्गीकरण</u>** –

(1) इस आदेश के प्रयोजन के लिए प्रतीक, या तो आरक्षित हैं अथवा मुक्त।

(2) आरक्षित प्रतीक वह प्रतीक है जो सारणी–1 के स्तंभ 2 में वर्णित दल के लिए, उस दल के सम्मुख स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(3) मुक्त प्रतीक ऐसा प्रतीक है जो आरक्षित प्रतीक से भिन्न है और जिसे सारणी–2 के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

5. **<u>दलों के अभ्यर्थियों द्वारा प्रतीकों का चयन तथा उनका आवंटन</u>** –

(1) सारणी–1 के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट आरक्षित प्रतीक उसके सम्मुख स्तम्भ 2 में वर्णित दल द्वारा किसी निर्वाचन में खड़े किये गये अभ्यर्थी को ही आवंटित किया जायेगा, अन्य अभ्यर्थी को नहीं।

(2) सारणी–1 के स्तम्भ 2 में वर्णित दल द्वारा किसी निर्वाचन में खड़े किये गये अभ्यर्थी को उस दल के सम्मुख स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट प्रतीक ही आवंटित किया जायेगा, कोई अन्य प्रतीक नहीं।

6. **<u>कोई अभ्यर्थी किसी दल द्वारा खड़ा किया गया कब माना जायेगा</u>** – कोई अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खडा किया गया तभी माना जायेगा, जबकि :–

(क) उस अभ्यर्थी ने अपने नाम निर्देशन पत्र में उस आशय की घोषणा की हो,

(ख) संबंधित राजनैतिक दल के अध्यक्ष या राज्य इकाई के प्रमुख या इस निमित्त उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित **प्ररूप 'घ'** में इस आशय की लिखित सूचना **नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के अन्तिम दिनांक को 3 बजे अपरान्ह तक** रिटर्निंग अधिकारी को प्रदत्त कर दी गई हो,

(ग) यदि राजनैतिक दल के अध्यक्ष या राज्य इकाई के प्रमुख द्वारा नियम 12 के उपनियम (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत किया है और इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को पत्र प्रेषित किया हो तो प्राधिकृत व्यक्ति के नमूने के हस्ताक्षर **प्ररूप 'ग'** में रिटर्निंग अधिकारी को **नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक के अपरान्ह 3.00 बजे तक** उपलब्ध करा दिये गये हों, और

(घ) **प्ररूप 'ग' और प्ररूप 'घ'** पूर्वोक्त पदाधिकारी अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा केवल स्याही से हस्ताक्षरित किये गये हों।

स्पष्टीकरण–1 इस खण्ड़ के उप खण्ड़ (ख) एवं (ग) में किसी राजनैतिक दल की राज्य इकाई के प्रमुख से अभिप्रेत दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष और जहां दल की राज्य इकाई का अध्यक्ष पद नहीं है, वहां सचिव से है।

स्पष्टीकरण–2 राजनैतिक दलों द्वारा उनके दल की राज्य ईकाई के प्रमुख के हस्ताक्षर निर्वाचन की लोकसूचना जारी होने की तिथि से पूर्व आयोग को उपलब्ध कराए जायेंगे। आयोग द्वारा उक्त नमूने के हस्ताक्षर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्फत प्रेषित किए जायेंगे।

स्पष्टीकरण–3 प्ररूप 'ग' और, यथास्थिति, प्ररूप 'घ' पर यदि दल के किसी पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति के अनुलिपि (Facsimile) हस्ताक्षर या रबड़ स्टाम्पों के हस्ताक्षर है तो उन्हें नहीं माना जायेगा तथा फैक्स/ई–मेल/व्हाट्सअप इत्यादि द्वारा प्रेषित कोई प्ररूप भी स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7. **दल द्वारा खड़ा किया गया प्रतिस्थानी अभ्यर्थी (Substitute Candidate) –**

(1) प्ररूप 'घ' के स्तम्भ 6 में वर्णित प्रतिस्थानी उम्मीदवार (Substitute Candidate) जिसका नाम निर्देशन पत्र संवीक्षा में खारिज नहीं किया गया हो एवं उसके द्वारा अभ्यर्थिता वापस नहीं ली गई हो, को उस दल द्वारा खड़ा किया गया तभी माना जायेगा जबकि उस दल के अनुमोदित उम्मीदवार का नाम निर्देशन–पत्र को नियम–13 के अन्तर्गत संवीक्षा में रद्द कर दिया गया हो या उसने अपनी अभ्यर्थिता नियम–16 के अन्तर्गत वापस ले ली हों।

(2) ऐसी स्थिति में जहाँ दल के अनुमोदित अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र स्वीकार कर लिया जाता है और वह अपनी अभ्यर्थिता वापिस नहीं लेता है, यदि प्ररूप 'घ' के स्तम्भ 6 में वर्णित प्रतिस्थानी उम्मीदवार (Substitute Candidate) का नामनिर्देशन–पत्र भी स्वीकार कर लिया जाता है तथा ऐसा प्रतिस्थानी उम्मीदवार (Substitute Candidate) भी अपनी अभ्यर्थिता वापिस नहीं लेता है तो ऐसे प्रतिस्थानी उम्मीदवार (Substitute Candidate) को दल द्वारा खड़ा किया गया नहीं माना जायेगा और उसे मुक्त प्रतीक इस आदेश के खण्ड़ 11 के अनुसार आवंटित किया जायेगा।

8. **दल द्वारा अनुमोदित अभ्यर्थी को प्रतिस्थापित किया जाना** – यदि किसी दल द्वारा पूर्व में अनुमोदित अभ्यर्थी का मनोनयन निरस्त करते हुये अन्य अभ्यर्थी को अनुमोदित किया गया हैं तो अन्य अभ्यर्थी को ही दल का अनुमोदित अभ्यर्थी माना जायेगा।

परन्तु दल द्वारा पूर्व में अनुमोदित अभ्यर्थी का मनोनयन निरस्त करते हुये अन्य अभ्यर्थी का मनोनयन तभी माना जायेगा जबकि प्ररूप 'घ' में यह स्पष्ट उल्लेख हो कि पूर्व में अनुमोदित अभ्यर्थी का मनोनयन निरस्त कर दिया गया है और दल के अध्यक्ष या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्ररूप 'घ' इस आदेश के खण्ड़ 6 में बतायी गयी समयावधि के भीतर रिटर्निंग अधिकारी को प्राप्त हो गया हो।

परन्तु यह और कि यदि अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिये एक से अधिक प्ररूप 'घ' भिन्न भिन्न अभ्यर्थियों का मनोनयन वर्णित करते हुये रिटर्निंग अधिकारी को प्राप्त होते हैं और दल यह बताने में असफल रहता है कि पूर्ववर्ती प्ररूप 'घ' वापिस ले लिया गया है या ले लिये गये हैं, तो रिटर्निंग अधिकारी केवल ऐसे एक अभ्यर्थी को ही उक्त दल द्वारा खड़ा किया हुआ मानेगा जिसका नाम निर्देशन पत्र सबसे पहले प्राप्त हुआ है और शेष अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के लिये यह माना जायेगा कि वे दल द्वारा खडे नहीं किये गये हैं।

11. **विनिर्दिष्ट प्रतीकों से भिन्न प्रतीकों के चयन व आवंटन पर निषेध** – जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खडे नहीं किये गये हों, उन्हें नगरपालिका अध्यक्ष के निर्वाचन में संलग्न सारणी–2 के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट मुक्त प्रतीकों में से ही निर्वाचन प्रतीक आवंटित किये जायेंगे। अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रतीक आवंटित करते समय उनके द्वारा नामनिर्देशन–पत्र में उल्लिखित रूचि को ध्यान में रखा जायेगा। कोई भी अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार विनिर्दिष्ट निर्वाचन प्रतीकों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतीक की मांग नहीं

कर सकता है और यदि उसके द्वारा अपने नामनिर्देशन–पत्रों में किसी अन्य प्रतीक का उल्लेख किया गया हो तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा।

12. **<u>प्रथम नाम निर्देशन–पत्र में चुने गये प्रतीकों पर विचार किया जाना</u>** – अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम नामनिर्देशन–पत्र में दर्शाये गये प्रतीकों पर ही विचार किया जायेगा, भले ही वह नामनिर्देशन–पत्र संवीक्षा के दौरान खारिज क्यों न हो गया हो। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत बाद के किसी नामनिर्देशन–पत्र में उल्लिखित (Mentioned) प्रतीकों को विचार में नहीं लिया जायेग;

परन्तु किसी दल द्वारा खडे किये अभ्यर्थी के प्रकरण में ऐसे नामनिर्देशन पत्र, जिसमे अभ्यर्थी ने स्वयं को उस दल द्वारा खड़ा किया जाने की घोषणा की हो, में दर्शाये गये दल के आरक्षित प्रतीक पर विचार किया जायेगा, भले ही ऐसा नाम निर्देशन पत्र प्रथम नहीं हो;

परन्तु यह और कि यदि किसी अभ्यर्थी ने अपने भिन्न–भिन्न नामनिर्देशन पत्रों में भिन्न–भिन्न दलों द्वारा स्वयं को खड़ा किया जाने की घोषणा इस अधिसूचना के खण्ड़ 6(क) के अन्तर्गत की है तो ऐसे नाम निर्देशन पत्र, जिसमें दर्शाये गये दल ने खण्ड़ 6 के अन्तर्गत नोटिस द्वारा अभ्यर्थी का मनोनयन किया है, पर विचार किया जायेगा और यदि अभ्यर्थी का एक से अधिक दलों ने खण्ड़ 6 के अंतर्गत नोटिस द्वारा मनोनयन किया है तो ऐसे नामनिर्देशन पत्रों में पश्चात्वर्ती नामनिर्देशन पत्र में की गयी घोषणा पर ही विचार किया जायेगा तथा पूर्ववर्ती नामनिर्देशन पत्रों में की गयी घोषणाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण– 1. यदि अभ्यर्थी ने प्रथम नाम निर्देशन पत्र में स्वयं को किसी दल द्वारा खड़ा किये जाने की घोषणा की है, साथ ही मुक्त निर्वाचन प्रतीकों का भी चयन किया है और अभ्यर्थी को दल द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है तब उक्त प्रथम नाम निर्देशन पत्र में दर्शाये गये मुक्त प्रतीकों पर ही विचार किया जायेगा।

2. ऐसे मामले में जहाँ अभ्यर्थी ने किसी दल द्वारा खडे किये जाने की उम्मीद में प्रथम नाम निर्देशन पत्र में स्वयं को दल द्वारा खड़ा किया जाना घोषित किया है, लेकिन निर्वाचन प्रतीकों का चयन नहीं किया है और दल ने उसे अनुमोदित नहीं किया है तो द्वितीय नाम निर्देशन पत्र में उल्लिखित निर्वाचन प्रतीक के आवंटन के प्रयोजनार्थ प्रथम माना जायेगा। यदि द्वितीय और तृतीय नाम निर्देशन पत्र भी इसी प्रकार दल द्वारा खड़े किये जाने की घोषणा करते हुए प्रस्तुत किये गये हैं और प्रतीकों का चयन नहीं किया गया है तो चतुर्थ नाम निर्देशन पत्र में दर्शाये गये प्रतीकों पर विचार किया जायेगा। यदि किसी भी नाम निर्देशन पत्र में प्रतीकों का चयन नहीं किया गया है तो खण्ड 11 के अर्न्तगत मुक्त प्रतीक आवंटित किये जायेंगे।

13. **<u>अन्य अभ्यर्थियों (निर्दलीय अभ्यर्थियों) को प्रतीकों का आवंटन</u>** – ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें किसी दल ने खड़ा नहीं किया है, उनके प्रथम नामनिर्देशन पत्र में अंकित प्राथमिकता के आधार पर सारणी–2 में से निम्नानुसार निर्वाचन प्रतीक आवंटित किया जायेगा :–

(क) यदि रूचि में प्रथम वरीयता पर उल्लिखित प्रतीक को एक ही अभ्यर्थी द्वारा चाहा गया है तो वह प्रतीक उसी उम्मीदवार को आवंटित कर दिया जायेगा,

(ख) यदि एक ही प्रतीक को एक से अधिक अभ्यर्थियों ने अपनी रूचि की प्रथम वरीयता पर रखा हो तो मुक्त प्रतीक के आवंटन का निर्णय 'लॉट' (Lot) द्वारा किया जायेगा। जिस अभ्यर्थी के पक्ष में लॉट (Lot) निकले उसे ही वह प्रतीक आवंटित किया जायेगा। लॉट (Lot) निकालने की कार्यवाही उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के समक्ष की जाएगी,

(ग) रूचि में प्रथम वरीयता पर उल्लिखित प्रतीकों का आवंटन हो जाने पर, शेष बचे अभ्यर्थियों को उनकी रूचि की द्वितीय वरीयता पर उल्लिखित प्रतीकों का आवंटन उपरोक्त के अनुसार किया जायेगा।

(घ) तत्पश्चात् शेष रहे अभ्यर्थियों को उनकी रूचि की तृतीय वरीयता पर उल्लिखित निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन उपरोक्तानुसार ही किया जायेगा, और

(ड.) प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वरीयता के सभी निर्वाचन प्रतीक आवंटित हो जाने के पश्चात् यदि कोई अभ्यर्थी ऐसा रह जाता है, जिसे अपनी रूचि का (तीन में से) कोई प्रतीक आवंटित न हुआ हो या जिसने कोई रूचि ही न दी हो तो उसे सारणी–2 के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट मुक्त निर्वाचन प्रतीकों में से क्रम में सबसे ऊपर वाला वह प्रतीक आवंटित किया जायेगा जो किसी को आवंटित नहीं किया गया है। प्रतीकों का क्रमवार इस प्रकार का आवंटन, अभ्यर्थियों को हिन्दी वर्णक्रमानुसार चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची में, उनके नामों के अनुसार (एक के बाद एक) किया जायेगा।

14. **<u>निर्वाचन प्रतीकों के आवंटन में रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय एवं उनका पुनरीक्षण</u> :–** रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किसी अभ्यर्थी को किसी प्रतीक का आवंटन अंतिम होगा सिवाय वहां के जहाँ वह राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त जारी किये गये निदेशों से असंगत है, उस स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग आवंटन को ऐसी रीति से पुनरीक्षित कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

15. **<u>अनुदेश तथा निदेश निकालने की आयोग की शक्ति</u>** – राज्य निर्वाचन आयोग,–

(क) इस आदेश के उपबन्धों मे से किसी का स्पष्टीकरण करने के लिए;

(ख) किसी ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए, जो किन्हीं ऐसे उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में उत्पन्न हो; तथा

(ग) प्रतीकों के आरक्षण तथा आबंटन के किसी मामले के संबंध में जिसके लिए इस आदेश में कोई उपबन्ध नहीं है या उपबन्ध अपर्याप्त है, तथा जिसके लिए निर्वाचनों के निर्बाध तथा व्यवस्थित संचालन के लिए आयोग की राय में उपबन्ध करना आवश्यक है, अनुदेश तथा निदेश निकाल सकेगा।

सारणी–1
(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल व आरक्षित प्रतीक)

क.सं.	**मान्यता प्राप्त दल**	**आरक्षित प्रतीक**
1.	**2.**	**3.**
A- राष्ट्रीय दल		
1.	आम आदमी पार्टी	झाडू
2.	बहुजन समाज पार्टी	हाथी
3.	भारतीय जनता पार्टी	कमल
4.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट)	हथौड़ा, हँसिया और सितारा
5.	इंडियन नेशनल कॉंग्रेस	हाथ
6.	नेशनल पीपुल्स पार्टी	किताब
B- राज्यीय दल (राजस्थान राज्य के लिए)		
1.	राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी	बोतल
2.	भारत आदिवासी पार्टी	हॉकी और बॉल

सारणी–2
(नगरपालिका अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए मुक्त प्रतीकों की सूची)

क्र.सं.	मुक्त प्रतीक	क्र.सं.	मुक्त प्रतीक
41.	प्रेस	42.	स्लेट
43.	कटहल	44.	जुराबें
45.	केतली	46.	सोफा
47.	भिंडी	48.	हेलमेट
49.	लेडी पर्स	50.	स्टूल
51.	कुन्डी	52.	झूला
53.	लैटर बाक्स	54.	सिरिन्ज
55.	माचिस की डिब्बी	56.	मेज
57.	माईक	58.	टैन्ट
59.	कड़ाही	60.	कैमरा
61.	नाशपाती	62.	चिमटा
63.	ट्यूब लाइट	64.	दाँत ब्रुश
65.	मूसल और खरल	66.	टूथपेस्ट
67.	पेट्रोल पम्प	68.	ट्रक
69.	करनी	70.	टायर
71.	बिस्कुट	72.	छड़ी
73.	प्रैशर कुकर	74.	दीवार खूंटी
75.	रेजर	76.	अखरोट
77.	खिड़की	78.	तरबूज
79.	रोड रोलर	80.	पानी का टैंक

प्ररूप – 'ग'

राज्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खडे किये गये उम्मीदवारों के नामों की सूचना के लिये प्राधिकृत व्यक्तियों के संबंध में सूचना

(देखिए अधिसूचना संख्या एफ 4(1)(1)नपा/रानिआ/14/4171 दिनांक 17.10.2025 का खण्ड़ 6)

प्रेषिति–

रिटर्निंग अधिकारी,
नगरपालिका ....

विषयः– नगरपालिका अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन–उम्मीदवारों के नामों की सूचना देने के लिये व्यक्तियों का प्राधिकृत किया जाना।

महोदय,

अधिसूचना संख्या एफ 4(1)(1)/नपा/रानिआ/14/............. दिनांक .... के खण्ड़ (6) के अनुसरण में, मैं, इसके द्वारा संसूचित करता/करती हूँ कि ऊपर उद्धृत निर्वाचन में दल द्वारा खडे किये जाने के लिये प्रस्तावित उम्मीदवारों के नामों की सूचना देने के लिये .... (दल का नाम), जो निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश 1968 के अंतर्गत राजस्थान में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल है, द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को प्राधिकृत किया गया है :–

सूचना भेजने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति का नाम	दल में धारित पद का नाम	नगरपालिका का नाम जिसके संबंध में उसे प्राधिकृत किया गया है
1.	2.	3.
1. 2. 3.		

2. इस प्रकार प्राधिकृत ऊपर उल्लिखित व्यक्ति/व्यक्तियों के हस्ताक्षरों के नमूने नीचे दिये गये हैं :–

1. श्री .... के नमूना हस्ताक्षर
   (1) .... (2) .... (3) ....

2. श्री .... के नमूना हस्ताक्षर
   (1) .... (2) .... (3) ....

3. श्री .... के नमूना हस्ताक्षर
   (1) .... (2) .... (3) ....

भवदीय,

स्थानः ....
दिनांक ....

अध्यक्ष/दल के प्रधिकृत व्यक्ति का नाम
एवं हस्ताक्षर व दल का नाम दल की मोहर सहित

नोटः– 1. यह प्ररूप नाम निर्देशन–पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को 3.00 बजे अपरान्ह तक रिटर्निंग अधिकारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत हो जाना चाहिये।

2. प्ररूप उपर्युक्त पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा स्याही से हस्ताक्षरित किया जाना चाहिये। किसी पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति के अनुलिपि (Facsimile) हस्ताक्षर अथवा रबड़ स्टाम्प के हस्ताक्षरों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
3. फैक्स/ई–मेल/व्हाट्सअप इत्यादि से भेजा गया प्ररूप मान्य नहीं होगा।

प्ररूप–'घ'

राज्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खडे किये गये उम्मीदवारों के नामों के बारे में सूचना (नगरपालिका अध्यक्षीय पद के लिए निर्वाचन)

(देखिए अधिसूचना संख्या एफ4(1)(1)नपा/रानिआ/14/.............. दिनांक .... का खण्ड़ 6)

प्रेषितः–

रिटर्निंग अधिकारी,
नगरपालिका ——————————————

विषय :– **नगरपालिका अध्यक्षीय पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार खडे करना ।**

महोदय,

अधिसूचना संख्या एफ 4(1)(1)नपा/रानिआ/2014/ दिनांक के खण्ड़ (6) के अनुसरण में.. (दल का नाम) जो निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के अंतर्गत राजस्थान में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल है, ने निम्नलिखित व्यक्तियों को ऊपर उद्धृत निर्वाचन में अपने उम्मीदवारों के रूप में खडा किया है । मैं उक्त दल की ओर से एत्दद्वारा सूचना देता हूँ कि वह व्यक्ति जिसका विवरण नीचे :–

1.(i) स्तम्भ 3 से 5 में दिया गया है उक्त दल का अनुमोदित अभ्यर्थी है, और

(ii) वह व्यक्ति जिसका विवरण नीचे स्तम्भ 6 से 8 में वर्णित है, दल का प्रतिस्थानी अभ्यर्थी है, जो अनुमोदित अभ्यर्थी के नाम निर्देशन–पत्र की संवीक्षा में खारिज किये जाने अथवा उसके अभ्यर्थिता वापस लेने पर उसका स्थान लेगा, यदि प्रतिस्थानी अभ्यर्थी अभी भी निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी है :–

नगर–पालिका का नाम	वार्ड संख्या	अनुमोदित उम्मीदवार का नाम	अनुमोदित उम्मीदवार के*पिता/माता/पति का नाम	अनुमोदित उम्मीदवार का डाक का पता	प्रतिस्थानी उम्मीदवार का नाम (जो अनुमोदित उम्मीदवार के नामनिर्देशन–पत्र को संवीक्षा में रद्द कर दिये जाने/अभ्यर्थिता वापस लेने पर उसका स्थान लेगा, यदि प्रतिस्थानी अभ्यर्थी अभी भी निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी है।	प्रतिस्थानी उम्मीदवार के*पिता/माता/पति का नाम	प्रतिस्थानी उम्मीदवार के डाक का पता
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

2. प्ररूप 'घ' में दल के अनुमोदित अभ्यर्थी के रूप में श्री/श्रीमती/सुश्री .... दल के प्रतिस्थानी अभ्यर्थी के रूप में श्री/श्रीमती/सुश्री .... के पक्ष में पहले दी गई सूचना एत्दद्वारा विखंड़ित की जाती है।

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक अभ्यर्थी जिसके नाम का ऊपर उल्लेख किया गया है, इस राजनैतिक दल का एक सदस्य है उसका नाम, इस दल के सदस्यों की नामावली में विधिवत् शामिल है।

भवदीय,

स्थानः ....
दिनांकः ....

अध्यक्ष/दल के प्रधिकृत व्यक्ति का नाम
एवं हस्ताक्षर व दल का नाम दल की मोहर सहित

नोटः— 1. यह प्ररूप नाम निर्देशन—पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को 3.00 बजे अपरान्ह से पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत हो जाना चाहिये।
2. प्ररूप उपर्युक्त पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा स्याही से हस्ताक्षरित किया जाना चाहिये। किसी पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति के अनुलिपि (Facsimile) हस्ताक्षर अथवा रबड़ स्टाम्प आदि के माध्यम से किये गये हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किये जायेगें।
3. फैक्स/ई—मेल/व्हाट्सअप से भेजा गया प्ररूप स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. यदि लागू न हो तो प्ररूप का पैरा 2 काट दें और यदि लागू हो तो उसे उचित रूप से भरा जाना चाहिये।

---

* जो लागू नहीं हो उसे काट दीजिये

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीया,

ह0
(नलिनी कठोतिया)
सचिव

भाग – 7

मतदान प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देश

(36)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक : एफ.1(4)(1)नपा / रानिआ / 14 / 1418 दिनांक : 05.02.2026

–:: आदेश ::–

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 25 की उप–धारा (5) के परन्तुक के उपबन्धों के अनुसार उस समय प्रवृत किसी भी विधि के अधीन निवारक–निरोध में रखे गए किसी भी व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त है।

राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों के द्वारा मतदान के लिये प्रक्रिया विहित नहीं होने के कारण राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 97 के अन्तर्गत कठिनाईयों के निराकरण हेतु राज्य निर्वाचन आयोग को प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में निवारक निरोध के अध्यधीन व्यक्तियों के लिये नगरपालिका सदस्य पद के निर्वाचनों में मत अभिलिखित करने के लिए आदेश क्रमांक 4200 दिनांक 21.10.2019 जारी किये गये थे।

उक्त आदेश क्रमांक 4200 दिनांक 21.10.2019 को अधिक्रमित करते हुए आयोग निम्नांकित निर्देश प्रदान करता है:–

(1) कोई भी निर्वाचक अथवा प्राधिकृत अधिकारी (जिसकी अभिरक्षा में वह हो), जो तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन निवारक निरोध के अध्यधीन है, नियम 11 के अधीन लोक नोटिस के जारी होने की तारीख से 7 दिन के अन्दर किसी भी समय डाक मतपत्र द्वारा मत देने के अपने आशय की एक लिखित सूचना, रिटर्निंग अधिकारी को दे सकेगा,

(2) ऐसी प्रत्येक सूचना में, निर्वाचक का नाम, उसका पता तथा निर्वाचक की क्रम संख्या और उसके निवारक निरोध में रहने के स्थान की जानकारी अंकित की जायेगी,

(3) यदि रिटर्निंग अधिकारी को समाधान हो जाये कि वह व्यक्ति जिसने उपखण्ड (1) के अधीन सूचना दी है, निवारक निरोध के अध्यधीन है तथा वह निर्वाचन में मत देने का हकदार है तो वह ऐसे व्यक्ति का मत डाक के माध्यम से प्राप्त करने का प्रबन्ध करेगा,

(4) रिटर्निंग अधिकारी, ऊपर वर्णित बिन्दुओं के अधीन मत देने के हकदार ऐसे प्रत्येक मतदाता को, यथा साध्य शीघ्रता से डाक द्वारा या व्यक्तिशः डाक मतपत्र सुपुर्द करवाने हेतु कार्यवाही करेगा,

(5) निवारक निरोध में निरूद्ध मतदाताओं को मत अभिलिखित करने के लिए आयोग द्वारा विहित किए गए प्ररूप में डाक मतपत्रों का उपयोग किया जाएगा।

(6) डाक मतपत्र भेजने के पहले उसे मतपत्र के प्रतिपर्ण (Counterfoil) पर मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में प्रविष्ट उस मतदाता की क्रम संख्या तथा मतदाता सूची की भाग संख्या अभिलिखित कर देनी चाहिये। मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में सम्बन्धित मतदाता के नाम के सामने शब्द 'डाक मतपत्र' (P.B.) यह उपदर्शित करने के लिये लिख दें कि उस मतदाता को मतपत्र जारी कर दिया गया है किन्तु उसमें उस मतदाता को जारी किए गए मतपत्र की क्रम संख्या अभिलिखित न की जावे। रिटर्निंग अधिकारी को जारी किये गये डाक मतपत्रों के प्रतिपर्णो को एक अलग पैकेट में मुहरबन्द कर उस पैकेट पर उसमें रखी गयी वस्तु का संक्षिप्त विवरण और मुहरबन्द करने की दिनांक अंकित कर अन्य मुहरबन्द निर्वाचन अभिलेख के साथ रखवा देना चाहिये,

(7) रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचक को डाक मतपत्र के साथ–साथ निम्नलिखित सामग्री भी भेजेगा :–

क्र. सं.	सदस्य पद के निर्वाचन के लिए
1.	निर्वाचक द्वारा घोषणा का प्ररूप (परिशिष्ट–1 के अनुसार)
2.	छोटा लिफाफा – 'क' (परिशिष्ट–2 की स्लिप के अनुसार)
3.	बडा लिफाफा – 'ख' जिस पर रिटर्निंग अधिकारी का पता लिखा हो (परिशिष्ट–3 की स्लिप के अनुसार)
4.	निर्वाचकों के मार्गदर्शन के लिये अनुदेश (परिशिष्ट–4 के अनुसार)

(8) प्रत्येक अधिकारी, जिसकी देखरेख में या जिसकी मार्फत कोई डाक मतपत्र भेजा जाये, यह सुनिश्चित करेगा कि वह प्रेषिती को अविलम्ब सुपुर्द कर दिया गया है,

(9) डाक मतपत्र द्वारा मत देने के हकदार ऐसे समस्त निर्वाचकों को मतपत्र जारी कर दिये जाने के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी मतपत्रों के जारी करने के सम्बन्ध में उपयोग में लाई गई निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति को एक पैकेट में सील कर देगा, जिस पर उसकी विषय वस्तु का संक्षिप्त विवरण, वार्ड का नम्बर और वह तारीख जिस दिन वह इसे सील करे, अभिलिखित करेगा,

(10) कोई निर्वाचक, जिसे डाक मतपत्र प्राप्त हो गया है और जो मत देना चाहता है, 'निर्वाचकों के मार्गदर्शन के लिये अनुदेश' में विहित अनुदेशों के अनुसार मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करेगा और तत्पश्चात् उसे छोटा लिफाफा 'क' में सुरक्षित रखकर बन्द कर देगा व इस छोटे लिफाफे के साथ 'निर्वाचक द्वारा घोषणा', जिस पर उसके हस्ताक्षर किसी राजपत्रित अधिकारी या जेल के भारसाधक अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित हो, को बडे लिफाफा 'ख' में बन्द करके रिटर्निंग अधिकारी को भेजेगा,

(11) मतगणना में वे ही डाक मतपत्र शामिल किये जाएगें जो मतगणना प्रारम्भ करने के लिये निश्चित समय तक रिटर्निंग अधिकारी को प्राप्त हो जाएगें।

(12) राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 64–ए के अंतर्गत मतगणना के समय रिटर्निंग अधिकारी निवारक निरोध में निरूद्ध मतदाताओं से प्राप्त हुए डाक मतपत्रों की संवीक्षा करेगा और उन्हें नामंजूर करेगा, यदि :–

 (क) इस आदेश के खण्ड (10) में उल्लिखित 'निर्वाचक द्वारा घोषणा' बडा लिफाफा 'ख' में छोटा लिफाफा 'क' के साथ प्राप्त न हो, या

 (ख) 'निर्वाचक द्वारा घोषणा' सम्यक रूप से हस्ताक्षरित या अनुप्रमाणित न हो अथवा अन्यथा अन्य किसी उचित कारणों से त्रुटिपूर्ण हो, या

 (ग) डाक मतपत्र का लिफाफा निश्चित समय की समाप्ति के बाद प्राप्त हुआ हो, या

 (घ) उपरोक्त नियमों के नियम 64 में निर्दिष्ट एक या अधिक कारणों से मतपत्र नामंजूर किया जा सकेगा परन्तु उपरोक्त डाक मतपत्र इस कारण नामंजूर नहीं किया जायेगा कि उस पर मत अभिलिखित करने वाला चिन्ह् निर्धारित उपकरण से अन्यथा लगाया गया है, किसी भी अभ्यर्थी के खाने मे, जिसे मतदाता अपना मत अभिलिखित करना चाहता है, बालपेन या स्याही से ''X'' (क्रॉस) अथवा ''✓'' (राईट टिक) के चिन्ह् का अंकन पर्याप्त होगा।

(13) रिटर्निंग अधिकारी डाक मतपत्र द्वारा दिये गये प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में विधिमान्य मतों की इस प्रकार गणना करके उनके द्वारा प्राप्त किये गये कुल विधिमान्य मतों में जोड़ेगा।

भवदीय,
ह0
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

परिशिष्ट – 1

निर्वाचक द्वारा घोषणा

*नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरनिगम .... के लिये निर्वाचन

मैं, इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं वही निर्वाचक हूँ जिसे उपर्युक्त *नगरपालिका/ नगरपरिषद/नगरनिगम के वार्ड संख्या .... के निर्वाचन के लिये क्रम संख्या .... वाला डाक मतपत्र जारी किया गया है।

निर्वाचक के हस्ताक्षर

तारीख–

पता –

हस्ताक्षर का अनुप्रमाणन

उपर्युक्त पर श्री .... (निर्वाचक) द्वारा, जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ/जिनकी पहचान श्री .... (पहचानकर्ता) ने की है, जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ मेरे समाधान पर्यन्त मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गये हैं।

पहचानकर्ता, यदि कोई हो, के हस्ताक्षर

पता

अनुप्रमाणित करने वाले अधिकारी का नाम हस्ताक्षर

पदनाम –

पता –

तारीख –

* जो लागू ना हो उसे काट दे।

परिशिष्ट–2

लिफाफा – क

मतगणना से पूर्व नहीं खोला जाना है

*नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरनिगम .... के वार्ड सं. .... के लिये निर्वाचन

डाक मतपत्र

मतपत्र की क्रम संख्या ....

* जो लागू ना हो उसे काट दे।

परिशिष्ट–3

लिफाफा – ख

प्रत्येक अधिकारी, जिसकी देखरेख में या जिसकी मार्फत कोई डाक मतपत्र भेजा जाये, यह सुनिश्चित करेगा कि वह प्रेषिती को अविलम्ब सुपुर्द कर दिया गया है

निर्वाचन–तुरन्त

डाक मतपत्र

*नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरनिगम .... के वार्ड सं. .... के लिये निर्वाचन

(मतगणना से पूर्व नहीं खोला जाना है)

सेवामें,

रिटर्निंग आफिसर
....
....

भेजने वाले के हस्ताक्षर

* जो लागू ना हो उसे काट दे।

परिशिष्ट–4

***नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरनिगम .... के सदस्यों के लिये निर्वाचनों के लिए**

<u>निर्वाचकों के मार्गदर्शन के लिये अनुदेश</u>

इसके साथ भेजे गये मतपत्रों पर जिन व्यक्तियों के नाम छपे हैं वे उक्त निर्वाचन में उम्मीदवार हैं। यदि आप मत देना चाहते हैं तो आपको अपना मत नीचे भाग 1 में दिये गये निर्देशों के अनुसार अभिलिखित करना चाहिये तथा इसके बाद भाग–2 में विस्तृत रूप से दिये गये अनुदेशों का अनुसरण करना चाहिये।

भाग–1 निर्वाचकों के लिये निर्देश

(क) निर्वाचित किये जाने वाले पदों की संख्या दो है। आपको प्रत्येक पद के लिए केवल एक मत देना है।

(ख) यदि आप किसी भी अभ्यर्थी को मत नहीं देना चाहते हैं तो मतपत्र पर अभ्यर्थियों के नामों के पश्चात् अंतिम पैनल में अंकित नोटा (इनमें से कोई नहीं) को मत दे सकते हैं।

(ग) आपको एक से अधिक उम्मीदवारों को मत नहीं देना चाहिये। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका मत–पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(घ) अपना मत, उस उम्मीदवार के नाम के सामने जिसे आप मत देना चाहते हैं बालपेन या स्याही से ''X'' (क्रॉस) अथवा ''✓'' (राईट टिक) का स्पष्ट चिन्ह लगाकर अभिलिखित करें।

(ड.) चिन्ह इस प्रकार लगाया जाय जिससे स्पष्ट रूप से तथा निःसन्देह यह पता चल जाये कि आपने किस उम्मीदवार को मत दिया है। यदि आपने चिन्ह इस प्रकार लगाया है जिससे यह स्पष्ट ना हो कि आपने किस उम्मीदवार को मत दिया है, तो वह मत अविधिमान्य हो जायेगा।

(च) आपका मत गुप्त है। आपको मतपत्र पर अपने हस्ताक्षर नहीं करने चाहिये या इस पर अन्य ऐसा कोई भी चिन्ह नहीं लगाना चाहिये जो आपकी पहचान को प्रकट करे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका मतपत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

भाग–2 निर्वाचकों के लिये अनुदेश

(क) मतपत्र पर, अपना मत अभिलिखित करने के पश्चात् इस मतपत्र को इसके साथ–साथ भेजे गये एक छोटे लिफाफे जिस पर **'क'** अंकित है, में रख दीजिये। लिफाफे को बन्द कर दें तथा इस पर मुहर लगाकर या अन्यथा सुरक्षित कर लें।

(ख) इसके पश्चात्, आपको इसके साथ भेजे प्ररूप में एक घोषणा पर भी किसी ऐसे अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर करने हैं जो आपके हस्ताक्षर अनुप्रमाणित करने के लिये सक्षम हैं। ऐसा अधिकारी, राजपत्रित होना चाहिये या उस जेल का भार–साधक अधिकारी होना चाहिये जहां कि आप निरूद्ध हैं। वह अधिकारी आपके हस्ताक्षर अनुप्रमाणित करेगा तथा आपको घोषणा वापिस कर देगा। आपको अपना मतपत्र अनुप्रमाणित करने वाले अधिकारी को नहीं दिखाना चाहिये और न ही उससे यह कहें कि आपने किस प्रकार का मत दिया है।

(ग) मद (ख) के अनुसार आपकी घोषणा पर हस्ताक्षर हो जाने के पश्चात् तथा आपके हस्ताक्षर अनुप्रमाणित हो जाने के पश्चात् प्ररूप में की गई घोषणा तथा छोटे लिफाफे **'क'** जिसमें मतपत्र रखे गये हैं, एक बडे लिफाफे जिस पर **'ख'** अंकित है, में रख दीजिये। बडे लिफाफे को बन्द करने के पश्चात् इसे रजिस्ट्रीकृत डाक या किसी संदेशवाहक द्वारा, रिटर्निंग ऑफिसर के पास भेज दीजिये।

(घ) आपको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि यह लिफाफा रिटर्निंग ऑफिसर के पास .... (तारीख) को .... बजे से पूर्व पहुँच जाये।

(ड.) कृपया नोट करें कि –

  (1) यदि आप अपनी घोषणा को उपदर्शित रीति से अनुप्रमाणित या प्रमाणित करवाने में असफल रहते हैं तो आपका मत–पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा, और

  (2) यदि आपका लिफाफा रिटर्निंग ऑफिसर के पास .... (तारीख) को .... बजे के पश्चात् पहुँचता है तो आपके मत की गणना नहीं की जायेगी।

(37)

राज्य निर्वाचन आयोग

क्रमांकः एफ 4(1)(9)नपा/रानिआ/94/295 जयपुर, दिनांकः 14.10.94

आदेश

यतः राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 35 के उप नियम (2) के खण्ड (क), (ख) और परन्तुक के उपबन्धों के अनुसार किसी मतदाता को मतपत्र जारी किये जाने के समय, मतदान अधिकारी इसके प्रतिपर्ण पर, मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में यथाप्रविष्ट मतदाता का, क्रम संख्यांक अभिलिखित करेगा, और उस प्रतिपर्ण पर उस मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप अभिप्राप्त करेगा, परन्तु किसी मतदाता को कोई भी मतपत्र तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि वह उस मतपत्र के प्रतिपर्ण पर अपने हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप न लगा दें,

यतः मतदान केन्द्र पर मतदान की प्रक्रियानुसार मतदाता के मतदान केन्द्र में प्रवेश करने पर प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली में मतदाता का नाम देखेगा और नामावली में संबंधित प्रविष्टि में दिये गये विवरणों की जॅाच करने के बाद ऊँची आवाज में उस मतदाता का नाम, पिता/पति का नाम और नामावली की भाग संख्या व मतदाता क्रम संख्यांक सुनाऐगा। जैसे ही प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता का क्रम संख्यांक बोलता है उसी समय तृतीय मतदान अधिकारी मतपत्र के प्रतिपर्ण पर निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक व मतदाता का क्रम संख्यांक लिख देता है और इस प्रतिपर्ण पर मतदाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान कराता है, और

यतः उपर्युक्त रीति से मतपत्र के प्रतिपर्ण पर निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक एवं मतदाता क्रम संख्यांक अभिलिखित हो जाने के उपरान्त संबंधित मतदाता उस प्रतिपर्ण पर हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लगाने से यदि इन्कार करदें तो उपरोक्त परन्तुक के अनुसार उसे मतपत्र नहीं दिया जाएगा, परन्तु उपरोक्त नियमों में इस प्रकार अभिलिखित प्रतिपर्ण और उसके सम्बद्ध मतपत्र का निस्तारण करने की कोई प्रकिया नहीं दी गई है,

अतः उपरोक्त कठिनाई का निराकरण करने हेतु उपरोक्त नियमों के नियम 97 के अनुसरण में राज्य निर्वाचन आयोग एतदद्वारा निर्देश देता है कि मतपत्र, जिसके प्रतिपर्ण पर मतदान अधिकारी ने हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लगाने से इन्कार करने वाले मतदाता की निर्वाचक नामावली में क्रम संख्या पहले ही अभिलिखित कर दी है, को रद्द कर दिया जावे और मतपत्र तथा प्रतिपर्ण के पृष्ठ भाग पर शब्द ''रद्द किया गया : मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन – हस्ताक्षर करने से इन्कार'' पीठासीन अधिकारी द्वारा पृष्ठांकित किये जाकर अपने हस्ताक्षर किये जावें और ऐसे रद्द किये गये मतपत्रों को नियम 37 के उप–नियम (7) में उल्लिखित आवरण (लिफाफा), जिस पर 'मतपत्र – मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया' लिखा होगा, में उसमें रखे अन्य रद्द मतपत्रों (यदि कोई हो) के साथ रखा जावेगा और मतपत्र लेखा (प्ररूप–17) के मद संख्या 4(क) में लेखांकित किया जायेगा।

आज्ञा से,
ह.
(बी.बी.महान्ति)
सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

[1][FORM 17

[See Rule 49 (1)]

BALLOT PAPER ACCOUNT

Election to the Municipal ....
Ward Number ....
Polling Station Number ....
Polling Station Name ....

PART - I

		Serial Nos.		Total Nos.
		From	To	
1.	Ballot paper received	______________	___	______________
2.	Ballot paper unused (i.e. not issued to voters) -			
	(a) With the signature of the Presiding Officer	______________	___	______________
	(b) Without the Signature of the Presiding Officer	______________	___	______________
	Total : (a+b)	______________	___	______________
3.	Ballot paper used at the* Polling Station (1) - (2) = (3)			
4.	Ballot paper used at the Polling Station but NOT INSERTED INTO THE BALLOT BOX :			
	(a) Ballot papers cancelled for violation of voting procedure*			______________
	(b) Ballot papers cancelled for other reasons*.			______________
	(c) Ballot papers used as tendered ballot papers.			______________
	Total : (a+b+c)			
5.	Ballot papers to be found in * the ballot box [(3) - (4) = (5)]			______________

Date..../.../....   Signature of the Presiding Officer

* Serial No. need not be given.

PART - II

Result of initial counting
(To be used at the counting centre)

1. **Total number of ballot papers found in the ballot box(es) used at the polling station ....**
2. **Discrepancy, if any, between the total number as shown against item 1 in this Part and the total number of ballot papers to be found in the ballot box(es) shown in item 5 of Part 1 ....**

Date ....

Signature of Counting Supervisor

Signature of Returning Officer.
]

1. Subs. by notification dt. 25.8.99.

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक : प.1(4)(1) नपा/रानिआ/14/4056 दिनांक : 16.10.2019

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर)(नगरपालिका), राजस्थान।

विषयः– नगरपालिका निर्वाचन में मतदाता सहायता केन्द्र (Voter Assistence Booth) की स्थापना के संबंध में।

महोदय,

नगरीय निकायों के आम चुनावो में विशेषकर नगर निगम एवं नगर परिषद् क्षेत्रों में मतदान भवन घनी आबादी में स्थित होते हैं, जिससे इस बात की पूरी संभावना रहती है कि एक ही मतदान भवन पर एक से अधिक मतदान केन्द्रों की स्थापना की गई हो। राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर किए जाने वाले परिसीमन के कारण वार्डों की सीमाओं में परिवर्तन हो जाता है जिसके कारण मतदान केन्द्र भी परिवर्तित हो सकते हैं। ऐसे में इन मतदान भवनों पर मतदाताओं की भीड़–भाड़ होने एवं असमंजस के कारण मतदाताओं को अपने संबंधित मतदान केन्द्र तक पहुॅचने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, एवं मतदाता अपने मताधिकार से वंचित रह सकते हैं। मतदाता के पास मतदान केन्द्र की जानकारी पूरी न होने से मतदान केन्द्र में मतदान दल से भी पूछताछ करने की स्थिति में मतदान प्रक्रिया में व्यवधान आ सकता है।

अतः मतदाताओं को अपने संबंधित सही मतदान केन्द्र तक जाने के लिए मार्गदर्शन करने हेतु प्रत्येक मतदान भवन पर ''मतदाता सहायता केन्द्र'' (Voter Assistence Booth) स्थापित किये जावे। इन केन्द्रों पर बूथ लेवल अधिकारी (BLO) स्तर के कार्मिकों को नियुक्त किया जाये। प्रत्येक मतदाता सहायता केन्द्र पर उपस्थित कार्मिकों के पास मतदाता सूची रहेगी जिससे वे मतदाताओं को उस भवन के सही मतदाता केन्द्र पर जाने और उनके मतदाता क्रमांक बताने में सहायता करेंगें। जिन मतदान भवनों पर पांच तक मतदान केन्द्र है वहां दो सहायक तथा जिन भवनों में पांच से अधिक मतदान केन्द्र है वहां स्थानीय स्तर पर निर्णय लेकर सहायक लगाये जावें।

मतदाता सहायता केन्द्र पर पदस्थापित कार्मिकों के मोबाईल फोन नम्बर भी संकलित कर लिये जाये ताकि मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर गतिविधियों की जानकारी उनके माध्यम से ली जा सके। प्रत्येक मतदाता सहायता केन्द्र पर टेबल, कुर्सी एवं आवश्यकतानुसार छाया की व्यवस्था भी की जावे।

उपरोक्तानुसार व्यवस्था नगर निगमों एवं नगर परिषद चुनावों में की जावे।

–ह0–
(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक : एफ. 1(4)(1)/नपा/रानिआ/2014/4297 दिनांक : 24.10.2019

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
कलक्टर, राजस्थान।

विषयः– नगरपालिका निर्वाचनों में Person with Disabilities (PwDs) को मतदान में सहायता उपलब्ध करवाने के संबंध में।

महोदय,

निर्वाचनों में मतदान के दौरान प्रायः यह देखा गया है कि दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर अपने मताधिकार का उपयोग करने में कतिपय कठिनाईयों का सामना करना पडता है। ऐसे मतदाताओं के लिए आवश्यक हैं कि उन्हें मतदान केन्द्र पर वे सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, जिससे उन्हें मतदान करने में आसानी हो।

इस संबंध में आयोग द्वारा निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा संबंधित नगरपालिका में ऐसे मतदाताओं को चिह्नित कर उनकी मैपिंग (Mapping) की जाए और उनकी सूची प्रत्येक मतदान बूथ पर पदस्थापित सहायक को उपलब्ध करवाई जाये।

Person with Disabilities (PwDs) को मतदान में सहायता उपलब्ध करवाने के संबंध आयोग यह निदेश देता है कि :–

1. जिला निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक नगरपालिका के लिए Person with Disabilities (PwDs) को मतदान में सहायता के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए। नोडल अधिकारी का टेलीफोन न./मोबाइल न. ऐसे मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रचारित किया जावे।
2- Person with Disabilities (PwDs) को उनके निवास से मतदान बूथ तक लाने एवं मतदान करने के पश्चात उन्हें निवास तक छोडने की समुचित व्यवस्था की जाए, इस हेतु आवश्यक हो तो स्वयं सेवी संस्थाओं एवं NSS की सहायता ली जाए।
3. मतदान केन्द्र पर मतदान के लिए Person with Disabilities (PwDs) को प्राथमिकता प्रदान की जाए।
4. Person with Disabilities (PwDs) को ऐसी पूर्ण सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिससे वे अपनी व्हील–चेयर मतदान केन्द्र तक ले जा सके। यदि Person with Disabilities (PwDs) के पास व्हील–चेयर नहीं है तो इस हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से मतदान बूथ पर व्हील–चेयर की व्यवस्था की जाए। यदि मतदान केन्द्र पर स्थाई रैम्प नहीं हैं तो अस्थाई रैम्प बनाया जाए। दिव्यांग मतदाताओं की बूथ पर सहायता के लिए NSS के सदस्य, NCC cadet, Scout Guide की सेवाएं ली जा सकती हैं।
5. मतदान दल को Person with Disabilities (PwDs) की विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखने, उनके प्रति विशेष विनम्र व्यवहार रखने एवं अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने के लिए संवेदनशील होना चाहिए।
6. Person with Disabilities (PwDs) जो बोलने व सुनने की दुर्बलता वाले है का भी विशेष ध्यान रखते हुए मतदान में उचित सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
7. ऐसे मतदाताओं की सहायता एवं सहयोग के लिए नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 38ए एवं 39 में दिये गये प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जाए।

उक्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण के दौरान मतदान दल के सभी कर्मियों को विशेष रूप से बताया जाए।

आज्ञा से,

–ह0–
(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग

क्रमांकः—प.4(2)(1)नपा / रानिआ / 94 / 858 जयपुर, दिनांक 4.10.99

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।

प्रेंषित,

समस्त नगरपालिका जिला निर्वाचन अधिकारी,

विषयः— नगरपालिका चुनाव — पीठासीन अधिकारियों की डायरी।

महोदय,

नगरपालिका चुनावों के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान केन्द्र पर नियुक्त पीठासीन अधिकारियों द्वारा पूर्ति करने के लिए डायरी का प्रारूप निर्धारित किया है। पीठासीन अधिकारी उक्त डायरी में मतदान के दौरान घटनाओं के संबंध में वर्णन करेगे। मतदान पश्चात् डायरी को सील बन्द मतपेटी के साथ स्ट्रांग रूप में किसी स्थिति में नहीं रखा जावे बल्कि रिटर्निंग अधिकारी या किसी सहायक रिटर्निंग अधिकारी की अभिरक्षा में रखी जायेगी। सभी पीठासीन अधिकारियों की डायरी का अध्ययन रिटर्निंग अधिकारी या जहां अति आवश्यक हो उसके द्वारा मनोनीत सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 53 और 55 के अन्तर्गत यदि किसी मतदान के स्थगन या नये सिरे से मतदान हेतु रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जावे तो उससे पूर्व पीठासीन अधिकारी की उक्त डायरी का अध्ययन आवश्यक रूप से किया जावे।

प्रशिक्षण के दौरान पीठासीन अधिकारी की डायरी को समुचित रूप से भरने के लिए पीठासीन अधिकारियों को विस्तार से समझाया जावे। कृपया उक्त निर्देशों से संबंधित रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को भी अवगत करावे।

आज्ञा से

ह.
उप सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकः– प 7(1)(3) पंचा/रानिआ/14–15/1408 दिनांक : 04.02.2026

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर) राजस्थान।

विषयः– निर्वाचकों की अंगुली पर अमिट स्याही लगाना–तत्संबंधी।

महोदय,

आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के चुनावों में निर्वाचकों की अंगुली पर अमिट स्याही लगाने के संबंध में पूर्व में जारी आयोग के पत्र क्रमांक 5493 दिनांक 26.07.2015 को अधिक्रमित करते हुए निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी किये जाते है, जिनकी पालना करवाया जाना सुनिश्चित करावें:–

1. अमिट स्याही बाईं तर्जनी के नाखून के आखिरी सिरे से प्रथम जोड़ के नीचे तक ब्रश की सहायता से मतदाता की अंगुली पर लगाई जाएगी जैसा कि नीचे आरेख में दर्शाया गया है।

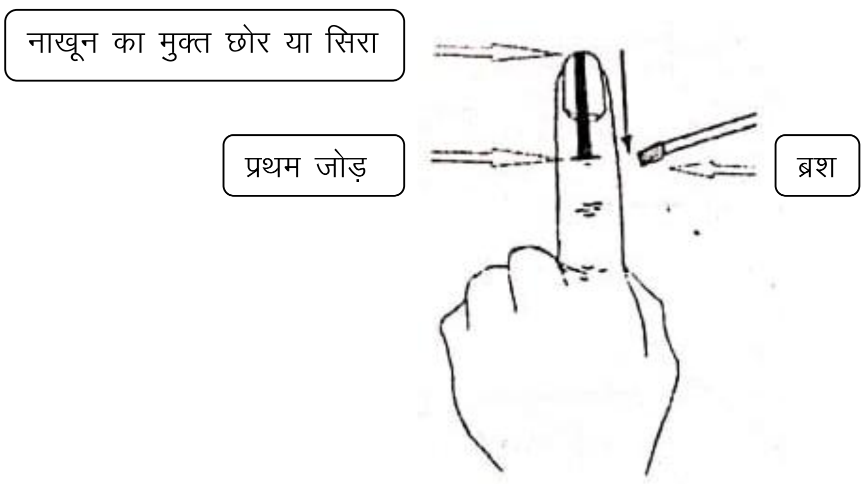

2. कन्ट्रोल यूनिट के प्रभारी मतदान अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कन्ट्रोल यूनिट का बैलेट बटन दबाने से पहले, निर्वाचकों की अंगुली पर अमिट स्याही का निशान पूरी तरह से लगा हो। साथ ही मतपेटी से मतदान होने की स्थिति में चतुर्थ सहायक मतदान अधिकारी निर्वाचक द्वारा मत अभिलिखित करने से पूर्व अमिट स्याही का निशान निर्वाचक की अंगुली पर पूरी तरह लगाया जाना सुनिश्चित करें।

3. इस अनुदेश की एक प्रति सभी रिटर्निंग अधिकारियों को भेजी जाए। प्रशिक्षणों के दौरान इस अनुदेश को सभी पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों के सख्त अनुपालना के लिए उनके संज्ञान में लाए जाए। मतदान ड्यूटी पर जाते समय पीठासीन अधिकारी को दी गई किट में भी इस अनुदेश की एक प्रति रखी जाएगी।

4. आयोग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 2235 दिनांक 25.06.2019 में प्रदान किये गये निर्देशों को भी ध्यान में रखा जावें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

भवदीय
ह0
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकः एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा / सा.आ. / रानिआ / 14 / 603 दिनांक : 19.01.2026

आदेश

यतः राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 37 में यह उपबंधित है कि किसी निर्वाचक को मतपत्र परिदत्त करने से ठीक पूर्व मतदान अधिकारी मतदाता सूची में उस निर्वाचक से सम्बंधित प्रविष्टियों के संदर्भ में से निर्वाचक की पहचान के बारे मे स्वयं का समाधान करेगा, और

यतः राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 40 में यह उपबंधित है कि किसी मतदाता को कोई मतपत्र दिये जाने के पूर्व किसी भी समय पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी, यदि उसके पास मतदाता की पहचान या ऐसे मतदान केन्द्र पर मत देने के उसके अधिकार के बारे में सन्देह करने का कारण हो तो स्वप्रेरणा से, और यदि किसी अभ्यर्थी या मतदान अभिकर्ता द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाये तो, मतदाता से ऐसे प्रश्न पूछकर जो वह आवश्यक समझे, अपना यह समाधान कर सकेगा कि ऐसा व्यक्ति वही मतदाता है, जिससे ऐसी प्रविष्टि सम्बंधित है, और

यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा क्षेत्रवार निर्वाचक नामावली तैयार कर निर्वाचक नामावली में पंजीकृत मतदाताओं के लिए मतदाता पहचान पत्र जारी किया जाता है। इस प्रक्रिया में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकतम मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं एवं नव पंजीकृत मतदाताओं के लिए यह प्रक्रिया अनवरत जारी रहती है।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव हेतु निर्वाचक नामावली विधानसभा निर्वाचक नामावली के डेटाबेस को वार्डवार विभक्त कर तैयार की जाती है, जिससे विधानसभा की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत मतदाता राज्य निर्वाचन आयोग की निर्वाचक नामावली में मतदाता के रूप में स्वतः ही पंजीकृत हो जाते है। अतः राज्य निर्वाचन आयोग की निर्वाचक नामावली में अंकित मतदाताओं के पास भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध होता है, जो मतदान के समय मतदाता की पहचान के लिए प्राथमिक मान्य दस्तावेज है।

अतः राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243K एवं अनुच्छेद 243ZA के साथ पठित राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उपधारा (2) और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 11(1) के उपबंधो के अधीन प्रदत शक्तियों एवं इस निमित्त इसे सशक्त करने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने पूर्व आदेश सख्या 559 दिनांक 07.02.2019 को अधिक्रमित करते हुए यह निर्देश देता है कि राज्य की किसी भी नगरपालिका अथवा पंचायतीराज संस्थाओं में चुनाव हेतु मतदान के उद्देश्य से मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई निर्वाचक अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नांकित वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजो में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा :–

1. आधार कार्ड,
2. मनरेगा कार्ड,
3. बैंको / डाकघर द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक,
4. श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कोर्ड / आयुष्मान भारत हैल्थ कार्ड,

5. ड्राइविगं लाइसेन्स,
6. पैन कार्ड,
7. भारतीय पासपोर्ट,
8. फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज,
9. केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र,
10. सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और
11. यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।

निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि नगरपालिका के संदर्भ में वह तिथि है जिस दिन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका के चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाये और पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में वह तिथि है जिस दिन पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित किया जाये।

परिवार के मुखिया को जारी उपर्युक्त दर्शाए गए निर्वाचन फोटो पहचान पत्र सहित पहचान के वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर केवल परिवार के मुखिया को अपने अन्य पारिवारिक सदस्यों की पहचान करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते सभी सदस्य उसके साथ आएं तथा परिवार के मुखिया द्वारा उनकी पहचान स्थापित हो सके।

भवदीय,
ह0
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

भाग – 8

लोक नोटिस जारी करने, नामांकन पत्रों की प्राप्ति, जांच व वापसी के सम्बन्ध में।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ. 7(1)(3)/पंचा/रानिआ/2015/793 दिनांकः– 20.01.2026

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) राजस्थान।

विषयः– नगर पालिका एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में अभ्यर्थियों द्वारा गलत घोषणा पत्र/मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना – भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 227 एवं 229 के अन्तर्गत कार्यवाही।

महोदय,

राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के सभी प्रत्यक्ष चुनावों में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम निर्देशन पत्रों एवं प्ररूप 4घ में उनकी संतानों, उनके विरूद्ध लंबित आपराधिक प्रकरणों, किन्ही अपराधों के लिए उनकी दोष सिद्धि के मामलों, उनके एवं उनके आश्रितों की अचल संपत्ति आदि की सूचना घोषणा के प्रारूप में रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती हैं। इसी प्रकार नगर पालिका चुनावों में भी नाम निर्देशन पत्र में की जाने वाली घोषणाओं के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को उनकी संतानों के संबंध में, उनके विरूद्ध लंबित आपराधिक प्रकरणों, किन्ही अपराधों के लिए उनकी दोषसिद्धि के मामलों आदि की सूचना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्ररूपों में देना अनिवार्य है। इसके अलावा भी राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं व नगरपालिकाओं के प्रत्यक्ष चुनावों में अभ्यर्थियों के लिए संपत्ति का ब्यौरा, उनके विरूद्ध देयताओं, शैक्षणिक योग्यता, लंबित आपराधिक प्रकरणों की सूचना प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप पृथक से भी निर्धारित किये है जिनमें भी अभ्यर्थियों द्वारा घोषणायें/कथन किये जाते हैं।

पूर्व में राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने परिपत्र क्रमांकः एफ.7(2)(4)/पंचा/रानिआ/99/7358 दिनांक 26.04.2000 जारी करते हुए उक्त निर्वाचनों में अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव लडने के आशय से रिटर्निंग अधिकारियों के समक्ष असत्य घोषणा किए जाने या तथ्यों को जानबूझ कर छिपाने के कृत्यों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 191 एवं 193 **(भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 227 एवं 229 नवीन अधिनियम)** के अन्तर्गत उसे मिथ्या साक्ष्य मानते हुए सक्षम न्यायालय में परिवाद दायर करने के लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे।

गत आम चुनावों में भी कई शिकायतें इस आश्य की प्राप्त हुई कि किन्हीं अभ्यर्थियों ने सही तथ्यों को छुपाते हुए या गलत तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए चुनाव में भाग लिया व निर्वाचित भी हो गये। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय की वृहदपीठ के निर्णय दिनांक 02.04.07 द्वारा स्पष्ट किया गया कि चुनाव पूर्व की अयोग्यताओं के मामलों में जांच कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा नही की जा सकती।

अतः आयोग के पूर्व आदेश क्रमांक 502 दिनांक 29.03.2011 एवं पत्र 7358 दिनांक 26.04.2000 को अधिक्रमित करते हुए इस संबंध में स्पष्ट निर्देश निम्न प्रकार हैः–

1. माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 02.04.07 द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार चुनाव पूर्व की अयोग्यता की जांच राज्य सरकार द्वारा नहीं की जा सकती। चुनाव पूर्व की अयोग्यता संबंधी प्रकरण पंचायती राज अधिनियम की धारा 43 एवं राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 80 के तहत चुनाव याचिका के जरिये ही जिला अदालत के माध्यम से निर्णित हो सकते है।
2. ऐसे निर्वाचित अभ्यर्थियों के विरूद्ध चुनाव पूर्व की अयोग्यताओं की जांच पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 39 एवं इसके साथ पठित राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 23 के अन्तर्गत राज्य सरकार व इसके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा की जाएगी।
3. पूर्व में रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष दिए गए मिथ्या साक्ष्य के आपराधिक कृत्य और उसके लिए परिवाद दर्ज कराने से संबंधित विषय पर विधि विभाग की राय भी प्राप्त की गयी है। विधि विभाग द्वारा दी गई राय निम्न प्रकार हैः–

''माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात चुनाव पूर्व निर्योग्यता के आधार पर कार्यवाही नहीं की जा सकती है, किन्तु किसी व्यक्ति द्वारा धारा 191 का अपराध किया है, तो उसके संदर्भ में सक्षम अधिकारी द्वारा सक्षम न्यायालय में कार्यवाही की जा सकती है। किन्तु ऐसी कार्यवाही में उसकी निर्योग्यता के संदर्भ में जांच नहीं की जा सकती, किन्तु यदि कोई उम्मीदवार द्वारा कोई आपराधिक कृत्य किया है तो तथ्यों की जांच कर फौजदारी न्यायालय में कार्यवाही की जा सकती है।''

अतः रिटर्निंग अधिकारियों के समक्ष असत्य तथ्यों को प्रस्तुत कर चुनाव लडने की शिकायतों के मामलों में कार्यवाही हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नांकित निर्देश जारी किए जाते हैं कि :—

(i) अभ्यर्थी की चुनाव पूर्व की अयोग्यता की जांच नहीं की जाए अर्थात् यह जांच नहीं की जाए कि अभ्यर्थी चुनाव पूर्व किसी निर्योग्यता को धारित करता था अथवा नहीं क्योंकि यह बिन्दु चुनाव याचिका में ही शामिल हो सकता हैं।

(ii) रिटर्निंग अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी के लिए जांच का बिन्दु केवल यह हो सकता हैं कि अभ्यर्थी ने अपने नाम निर्देशन पत्रों एवं उसके संलग्न प्रस्तुत किये गए अन्य प्ररूपों/शपथपत्रों/घोषणा पत्रों में चुनाव लडने की मंशा से क्या कोई असत्य कथन किया है या तथ्यों को जान बूझ कर छुपाया है और क्या उसने रिटर्निंग अधिकारी को मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत करने का अपराध किया है। इन्ही बिन्दुओं पर जांच की जा सकती है किन्तु ऐसी कार्यवाही में उस अभ्यर्थी की चुनाव पूर्व की अपात्रता की जांच नही की जा सकेगी।

(iii) यदि अभ्यर्थी द्वारा मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत करने का आपराधिक कृत्य कारित करना पाया जाता है तो फौजदारी न्यायालय में कार्यवाही की जावें। रिटर्निंग अधिकारी जिनके समक्ष अभ्यर्थी ने मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत किया है उनके द्वारा अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामित किसी अन्य अधिकारी द्वारा ऐसी शिकायत के संबंध में तथ्यों की जांच से प्रथम दृष्टया मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत होना पाए जाने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 227 व 229 के तहत सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने की व्यवस्था की जावे।

(iv) यहां यह भी स्पष्ट किया जाता हैं कि असत्य तथ्य वर्णित करते हुए चुनाव लडने की शिकायतों की जांच पंचायती राज संस्थाओं के किसी अधिकारी से नहीं करवाई जावे बल्कि रिटर्निंग अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी द्वारा ही तथ्यों की जांच कर उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जावे। रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष यदि कोई मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत हुआ तो उनमें उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही की जा सकती है। राज्य सरकार को संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं है।

(राजेश वर्मा)
ह0
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं
सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(email- secraj@rajasthan.gov.in FAX 0141-2227280, 2227072)

क्रमांकः– प.1(4)(1)/नपा/रानिआ/2014/4537 दिनांक : 01.11.2019

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(नगरपालिका) (कलक्टर) राजस्थान।

समस्त रिटर्निंग अधिकारी,
मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी

विषयः– नगरपालिका निर्वाचनों में सदस्य के लिए अर्हता–स्वच्छ कार्यशील शौचालय के संबंध में।

महोदय,

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा–21(g) में नगरपालिका सदस्य का चुनाव लडने के लिए अभ्यर्थी के परिसर, जिसमें वह निवास करता है, उसमें कार्यशील स्वच्छ शौचालय होना एवं उसके परिवार के किसी भी सदस्य का खुले में शौच के लिए नहीं जाना आवश्यक है। उक्त खण्ड (g) के स्पष्टीकरण के अनुसार स्वच्छ शौचालय से तात्पर्य तीन दीवारों, एक दरवाजे और छत से घिरी हुई कोई जल–बंध (वाटर सील्ड) शौचालय प्रणाली या व्यवस्था से है एवं परिवार के सदस्य से तात्पर्य अभ्यर्थी के पति/पत्नी, बच्चे और ऐसे व्यक्ति के साथ निवास कर रहें उसके माता–पिता से है।

अभ्यर्थी द्वारा कार्यशील स्वच्छ शौचालय हेतु घोषणा/अण्डरटेकिंग का प्रारूप **(परिशिष्ट–1)** नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न कर रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। किसी अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र के साथ निर्धारित अण्डरटेकिंग/घोषणा पत्र संलग्न नहीं करता है तो रिटर्निंग अधिकारी अपेक्षित अण्डरटेकिंग/घोषणा पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए एक मीमो तत्काल अभ्यर्थी को देगा। मीमो का प्रारूप **(परिशिष्ट–2)** संलग्न है। अभ्यर्थी का अण्डरटेकिंग/घोषणा पत्र नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को प्राप्त हो जाना आवश्यक होगा। यदि नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा से पूर्व उक्त वर्णित अण्डरटेकिंग/घोषणा पत्र अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र अस्वीकार किया जा सकेगा।

संलग्न : 1. शौचालय संबंधी घोषणा/अण्डरटेकिंग का प्रारूप।
2. मीमो का प्रारूप।

– ह0 –
(श्याम सिंह राजपुरोहित)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं
सचिव

परिशिष्ट–1

नगरपालिका निर्वाचन में अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत करने के लिए कार्यशील स्वच्छ शौचालय के संबंध में घोषणा/अंडरटेकिंग

(देखें धारा 21(g) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009)

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी* श्री .... निवासी .... जिसने नगरनिगम/नगरपरिषद/नगरपालिका* .... के वार्ड संख्या .... के सदस्य के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन–पत्र प्रस्तुत किया है, मैं सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ कि :–

(1) **मेरे घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय है, जो तीन दीवारों, एक दरवाजा और छत से घिरा हुआ है। इसमें जल–बन्ध (वाटर सील्ड) शौचालय प्रणाली या व्यवस्था है।**

(2) **मेरे परिवार का कोई भी सदस्य (पति/पत्नी*, बच्चे एवं साथ निवास कर रहे माता/पिता) खुले में शौच के लिए नहीं जाते है।**

दिनांक ....

हस्ताक्षर अभ्यर्थी

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूं कि मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार उपरोक्त तथ्य सही हैं।

साक्षी के हस्ताक्षर
(नाम व पता सहित)

हस्ताक्षर अभ्यर्थी

दिनांक :
स्थानः

---

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी नगरपालिका चुनाव
(   ) नगरपालिका ....

मीमो नम्बर ....   दिनांक

प्रेषक,

रिटर्निंग अधिकारी,

.... नगरपालिका मण्डल / परिषद् / निगम

प्रेषिति,

....

(अभ्यर्थी का नाम)

विषयः– .... नगरपालिका मंडल / परिषद् / निगम के सदस्य पद हेतु वार्ड संख्या .... के लिए चुनाव।

आपने .... नगरपालिका मंडल / परिषद् / निगम के वार्ड संख्या .... से चुनाव में खड़ा होने के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया है। नाम निर्देशन पत्र के साथ राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 21(g) के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यशील स्वच्छ शौचालय एवं खुले में शौच नहीं जाने संबंधी पात्रता के परीक्षण हेतु घोषणा प्रस्तुत नहीं की है।

अतः कृपया आप संलग्न प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरकर्ता को घोषणा पत्र प्रस्तुत करें। यह घोषणा पत्र नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व अर्थात दिनांक .... को .... बजे से पूर्व आवश्यक रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर देवें अन्यथा नामनिर्देशन पत्र संवीक्षा में अस्वीकार कर दिया जायेगा। यह भी ध्यान रहे कि आप द्वारा की गई घोषणा यदि असत्य है या सत्य नहीं है या जिसमें कोई तथ्य छिपाया गया है तो कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

रिटर्निंग अधिकारी
नगरपालिका चुनाव

(45)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in , FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक : एफ. 1(4)(1)न.पा./रा.नि.आ./14/808 दिनांक : 23.01.2026

आदेश

1. नगरपालिकाओं के समस्त निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 यक के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है;

2. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं. 7178/2002 संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफोर्मस् और अन्य में पारित आदेश दि. 2 मई, 2002 एवं रिट याचिका सं. 490/2002, 509/2002 और 515/2002 में पारित निर्णय दिनांक 13 मार्च, 2003 की अनुपालना में भारत निर्वाचन आयोग, ने संसद या राज्य विधानसभा का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी से उसके नामनिर्देशन पत्र के आवश्यक भाग के रूप में शपथित शपथ–पत्र के माध्यम से कतिपय सूचना मांगने के लिए निर्दिष्ट किया गया;

3. माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्वोक्त दो निर्णय संसद और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में मतदाताओं को सूचना का अधिकार सुनिश्चित करने के संदर्भ में दिये गये थे उनकी यह भावना ऐसे स्थानीय निकायों के निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले मतदाताओं पर समान रूप से लागू होती है जिन्हें भी सांविधानिक प्रस्थिति प्रदत्त की गयी है। राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग के मध्य शक्तियों की समानता इस तथ्य से देखी जा सकती है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 य क वस्तुतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के समान हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यह विनिश्चित किया गया कि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों को स्थानीय निकायों के निर्वाचनों में भी लागू किया जाना चाहिए।

4. अतः राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 यक (Article 243ZA) तथा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 11 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने पूर्व आदेश क्रमांक एफ. 4(1)(7)न.पा./रा.नि.आ./09/3795 दिनांक 04.10.2019 एवं आदेश क्रमांक एफ. 4(1)(7)न.पा./रा.नि.आ./2009/4007 दिनांक 14.10.2019 को अधिक्रमित करते हुए निर्देश देता है कि :–

   (i) नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम के सदस्य के पद का निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी इस आदेश के उपाबंध–I में दिये गये प्ररूप में 50/– रूपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर (Non Judicial stamp paper) पर किसी न्यायाधीश या किसी न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट, या माननीय उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा नियुक्त शपथ कमिश्नर या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष सम्यक् रूप से शपथित शपथपत्र में विनिर्दिष्ट समस्त विषयों के संबंध में विस्तृत और पूर्ण जानकारी अपने नामनिर्देशन–पत्रों के साथ देगा।

   (ii) किसी भी अभ्यर्थी द्वारा शपथपत्र का न दिया जाना इस आदेश का अतिक्रमण माना जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी का नामनिर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संवीक्षा करते समय नामंजूर करने योग्य होगा।

   (iii) शपथ पत्र में कोई कॉलम खाली नहीं छोडा जाये। यदि किसी मद (item) के संबंध में कोई सूचना नहीं है तो, ''शून्य'' या ''लागू नहीं होता'' उल्लिखित किया जाना चाहिए। शपथ पत्र के कॉलम खाली पाये जाने पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मेमो (स्मरण पत्र) जारी किया जायेगा इसके बाद भी अभ्यर्थी द्वारा कमी पूर्ति नहीं की जाती है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Writ Petition (civil) No. 121/2008 Resurgence India vs. Election Commission of India & Anr. में पारित निर्णय दिनांक 13. 09.2013 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी का नामनिर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संवीक्षा

करते समय नामंजूर करने योग्य होगा।

(iv) प्रत्येक अभ्यर्थी के शपथपत्र की फोटो प्रति रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी और उसकी प्रतियां अन्य समस्त अभ्यर्थियों एवं प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के प्रतिनिधियों को माँगे जाने पर उपलब्ध कराई जावेगी।

(v) यदि कोई अन्य अभ्यर्थी पैरा (i) में उल्लिखित पदों के निर्वाचनों के मामले में शपथपत्र के माध्यम से, प्रतिकूल सूचना देता है तो ऐसे शपथपत्र का भी ऊपर निर्दिष्ट रीति से प्रसार किया जायेगा; और

(vi) रिटर्निंग अधिकारी शपथपत्र में दी गयी जानकारी की शुद्धता का सत्यापन नहीं करेगा और नामनिर्देशन पत्र को इस आधार पर अस्वीकार नहीं करेगा कि उसकी राय में दी गयी सूचना गलत है।

(vii) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्रों/उपाबंध–I (शपथपत्र) की एक प्रति रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर सर्वसाधारण की सूचनार्थ लगाई जाएगी। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामनिर्देशन पत्रों/घोषणा पत्रों/उपाबन्ध–I की मूल प्रति के लिफाफे को सील नहीं किया जाना है।

(viii) यदि नगरपालिका निर्वाचन से संबंधित किसी अभ्यर्थी के नामनिर्देशन पत्र के सैट की प्रतिलिपि किसी व्यक्ति द्वारा चाही जाती है तो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा और उक्त रिकॉर्ड के जमा होने के पश्चात् जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी।

(ix) नामनिर्देशन पत्र, संतान संबंधी घोषणा पत्र, दोषसिद्धि एवं विचाराधीन आपराधिक मुकदमों की सूचना, उपाबन्ध–I, कार्यशील स्वच्छ शौचालय के संबंध में सूचना एवं सांख्यिकी सूचना के फॉर्म को एक सैट मानते हुये उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि जारी करने हेतु एक मुश्त प्रतिलिपि फीस **रूपये 30/– (अक्षरे रूपये तीस मात्र) प्रति सैट** निर्धारित की जाती है।

(x) नामनिर्देशन पत्रों के सैट के संबंध में ही उपरोक्तानुसार (पैरा–3) एक मुश्त शुल्क निर्धारित किया गया है, शेष अन्य निर्वाचन संबंधी ऐसे कागजात, जिनकी प्रमाणित प्रतिलिपि जारी किया जाना प्रतिबन्धित नहीं है, के लिए निर्धारित शुल्क राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक 3148 दिनांक 06.11.99 (संलग्न) के अनुरूप ही होगा।

(xi) उक्त सैट की प्रतियां सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत भी आवेदन प्रस्तुत कर प्राप्त की जा सकती है। सूचना के अधिकार के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त होने पर उस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों द्वारा प्रतिलिपि हेतु निर्धारित शुल्क ही प्रभार्य होगा।

कृपया उपरोक्त निर्देशों से सभी संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों एवं निर्वाचन से जुड़े अन्य अधिकारियों को अवगत कराया जावे। साथ ही समस्त रिटर्निंग आफिसर यह सुनिश्चित करेंगे कि आयोग द्वारा इस आदेश में विहित किये गये शपथपत्र की प्रतियां अभ्यर्थियों को नामनिर्देशन पत्र के भाग के रूप में नामनिर्देशन पत्रों के प्ररूपों के साथ दी जायें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
ह0
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

उपाबंध I
(शपथ पत्र)

नगरीय निकाय चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा नामनिर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ–पत्र।

सदस्य वार्ड संख्या .... के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा नामनिर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ–पत्र।

मैं, ... पुत्र/पुत्री/पत्नी .... आयु .... वर्ष, जो ....(डाक का पूरा पता लिखें) का की निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हूँ, सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:–

(1) (क) मैं .... (राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी हूँ।

(ख) मैं एक स्वतन्त्र अभ्यर्थी के रूप मे चुनाव लड़ रहा हूँ।
(जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम वार्ड संख्या .... के भाग सं .... के क्रम सं. .... पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा/मेरे संपर्क दूरभाष

(क) निवास ....

(ख) मोबाइल नं. ....

(4) आय–कर विवरणी फाईल करने की स्थिति :

क्र.सं.	**नाम**	**वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाईल की गई है।**
1.	स्वयं	
2.	पति या पत्नी	
3.	आश्रित–1	
4.	आश्रित–2	
5.	आश्रित–3	

(5) मैं किसी लंबित मामले में छः माह या अधिक अवधि के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध का अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम न्यायालय द्वारा आरोप विरचित कर दिये गये हों।
(यदि अभिसाक्षी के विरूद्ध ऐसा कोई आपराधिक मामला (मामले) लंबित है तो वह निम्न सूचना भरेगा।)

मेरे विरूद्ध छः माह या अधिक अवधि के कारावास के दण्डनीय निम्न मामले लंबित है जिनमें न्यायालय द्वारा आरोप विरचित कर दिये गये हैं।

(क)	संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के विवरण सहित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. (FIR No.)	

(ख)	संबंधित अधिनियम की धारा और जिस अपराध का आरोप लगाया गया है का संक्षिप्त विवरण	
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला सं. (Case No.) और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख (Date of Order taking cognizance)	
(घ)	न्यायालय जिसके द्वारा आरोप विरचित किये गये हैं।	
(ङ)	आरोप विरचित किये जाने की तारीख	
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाहियां सक्षम न्यायालय द्वारा स्थगित कर दी गई हैं।	

(6) मेरे विरूद्ध निम्न मामले लंबित है जिनमें न्यायालय द्वारा आरोप विरचित कर दिये गये हैं। (बिन्दु सं.(5) से भिन्न मामले)

(क)	संबंधित पुलिस थाना/जिला/ राज्य के विवरण सहित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. (FIR No.)	
(ख)	संबंधित अधिनियम की धारा और जिस अपराध आरोप लगाया गया है का संक्षिप्त विवरण	
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला सं. (Case No.) और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख (Date of Order taking cognizance)	
(घ)	जिन मामलो में न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है उनका विवरण, अधिनियम धाराऐं और अपराध का विवरण जिसके लिये संज्ञान लिया गया हैं।	
(ङ)	उपरोक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील, पुनरीक्षण के आवेदन (यदि कोई हो)	

(7) मुझे आपराधिक मामले में दोषसिद्ध किया गया है/नहीं किया गया है।

यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार दोष सिद्ध किया गया है तो वह निम्न सूचना देगा।

मुझे नीचे वर्णित मामलों में दोषसिद्ध किया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दण्डादेश दिया गया हैं।

(क)	मामले का विवरण, संबंधित अधिनियम की धारा और अपराध का विवरण जिसके लिए दोष सिद्ध किया गया हैं।	
(ख)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और आदेश की तारीख/माह/वर्ष	

(ग)	अधिरोपित दण्ड	
(घ)	क्या दोषसिद्धी के आदेश के विरूद्ध कोई अपील फाईल की गई है। यदि हाँ तो अपील का विवरण एवं वर्तमान स्थिति	

टिप्पण:

1. ब्यौरे स्पष्ट रूप से एवं सुपाठ्य अक्षरों में भरे जाने चाहिए।
2. प्रत्येक मद (item) के सामने विभिन्न कॉलमों के अधीन प्रत्येक मामले (case) के ब्यौरे पृथक रूप से दिये जाए।
3. ब्यौरे विलोम कालानुक्रम में दिये जाने चाहिए, अर्थात नवीनतम मामलों को पहले वर्णित किया जाए और अन्य मामलों के लिए तारीखों के क्रम में पीछे की ओर वर्णित किया जाए।
4. यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त शीट जोड़ी जा सकती है।

(8) यह कि मैं, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की चल और अचल सम्पत्ति आदि (Movable and immovable property etc.) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :

अ. चल सम्पत्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 – संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में सम्पत्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 – जमा/विनियोग की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिये जाने हैं।

टिप्पण 3 – सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखा बहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 – ''आश्रित'' से अभ्यर्थी के पुत्र, पुत्री या पति या पत्नी अभिप्रेत है, जिसके आय के पृथक साधन नहीं है और जो अपने जीवनयापन के लिए अभ्यर्थी पर आश्रित हैं।

टिप्पण 5 – प्रत्येक विनियोग के संबंध में रकम सहित ब्यौरे अलग–अलग दिए जाने हैं।

क्र.सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
(i)	नकद					
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंकिग वित्तीय कम्पनियों और सहकारी सोसाईटियों के पास सभी तरह की जमा का विवरण और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम					
(iii)	कंपनियों के बंधपत्रों, ऋणपत्रों/शेयरों तथा यूनिट /म्युचल फण्ड और अन्य					

	विनियोग का विवरण और रकम					
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पॉलिसियों में विनियोग के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लेखों में विनियोग और रकम					
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम					
(vi)	मोटर वाहन/वायुयान/याच/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)					
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (वजन और मूल्य के ब्यौरे)					
(viii)	कोई अन्य सम्पत्ति जैसे कि दावों/हित का मूल्य					
(ix)	कुल सकल मूल्य					

ब. अचल सम्पत्तियों के ब्यौरे –

टिप्पण 1 – संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में सम्पत्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 1 – प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्ररूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्र.सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (Location)					
	क्षेत्र (एकड़/हैक्टेयर में कुल माप)					

	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य					
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (Location)					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य					
(iii)	वाणिज्यिक भवन – अवस्थिति और पता (Location and address)					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य					
(iv)	आवासीय भवन/संस्थानिक भवन (अपार्टमेन्ट सहित) – अवस्थिति और पता (Location and address)					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य					
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)					
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (V) का कुल वर्तमान बाजार मूल्य					

(9) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति देयताओं /देय राशि (Liabilities/dues) के ब्यौरे नीचे देता हूँ:–

(टिप्पणः कृपया बैंक, संस्था, निकाय (entity) या विशिष्ट (individual) के नाम और उनमें प्रत्येक मद के समक्ष रकम के ब्यौरों का अलग–अलग विवरण दें)

क्र. सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था ऋण या देय राशि बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति					
	उपर वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य विशिष्ट (individual), निकाय					

	(entity) ऋण या देय राशि नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति					
	कोई अन्य देयता (any other Liabilities)					
	देयताओं का सकल योग					
(ii)	सरकारी शोध्यः (Government dues) सरकारी आवास से संबंधित विभागों का बकाया					
	जलदाय विभाग का बकाया					
	विद्युत विभाग का बकाया					
	विकास प्राधिकरण सहित शहरी निकाय/हाउसिंग बोर्ड का बकाया					
	कोई अन्य बकाया					

(10) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे : (Details of profession or occupation)

(क) स्वयं ....

(ख) पति या पत्नी ....

(11) आय के स्रोत के ब्यौरे – (Details of sources of income)

(क) स्वयं ....

(ख) पति या पत्नी ....

(ग) आश्रितों के ....

(12) समुचित सरकार और किसी पब्लिक कम्पनी या कम्पनियों के साथ संविदाए–

(क) अभ्यर्थी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे ....

(ख) पति या पत्नी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे ....

(ग) आश्रितों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे ....

(घ) हिंदू अविभक्त कुटुम्ब या न्यास, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित हितबद्ध है, द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे ....

(ङ) भागीदारी फार्मो द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौर, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित भागीदार हैं ....

(च) प्राईवेट कम्पनियों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रितों का हिस्सा (share) है ....

(13) मेरी शैक्षिक योग्यता नीचे दिए अनुसार है :–

....

(प्रमाणपत्र / डिप्लोमा / डिग्री पाठयक्रम पूर्ण विवरण का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुऐ विद्यालय / महाविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय–वस्तु मेरी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है।

आज तारीख .... को सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी

टिप्पण : 1. शपथपत्र नाम–निर्देशन पत्र दाखिल करने के अंतिम तिथि के निर्धारित समय तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 2. शपथपत्र पर किसी न्यायाधीश या किसी न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट, या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा नियुक्त शपथ कमिश्नर या किसी नोटेरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण : 3. सभी कॉलम भरे जाने चाहिए और कोई कॉलम खाली नहीं छोडा जाये। यदि किसी मद (item) के संबंध में उपलब्ध कराने के लिए कोई सूचना नहीं है तो, ''शून्य'' या ''लागू नहीं होता'' उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 4. शपथपत्र या तो टंकित (typed) या सुपाठ्य रूप से साफ–साफ (legibly and neatly) लिखा होना चाहिए।

टिप्पण : 5. शपथपत्र 50 / –रूपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर (Non Judicial Stamp Paper) पर दिया जायेगा।

भाग – 9

इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों से मतदान बाबत्

(46)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः प.1(2)(1)नपा–पंचा / सां.आ. / रानिआ / 14 / 635 दिनांक : 19.01.2026

अधिसूचना

सां.आ. 149 / 2026 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 26 की उपधारा (3) के साथ पठित राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 24–क के उप नियम (2) के उपबन्धों के अनुसार वोटिंग मशीनों द्वारा मतों का दिया जाना और अभिलिखित किया जाना किसी भी नगरपालिका के ऐसे वार्ड या वार्डों में अंगीकृत किया जा सकेगा जिन्हें राज्य निर्वाचन आयोग प्रत्येक मामले की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करे।

अतः राज्य निर्वाचन आयोग समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उक्त धारा 26 की उपधारा (3) के साथ पठित नियम 24–क के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 3913 / 12.09.2014 (सां. आं 94 / 2014) को अधिक्रमित करते हुए सभी नगरपालिका / नगरपरिषद / नगरनिगम के समस्त वार्डों को ऐसे वार्डों के रूप में विनिर्दिष्ट करता है जहां रिक्त पद के स्थान को भरने हेतु भविष्य में होने वाले आम / उप चुनाव में मत इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों द्वारा निर्धारित रीति से दिये और अभिलिखित किये जायेंगे, जब तक आयोग द्वारा इस संबंध में अन्यथा कोई निर्देश प्रसारित नहीं किए जाएं।

भवदीय

ह0
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव,

(47)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकः एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा / सा.आ. / रानिआ / 14 / 578 दिनांकः–16.01.2026

आदेश

सां. आ.148 / 2025 – आयोग के आदेश क्रमांक 1608 / 13.05.2019 (सां. आ. 111 / 2019) को अधिक्रमित करते हुए राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 31–क के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (BEL) एवं इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंण्डिया लिमिटेड, (ECIL) द्वारा निर्मित इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के परिकल्प (डिजाईन) को इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन से मत डालने एवं रिकार्ड किए जाने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित करता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

भवदीय
ह0
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक : एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा / सां.आ. / रानिआ / 14 / 560 दिनांकः 16.01.2026

आदेश

सां.आ. संख्या– 145 / 2026 राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 47–क के उप नियम (2) के अनुसार मतदान की समाप्ति के पश्चात् पीठासीन अधिकारी सदस्य पदों के लिए उपयोग में लाई गई इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (EVM) की कन्ट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट को ऐसी विधि से मुद्राबंद (Sealed) करेगा और पृथकतः सुरक्षित (Secure Separately) करेगा जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दे और उन्हें सुरक्षित करने के लिए प्रयुक्त मुद्रा इस प्रकार लगायी जायेगी कि बिना मुद्राओं को तोड़ें युनिटों को खोलना सम्भव नहीं होगा।

राज्य निर्वाचन आयोग, पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 4171 दिनांक 21.10.2019 (सां. आ. संख्या 121 / 2019) को अधिक्रमित करते हुए मतदान के पश्चात् पीठासीन अधिकारियों द्वारा वोटिंग मशीनों को सीलबन्द करने एवं सुरक्षित करने हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी करता हैं :–

1. मतदान समाप्त होने के पश्चात् 'Close' बटन का कैप हटाकर 'Close' बटन दबाएं एवं 'Close' बटन का कैप वापस लगाए।

2. कन्ट्रोल यूनिट का पॉवर स्विच बंद (Off) कर कन्ट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट / यूनिट्स को वियोजित / पृथक (Disconnect) किया जावे।

3. बैलेट यूनिट / यूनिट्स तथा कन्ट्रोल यूनिट को पुनः उनके वहन बक्से (Carrying Boxes) में रख दिया जावे।

4. वहन बक्सों के दोनों ओर इस प्रयोजन के लिये बने छिद्रों में धागा डालकर उन वहन बक्सों को मुद्राबंद कर दिया जावे और इस प्रकार मुद्राबंद करते समय निर्वाचन तथा मतदान केन्द्र की विशिष्टयां दर्शाने वाले एड्रेस टैग पर पीठासीन अधिकारी अपनी मुद्रा लगाकार इन्हें चपड़ी से मुद्राबंद कर देवें।

5. कन्ट्रोल यूनिट पर एड्रेस टैग की विशिष्टयों में नगरपालिका का नाम, वार्ड सदस्य संख्या, कन्ट्रोल यूनिट का पहचान नम्बर, मतदान केन्द्र का नाम व उसका संख्यांक और मतदान की तारीख आदि अंकित की जाएगी।

6. बैलेट यूनिट / यूनिट्स पर लगाये जाने वाले एड्रेस टैग की विशिष्टयों में– नगरपालिका का नाम, निर्वाचन का विवरण वार्ड संख्या, बैलेट यूनिट / यूनिट्स का पहचान नम्बर, मतदान केन्द्र का नाम व संख्यांक तथा मतदान की तारीख आदि अंकित की जायेगी।

7. अभ्यर्थी या उनके मतदान अभिकर्ता, जो उपस्थित हों तथा अपने हस्ताक्षर करने के इच्छुक हों, उन्हें भी एड्रेस टैगों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी जावे।

भवदीय
ह0
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा / सां.आ. / रानिआ / 14 / 1459 दिनांकः 06.02.2026

आदेश

सां.आ. 156 / 2026 – नगरपालिका के ऐसे निर्वाचनों, जहाँ मत, इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन द्वारा डाले जायेंगे और रिकार्ड किए जायेंगे, के संबंध में राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 46–क के उप नियम (7) में यह प्रावधान है कि उक्त नियम 46–क के उप नियम (4) में निर्दिष्ट डाक मतपत्र के संबंध में, इन नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, ऐसी प्रक्रिया अंगीकृत की जायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग विनिर्दिष्ट करे।

अतः राज्य निर्वाचन आयोग उक्त नियम 46–क के उप नियम (7) के उपबन्धों के अनुसरण में, पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 4166 / 21.10.2019 (सां. आं 120 / 2019) को अधिक्रमित करते हुए, सदस्य पदों के निर्वाचनों हेतु डाक मतपत्रों के जरिए मत अभिलिखित करने की प्रक्रिया निम्नानुसार विनिर्दिष्ट करता है :–

1. नियम 46क के उप नियम (4) में वर्णित मतदाता डाक मतपत्र पर जिस अभ्यर्थी अथवा नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प को अपना मत देना चाहता है, वह अभ्यर्थी के नाम अथवा नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प के सामने बालपैन या स्याही से स्पष्ट रूप से ''X'' **(क्रॉस)** अथवा **''✓'' (राईट टिक)** का चिन्ह लगाकर अपना मत रिकार्ड करेगा। चिन्ह इस प्रकार लगाया जायेगा ताकि स्पष्टतः और किसी शंका के बिना यह उपदर्शित हो जाये कि मत किस अभ्यर्थी के पक्ष में अथवा नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प को दिया गया है।

2. एक से अधिक अभ्यर्थी अथवा किसी अभ्यर्थी एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) के पक्ष में मत रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

3. मत रिकार्ड करने के लिये ''X'' (क्रॉस) अथवा **''✓'' (राईट टिक)** चिन्ह से भिन्न अन्य कोई चिन्ह या संकेत या शब्द या लेख या हस्ताक्षर डाक मतपत्र पर अंकित नहीं किया जायेगा।

4. डाक मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करने के पश्चात् डाक मतपत्र को ''क'' चिन्हित छोटे लिफाफे (प्ररूप–16–ख) में मतदाता द्वारा रखा जायेगा और लिफाफा बंद कर दिया जायेगा और उसे मुद्रा लगाकर या अन्यथा सुरक्षित किया जायेगा।

5. ''क'' चिन्हित लिफाफे में डाक मतपत्र को सुरक्षित कर देने के पश्चात् प्ररूप 16–क में घोषणा पर मतदाता किसी राजपत्रित अधिकारी या उस मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी, जिसमें वह मतदाता निर्वाचन कर्त्तव्यरूढ़ है, की उपस्थिति में हस्ताक्षर करेगा और ऐसे अधिकारी से हस्ताक्षर का अनुप्रमाणन करायेगा। उक्त अनुप्रमाणन करने वाला अधिकारी मतदाता की पहचान के बारे में अपना समाधान होने पर मतदाता के हस्ताक्षर का अनुप्रमाणन करेगा।

6. ऊपर वर्णित अनुप्रमाणन अधिकारी को डाक मतपत्र न तो दिखाया जायेगा और न यह बताया जायेगा कि किसके पक्ष में मतदान किया गया है।

7. मतदाता के हस्ताक्षर का अनुप्रमाणन होने के पश्चात् प्ररूप 16–क में घोषणा और साथ में ''क'' चिन्हित प्ररूप 16–ख में छोटा लिफाफा जिसमें डाक मतपत्र सुरक्षित रखा गया है, को

''ख'' चिन्हित बड़े लिफाफे (प्ररूप 16–ग) में बंद कर दिया जायेगा। ''ख'' चिन्हित बड़े लिफाफे पर निर्दिष्ट स्थान पर मतदाता द्वारा अपने पूरे हस्ताक्षर किये जायेंगे।

8. ऊपर वर्णित रीति से ''ख'' चिन्हित बड़ा लिफाफा बन्द करने के पश्चात् इसे संबंधित निर्वाचन के रिटर्निंग अधिकारी को या तो डाक द्वारा, या संदेशवाहक द्वारा या व्यक्तिशः इस प्रकार दे दिया जायेगा ताकि यह उक्त निर्वाचन में मतगणना प्रारम्भ होने के लिये नियत समय से पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को प्राप्त हो जाये।

9. रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदाता को जारी किए गए डाक मतपत्र के प्रतिपर्ण पर मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में प्रविष्ट उस मतदाता की क्रम संख्या तथा मतदाता सूची की भाग संख्या अभिलिखित कर देनी चाहिये। मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में सम्बन्धित मतदाता के नाम के सामने शब्द 'डाक मतपत्र' (P.B.) यह उपदर्शित करने के लिये लिख दें कि उस मतदाता को डाक मतपत्र जारी किया गया है, किन्तु उसमें उस मतदाता को जारी किए गए मतपत्र की क्रम संख्या अभिलिखित न की जावे। रिटर्निग अधिकारी को, जारी किये गये डाक मतपत्रों के प्रतिपर्णो को एक अलग पैकेट में मुहरबन्द कर पैकेट पर उसमें रखी गयी सामग्री का संक्षिप्त विवरण और मुहरबन्द करने का दिनांक अंकित कर, अन्य मुहरबन्द निर्वाचन अभिलेख के साथ रखवा देना चाहिये।

10. रिटर्निंग अधिकारी एक रजिस्टर संधारित करेगा जिसमें प्राप्त डाक मतपत्रों और उनके प्राप्त होने की दिनांक व समय का अंकन करेगा।

भवदीय,
ह0
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

क्रमांकः एफ.1(4)(1)नपा/रानिआ/2014/2184 दिनांकः–26.02.2026

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) (नगरपालिका) राजस्थान।

विषय :– नगरपालिका आम चुनाव 2026 –इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों के उपयोग के संबंध में।

महोदय,

आयोग द्वारा नगरपालिका आम चुनाव 2019 में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों के उपयोग के संबंध में अपने पत्र क्रमांक 4226 दिनांक 21.10.2019 के द्वारा निर्देश जारी किये गये थे। अतः आयोग द्वारा पूर्व में भेजे गये संदर्भित पत्र के स्थान पर उक्त निर्देशों को अधिक्रमित करते हुये नगरपालिका आम चुनाव 2026 –इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों के उपयोग के संबंध में नवीन दिशा–निर्देश जारी किये जा रहे है। अतः निम्नानुसार निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

आयोग द्वारा नगरपालिकाओं के चुनाव इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों से कराये जायेंगे। राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 31क के अनुसार इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन की वह डिजाईन होगी, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित की जाये। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश क्रमांक एफ 1(2)(1)/नपा–पंचा/सा.आ./रानिआ/14/578 दिनांक 16.01.2026 के द्वारा भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (BEL) एवं इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ECIL) द्वारा निर्मित की गयी इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन का डिजाईन मत डाले जाने और रिकार्ड किये जाने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित किया हुआ है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 26 की उपधारा (3) के अनुसरण में नगरपालिका के आगामी सभी निर्वाचनों में मतदान के लिए वोटिंग मशीनों के उपयोग में लाने हेतु आयोग द्वारा स्थाई आदेश क्रमांक 635 दिनांक 19.01.2026 (सां. आ. 149/2026) पूर्व में ही जारी किया हुआ है। नगरपालिका चुनावों में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों के उपयोग संबंधी विभिन्न गतिविधियों, व्यवस्थाओं, मशीनों की जांच, मतदान हेतु तैयारी, उनके रख रखाव आदि के संबंध में की जाने वाली तैयारियों को आगे के पैराओं में वर्णित किया गया है। अतः निम्न बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(1) मशीनों की उपलब्धताः–

नगरीय निकायों के चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा क्रय की हुई ECIL द्वारा निर्मित मल्टी पोस्ट सिंगल वोट (MPSV), मल्टी पोस्ट मल्टी वोट (MPMV) तथा भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (BEL) द्वारा निर्मित व पोस्ट अपग्रेडेड–2006 MK-V मॉडल इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनें (EVM) उपयोग में ली जावेंगी। जिलेवार मशीनों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये आयोग द्वारा ई.वी.एम का आवंटन तत्समय कर दिया जावेगा।

(2) मशीनों की आवश्यकता का ऑकलनः–

मल्टी पोस्ट सिंगल वोट (MPSV) एवं मल्टी पोस्ट मल्टी वोट (MPMV) मशीन से चुनाव करवाने के लिए (NOTA सहित 15 उम्मीदवारों तक) एक कन्ट्रोल यूनिट एवं एक बैलेट यूनिट की आवश्यकता होगी। किन्तु यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या NOTA सहित 15 से अधिक होने पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बैलेट यूनिटों की आवश्यकता होगी। उल्लेखनीय है कि एक ही पद (सदस्य) का चुनाव करवाने के लिए अन्य ई.वी.एम की भांति MPSV एवं MPMV मशीनें भी सिंगल पोस्ट सिंगल वोट मशीनों की तरह ही उपयोग में आयेगी।

जबकि अन्य मॉडल MK-V/M3A मशीन से चुनाव करवाने के लिए (NOTA सहित 16 उम्मीदवारों तक) एक कन्ट्रोल यूनिट एवं एक बैलेट यूनिट की आवश्यकता होगी। किन्तु निर्वाचन

लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या NOTA सहित 16 से अधिक होने पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बैलेट यूनिटों की आवश्यकता होगी।

नगरीय निकाय चुनाव में मशीनों की संख्या का आंकलन एवं आरक्षित मशीनों की संख्या को ध्यान में रखकर मशीन आवंटन का कार्य तत्समय कर दिया जावेगा।

(3) वोटिंग मशीनों का सुरक्षित भण्डारण :–

वोटिंग मशीनों के भण्डारण के लिए निम्नांकित निर्देशों की पालना की जावे।

(i) जहां तक संभव हो वोटिंग मशीनें कोषालय में रखी जाये। यदि कोषालय में भण्डारण संभव नहीं हो तो जिला स्तर पर निर्धारित स्ट्रॉग रूम में वोटिंग मशीनों का भण्डारण किया जायें। जहां वोटिंग मशीनें रखी जाये, वहां पर वोटिंग मशीनों के अलावा अन्य कोई सामग्री नहीं हो।

(ii) आम तौर पर इन वोटिंग मशीनों को जिला मुख्यालय पर ही रखा जावे और किन्ही परिस्थितियों में यदि जिला मुख्यालय पर इनका भण्डारण संभव नहीं हो पाता है तो अन्य स्थान पर भण्डारण के लिये आयोग से पूर्व अनुमति ली जावें।

(iii) इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों के भण्डारण कक्ष/हॉल में एक से अधिक प्रवेश बिन्दु नहीं हो। यदि एक से अधिक दरवाजे या खिडकियां है तो उन्हे कंक्रीट/पक्की चुनाई से बन्द कर दिया जावे।

(iv) इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों के भण्डारण कक्ष/हॉल के प्रवेश द्वार को डबल लॉक प्रणाली से सुरक्षित किया जावे, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामित दो पृथक अधिकारियों के द्वारा चाबियॉ संधारित की जावे। इन दोनों अधिकारियों में से एक अधिकारी उपखण्ड मजिस्ट्रेट स्तर से कम नहीं होगा।

(v) जिस कक्ष/हॉल में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों का भण्डारण किया जावे वह बाढ/पानी के रिसाव/दरार/लीकेज/टूटी खिडकियां आदि से पूर्ण रूप से मुक्त हो। भण्डारण कक्ष में किसी प्रकार की नमी/कीट/मूषक आदि नहीं होने चाहिये। अग्नि शमन के समुचित प्रबंध उपलब्ध रहने चाहिये। मशीनें पूर्ण रूप से सुरक्षित तरीके से रखी जावें।

(vi) भण्डारण कक्ष पर पुलिस/सुरक्षा गार्ड को नियुक्त करते हुए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम भी रखें।

(vii) मशीनों के भण्डारण कक्ष (Warehouse) को खोलने/बन्द करने की प्रक्रिया, मशीनों को लाने–ले जाने, भौतिक सत्यापन करने एवं मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को इसकी सूचना और उनकी उपस्थिति के संबंध में विवरण अंकित करने के लिए एक लॉग बुक संधारित की जायें जो प्रतिदिन जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर से अधिकृत अधिकारी के द्वारा सत्यापित होनी चाहिए।

(4) चुनाव में उपयोग में आने वाली EVM का रजिस्टर एवं सॉफ्टवेयर में संधारणः–

(i) उपलब्ध सभी वोटिंग मशीनों का इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर में किया जावे। इसमें प्रत्येक कन्ट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट एवं यदि MPSV एवं MPMV मॉडल की मशीन है तो क्रमशः SDMM तथा DMM का भी इन्द्राज किया जायेगा जिसमें उस कन्ट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट की चुनाव से संबंधित संभी गतिविधियों का तिथिवार अंकन किया जायेगा अर्थात नगरपालिका चुनाव के लिए मशीन प्राप्त होने से लेकर चुनाव पश्चात मतगणना की समाप्ति उपरांत MPSV एवं MPMV मॉडल की मशीनों की क्रमशः SDMM एवं DMM की सीलिंग की कार्यवाही कर मशीनों से पृथक कर लिया जायेगा एवं BEL की मशीनों का उपयोग होने की स्थिति में निर्वाचन याचिका के निस्तारण/मियाद समाप्त होने के पश्चात् मशीन को क्लीयर कर भण्डारण कक्ष में वापस जमा होने तक प्रत्येक गतिविधि का अंकन किया जायेगा।

(ii) रजिस्टर में इन्द्राज करते समय कन्ट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, SDMM एवं DMM का यूनीक नम्बर दर्ज किया जावे। रजिस्टर में बाद की कार्यवाहियों के इन्द्राज यथा FLC

चैकिंग तिथि, चैकिंग के बाद सुरक्षित स्टोर में रखने की तिथि, आवंटन का प्रकार यानि प्रशिक्षण हेतु आवंटन अथवा मतदान के उपयोग हेतु आवंटन, किस अधिकारी को, किस नगरीय निकाय के लिए आवंटन किया गया, मशीन खराब है, अथवा चालू स्थिति में है, मतदान की तिथि, मतदान के उपयोग में आई है तो किस निर्वाचन में अथवा आरक्षित रही है आदि का अंकन इस रजिस्टर में किया जाये।

(iii) ईवीएम ट्रेकिंग सॉफ्टवेयर में मशीनों का इन्द्राज करनाः— आम चुनावों में उपयोग में ली जाने वाली ईवीएम मशीनों से संबंधित समस्त सूचना जैसे कन्ट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, SDMM एवं DMM के यूनीक नम्बर जिले में उपलब्ध मशीन, मॉडल, संख्या, अधिकारी आदि की जानकारी जो स्थाई स्टॉक पंजिका में संग्रहित की जाती है उसकी समस्त सूचना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित ईवीएम ट्रेकिंग सॉफ्टवेयर में भी इन्द्राज की जावे। इसके लिए वेबसाइट esuchi.rajasthan.gov.in पर जिलों को दिये गये login-id एवं password के द्वारा उक्त सूचना अंकित करनी होगी। इस सॉफ्टवेयर पर कार्य करने का प्रशिक्षण जिले के उपखण्ड अधिकारियों एवं मास्टर ट्रेनर (MT) को दिया जा चुका हैं। इसी सॉफ्टवेयर के जरिये प्रशिक्षण में काम आने वाली, चुनाव के उपयोग आने वाली ई.वी.एम. का नगरीय निकाय वार, वार्डवार (भाग के अनुसार) रेन्डमाईजेशन का कार्य भी सम्पन्न किया जायेगा।

(5) मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच (First Level Checking) :–

(i) F.L.C. का कार्य जिला स्तर पर करवाया जावें।

(ii) मशीनों की चैकिंग आप अपने विज्ञ स्टॉफ जो कि, पिछले लोकसभा/विधानसभा चुनावों में इस कार्य में EVM ट्रेनर के रूप में कार्य कर चुका है और जिन्होंने EVM प्रशिक्षण का भी अनुभव है, उनका उपयोग इस प्रथम स्तरीय जांच के कार्य में लेवें। निर्माता फर्म ECIL/BEL के तकनीशियनों या इंजिनियरों की देखरेख में मशीन की प्रथम स्तरीय जॉच (FLC) करवाई जाएगी।

(iii) मशीनों की चैकिंग के कार्य के लिए जिला स्तर पर एक वरिष्ठ अधिकारी को प्रभारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जावे। यह अधिकारी राजस्थान प्रशासनिक सेवा के स्तर से कम का नहीं होगा। F.L.C. की पूर्ण प्रक्रिया की विडियोग्राफी की जायेगी (विडियोग्राफी के संबंध में विस्तृत निर्देश आयोग के आदेश क्रमांक प. 1(4)(1)नपा/रानिआ/14/187 दिनांक 06.01.2026 के द्वारा जारी किये जा चुके है।) उक्त वीडियो की सीडी जिला निर्वाचन अधिकारी की अभिरक्षा में रहेगी। इसके अतिरिक्त F.L.C. हॉल में सीसीटीवी कैमरा भी इस प्रकार लगाए जाएगें कि जिला निर्वाचन अधिकारी अपने कार्यालय में सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से F.L.C. की प्रक्रिया देख सके। मशीनों की चैकिंग जिला मुख्यालय पर उक्त प्रभारी अधिकारी की निगरानी में ही करवाई जावें। F.L.C. के संबंध में इंजीनियरों की उपलब्धता एवं समय सारणी के संबंध में तत्समय सूचित कर दिया जायेगा।

(iv) मशीनों की F.L.C. जिला मुख्यालय पर ही करवाई जावें। सामान्यतः लगभग 100 मशीनें (बैलेट यूनिट एवं कंट्रोल यूनिट) की F.L.C. प्रतिदिन एक इंजिनियर द्वारा की जा सकती हैं। F.L.C के दौरान उपस्थित रहने के लिए राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सभी राजनैतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों को भी बुलाया जायेगा। अतः ECIL / BEL के इंजिनियर्स का कार्यक्रम निश्चित होने पर F.L.C. के कार्यक्रम व स्थान की सूचना आपके द्वारा मान्यता

प्राप्त राजनैतिक दलों को लिखित में दी जानी हैं। यह सूचना F.L.C. प्रारम्भ होने के कम से कम 3 दिन पूर्व देनी चाहिए।

(v) F.L.C. के दौरान सभी राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के द्वारा अधिकृत किए हुए प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेगें और इन्हें ही आने की अनुमति दी जा सकेगी। इन अधिकृत प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर (जो इच्छुक हो) एक पृथक रजिस्टर (Anx-3) में लिए जायेगें।

(vi) मशीनों की F.L.C. के लिए जिला मुख्यालय पर एक बडे हॉल का चयन करें। हॉल का आकार इतना बडा हो कि जिन मशीनों की F.L.C. होनी हैं उन्हें उस हॉल में चैकिंग से पूर्व, चैकिंग के दौरान और चैकिंग के बाद आसानी से रखा जा सके, साथ ही F.L.C. के समय ECIL / BEL के इंजिनियर्स, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मनोनीत अधिकारीगण तथा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधिगण भी हॉल में उपस्थित रह सकें।

(vii) F.L.C. के लिए हॉल का उपयोग करने से पूर्व उस हॉल को पूर्ण रूप से स्वच्छ कर यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि वह हॉल अन्य किसी प्रकार के इलेक्ट्रोनिक उपकरण या इलेक्ट्रोनिक उपकरण के किसी कम्पोंनेंट से पूर्णतया मुक्त हैं। हॉल के प्रवेश बिन्दु पर पुलिस बल तैनात कर उसकी सुरक्षा व्यवस्था भी की जावें। प्रवेश द्वार पर डोर फ्रेम मैटल डिटेक्टर लगाया जावें। हॉल में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की तलाशी प्रवेश बिन्दु पर ली जावे। केवल उसी व्यक्ति को हॉल में प्रवेश दिया जाए जो जिला निर्वाचन अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी अनुमति प्रत्र प्रस्तुत करें।

(viii) F.L.C. के समय उक्त हॉल में किसी भी व्यक्ति (अधिकारी/कर्मचारी सहित) को किसी इलेक्ट्रोनिक उपकरण जैसे कि सैलफोन, कैमरा, स्पाईपेन इत्यादि को ले जाने की अनुमति नहीं होगी और किसी भी व्यक्ति को F.L.C. हॉल के बाहर कोई वस्तु ले जाने की अनुमति भी नहीं होगी।

(ix) इंजिनियर्स की दक्षता, उनकी योग्यता और ईमानदारी के लिए निर्माता फर्म ECIL/BEL पूर्णरूप से जिम्मेदार रहेगी। F.L.C. हॉल में केवल अधिकृत इंजिनियर्स/तकनीकी स्टॉफ को प्रवेश दिया जायेगा। हॉल में प्रवेश के समय वे अपनी पहचान फोटोयुक्त दस्तावेज के आधार पर स्थापित कर सकेगें। अन्य किसी इंजिनियर या तकनीकी स्टॉफ को हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

(x) F.L.C. के दौरान कंट्रोल यूनिटों/बैलेट यूनिटों पर से एड्रेस टैग, मतपत्र हटाना, उन पर लिखावट आदि साफ करना, डेटा क्लीयर करना, कन्ट्रोल यूनिट/बैलेट यूनिट के कैरिंग बक्सों, कनेक्टिंग केबल आदि को देखना कि कहीं से क्रेक तो नहीं है आदि कार्यों के साथ यह भी देखा जायेगा कि मशीनें पूर्णतः चालू है। सभी बटनों को चैक किया जायेगा। निर्माता कम्पनी के अधिकृत इंजीनियर ई.वी.एम की जांच कर यह प्रमाणित करेंगे कि ई.वी.एम. के सभी कम्पोनेन्ट मौलिक (Original) है यह प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र (Anx-4) में होगा। यदि कोई मशीन खराब है तो उसे अलग रखा जायेगा। फील्ड में मशीन की मरम्मत नहीं होगी। फील्ड में मशीन के प्लास्टिक केबिनेट को खोलने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी। मशीनों का कोई भाग फील्ड में नहीं बदला जाये, यह पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। निर्माता कम्पनी (ECIL/BEL) के अधिकृत इंजीनियर कौनसे उपकरण रखेंगे इसकी एक निर्धारित सूची है इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपकरण इनके द्वारा हॉल में नहीं ले जाया जा सकेगा।

(xi) मशीनों की चैकिंग में यह विशेष ध्यान रखा जावे कि, मशीन के सभी प्रकार के बटन चालू हालत में हों। सभी बटनों अर्थात बैलेट यूनिट के सभी अभ्यर्थियों के बटन, ऑन–ऑफ स्विच, कंडीडेट सैट बटन, बैलेट बटन, क्लोज बटन, टोटल बटन, रिजल्ट बटन, क्लीयर बटन, डिस्पले पैनल, प्रत्येक बटन के साथ बीप की आवाज, रियल टाईम क्लॉक एवं बैटरी पैक को चैक किया जावे।

(xii) चैकिंग के दौरान प्रत्येक मशीन से प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए डमी वोट डालकर भी मशीन को चैक किया जावे जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि मशीन चुनाव के लिए उपयुक्त एवं पूर्णतः चालू हालत में हैं।

(xiii) FLC के दौरान किये गये मॉक पोल को Anx-5 के प्रारूप में रजिस्टर में संधारित किया जायें। साथ ही किये गये मॉक पोल के परिणाम को Anx-6 के प्रारूप में रजिस्टर में संधारित किया जायें। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी उक्त प्रारूप के रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर (जो इच्छुक हो) करने हेतु कहा जायेगा।

(xiv) यह सुनिश्चित करने के लिए कि F.L.C. के बाद इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट को खोला नहीं गया हैं कंट्रोल यूनिट को नासिक सिक्यूरिटी प्रेस द्वारा मुद्रित स्पेशल "Pink Paper Seal" से सील किया जायेगा और यह सीलिंग की कार्यवाही राजनैतिक दलों के F.L.C. के समय उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष की जायेगी। उक्त "Pink Paper Seal" कंट्रोल यूनिट के कंडिडेट सैट सैक्शन तथा रिजल्ट सैक्शन के मध्य वाले हिस्से में लगाई जाएगी। उक्त "Pink Paper Seal" लगाने के बाद ECIL/BEL के इंजिनियर्स द्वारा सील के उपर अपने हस्ताक्षर किए जाएगें। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी उक्त सील पर अपने हस्ताक्षर (जो इच्छुक हो) करने हेतु कहा जायेगा और वे अपने हस्ताक्षर करने के साथ हस्ताक्षरों के नीचे संक्षिप्त में अपने दल का नाम भी सील पर अंकित कर सकेगें।

(xv) कंट्रोल यूनिट पर F.L.C. के समय लगायी जाने वाली "Pink Paper Seal" का क्रमांक नोट करने के लिए राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को अनुमति दी जायेगी। इसके अतिरिक्त एक रजिस्टर भी संधारित किया जायेगा जिसमें प्रत्येक कंट्रोल यूनिट का यूनिक आई. डी. नम्बर दर्शाते हुए यह स्पष्ट अंकन किया जायेगा कि उस कंट्रोल यूनिट पर कौनसे क्रमांक की "Pink Paper Seal" लगाई गई है। इस रजिस्टर में भी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर (जो इच्छुक हो) लिए जाएगें। इस रजिस्टर की फोटो प्रतियां निशुल्क प्रत्येक मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के प्रतिनिधी को F.L.C. समाप्त होते ही दी जाएगी। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि के पश्चात् चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों को भी उक्त रजिस्टर की फोटोप्रति निशुल्क दी जायेगी और इनकी रसीद भी रजिस्टर पर प्राप्त की जायेगी। (Anx-7)

(xvi) उपरोक्त वर्णित विशेष "Pink Paper Seal" जो कि नासिक सिक्यूरिटी प्रैस से मुद्रित हैं राज्य निर्वाचन आयोग के भण्डार से पूर्व में ही आपको उपलब्ध करवा दी गई है।

(xvii) प्रत्येक चैक की हुई नियंत्रण यूनिट एवं बैलेट यूनिट के पीछे एक पीले रंग का आयताकार स्टीकर चिपकाया जायेगा जिसमें जिले का नाम, FLC की तिथि, कन्ट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट एवं SDMM/DMM (यदि MPSV/MPMV मशीन है) के यूनीक नंबर दर्ज किये जावें और प्रभारी अधिकारी (चैंकिग) ECIL / BEL के तकनीशियनों या इंजिनियरों द्वारा

उक्त स्टीकर पर चैकिंग के तुरन्त बाद स्टिकर में निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर मय तिथि के किये जावें (Anx–1)।

(xviii) चैकिंग के तुरन्त बाद नियंत्रण यूनिट/बैलेट यूनिट के पीछे लगाये जाने वाले पीले रंग के आयताकार स्टीकर (Anx–1) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार कराए गये हैं। ये स्टीकर आपको FLC से पूर्व संबंधित सामग्री के साथ तत्समय आवंटित कर दिये जावेगे।

(xix) आयोग द्वारा ईवीएम मशीने आवंटित करने के पश्चात अपेक्षित मात्रा में मशीनें प्राप्त कर मशीनों की First Level Checking का कार्य तत्समस पूर्ण कर लिया जावे।

(xx) मशीनों की F.L.C. करने की अवधि के दौरान प्रत्येक दिवस को FLC हॉल को बन्द करने और अगले दिवस पुनः खोलने की प्रक्रिया एवं जॉच व प्रमाण पत्र प्राप्त मशीनों को तुरन्त ही एक सुरक्षित अभिरक्षा वाले कक्ष में रखने की व्यवस्था की जावे। चैक की हुई ऐसी मशीनों एवं FLC हॉल को डबल लॉक में रखा जावे। डबल लॉक की एक चाबी जिला निर्वाचन अधिकारी के पास तथा दूसरी चाबी किसी अन्य अधिकारी जो जिला निर्वाचन अधिकारी नामित करे उसके पास रहे। चैक की हुई उक्त मशीनों के कक्ष को सील भी किया जावे और इसको खोलने व वापस बन्द करने तथा प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के नाम, पता व तिथि, समय व प्रयोजन दर्शाते हुए एक लॉगबुक संधारित की जावे। उक्त सीलबन्द सुरक्षित कक्ष में कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं करें।

(6) प्रशिक्षण हेतु वोटिंग मशीनों की छंटनी एवं मतदान के उपयोग हेतु मशीनों का नगरपालिकावार रिटर्निंग अधिकारियों को आवंटन :–

(i) प्रत्येक चैक की हुई नियंत्रण यूनिट एवं बैलेट यूनिट के यूनिक नंबर का डेटा बेस जिला स्तर पर तैयार किया जावे। चैक की हुई ऐसी सभी नियंत्रण यूनिटों एवं बैलेट यूनिटों के डेटा बेस से ई.वी.एम. ट्रेकिंग साफ्टवेयर के जरिये रेन्डम आधार पर जिले में सभी नगर पालिकाओं के चुनाव में कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक मात्रा में नियंत्रण यूनिट एवं बैलेट यूनिट की छंटनी कर उन्हे पृथक कर लिया जावे। मतदान केन्द्रों की संख्या की 5 प्रतिशत मात्रा में मशीनें प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त हैं।

(ii) प्रशिक्षण हेतु छंटनी कर अलग की गई मशीनों का उपयोग मतदान में नहीं किया जावे। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण के लिए अलग की हुई मशीनों के ऊपर एक गुलाबी रंग का गोल स्टीकर (Anx–2) चिपकाया जावे। यह स्टीकर आपको राज्य निर्वाचन आयेाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सामग्री में प्राप्त हो चुके हैं।

(iii) प्रशिक्षण के लिए छंटनी कर पृथक की गई मशीनों को नगरपालिका वार आवंटित किया जायेगा और गुलाबी रंग के स्टीकर जो मशीन के अग्र भाग पर लगाया जाना है, उस पर मशीन का यूनिक नंबर अंकित किया जायेगा, तथा प्रमाणन स्वरूप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मनोनीत अधिकारी द्वारा तिथि सहित हस्ताक्षरित किया जायेगा।

(iv) नगरपालिका वार प्रशिक्षण हेतु पृथक की गई मशीनों की एक सूची मशीनों के यूनिक नंबर सहित तैयार कर जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय एवं रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित भी की जायेंगी, तथा राजनैतिक दलों के उपस्थित प्रतिनिधियों को वही मौके पर भी उपलब्ध करवा दी जायेगी।

(v) उक्त प्रकार से प्रशिक्षण हेतु पृथक की गई मशीने प्रशिक्षण देने वाले अधिकारियों को उसी दिन सुपुर्द कर उनसे हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए जावें।

(vi) प्रशिक्षण का कार्य नगरपालिका स्तर पर किया जावें।

(7) मतदान के उपयोग हेतु मशीनों का नगरपालिका वार आवंटनः–

(i) प्रशिक्षण हेतु मशीनों को पृथक किये जाने एवं उन्हें प्रशिक्षण के प्रभारी अधिकारियों को दिये जाने के उपरान्त शेष मशीनें मतदान के उपयोग हेतु ई.वी.एम ट्रेकिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा रेण्डम आधार पर नगरपालिकावार आवंटित की जायेगी तथा संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों को सुपुर्द की जायेगी। यह आवंटन की कार्यवाही F.L.C. के अन्तिम दिन की जावेंगी। नगरपालिकावार मशीनों के आवंटन के समय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी लिखित में आमंत्रित किया जाये ताकि वे भी कार्यवाही देख सकें और इस कार्यवाही का विवरण तैयार कर उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी प्राप्त कर रिकार्ड में रखा जावें। अतः F.L.C. के लिए मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को सूचना भेजे जाते समय ही इस आशय का उल्लेख भी कर दिया जावे।

(ii) प्रत्येक नगरपालिका के लिए आवंटित नियंत्रण यूनिटों एवं बैलेट यूनिटों की एक सूची यूनीक नंबर दर्शाते हुए तैयार की जायेगी जो जिला निर्वाचन अधिकारी के मनोनीत अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी। इस सूची को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा, साथ ही मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को इसकी एक प्रति सुपुर्द कर उनके हस्ताक्षर भी प्राप्त किये जायेंगें।

(iii) नगरपालिका हेतु मशीनों के आवंटन के बाद नियंत्रण यूनिट व बैलेट यूनिट के पीछे के भाग पर लगे पीले स्टिकर पर नगरपालिका का नाम अंकित कर जिला निर्वाचन अधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा तिथि सहित हस्ताक्षर किये जायें।

(8) प्रथम स्तरीय जांच एवं नगरपालिकावार आवंटन के बाद मशीनों का भण्डारणः–

(i) जॉच व प्रमाण पत्र प्राप्त नगरपालिका को आवंटित मशीनों को तुरन्त ही जिला स्तर पर एक सुरक्षित अभिरक्षा वाले कक्ष में रखने की व्यवस्था की जावे।

(ii) किसी भी राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी को मशीनों की चैकिंग, भण्डारण, आवंटन में किसी प्रकार का संदेह नहीं रहना चाहिए। इसलिए मशीनों की चैकिंग के बाद भण्डारण, आवंटन, वितरण आदि गतिविधियों में भी पारदर्शिता रहनी चाहिये और प्रत्येक गतिविधि की जानकारी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों व अभ्यर्थियों को होनी चाहिए।

(iii) जॉच व प्रमाण पत्र प्राप्त नगरपालिका को आवंटित मशीनों को तुरन्त ही एक सुरक्षित अभिरक्षा वाले कक्ष में रखने की व्यवस्था की जावे। चैक की हुई ऐसी मशीनों को डबल लॉक में रखा जावे। डबल लॉक की एक चाबी जिला निर्वाचन अधिकारी के पास तथा दूसरी चाबी किसी अन्य अधिकारी जो जिला निर्वाचन अधिकारी नामित करे उसके पास रहे। चैक की हुई उक्त मशीनों के कक्ष को सील भी किया जावे और इसको खोलने व वापस बन्द करने तथा प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के नाम, पता व तिथि, समय व प्रयोजन दर्शाते हुए एक लॉगबुक संधारित की जावे और उस कक्ष के दरवाजे पर अभ्यर्थी या उनके प्रतिनिधी भी चाहें तो हस्ताक्षर अथवा सील लगा सकेंगे। यदि कोई राजनैतिक दल इस लॉगबुक की फोटो प्रति चाहे तो प्रदान की जावें।

(iv) इस आदेश के बिन्दु संख्या 3 वोटिंग मशीनों के सुरक्षित भण्डारण के संबंध में दिये गये दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें।

(v) जब भी उक्त स्ट्रॅांग रूम को खोला जाये तो उसकी पूर्व सूचना राजनैतिक दलों को दी जाये।

(vi) ई.वी.एम ट्रेकिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा रेण्डम आधार पर नगरपालिका वार रिटर्निंग अधिकारियों को आवंटित मशीनें यथाशीघ्र जिला स्तर से नगरपालिका स्तर पर ले जा कर मशीनों का भण्डारण किया जावें।

(9) मतदान में उपयोग हेतु वार्डवार आवंटन एवं वोटिंग मशीनों की तैयारी (Commissioning of EVM)

(i) मतदान के उपयोग हेतु नगरपालिकावार आवंटित मशीनों में से ई.वी.एम ट्रेकिंग सॉफ्टवेयर के जरिये रेण्डम आधार पर वार्डवार आवंटित की जायेगी। यह आवंटन की कार्यवाही मशीनों के मतदान की तैयारी (Commissioning of EVMs) के ठीक तीन दिन पूर्व कर लेनी चाहियें। वार्ड वार मशीनों के आवंटन के समय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी लिखित में आमंत्रित किया जाये ताकि वे भी कार्यवाही देख सकें और इस कार्यवाही का विवरण तैयार कर उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी प्राप्त कर रिकार्ड में रखें जायें। ई.वी.एम ट्रेकिंग सॉफ्टवेयर के जरिये रेण्डम आधार पर वार्डवार आवंटन का कार्य जिला स्तर पर प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर के द्वारा सम्पन्न कराया जावें।

(ii) मतदान हेतु मशीनों की तैयारी का कार्य BEL/ECIL के अधिकृत इंजीनियरों के द्वारा किया जायेगा और यह कार्य नगरपालिका स्तर पर कराया जायेगा।

(iii) नगरपालिका चुनावों में प्रत्येक वार्ड एक निर्वाचन क्षेत्र है, सामान्यतः अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि के अगले दिन चुनाव चिन्हों का आवंटन होता है। तत्पश्चात् ही मतपत्रों का मुद्रण संभव हो पाता है। चुनाव चिन्ह आवंटन की तिथि एवं मतदान की तिथि के मध्य अन्तराल भी कुछ ही दिनो का होता है ऐसी स्थिति में बैलेट यूनिट पर लगाये जाने वाले मतपत्रों का मुद्रण दो या तीन दिन के भीतर ही करा लेना आवश्यक है। इन मतपत्रों के मुद्रण के बाद ही वोटिंग मशीनों की तैयारी रिटर्निंग अधिकारी द्वारा कराया जाना संभव है। अतः उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मतदान के कम से कम तीन दिन पूर्व की तिथि वोटिंग मशीनों की तैयारी के लिए निश्चित करके रखी जावे।

(iv) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा वोटिंग मशीनों की तैयारी करने की तिथि, समय, एवं स्थान के बारे में चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों को आवश्यक रूप से पूर्व में ही लिखित नोटिस के द्वारा अवगत करा दिया जावे और उन्हे स्वयं या अपने प्रतिनिधियों को उक्त समय, स्थान व तिथि पर उपस्थित होने के लिए लिखा जावे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक को भी उक्त कार्यक्रम से अवगत कराया जावे ताकि वे भी मशीनों की तैयारी की प्रक्रिया को देख सकें। उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर एक निर्धारित रजिस्टर में लिए जाये। (Anx-8)

(v) बैलेट यूनिट में लगाये जाने वाले मतपत्र के पीछे रिटर्निंग अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर सील भी लगायेगें। नियंत्रण यूनिट में नई बैटरी लगाने, कण्डीडेट सैट करने, कण्डीडेट सैट खण्ड को सील करने आदि की कार्यवाही स्टेप–बाई–स्टेप रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसी प्रक्रिया से की जाये जैसा कि EVM की अनुदेश निर्देशिका (Instructions Guide) में बताया गया है। तैयार करतें ही बैलेट यूनिट एवं कंट्रोल यूनिट के कण्डीडेट सैट खण्ड को रिटर्निंग अधिकारी टैग के साथ सील एवं हस्ताक्षर करेगें और उपस्थित अभ्यर्थियों/प्रतिनिधियों से भी अपने हस्ताक्षर करने हेतु कहेगें।

(vi) यदि MPSV/MPMV मॉडल की मशीन का उपयोग किया जा रहा है एवं अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 15 तक हैं तो बैलेट यूनिट के स्लाईड स्विच को 1 स्थिति पर सेट करेंगे। नोटा सहित 15 से अधिक अभ्यर्थी होने पर तदानुसार द्वितीय बैलेट यूनिट के स्लाईड स्वीच को 2 और इसी प्रकार तीसरी बैलेट यूनिट के स्लाईड स्वीच को 3 एवं चतुर्थ बैलेट यूनिट के स्लाईड स्वीच को 4 पर सेट करेंगे।

(vii) यदि MK-V/M3A मॉडल की मशीन का उपयोग किया जा रहा है एवं अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 16 तक हैं तो बैलेट यूनिट के स्लाईड स्विच को 1 स्थिति पर सेट करेंगे। नोटा सहित 16 से अधिक अभ्यर्थी होने पर तदानुसार द्वितीय बैलेट यूनिट के स्लाईड स्वीच को 2 और इसी प्रकार तीसरी बैलेट यूनिट के स्लाईड स्वीच को 3 एवं चतुर्थ बैलेट यूनिट के स्लाईड स्वीच को 4 पर सेट करेंगे।

(viii) मतपत्र बैलेट यूनिट में लगाते समय ध्यान रखें कि मतपत्र में अभ्यर्थियों के पैनल की लाईनों का एलाइनमेंट बैलेट यूनिट में अभ्यर्थी के लिए निर्धारित स्थान की सीध में हो।

(ix) वार्ड में मतदान के उपयोग हेतु तैयार की गई मशीनों की सूची उनके यूनीक नंबर व आवंटित मतदान केन्द्र दर्शाते हुए अभ्यर्थियों/प्रतिनिधियों को तत्समय ही देकर हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये जाये। एक वार्ड के लिए उपरोक्त कार्यवाही करने के पश्चात अन्य वार्डों के लिए मशीनों की तैयारी एक–एक करके वार्ड वार की जाये।

(x) कुछ नगरपालिकाओं के कुछ वार्डो में कम मतदान केन्द्र भी हो सकते है, ऐसी स्थिति में वार्ड के लिए मशीने आरक्षित रखने की व्यवस्था मशीनों की उपलब्धता व परिस्थितियों के अनुसार की जायें।

(xi) इस आदेश के बिन्दु संख्या 5–मशीनों की प्रथम स्तरीय जॉच के उपबिन्दु संख्या (v) से (viii) में वर्णित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(xii) मतदान मशीनों की तैयारी के समय दिखावटी मतदान (Mockpoll) में 5 प्रतिशत मशीनों में प्रत्येक मशीन पर 50 मत दिये जायेंगे एवं शेष मशीनों में अभ्यर्थियों की संतुष्टी के लिए एवं समय की उपलब्धता के अनुसार दिखावटी मतदान (Mockpoll) से मत दिये जा सकेंगे। दिखावटी मतदान (Mockpoll) के दौरान् अभ्यर्थी स्वयं भी मत दे सकेंगे।

(xiii) मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष दिखावटी मतदान (Mockpoll) किए जाने के संबंध में अभ्यर्थी/राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर रजिस्टर में प्राप्त किए जावें। (Anx-9)

(xiv) दिखावटी मतदान (Mockpoll) के पश्चात् मशीनों पर परिणामों का प्रिन्ट आऊट दिखाए जाने की प्रक्रिया पूर्ण कर निर्धारित रजिस्टर में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर प्राप्त किए जावें। (Anx-10)

(xv) यह ध्यान रखा जाए कि कंट्रोल यूनिट पर Pink Paper Seal जो FLC के समय लगायी गयी थी वह सुरक्षित रहें, तैयारी की प्रक्रिया में कहीं क्षतिग्रस्त ना हो जाए।

(xvi) मशीनों की तैयारी जिसमें बैलेट यूनिट में मतपत्र भी लगाया जाता है। बैलेट यूनिट को भी स्पेशल "Pink Paper Seal" से सील किया जायेगा और यह सीलिंग की कार्यवाही अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष की जायेगी। उक्त "Pink Paper Seal" बैलेट यूनिट के सबसे निचले हिस्से पर लगायी जायेगी ताकि किसी अभ्यर्थी का नाम या चिन्ह ढक नहीं जाए। उक्त "Pink Paper Seal" पर ECIL/BEL के इंजिनियर्स द्वारा अपने हस्ताक्षर किए जाएगें। अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों को भी उक्त सील पर अपने हस्ताक्षर (यदि इच्छुक हो तो) करने हेतु कहा जायेगा और वे अपने हस्ताक्षर करने के साथ हस्ताक्षरों के नीचे संक्षिप्त में अपना व अपने दल का नाम भी सील पर अंकित कर सकेंगें।

(xvii) बैलेट यूनिट पर तैयारी के समय लगायी जाने वाली "Pink Paper Seal" का क्रमांक नोट करने के लिए अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों को अनुमति दी जायेगी। इसे रजिस्टर में अंकित किया जायेगा जिसमें प्रत्येक बैलेट यूनिट का यूनिक आई. डी. नम्बर दर्शाते हुए यह स्पष्ट अंकन किया जायेगा कि उस बैलेट यूनिट पर कौनसे क्रमांक की "Pink Paper Seal" लगाई गई है। इस रजिस्टर में भी अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर (यदि इच्छुक हो तो) लिए जाएगें। तैयारी पूर्ण होने पर इस रजिस्टर की फोटोप्रतियां चुनाव

लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निशुल्क दी जायेगी और इनकी प्राप्ति रसीद भी रजिस्टर पर प्राप्त की जायेगी (Anx-11)।

(xviii) मशीनों की तैयारी का पर्यवेक्षण रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किया जाएगा। EVM की तैयारी की पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।

(xix) कन्ट्रोल यूनिट एवं बैलेट यूनिट पर केवल सफेद रंग के स्टीकर/एड्रेस टैंग का प्रयोग होगा।

(xx) वार्ड सदस्य चुनाव की बैलेट यूनिट पर लगाये जाने वाले मतपत्र सफेद रंग का होगा।

(xxi) मल्टी पोस्ट सिंगल वोट मशीन एवं मल्टी पोस्ट मल्टी वोट मशीन के द्वारा केवल सदस्य पद का चुनाव कराये जाने के कारण आंशिक मतदान की कोई संभावना नहीं रहेगी। अतः MPSV/MPMV मशीन पर स्थित "END" बटन को मास्क करावें।

(xxii) वार्डवार मतदान के लिये तैयारशुदा मशीनों को भण्डारण के समय मिश्रण ना हो इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जावें।

(10) तैयार शुदा वोटिंग मशीनों की सुरक्षित अभिरक्षाः–

(i) किसी भी राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी को मशीनों की चैकिंग, भण्डारण, आवंटन में किसी प्रकार का संदेह नहीं रहना चाहिए। इसलिए मशीनों की चैकिंग के बाद भण्डारण, आवंटन, वितरण आदि गतिविधियों में भी पारदर्शिता रहनी चाहिये और प्रत्येक गतिविधि की जानकारी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों व अभ्यर्थियों को होनी चाहिए।

(ii) जॉच व प्रमाण पत्र प्राप्त नगरपालिका एवं वार्ड को आवंटित मशीनों को तुरन्त ही एक सुरक्षित अभिरक्षा वाले कक्ष में रखने की व्यवस्था की जावे। चैक की हुई ऐसी मशीनों को डबल लॉक में रखा जावे। डबल लॉक की एक चाबी जिला निर्वाचन अधिकारी के पास तथा दूसरी चाबी किसी अन्य अधिकारी जो जिला निर्वाचन अधिकारी नामित करे उसके पास रहे। चैक की हुई उक्त मशीनों के कक्ष को सील भी किया जावे और इसको खोलने व वापस बन्द करने तथा प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के नाम, पता व तिथि, समय व प्रयोजन दर्शाते हुए एक लॉगबुक संधारित की जावे और उस कक्ष के दरवाजे पर अभ्यर्थी या उनके प्रतिनिधी भी चाहें तो हस्ताक्षर अथवा सील लगा सकेंगे। यदि कोई राजनैतिक दल इस लॉगबुक की फोटो प्रति चाहे तो प्रदान की जावें।

(iii) इस आदेश के बिन्दु संख्या 3 वोटिंग मशीनों के सुरक्षित भण्डारण के संबंध में दिये गये दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें।

(iv) जब भी उक्त स्ट्रॉंग रूम को खोला जाये तो उसकी पूर्व सूचना अभ्यर्थियों को दी जाये।

(11) मतदान दलों को वोटिंग मशीनों का वितरणः–

(i) जहां पर उक्त तैयार शुदा वोटिंग मशीन रखी गई है वहां से मतदान कार्मिकों को वोटिंग मशीन वितरण करने का स्थल यदि भिन्न है तो वोटिंग मशीनों के परिवहन का कार्यक्रम पर्यवेक्षक तथा अभ्यर्थियों को पूर्व में अवगत कराया जाये। वोटिंग मशीन के परिवहन में मशीनों की समुचित सुरक्षा की जाये। वितरण स्थल पर भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रखी जाये।

(ii) पीठासीन अधिकारियों को जब मशीने वितरित की जाये तब पीठासीन अधिकारियों के प्राप्ति हस्ताक्षर प्राप्त किये जाये। कौनसी मशीन किस मतदान केन्द्र के लिए दी गई है इसका पर्याप्त रिकार्ड रखा जाये। मतदान दलों को मशीनें देते समय सुनिश्चित किया जाए कि मशीनों पर लगी हुयी सभी सीलें सुरक्षित हैं।

(iii) पीठासीन अधिकारियों को यह भी बताया जाये कि उन्हे प्रदान की गई मशीन का नंबर वे चैक कर लें कि मशीन का नंबर मशीन के पीछे लगे स्टीकर और ऐड्रेस टैग के अंकन के अनुसार ही है।

(iv) जहां किसी मतदान केन्द्र पर मतदान से पूर्व या मतदान के दौरान कोई मशीन बदली जाये तो उसकी लिखित सूचना अभ्यर्थियों को भी उपलब्ध कराई जाये।

(12) वोटिंग मशीन से संबंधित रजिस्टर का संधारणः–

(i) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भी अपने स्तर पर नगरपालिका के मतदान के उपयोग हेतु प्राप्त सभी मशीनों के विवरण के साथ एक रजिस्टर संधारित किया जायेगा जिसमें ये समस्त जानकारी होगी कि कौनसी नियंत्रण यूनिट/बैलेंट यूनिट कौनसे वार्ड के किस मतदान केन्द्र पर उपयोग में आयी है, किस चुनाव के काम आयी है या कौनसी नियंत्रण यूनिट/बैलेट यूनिट बदली गई है आदि।

(ii) मतदान के बाद प्राप्त होने वाली मशीनों का विवरण भी उक्त रजिस्टर में अंकित किया जायेगा।

(13) मतदान पश्चात वोटिंग मशीन की सुरक्षित अभिरक्षाः–

(i) चूंकि मतगणना नगरपालिका मुख्यालय पर ही होनी है, अतः मतदान के पश्चात वोटिंग मशीन नगरपालिका मुख्यालय पर ही मतगणना स्थल पर सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जायेगी। वोटिंग मशीन के स्ट्रॉग रूम को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सीलबन्द रखा जायेगा। अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को भी स्ट्रॉग रूम के दरवाजे/खिडकियों पर अपनी सील लगाने की अनुमति दी जायेगी तथा उन्हे यह अनुमति भी दी जायेगी कि वे एक पर्याप्त दूरी से स्ट्रॉग रूम की निगरानी रख सकते है।

(ii) स्ट्रॉग रूम की सुरक्षा के लिए उपयुक्त स्थानो पर CCTV कैमरे भी स्थापित किये जायेगें।

(iii) स्ट्रॉग रूम में अग्नि सुरक्षा के उपाय भी रखे जायेंगे।

(iv) स्ट्रॉग रूम व मतगणना परिसर में दोहरे स्तर की सुरक्षा व्यवस्था रखी जायेगी।

(v) मतगणना कक्ष में वार्ड वार एवं मतदान केन्द्र वार आवंटित नियंत्रण यूनिट की सूची मतगणना के दौरान नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी।

(vi) जहां पर पुनर्मतदान होगा उस मतदान केन्द्र पर मूल रूप से मतदान में उपयोग में लाई गई मशीन को भी स्ट्रॉग रूम में ही रखा जायेगा जिस पर साफ–साफ एक टैग ''गणना नहीं करनी है'' अंकित करते हुए उस नियंत्रण यूनिट पर लगाया जायेगा और उसे सील बन्द ही रखा जायेगा। पुनर्मतदान होने पर नई मशीन पर साफ–साफ टैग ''पुर्नमतदान की वोटिंग मशीन–गणना की जानी है'' अंकित करते हुए लगाया जायेगा। उपरोक्त दोनों प्रकार के टैग रिटर्निंग अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेगें।

(14) ई. वी. एम. संबंधी तैयारी आदि घटनाओं की विडियोग्राफीः–

पारदर्शिता के लिए यह भी निर्देश दिए जाते है कि वोटिंग मशीन की विभिन्न स्तरों पर की गई गतिविधियों यथा वोटिंग मशीन की तैयारी, वोटिंग मशीन की सीलिंग, स्ट्रॉग रूम की सीलिंग, स्ट्रॉग रूम को खोलने आदि प्रक्रियाओं की विडियोंग्राफी भी की जाये। उक्त विडियोग्राफी का रिकार्ड समुचित रूप से संधारित रखा जावे, जो निर्वाचन रिकार्ड के रूप में संधारित होगा और अन्य रिकार्ड की भांति इसकी प्रमाणित नकल जारी की जा सकेगी।

(15) मतगणना के पश्चात मशीनों की सुरक्षित अभिरक्षाः–

मतगणना व परिणाम की घोषणा के पश्चात् आरक्षित मशीनें जिलों के भण्डारण कक्ष (Werehouse) में बिना किसी विलंब के जमा करा दी जाए तथा जो मशीनें मतदान में उपयोग में आयी हैं वें जिला मुख्यालय पर कोषागार/नियत स्थान पर रिटर्निंग अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जायेगी। नगर पालिका निर्वाचनों में निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करने की मियाद 30 दिवस निर्धारित है। निर्वाचन याचिका प्रस्तुत होने की स्थिति में निर्वाचन याचिका के निस्तारण के तीन माह की अवधि समाप्त होने तक और अपील होने की स्थिति में अपील के निस्तारण तक मशीनें सीलबन्द सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जायेंगी। जिन वार्डों में कोई निर्वाचन याचिका प्रस्तुत नहीं होती है अथवा निर्वाचन संबंधी कोई मामला न्यायालय में नहीं हो वहां परिणामों की घोषणा के 30 दिवस

बाद मशीनों को क्लीयर किया जायेगा, अर्थात मशीनों की सील हटायी जायेगी, नियंत्रण यूनिट की सूचना हटायी जायेगी, बैट्री हटायी जायेगी और बैलेट यूनिट में प्रदर्शित मतपत्र को भी हटाया जायेगा। यदि मल्टी पोस्ट सिंगल वोट मशीनें एवं मल्टी पोस्ट मल्टी वोट मशीनें उपयोग में ली गई है तो SDMM/DMM को कन्ट्रोल यूनिट से हटा कर आयोग के पत्रांक 705 दिनांक 20.01.2026 पत्रांक 826 दिनांक 23.01.2026 के द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना करते हुये क्रमशः SDMM एवं DMM को सील कर लिया जावें, तथा कन्ट्रोल यूनिटों एवं बैलेट यूनिटों को आगामी चुनावों में उपयोग के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को वापस कर दिया जावें। इस विषय में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रसारित स्थाई आदेश संख्या 1600 दिनांक 11.02.2026 (सा. आ.158/2026) का अनुसरण किया जाये।

(16) निर्वाचन विभाग की मशीनों को लौटाना :– उक्त कार्यवाही के बाद जो मशीनें लोन पर प्राप्त की गई है उन ई.वी.एम. मशीनों को यथा स्थान वापस लौटा दिया जाये।

कृपया उपरोक्तानुसार व्यवस्था सुनिश्चित करे। इससे सभी रिटर्निंग अधिकरियों व अन्य संबंधित अधिकारियों को अवगत करायें। उक्त व्यवस्था से चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों को भी रिटर्निंग अधिकारियों के माध्यम से अवगत कराया जाये।

(17) ई.वी.एम. मशीनों की सुरक्षा व्यवस्था :– ई.वी.एम. को निर्धारित स्थानों एवं अलग–अलग स्तर पर सुरक्षित रखने का पूर्ण उत्तर दायित्व जिला निर्वाचन अधिकारी का है अतः जिला निर्वाचन अधिकारी संबंधित पुलिस अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर उचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेगें।

भवदीय,

ह0
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

Annexure –1

(पीले रंग में)

Name of District-
Ballot Unit No.-
First Level Check. Date-
Date & Sign. of Cheking Official
Name of Municipality
Name of Post -
Date & Sign. of DEO's representative-
Deployment Status - Ward No………
Polling Station No.-
Date & Sign. of RO/ARO

(पीले रंग में)

Name of Election-
Name of District-
Control Unit No.-
SDMM NO /DMM (In case of MPSV/MPMV EVM used) ....
First Level Check. Date-
Date & Sign. of Cheking Official
Name of Municipality
Name of Post -
Date & Sign. of DEO's representative-
Deployment Status - Ward No.
Polling Station No.-
Date & Sign. of RO/ARO

Annexure –2

Municipal Elections

Training

Countrol Unit

No…………………

Sign. of DEO's Representative

Sign. of DEO's Representative

Municipal Elections

Training

Ballot Unit

No…………………

Sign. of DEO's Representative

Sign. of DEO's Representative

Annexure-3
(Register for First Level Checking of EVMs)

Name of State:
Name of District:
Address of hall:
Date:

S.No.	Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Photo Identity document No. with date (provided by Person)	Signature of representative	Remarks, if any.

Note: If the representative of a party is absent the proof of due service of notice to the party should be pasted in the register.

(Name and signature of engineers of BEL/ECIL with ID No.)
(Name, designation, signature of officers nominated by District Election Officer)

Annexure -4
(Certification of EVMs by BEL/ECIL)

Name of State:
Name of District:
Address of hall:
Date:

It is certified that tests prescribed by BEL/ECIL to ascertain that all components are original were carried out on the EVMs listed below on…….. (date). On the basis of these tests it is certified that all components of the EVMs listed below are original.

Sr. No.	CU Identification No.	SDMM No. (In case of MPSV)	DMM No. (In case of MPMV)	BU Identification No.

(Name & signature of BEL/ECIL engineers with ID No.)

Annexure-5
(Mock Poll certification during First Level Checking of EVMs)

Date:……………..

Name of State:
Name of District:
Address of hall:

It is certified that I have done mock poll on………….. EVMs and I am fully satisfied with the functioning of EVMs.

S.No.	Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Photo Identity document No. with date (provided by Person)	Signature of representative	Remarks, if

---

Annexure-6
(Mock Poll certification during First Level Checking of EVMs)

Date:……………..

Name of State:
Name of District:
Address of hall:

It is certified that a printout of the result of mock poll has been taken out from ……… EVMs picked up by me. There are no discrepancies between the votes polled during the mock poll and result in the print out.

S.No.	Name of National/State Party	Nameof representative of political party with party affiliation	Photo Identity document No. with date (provided by Person)	Signature of representative	Remarks, if any.

(Name & signature of BEL/ECIL engineers with ID No.)

Annexure-7

(Register for Sealing of Control Unit of EVMs using Pink Paper Seal)

Name of State:
Name of District:
Address of hall:
Date:

It is certified that the sealing of the Control Units using Pink Paper Seals has been done in my presence. I have put my signature on the Pink Paper Seals after sealing of the Control Units and I am satisfied with the sealing of the Control Units.

Sl.No.	Unique ID No. of Control Unit	SDMM No. (In case of MPSV)	DMM No. (In case of MPMV)	Pink Paper Seal Number

S.No.	Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Photo Identity document No. with date (provided by Person)	Signature of representative

(Name, designation, signature of officers nominated by District Election Officer)

Annexure-8
(Register during Commissioning of EVMs)

Name of State:
Name of District:
Address of hall:
Date:

S.No.	Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Photo Identity document No. with date (provided by Person)	Signature of representative	Remarks, if any.

Note: If the representative of a party is absent the proof of due service of notice to the party should be pasted in the register.

(Name and signature of engineers of BEL/ECIL with ID No.)
(Name, designation, signature of officers nominated by District Election Officer)

Annexure-9
(Mock Poll certification during Commissioning of EVMs)

Date:……………..

Name of State:
Name of District:
Address of hall:

It is certified that I have done mock poll on………….. EVMs and I am fully satisfied with the functioning of EVMs.

S.No.	Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Photo Identity document No. with date (provided by Person)	Signature of representative	Remarks, if

(Name, designation, signature of officers nominated by District Election Officer)

Annexure-10
(Mock Poll certification during Commissioning of EVMs)

Date:……………..

Name of State:
Name of District:
Address of hall:

It is certified that a printout of the result of mock poll has been taken out from ……… EVMs picked up by me. There are no discrepancies between the votes polled during the mock poll and result in the print out.

S.No.	Name of National/State Party	Nameof representative of political party with party affiliation	Photo Identity document No. with date (provided by Person)	Signature of representative	Remarks, if any.

(Name, designation, signature of officers nominated by District Election Officer)

Annexure-11

(Register for Sealing of Ballot Unit using Pink Paper Seal during Commissioning of EVMs)

Name of State:
Name of District:
Address of hall:
Date:

It is certified that the sealing of the Ballot Units using Pink Paper Seals has been done in my presence. I have put my signature on the Pink Paper Seals after sealing of the Ballot Units and I am satisfied with the sealing of the Ballot Units.

Sl.No.	Unique ID No. of Ballot Unit	Pink Paper Seal Number

S.No.	Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Photo Identity document No. with date (provided by Person)	Signature of representative

(Name, designation, signature of officers nominated by District Election Officer)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ 4(1)(6)/नपा/रानिआ/09/1896 दिनाकः18.02.2026

1. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
 (कलक्टर) (नगरपालिका) राजस्थान।
2. समस्त रिटर्निंग अधिकारी (नगरपालिका निर्वाचन)
 मार्फत संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी

विषयः–नगरपालिका निर्वाचन हेतु इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (EVM) पर प्रदर्शन हेतु मतपत्रों एवं निविदत्त (Tender) मतपत्रों के मुद्रण हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

राज्य में नगरपालिका चुनावों में मतदान इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों (EVM) से कराये जायेंगे। वोटिंग मशीन की मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु मतपत्र का प्ररूप (डिजाईन) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 34क के अन्तर्गत आदेश क्रमांक प. 1(2)(1)नपा–पंचा/सां.आ./रानिआ/14/521 दिनांक 15.01.2026 से विहित किया है। इसके अतिरिक्त नियम 44–क के अन्तर्गत निविदत्त मतपत्र का प्ररूप (डिजाईन) आदेश क्रमांक प. 4(2)(1)पं/नपा/रानिआ/94/3059 दिनांक 28.10.99 (सांविधिक आदेश संख्या 26/99) के अनुसार निर्धारित किया हुआ है। जिसके अनुसार निविदत्त मतपत्र भी उसी डिजाईन में होगा जिसमें मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु मतपत्र का डिजाईन है सिवाय इसके कि, इसको पीठ पर ''निविदत्त मतपत्र'' स्टांपित किया जावेगा।

अतः आयोग अपने पूर्व आदेश क्रमांक एफ 4(1)(6)/नपा/रानिआ/09/ 4232 दिनांक 21.10.2019 एवं एफ 4(1)(6)/नपा/रानिआ/09/4868 दिनांक 09.11.2019 में अंकित निर्देशों को अधिक्रमित करते हुये निम्नानुसार नवीन दिशा–निर्देश जारी करता हैं।

वोटिंग मशीन की मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु मतपत्रों एवं निविदत्त मतपत्रों का मुद्रण करवाते समय निम्नलिखित बिन्दुओं को भी ध्यान में रखा जाएः–

1. आयोग के पत्रांक 521 दिनांक 15.01.2026 के मद सं. 7 में वर्णित आड़े कॉलम (Vertical Column) में निर्वाचन की विशिष्टियां आदि सांकेतिक शब्दों में मुद्रित होंगी। उदाहरणार्थ – वार्ड सं. 21 जयपुर नगरनिगम के निर्वाचन हेतु **''वार्ड–21/जयपुर/सा.नि./2026''** अंकित होगा।

2. भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (BEL) की M3A, MK-V ईवीएम की मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु मतपत्र का नमूना नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प सहित अभ्यर्थियों की संख्या 16 तक होने पर और 16 से अधिक होने पर सदस्य पद के चुनाव हेतु क्रमशः **परिशिष्ट–1 एवं 1ए** पर संलग्न है। इसी प्रकार इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ECIL) की मल्टी पोस्ट सिंगल वोट एवं मल्टी पोस्ट मल्टी वोट ईवीएम की मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु मतपत्र का नमूना नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प सहित अभ्यर्थियों की संख्या 15 तक होने पर और 15 से अधिक होने पर सदस्य पद के चुनाव हेतु क्रमशः **परिशिष्ट–2 एवं 2ए** पर संलग्न हैं।

3. जहाँ मतपत्र की एक से अधिक शीट प्रयुक्त की जायेंगी, वहाँ आड़े कॉलम, जिसमें कि मतपत्र का क्रम संख्यांक और निर्वाचन की विशिष्टियां अंकित करने के लिये स्थान छोड़ा

गया है, में ही शीट की क्रम संख्यांक दर्शित करते हुए शब्द व अंक मोटे अक्षरों में यथा शीट नंबर–1, शीट नंबर–2 आदि मुद्रित किया जायेगा।

4. मतपत्रों के मुद्रण के समय अभ्यर्थियों के नाम एवं उन्हें आवंटित प्रतीक चिन्ह के मध्य का अन्तर तथा मतपत्र के ऊपर एवं नीचे स्थान छोड़े जाने इत्यादि के संबंध में आयोग के आदेश क्रमांक 521 दिनांक 15.01.2026 में इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ECIL) की मल्टी पोस्ट सिंगल वोट/ मल्टी पोस्ट मल्टी वोट ईवीएम एवं भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (BEL) की M3A/ MK-V ईवीएम में प्रदर्शित किये जाने हेतु मतपत्र का प्ररूप विहित किया हुआ है।

5. इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि, मतपत्रों पर अभ्यर्थियों के मध्य एवं अंतिम अभ्यर्थी और नोटा हेतु विकल्प के मध्य की जो विभाजित रेखा है, उसका अलाईनमेंट मतदान यूनिट की लाईन के एकदम ऊपर है, यानि मतदान यूनिट की लाईन की सीध में ही मतपत्र में दो अभ्यर्थियों के मध्य एवं अंतिम अभ्यर्थी और नोटा हेतु विकल्प के मध्य दर्शायी गयी विभाजन रेखा होनी चाहिए। सही एलाईनमेंट के लिये एक मतदान यूनिट मुद्रणालय में भी रखी जावेगी और मतपत्रों का प्ररूप अनुमोदन (Proof Reading) करने से पहले मतदान यूनिट से मतपत्रों में दर्शाये गये उक्त विभाजन रेखाओं का एलाईनमेंट चैक किया जावेगा।

6. मतपत्रों पर हैण्ड नम्बरिंग मशीन से पांच अंकों में या हाईटाईप नम्बरिंग मशीन से छः अंकों में जैसा भी सुविधा जनक हो नम्बर लगाये जावेंगे तथा क्रम संख्या 00001 या 000001 जैसी भी स्थिति हो, से प्रारम्भ की जावेगी लेकिन एक मुद्रणालय में मुद्रित होने वाले सभी मतपत्रों पर नम्बरिंग एक ही प्रकार से लगायी जावेगी। **नम्बरिंग में पूरी सावधानी बरती जावेगी।**

7. इन मतपत्रों के बंडलो को स्टिच करने की आवश्यकता नहीं हैं। मतपत्रों के 20–20 के बण्डल बनाये जावेंगे, ताकि निविदत्त मतों के लिये मतदान केन्द्र पर 20–20 का बण्डल पूरा ही आवंटित किया जा सके। इन बण्डलों पर मुद्रित पट्टी लगाई जावेगी जिस पर ''1. नगरपालिका का नाम, 2. वार्ड संख्या 3. मतपत्रों की क्रम संख्या .... से ....'' तक विशिष्टियां अंकित की जावेंगी। 20–20 मतपत्रों के बण्डलों का वार्डवार एक पैकिट बनाया जावेगा। पैकिट के ऊपर भी उपर्युक्त विवरण दर्शाने वाली मुद्रित पट्टी चिपकायी जावेगी।

8. मतपत्रों की साईज वोटिंग मशीनों के अनुरूप सही–सही काटने के लिए वोटिंग मशीनें मुद्रणालयों में सही स्थिति में रहनी चाहिये। कटिंग के समय आकार का विशेष ध्यान रखा जावे।

9. मुद्रित किये जाने वाले मतपत्रों की संख्या की कुल आवश्यकता और इस प्रकार मुद्रण निम्नलिखित आधार पर होगाः–

   (i) प्रत्येक मतदान यूनिट पर प्रदर्शन के लिए एक मतपत्र की आवश्यकता होगी। इसलिए इस प्रयोजन के लिए आवश्यक मतपत्रों की संख्या प्रयुक्त की जाने वाली मतदान मशीनों जिनमें रिजर्व मशीनें सम्मिलित हैं, की संख्या के बराबर होगी।

   (ii) प्रत्येक मतदान केन्द्र को निविदत्त मतपत्रों के रूप में प्रयुक्त किये जाने के लिए वार्ड सदस्य के चुनाव हेतु 20 मतपत्र प्रदत्त किये जावें। निविदत्त मतपत्रों के रूप में प्रयोग करने के लिए मतदान केन्द्रों को प्रदाय किये जाने वाले मतपत्रों की कुल आवश्यकता तद्नुसार निश्चित की जावेगी। यह संबंधित वार्ड में मतदान केन्द्रों की संख्या पर निर्भर करेगी।

(iii) उपर्युक्त पैरा (i) और (ii) के अनुसार निश्चित की गयी मतपत्रों की कुल आवश्यकता के अतिरिक्त उपर्युक्त संख्या के लगभग 10 प्रतिशत मतपत्र आकस्मिकताओं जैसे–मतदान यूनिट में मतपत्रों को लगाते समय फट जाना, त्रुटिपूर्ण मतपत्र आदि के लिये अतिरिक्त मतपत्र के रूप में मुद्रित किये जावें। इस प्रकार प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए सामान्यतः 25 मतपत्रों की आवश्यकता होगी।

10. मतपत्र जब मुद्रणालय में मुद्रणाधीन हों तब आपको यह सुनिश्चित करने के लिए कि, निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों के नाम व उनका क्रम और उनमें से प्रत्येक को आवंटित प्रतीक तथा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के अन्त में नोटा का विकल्प एवं इस हेतु निर्धारित प्रतीक सही रूप में मुद्रित किये गये हैं। मतपत्रों की जांच करते समय इसका विशेष ध्यान रखा जावे। मतपत्रों में अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में अंकित किये जायेंगे, जैसा कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची (प्ररूप–6) में दर्शाये गये हैं, अंतिम अभ्यर्थी के नीचे नोटा का विकल्प उपलब्ध होगा।

11. मुद्रणालय से मुद्रित मतपत्रों के प्राप्त होने पर मतपत्रों की जांच की जानी चाहिए। मुद्रणालय द्वारा प्रदाय किये गये मतपत्रों की संख्या और आपके पास वास्तविक गणना करने पर पायी गयी संख्या में कोई मतपत्र किसी भी रीति से त्रुटिपूर्ण या गलत नंबरिंग का पाया जाता है या किसी मतपत्र की क्रम संख्या गायब है तो, इस आशय के लिए संधारित रजिस्टर में स्पष्ट रूप से नोट किया जाना चाहिए और आपके कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित किया जाना चाहिए।

12. मुद्रित मतपत्रों को मुद्रणालय से ले जाने के दौरान मुद्रणालयों से कोषागार तक पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जावे। मतदान के प्रयोजन में काम आने तक इन्हें कोषागार में सुरक्षित रखा जावे। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जावे कि किसी अनाधिकृत व्यक्ति की इन तक पहुँच नहीं हो।

13. मुद्रणालय में अन्य मुद्रण कार्यो के साथ मतपत्रों का मुद्रण का कार्य नहीं किया जावे। मुद्रणालय में भी उचित सुरक्षा व्यवस्था की जावे।

14. मतपत्रों का मुद्रण निजी मुद्रणालयों में कराया जाएगा। इस हेतु आयोग द्वारा अपने पत्रांक 652 दिनांक 20.01.2026 से निर्देश जारी किए हुए हैं। मतपत्रों का मुद्रण कार्य चुनाव चिन्हों के आवंटन के दिन से ही प्रारम्भ कर दिया जाना चाहिए। मतपत्रों के मुद्रण का कार्य चुनाव चिन्ह आवंटन की तिथि से 3 दिवस के भीतर ही पूर्ण करा लिया जावे, ताकि मतदान दलों की रवानगी से कम से कम एक दिन पहले तक अभ्यर्थियों/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष मशीनें तैयार की जा सकें। इस प्रकार मतपत्रों के मुद्रण के लिए वस्तुतः 3 या 4 दिन का अधिकतम समय उपलब्ध रहेगा। इसलिए आपको मतपत्रों के मुद्रण हेतु समस्त प्रकार की व्यवस्था, अग्रिम तैयार के रूप में रखनी है। आपके प्रतिनिधि संबंधित मुद्रणालय में प्रतीकों के आवंटन की तारीख को ही निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यार्थियो की सूची एवं उन्हें आवंटित किये गये प्रतीक तथा नोटा के विकल्प एवं इस हेतु निर्धारित प्रतीक के साथ पहुंच जाने चाहियें। यह ध्यान रखें कि, सभी वार्डों के जहॉ कि चुनाव हो रहा है, मतपत्र सही रूप से मुद्रित हो गये हैं, उन पर क्रम संख्याक भी सही रूप से मुद्रित हो गई हैं, मशीनों में प्रदर्शित करने हेतु उनका आकार सही है आदि–आदि।

15. सदस्य पद के लिए मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए आरक्षित चुनाव प्रतीकों एवं मुक्त चुनाव प्रतीकों की सूची हेतु आयोग द्वारा अधिसूचना क्रमांक 4178 दिनांक 17.10.2025 द्वारा जारी कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार आपको यह सुनिश्चित करना है कि, मतपत्र में उन्हीं चुनाव प्रतीकों को मुद्रित किया जाए जो अधिसूचना में वर्णित हैं, इसके अतिरिक्त अन्य कोई चुनाव प्रतीक मुद्रित नहीं किये जावें। यदि कोई विशेष परिस्थिति हो तो उसके लिए आपको आयोग की अनुमति लेना अनिवार्य

है। आरक्षित चुनाव प्रतीकों एवं मुक्त चुनाव प्रतीकों के नमूनों की सॉफ्ट/हार्ड कॉपी पृथक से उपलब्ध करवा दी गई हैं।

16. मतपत्रों के लिए कागज की व्यवस्था के लिए तत्सम अवगत करा दिया जायेगा। सदस्य पद के निर्वाचन हेतु मतपत्रों का कागज का रंग **सफेद** होगा।

17. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) शब्दावली हिन्दी में देवनागरी लिपि में होगी। मतपत्र पर अभ्यर्थियों के नाम उसी रीति एवं क्रम से दर्शित किये जायेंगे जिस रीति व क्रम में वे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में आये हैं। अभ्यर्थियों के नामों को सूचीबद्ध करने में अभ्यर्थियों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जावेगा अर्थात प्रथम श्रेणी में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किये गये अभ्यर्थी और दूसरी श्रेणी में निर्दलीय अभ्यर्थी आयेंगे। प्रत्येक श्रेणी में अभ्यथियों के नाम हिन्दी वर्णमाला के क्रमानुसार आयेंगे। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में जो क्रम अभ्यर्थी का होगा वही क्रम मतपत्र में भी रहेगा। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि, उक्त दोनों श्रेणी के हैडिंग (शीर्षक) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में तो अंकित होंगे लेकिन मतपत्र में अंकित नहीं होंगे। मतपत्र में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों में अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात् नोटा (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प तथा उसके लिए निर्धारित प्रतीक अंकित किया जावेगा। आप द्वारा अधिकृत किये गये प्रतिनिधि इस सूची को अपने साथ रखेंगे। सूची सुस्पष्ट और सुपठनीय होनी चाहिये। नगरपालिका का नाम एवं वार्ड संख्या का विवरण स्पष्ट एवं सही अंकित होना चाहिए।

18. मतपत्र के मुद्रण में कहीं अशुद्वि नहीं रहे इसके लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची को भी सही तरह से तैयार करना है। मतपत्रों के मुद्रण से पूर्व उनके प्रूफ को चैक करना है। इस हेतु आप अधिकृत प्रतिनिधि के साथ पर्याप्त मात्रा में जानकार स्टॉफ लगावें। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के आधार पर ही उसी क्रम में मतपत्र में अभ्यर्थियो का नाम मुद्रित होगा और उसी अनुरूप होगा। अतः निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम दोनों प्रकार की श्रेणियों में श्रेणीवार हिन्दी वर्णमाला के क्रमानुसार हों तथा यह ध्यान रखा जाए कि, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात् नोटा हेतु विकल्प एवं इस हेतु निर्धारित प्रतीक चिन्ह भी अंकित किया जाए। उक्तानुसार प्रूफ की जाँच की जाकर इस हेतु लगाये गये अधिकारी/कर्मचारी तथा रिटर्निंग अधिकारी प्रूफ के सही होने की पुष्टि के लिए प्रूफ पर अपने हस्ताक्षर करेंगे एवं उक्त हस्ताक्षरित प्रूफ की प्रति रिटर्निंग अधिकारी के रिकार्ड में सुरक्षित रखी जायेगी। तद्नुसार ही मतपत्रों का मुद्रण कराया जाए।

19. मुद्रित कराए जाने वाले मतपत्रों की वार्ड सदस्यों के चुनावों हेतु वार्डवार संख्या से आप के लिए आयोग द्वारा पृथक से दिशा निर्देश जारी किये जायेगे।

20. नगरपालिका में कार्यरत स्टॉफ को मतपत्रों के मुद्रण के कार्य में नहीं लगाया जाए।

21. मतपत्रों को मतदान मशीनों की मतदान यूनिटों पर लगाए जाने और निविदत्त मतपत्रों के रूप में प्रयोग हेतु मतदान केन्द्रों को प्रदाय किए जाने के पश्चात् सुरक्षित रखे हुये कुछ मतपत्र आपके पास अवितरित रह सकते हैं। ऐसे अवितरित शेष रहे मतपत्रों को निर्वाचन पूरा होने के पश्चात् जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी ऐसे बक्से/सन्दूक में रखते हुए सुरक्षित अभिरक्षा में रखेंगे जिनका निस्तारण 6 माह पश्चात् किया जाएगा। शेष मतपत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग के पत्रांक 1600 दिनांक 11.02.2026 (सा.आ. 15/2026) में विनिर्दिष्ट की गई है।

उपरोक्तानुसार मतपत्रों के मुद्रण के संबंध में यथा समय वांछित व्यवस्था सम्पन्न कर ली जावें ताकि चुनाव कार्यक्रम में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

भवदीय

ह0
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव,

परिशिष्ट–1

भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (BEL) की M3A/ MK-V ईवीएम की मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु मतपत्र का नमूना (अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 16 तक होने की स्थिति में)

मतपत्र की क्रम संख्या .... वार्ड 21 /जयपुर/स्रा.नि./2026 वार्ड 21 /जयपुर/ स्रा.नि./2026	1. विपिन कुमार	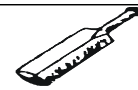
	2. विपिन कुमार	
	3. विपिन कुमार	
	4. विपिन कुमार	
	5. विपिन कुमार	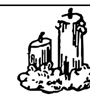
	6. विपिन कुमार	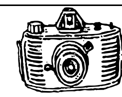
	7. विपिन कुमार	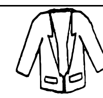
	8. विपिन कुमार	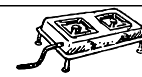
	9. विपिन कुमार	
	10. विपिन कुमार	
	11. विपिन कुमार	
	12. विपिन कुमार	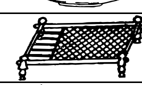
	13. विपिन कुमार	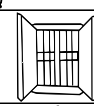
	14. विपिन कुमार	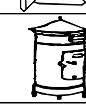
	15. विपिन कुमार	
	16. नोटा (इनमें से कोई नहीं)	

परिशिष्ट–1ए

भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (BEL) की M3A/ MK-V ईवीएम की मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु मतपत्र का नमूना (अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 16 से अधिक होने की स्थिति में)

शीट नं. 1 वार्ड 21 /जयपुर/ सा.नि./2026 वार्ड 21 /जयपुर/ सा.नि./2026 मतपत्र की क्रम संख्या	1. विपिन कुमार 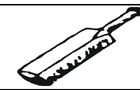
	2. विपिन कुमार
	3. विपिन कुमार 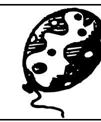
	4. विपिन कुमार
	5. विपिन कुमार 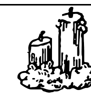
	6. विपिन कुमार 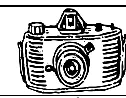
	7. विपिन कुमार 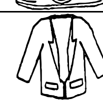
	8. विपिन कुमार 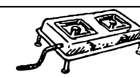
	9. विपिन कुमार
	10. विपिन कुमार
	11. विपिन कुमार
	12. विपिन कुमार 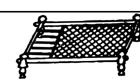
	13. विपिन कुमार 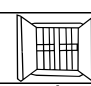
	14. विपिन कुमार 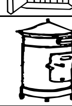
	15. विपिन कुमार 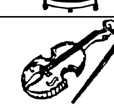
	16. विपिन कुमार 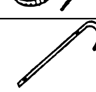

शीट नं. 2 वार्ड 21/जयपुर/सा.नि./2026 वार्ड 21 /जयपुर/सा.नि./2026 मतपत्र की कम संख्या ....

17. विपिन कुमार	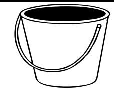
18. विपिन कुमार	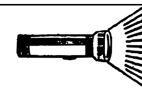
19. विपिन कुमार	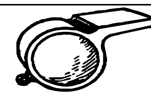
20. विपिन कुमार	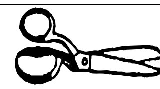
21. विपिन कुमार	
22. विपिन कुमार	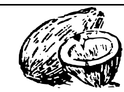
23. नोटा (इनमें से कोई नहीं)	

परिशिष्ट–2

इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ECIL) की मल्टी पोस्ट सिंगल वोट एवं मल्टी पोस्ट मल्टी वोट ईवीएम की मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु मतपत्र का नमूना (अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 15 तक होने की स्थिति में)

वार्ड 21 / जयपुर / सा.नि. / 2026 वार्ड 21 / जयपुर / सा.नि. / 2026 मतपत्र की क्रम संख्या	1. विपिन कुमार	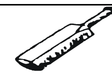
	2. विपिन कुमार	
	3. विपिन कुमार	
	4 विपिन कुमार	
	5. विपिन कुमार	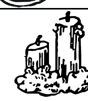
	6. विपिन कुमार	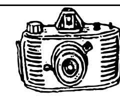
	7. विपिन कुमार	
	8. विपिन कुमार	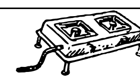
	9. विपिन कुमार	
	10. विपिन कुमार	
	11. विपिन कुमार	
	12. विपिन कुमार	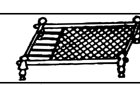
	13. विपिन कुमार	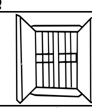
	14. विपिन कुमार	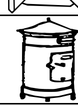
	15. नोटा (इनमें से कोई नहीं)	

परिशिष्ट–2ए

इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ECIL) की मल्टी पोस्ट सिंगल वोट एवं मल्टी पोस्ट मल्टी वोट ईवीएम की मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु मतपत्र का नमूना (अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 15 से अधिक होने की स्थिति में)

शीट नं. 1 वार्ड 21 /जयपुर/ स्रा.नि./2026 वार्ड 21 /जयपुर/स्रा.नि./2026 मतपत्र की कम संख्या	1. विपिन कुमार	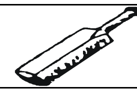
	2. विपिन कुमार	
	3. विपिन कुमार	
	4. विपिन कुमार	
	5. विपिन कुमार	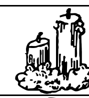
	6. विपिन कुमार	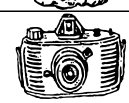
	7. विपिन कुमार	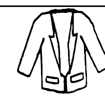
	8. विपिन कुमार	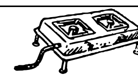
	9. विपिन कुमार	
	10. विपिन कुमार	
	11. विपिन कुमार	
	12. विपिन कुमार	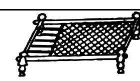
	13. विपिन कुमार	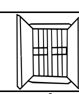
	14. विपिन कुमार	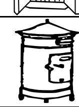
	15. विपिन कुमार	

शीट नं. 2 वार्ड 21 /जयपुर/ स्था.नि./2026 वार्ड 21 /जयपुर/ स्था.नि./2026 मतपत्र की क्रम संख्या ....

16. विपिन कुमार	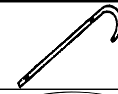
17. विपिन कुमार	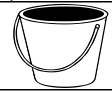
18. विपिन कुमार	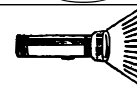
19. विपिन कुमार	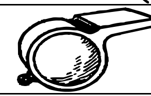
20. विपिन कुमार	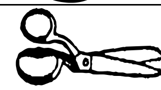
21. विपिन कुमार	
22. विपिन कुमार	
23. नोटा (इनमें से कोई नहीं)	

(52)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर –302005)

क्रमांकः एफ 4(1)(6)/नपा/रानिआ/09/1891 दिनाक : 18.02.2026

1. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(नगरपालिका) (कलक्टर) राजस्थान।

2. समस्त रिटर्निग अधिकारी (नगरपालिका निर्वाचन)
मार्फत संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी

विषय :–नगरपालिका निर्वाचन हेतु इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के उपयोग पर डाक मतपत्रों के मुद्रण हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

नगरपालिका अध्यक्षीय पदों के निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से कराये जाने हैं तथा सदस्य पद के निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से होने के कारण नगरपालिका निर्वाचनों में सदस्य पद के लिए ही डाक मत पत्रों का मुद्रण करवाया जायेगा।

अतः राज्य निर्वाचन आयोग के पत्रांक 4214 दिनांक 21.10.2019 को अधिक्रमित करते हुये नगरपालिका निर्वाचन (सदस्य पद) में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के उपयोग पर डाक मतपत्रों के मुद्रण हेतु निम्नांकित दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं।

(1) नगरपालिका निर्वाचनों में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन से निर्वाचन कराने पर निर्वाचन कर्तव्यरूढ मतदाताओं के लिए मतपत्र की व्यवस्था के संबंध में राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 46–क के प्रावधान लागू होते हैं। उक्त नियम 46–क के उप नियम (1) के अनुसार किसी वार्ड का मतदाता यदि उसी वार्ड के किसी मतदान केन्द्र पर निर्वाचन ड्यूटी पर नियुक्त हो जाता है, (हालांकि आयोग के निर्देशों के अधीन ऐसी सम्भावना नहीं है) तो उसे विहित प्रक्रिया से प्राप्त ई.डी.सी. (प्ररूप–16) के आधार पर वोटिंग मशीन से ही मत देने की अनुमति दे दी जावेगी, किन्तु जो भिन्न वार्ड या भिन्न नगरपालिका का मतदाता है और वह निर्वाचन ड्यूटी के फलस्वरूप उस मतदान केन्द्र, जहां पर वह मतदान करने का हकदार, है, मतदान नहीं कर सकता है। उसे नियम 46–क के उप नियम (4) में बतायी गयी प्रक्रिया के अनुसार डाक मतपत्र जारी किया जावेगा। उदाहरणार्थ यदि, नगर निगम अजमेर के वार्ड संख्या 2 का मतदाता वार्ड संख्या 22 में किसी मतदान केन्द्र में चुनाव ड्यूटी पर है, या नगर निगम अजमेर के किसी वार्ड का मतदाता केकड़ी या अन्य किसी नगरपालिका में किसी मतदान केन्द्र में चुनाव ड्यूटी पर है तो निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत उसे डाक मतपत्र जारी किया जावेगा।

(2) यहां आयोग के यह निर्देश भी उल्लेखनीय है कि, नगरपालिका मण्डलों में उस नगरपालिका क्षेत्र में रहने वाले या पदस्थापित कर्मियों को नगरपालिका चुनाव ड्यूटी पर नहीं लगाया जावे बल्कि आस–पास के क्षेत्रों के कार्मिकों को नियुक्त किया जावे। ऐसी परिस्थिति में नगर निगम/परिषदों में तो डाक मतपत्र की जरूरत हो सकती है, लेकिन नगरपालिका मण्डलों में व्यवहारिक रूप से डाक मतपत्रों को मुद्रित कराने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। हालांकि निवारक निरोध में बन्दी व्यक्तियों, यदि कोई हो, को डाक मतपत्र जारी किए जावेंगे।

(3) राजस्थान नगरपालिका अधिनयम, 2009 की धारा 25 की उप धारा (5) के परन्तुक के उपबंधों के अनुसार उस समय प्रभावशील किसी भी विधि के अधीन निवारक–निरोध में रखे गये व्यक्ति को भी मताधिकार प्राप्त है और ऐसे निवारक–निरोध में रखे गये व्यक्तियों को मतदान की सुविधा प्रदान कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पृथक से आदेश जारी कर उन्हे डाक मतपत्र जारी करने एवं मत अभिलिखित करने की विधि विहित की है। अतः जो व्यक्ति निवारक–निरोध में निरूद्ध है उनके द्वारा अथवा प्राधिकृत अधिकारी (जिसकी अभिरक्षा में वह है), के द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन करने पर उन्हें भी डाक मतपत्र जारी किये जावेंगे।

(4) उपरोक्त पैराओं में वर्णित बिन्दुओं के अनुसार डाक मतपत्रों की मुद्रित होने वाली मात्रा जिला स्तर पर ही यथा समय निर्धारित कर ली जावे ताकि मुद्रण कार्य में किसी प्रकार का विलम्ब नहीं हो।

(5) **निर्वाचन हेतु डाक मतपत्र का डिजाईन एवं प्रविष्टियांः—** नियम 46—क के उपनियम (4) के परन्तुक के अनुसार प्रत्येक डाक मतपत्र से प्रतिपर्ण (Counter Foil) संबद्ध होगा तथा डाक मतपत्र और उसका प्रतिपर्ण ऐसे डिजाईन का होगा जो राज्य निर्वाचन आयोग विनिर्दिष्ट करे। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश क्रमांक 572 दिनांक 16.01.2026 सां.आ. (147 / 2026) के द्वारा डाक मतपत्र और इसके प्रतिपर्ण का डिजाईन विनिर्दिष्ट किया है। मतपत्र के प्रतिपर्ण एवं नीचे के भाग पर उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 2 में अंकित विवरण के अनुसार प्रविष्टियाँ मुद्रित की जानी है। इसके साथ ही नोटा सहित अभ्यर्थियों की संख्या 9 से अधिक होने पर उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 13 में अंकित विवरण के अनुसार प्रविष्टियॉ मुद्रित की जानी है। सदस्य पद के निर्वाचन हेतु मतपत्रों के नमूना **परिशिष्ट 1** एवं **2** संलग्न है।

(6) उपरोक्त पैरा 5 में वर्णित डिजाईन के मतपत्र पर प्रविष्टियां हिन्दी में देवनागरी लिपि में होंगी। मतपत्र पर अभ्यर्थियों के नाम उसी रीति एव क्रम से दर्शित किये जायेंगे जिसमें वे निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची में आये हैं। अभ्यर्थियों के नामों को सूचीबद्ध करने में अभ्यर्थियों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जावेगा अर्थात प्रथम श्रेणी में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किये गये अभ्यर्थी और दूसरी श्रेणी में निर्दलीय अभ्यर्थी आयेंगे। प्रत्येक श्रेणी में अभ्यथियों के नाम हिन्दी वर्णमाला के क्रमानुसार आयेंगे। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में जो क्रम अभ्यर्थी का होगा वही क्रम मतपत्र में भी रहेगा। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि, उक्त दोनों श्रेणी का हैडिंग (शीर्षक) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में तो अंकित होगा लेकिन मतपत्र में अंकित नहीं होगा। मतपत्र में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों में अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात् नोटा (इनमें में से कोई नहीं) का विकल्प तथा उसके लिए निर्धारित प्रतीक अंकित किया जावेगा।

(7) मतपत्र क्रमशः संख्यांकित होंगे और क्रम संख्यायें मतपत्र व इसके प्रतिपर्ण पर सामने की ओर मुद्रित होंगी। चूंकि क्रम संख्यांक मतपत्र व उससे संबद्ध प्रतिपर्ण पर बॉई ओर दो अलग—अलग स्थानों पर मुद्रित होंगे, अतः प्रत्येक वार्ड के मतपत्रों के मुद्रण हेतु दो टाईप हाई नम्बरिंग मशीनों की जरूरत होगी। यह ध्यान रहे कि नम्बरिंग का इम्प्रेशन एक समान रहे। नम्बरिंग पांच डिजिट में होगी अर्थात 00001 से प्रारम्भ होकर अन्त तक जायेगी।

(8) अभ्यर्थियों को आंवटित किये गये चुनाव प्रतीक एवं नोटा (इनमें में से कोई नहीं) के विकल्प के लिए निर्धारित प्रतीक को मतपत्र पर अभ्यर्थी के नाम के समपार्श्व में (सामने) दर्शित किया जावेगा। मतपत्र पर प्रत्येक अभ्यर्थी एवं नोटा (इनमें में से कोई नहीं) के विकल्प को आवंटित स्थान समान आकार के होंगे तथा उपलब्ध करवाये गये स्थान को अलग करने वाली काली रेखा या छायांकित क्षेत्र (Shaded Area) मतपत्र पर समान होगा।

(9) मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए आरक्षित चुनाव प्रतीकों एवं मुक्त चुनाव प्रतीकों की सूची हेतु अधिसूचना आयोग द्वारा सदस्य पद हेतु अपने आदेश क्रमांक 4178 दिनांक 17.10.2025 के द्वारा जारी की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार आपको यह सुनिश्चित करना है कि, मतपत्र में उन्हीं चुनाव प्रतीकों को मुद्रित किया जाए जो अधिसूचना में वर्णित हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई चुनाव प्रतीक मुद्रित नहीं किये जावे। यदि कोई विशेष परिस्थिति हो तो उसके लिए आपको आयोग की अनुमति लेना अनिवार्य है। आरक्षित चुनाव प्रतीकों एवं मुक्त चुनाव प्रतीकों के नमूनों की सॉफ्ट / हार्ड कॉपी पृथक से उपलब्ध करवा दी जायेगी।

(10) डाक मतपत्र निजी मुद्रणालयों से मुद्रित कराएं जाऐगे। इस संबंध में आयोग द्वारा अपने पत्रांक 652 दिनांक 20.01.2026 द्वारा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। निजी मुद्रणालयों में ऑफसेट प्रिंटिंग से डाक मतपत्रों का मुद्रण किया जावेगा, जिसके लिए चुनाव प्रतीकों की सॉफ्टकॉपी आयोग के पत्रांक 4981 दिनांक 19.12.2025 से आपकों भिजवाई जा चुकी है।

(11) मतपत्रों के लिए कागज के सम्बंध में तत्सम आयोग द्वारा दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे। कागज प्राप्त किये जाने के संबंध में आपको पृथक से सूचित कर दिया जायेगा।

(12) वार्ड सदस्य चुनाव के लिए डाक मतपत्र प्रत्येक वार्ड के लिए भिन्न–भिन्न होंगे जिनकी संख्या भी बहुत कम होंगी। यदि इनको स्टीचिंग किया जावे तो यह ध्यान रखा जावे कि, स्टीचिंग प्रतिपर्ण पर किया जावे लेकिन इससे प्रतिपर्ण की कोई प्रविष्टि कटे नहीं। डाक मतपत्र जारी करते समय प्रतिपर्ण को मैटल रूल की सहायता से अलग किया जावेगा।

(13) डाक मतपत्रों का मुद्रण कार्य चुनाव चिन्हों के आवंटन के तुरन्त पश्चात प्रारम्भ कर, दो दिवस में पूर्ण कराया जावे। चूंकि डाक मतपत्रों के लिये आवेदन पत्रों का समय मतदान के कुछ ही दिन पूर्व का रहेगा और डाक मतपत्रों को मुद्रित कराने हेतु ऐसी स्थिति में समयाभाव रहेगा, इसलिए डाक मतपत्र प्राप्त करने वाले मतदाताओं की सही संख्या मुद्रण के समय तक ज्ञात करना संभव नहीं है। अतः अनुमान के अनुसार ही मुद्रण हेतु डाक मतपत्रों की संख्या निर्धारित कर ली जावे। ऐसी संख्या का निर्धारण रिटर्निंग अधिकारी स्वंय करेंगे। नगरपालिका मण्डलों के लिये डाकमतपत्रों की संभवतः आवश्यकता ही नहीं रहेगी, फिर भी अंतिम निर्णय, परिस्थितियों का आंकलन करते हुये रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लिया जा सकता है।

(14) निजी मुद्रणालयों पर मतपत्र मुद्रण कार्य के समय सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम रखे जावें।

(15) मतपत्र मुद्रण के समय खराब हुए मतपत्र और कागज के टुकड़े संबंधित मुद्रणालय पर ही प्रभारी अधिकारी के समक्ष निस्तारित कर दिये जायेंगे। इस संबंध में आयोग द्वारा अपने आदेश कमांक 1112 दिनांक 28.01.2026 के द्वारा आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान किए गए हैं। मतपत्रों के मुद्रण के पश्चात मुद्रण कार्य के लिए नियुक्त प्रभारी अधिकारी उपयोग लिये जा सकने वाले मतपत्रों को जांच कर अपनी अभिरक्षा में रखेगा।

(16) नगरपालिका का कोई भी स्टॉफ मतपत्रों के मुद्रण के कार्य में न लगाया जावे।

(17) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात् नोटा के विकल्प के स्थान के नीचे छायांकित क्षेत्र नहीं होगा लेकिन एक मोटी लाईन होगी। नोटा के विकल्प के नीचे स्थान 4 एमएम से ज्यादा नहीं छोड़ा जावेगा। नोटा के विकल्प के नीचे काली मोटी लाईन का होना अति आवश्यक है। कहीं कटिंग में वह कट नहीं जावे, इस बात को ध्यान में रखा जावे। यदि कोई बैलेट जिसकी अंतिम काली लाईन कट गई है या नम्बरिंग गलत मुद्रित हुई है या अन्य किसी प्रकार से त्रुटिपूर्ण पाया जाये तो उस मतपत्र को काम में नहीं लेना है, उसे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा त्रुटिपूर्ण मान लिया जावेगा और उसे हटा दिया जावेगा।

(18) मतपत्र के मुद्रण में कहीं अशुद्धि नहीं रहे इसके लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची को भी सही तरह से तैयार करना है। मतपत्रों के मुद्रण से पूर्व उनके प्रूफ को चैक करना है। इस हेतु आप अधिकृत प्रतिनिधि के साथ पर्याप्त मात्रा में जानकार स्टॉफ लगावें। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के आधार पर ही उसी क्रम में मतपत्र में अभ्यर्थियो का नाम मुद्रित होगा और उसी अनुरूप होगा। अतः निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम दोनों प्रकार की श्रेणियों में श्रेणीवार हिन्दी वर्णमाला के क्रमानुसार हों तथा यह ध्यान रखा जाए कि, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात् नोटा हेतु विकल्प एवं इस हेतु निर्धारित प्रतीक चिन्ह भी अंकित किया जाए। उक्तानुसार प्रूफ की जाँच की जाकर इस हेतु लगाये गये अधिकारी/कर्मचारी तथा रिटर्निंग अधिकारी प्रूफ के सही होने की पुष्टि के लिए प्रूफ पर अपने हस्ताक्षर करेंगे एवं उक्त हस्ताक्षरित प्रूफ की प्रति रिटर्निंग अधिकारी के रिकार्ड में सुरक्षित रखी जायेगी। तद्नुसार ही मतपत्रों का मुद्रण कराया जाए।

संलग्न – परिशिष्ट 1 एवं 2

भवदीय
ह0
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव,

परिशिष्ठ–1

वार्ड 15 / झालरापाटन / सा.नि. / 2026
निर्वाचक नामावली भाग संख्या ....
निर्वाचक की क्रम संख्या ....
No. ………
हस्ताक्षर / अगूंठा निशानी

दीपक कुमार	
No. ………..	वार्ड 15 / झालरापाटन / 2026 सा.नि.
दीपक कुमार	
दीपक कुमार	
दीपक कुमार	
दीपक कुमार	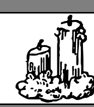
दीपक कुमार	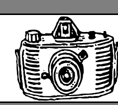
दीपक कुमार	
दीपक कुमार	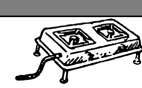
नोटा (इनमें में से कोई नहीं)	

वार्ड 15 / झालरापाटन / सा.नि. / 2026
निर्वाचक नामावली भाग संख्या ....
निर्वाचक की क्रम संख्या ....
No. ………

हस्ताक्षर / अगूंठा निशानी

दीपक कुमार	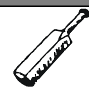	दीपक कुमार	
No. ………..	वार्ड 15 / झालरापाटन / 2026 सा.नि.		
दीपक कुमार		दीपक कुमार	
दीपक कुमार		दीपक कुमार	
दीपक कुमार		दीपक कुमार	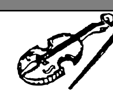
दीपक कुमार	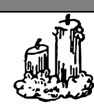	दीपक कुमार	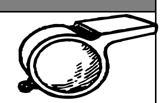
दीपक कुमार	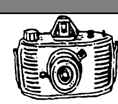	दीपक कुमार	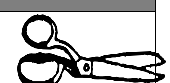
दीपक कुमार		दीपक कुमार	
दीपक कुमार	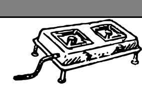	नोटा (इनमें में से कोई नहीं)	
दीपक कुमार	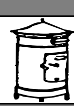		

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकःप.3(76)स्टोर / रानिआ / एसडीएमएम / 2019 / 705 दिनांक :20.01.2026

जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) समस्त, राजस्थान।

विषय :– मल्टीपोस्ट सिंगल वोट ई.वी.एम. से नगरपालिका चुनाव की मतगणना उपरान्त एस.डी.एम.एम. को सीलबंद करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान राज्य मे नगरीय निकायों के आगामी आमचुनावो मे उपलब्धता के आधार पर आयोग के स्वामित्व की मल्टीपोस्ट सिंगलवोट ईवीएम का उपयोग किया जावेगा। मल्टीपोस्ट सिंगल वोट ई.वी.एम. की कन्ट्रोल यूनिट में एक डिवाईस लगाया गया है, जिसे एस.डी.एम. एम. (Secure Detachable Memory Module) कहा जाता है। मतदान के दौरान मतदान का डाटा उक्त एस. डी.एम.एम. में संकलित हो जाता है। एस.डी.एम.एम. को कन्ट्रोल यूनिट से हटाए जाने के पश्चात् कन्ट्रोल यूनिट में नवीन एस.डी.एम.एम. लगाया जाकर ई.वी.एम. का पुनः निर्वाचन कार्य हेतु उपयोग में लिया जा सकता है।

मतदान के पश्चात् मतगणना के लिए उक्त ईवीएम की एस.डी.एम.एम. युक्त कन्ट्रोल यूनिट से परिणामों की घोषणा के बाद एस.डी.एम.एम. को कन्ट्रोल यूनिट से निकाल कर सीलबंद कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना होगा ताकि विधिक प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा चाहे जाने पर मतदान संबंधी रिकार्ड को पुनः देखा जा सके।

नगरीय निकायों के निर्वाचन में उपयोग में लाई गई मल्टी पोस्ट सिंगल वोट मशीन की कन्ट्रोल युनिट से एस.डी.एम.एम. को हटाकर सीलबंद कर सुरक्षित रखे जाने के संबंध में निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जावेः–

1. मतगणना के पश्चात् चुनाव परिणाम घोषित करने के तुरन्त बाद मतगणना कक्ष में ही रिटर्निंग अधिकारी / सहायक रिटर्निंग अधिकारी की निगरानी में एस.डी.एम.एम. को सील किया जावेगा।
2. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एस.डी.एम.एम. को सील करने संबंधी कार्य को सम्पादित करने के लिए एक 5 सदस्यीय दल (एक सीलिंग प्रभारी व चार सीलिंग सहायक) गठित किया जायेगा।
3. एक नगरपालिका के एक वार्ड की एस.डी.एम.एम. को सील करने की प्रक्रिया समाप्त होने के उपरान्त ही दूसरे वार्ड की एस.डी.एम.एम. को कन्ट्रोल यूनिट से बाहर निकालकर सीलिंग की कार्यवाही प्रारम्भ की जाए, ताकि एक वार्ड की एस.डी.एम.एम. दूसरे वार्ड की एस.डी.एम.एम. में मिक्स होने की संभावना नहीं रहें।
4. एस.डी.एम.एम. को सील करने एवं सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने संबंधी सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से कराई जाये

<u>नगरीय निकायों के सदस्यों के निर्वाचनों के पश्चात् एस.डी.एम.एम. को सील करने की प्रक्रियाः–</u>

a) सीलिंग प्रभारी मतगणना के उपरान्त एस.डी.एम.एम. को ई.वी.एम. की कन्ट्रोल युनिट से बाहर निकालकर छोटी प्लास्टिक की डिब्बी, जिसका आकार 4.5 से.मी. x 4.0 से.मी. x 2.0 से.मी. होगा, में रखेगें।
b) एस.डी.एम.एम. पेपर सील (गुलाबी रंग) पर निर्वाचन से संबंधित प्रविष्टियां दर्ज कर, मतगणना स्थल पर उपस्थित इच्छुक अभ्यर्थियों अथवा उनके अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर पेपर सील में खाली स्थान पर प्राप्त किये जायेंगे। पेपर सील (गुलाबी रंग) का प्रारूप Annexure-1 पर उपलब्ध है।

c) पेपर सील (गुलाबी रंग) के पृष्ठ भाग से ''डी'' स्टीकर को हटाकर उसे एस.डी.एम.एम. रखी हुई प्लास्टिक की छोटी डिब्बी पर चिपकाने के बाद पेपर सील को चारों ओर इस तरह से लपेटा जायेगा कि पेपर सील के अग्र भाग के ''एम'' स्थान पर पृष्ठ भाग के अंतिम सिरे पर अंकित ''एम'' आकार चिपक जाये।

d) छोटी प्लास्टिक डिब्बी को पेपर सील से सील करने के पश्चात् उस पर अतिरिक्त सुरक्षा के लिए रबर बैण्ड से चारों तरफ से पैक किया जाएगा।

e) इस तरह पेपर सील से सील्ड एवं रबर बैंड से पैक की गई प्लास्टिक की छोटी डिब्बी को एक लिफाफे (गुलाबी रंग) में रखकर में आवश्यक प्रविष्टियां कर लिफाफे को चपड़ी से सील किया जायेगा। लिफाफे का प्रारूप Annexure-2 पर उपलब्ध है,

f) इस प्रकार चपडी से सील किये गये लिफाफे को मध्यम आकार की प्लास्टिक की डिब्बी, जिसका आकार 10 से.मी. x 6.5 से.मी. x 2.5 से.मी होगा, में रखा जायेगा। इस प्लास्टिक की डिब्बी के ऊपर निर्वाचन क्षेत्र एवं मतदान केन्द्र से संबंधित प्रविष्टियों के इन्द्राज के पश्चात् स्टीकर (गुलाबी रंग) को डिब्बी पर चिपकाया जाएगा। स्टीकर (गुलाबी रंग) का प्रारूप Annexure-3 पर उपलब्ध है।

g) अतिरिक्त सुरक्षा के लिए स्टीकर चिपकाने के पश्चात् इस डिब्बी को चारों ओर से एक इंच की सेलो टेप (पारदर्शी टेप) से पैक किया जाएगा।

h) इस प्रकार सील/पैक की गई मध्यम आकार की प्लास्टिक की डिब्बीयों को बड़े आकार के प्लास्टिक के डिब्बे, जिसका आकार 30 से.मी. x 12.5 से.मी. x 7.5 से.मी होगा, में रखा जायेगा।

i) मध्यम आकार की डिब्बियों को बडे प्लास्टिक के डिब्बे में रखते समय यह ध्यान रखा जाए कि एक बडे डिब्बे में एक से अधिक वार्डो की मध्यम आकार की डिब्बियां रखी जा सकेंगीं किन्तु वार्डो को तोडा नहीं जाएगा।

j) इस तरह मध्यम आकार की डिब्बियों युक्त प्लास्टिक के बडे डिब्बे पर नगरपालिका/वार्डो के मतदान केन्द्रों के विवरण अंकित करने के पश्चात् स्टीकर (गुलाबी रंग) चिपकाया जाएगा। स्टीकर का प्रारूप Annexure-4 पर उपलब्ध है।

k) प्लास्टिक के बडे डिब्बे की अतिरिक्त सुरक्षा के लिए इसे चारों ओर से तीन इंच की सेलो टेप (पारदर्शी) से पैक किया जाएगा।

l) इस प्रकार सेलो टेप से पैक किए गए प्लास्टिक के सभी बडे डिब्बे एक लोहे के बक्से में रखे जाएगें। बडे प्लास्टिक के डिब्बों को लोहे के बक्सों में रखते समय यह ध्यान रखा जाए कि वार्ड टूटे नहीं। बक्से का आकार 25 इंच x 22 इंच x 18 इंच होगा।

m) उक्त लोहे के बक्से को ताला लगाकर चपडी से सील कर कोषालय में सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा।

नगरीय निकायों के सदस्यों के निर्वाचनों में उपयोग में लाए गए एस.डी.एम.एम. को उक्तानुसार सील करने की प्रकिया के दौरान निम्नलिखित सामग्री का आवश्यकता होगीः–

1. सेल्फ एडेसिव एस.डी.एम.एम. पेपर सील (गुलाबी रंग) (30 से.मी. x 3 से.मी.) Annexure-1
2. छोटी प्लास्टिक की डिब्बी (साईज 4.5 से.मी. x 4.0 से.मी. x 2.0 से.मी.)
3. एस.डी.एम.एम. रखी हुई छोटी प्लास्टिक की डिब्बी को सीलबंद करने का लिफाफा (गुलाबी रंग) (12 से.मी. x 9 से.मी.) Annexure-2
4. मध्यम आकार की प्लास्टिक की डिब्बी (साईज 10 से.मी. x 6.5 से.मी. x 2.5 से.मी) जिसमें Annexure - 2 में वर्णित एस.डी.एम.एम युक्त लिफाफा (गुलाबी रंग) रखा जायेगा।
5. मध्यम आकार की प्लास्टिक की डिब्बी के ढ़क्कन पर चिपकाने हेतु स्टीकर (गुलाबी रंग)। Annexure-3
6. बड़े आकार का प्लास्टिक का डिब्बा (साईज 30 से.मी. x 12.5 से.मी. x 7.5 से.मी)
7. बड़े आकार के प्लास्टिक के डिब्बे के ढ़क्कन पर चिपकाने हेतु स्टीकर (गुलाबी रंग)। Annexure-4
8. लोहे का बक्सा (साईज 25 इंच x 22 इंच x 18 इंच)
9. रबर बैण्ड।
10. सेलो टेप (पारदर्शी) (साईज– एक एवं तीन इंच)

11. लिफाफे एवं लोहे के बक्से को सीलबंद करने के लिए चपड़ी, मोमबत्ती, माचिस, धागा, कपडा आदि ।

एस.डी.एम.एम. को सील करने के बाद ई.वी.एम. को सील करने की आवश्यकता नहीं है। इन ई.वी.एम. को नवीन एस.डी.एम.एम. लगाने के बाद अगले चुनाव कार्य में उपयोग में लाई जा सकेंगी।

साथ ही उक्तानुसार प्लास्टिक की छोटी एवं बडी डिब्बी, प्लास्टिक का बडा डिब्बा, चपड़ी, मोमबत्ती, माचिस, धागा, कपड़ा, सेलो टेप, रबर बैण्ड की व्यवस्था जिला स्तर पर किया जाना सुनिश्चित करावे जबकि सेल्फ एडेसिव पेपर सील, स्टीकर एवं नीला लिफाफा आयोग द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा।

भवदीय
ह0
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव,

Annexure-1

एस.डी.एम.एम. पेपर सील प्रारूप (गुलाबी रंग)
(प्लास्टिक की छोटी डिब्बी को सील करने हेतु)

D	
Sr. No. 00001	
पृष्ठ भाग	M
SEC	**SEC**
Rajasthan	**Rajasthan**
	राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान एस.डी.एम.एम. पेपर सील क्रमांक नगरीय निकाय चुनाव जिला .... ननि / नप / नपा .... मतदान केन्द्र सं. ....
	मतदान केन्द्र का नाम .... SDMM क्र... मतगणना दिनांक .... SDMM में उपलब्ध मतगणना परिणाम सदस्य वार्ड क्र. .... आर.ओ. / ए.आर.ओ. हस्ताक्षर / सील

M

Annexure-2

लिफाफे का प्ररूप (गुलाबी रंग)

(Size - 12cm X 9cm)

(पेपर सील से पैक एस.डी.एम.एम. युक्त प्लास्टिक की छोटी डिब्बी को रखकर चपडी से सील करने हेतु)

S E C
Rajasthan

<u>राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान</u>

नगरीय निकाय निर्वाचन

जिला ....

ननि/नप/नपा का नाम.................

निर्वाचन का विवरण ....

मतदान केन्द्र का नाम ....

मतदान केन्द्र संख्या

[ ]

एस.डी.एम.एम. क्रमांक ....

मतगणना दिनांक ....

<u>एस.डी.एम.एम. में उपलब्ध परिणाम</u>

सदस्य वार्ड क्र. ....

आर.ओ./ए.आर.ओ.
हस्ताक्षर एवं सील

Annexure-3

छोटे स्टीकर का प्रारूप (गुलाबी रंग)

(Size - 8cm X 5cm)

(मध्यम आकार की प्लास्टिक की डिब्बी पर चिपकाया जाना है)

नगरीय निकाय निर्वाचन

S E C
Rajasthan

जिला ....

ननि/नप/नपा का नाम ....

निर्वाचन का विवरण ....

मतदान केन्द्र संख्या

मतदान केन्द्र का नाम ....

एस.डी.एम.एम. क्र. ....

Annexure-4

बड़े स्टीकर का प्रारूप (गुलाबी रंग)
(Size - 20cm X 6cm)

(प्लास्टिक के बडे डिब्बे पर चिपकाया जाना है)

नगरीय निकाय निर्वाचन

S E C
Rajasthan

जिला ....

ननि/नप/नपा का नाम ....

पद (जिसके निर्वाचन से संबंधित है) ....

नगर निकाय के सदस्य वार्ड संख्या ....

मतदान केन्द/बूथ संख्या

से	तक

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकःप.3(76)स्टोर/रानिआ/एसडीएमएम/2019/826 दिनांक : 23.01.2026

जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) समस्त, राजस्थान।

विषय :– राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश के स्वामित्व की मल्टीपोस्ट मल्टीवोट ई.वी.एम. से नगरपालिका चुनाव की मतगणना उपरान्त डी.एम.एम. को सीलबंद करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान राज्य मे नगरीय निकायों के आगामी आमचुनावो मे उपलब्धता के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश के स्वामित्व की मल्टीपोस्ट मलटीवोट ईवीएम का उपयोग किया जावेगा। मल्टीपोस्ट मल्टीवोट ई.वी.एम. की कन्ट्रोल यूनिट में एक डिवाईस लगाया गया है, जिसे डी.एम.एम. (Detachable Memory Module) कहा जाता है। मतदान के दौरान मतदान का डाटा उक्त डी.एम.एम. में संकलित हो जाता है। डी.एम.एम. को कन्ट्रोल यूनिट से हटाए जाने के पश्चात् कन्ट्रोल यूनिट में नवीन डी.एम.एम. लगाया जाकर ई.वी.एम. का पुनः निर्वाचन कार्य हेतु उपयोग में लिया जा सकता है।

मतदान के पश्चात् मतगणना के लिए उक्त ईवीएम की डी.एम.एम. युक्त कन्ट्रोल यूनिट से परिणामों की घोषणा के बाद डी.एम.एम. को कन्ट्रोल यूनिट से निकाल कर सीलबंद कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना होगा ताकि विधिक प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा चाहे जाने पर मतदान संबंधी रिकार्ड को पुनः देखा जा सके।

नगरीय निकायों के निर्वाचन में उपयोग में लाई गई मल्टी पोस्ट मल्टी वोट मशीन की कन्ट्रोल युनिट से डी.एम.एम. को हटाकर सीलबंद कर सुरक्षित रखे जाने के संबंध में निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जावेः–

1. मतगणना के पश्चात् चुनाव परिणाम घोषित करने के तुरन्त बाद मतगणना कक्ष में ही रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी की निगरानी में डी.एम.एम. को सील किया जावेगा।
2. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा डी.एम.एम. को सील करने संबंधी कार्य को सम्पादित करने के लिए एक 5 सदस्यीय दल (एक सीलिंग प्रभारी व चार सीलिंग सहायक) गठित किया जायेगा।
3. एक नगरपालिका के एक वार्ड की डी.एम.एम. को सील करने की प्रक्रिया समाप्त होने के उपरान्त ही दूसरे वार्ड की डी.एम.एम. को कन्ट्रोल यूनिट से बाहर निकालकर सीलिंग की कार्यवाही प्रारम्भ की जाए, ताकि एक वार्ड की डी.एम.एम. दूसरे वार्ड की डी.एम.एम. में मिक्स होने की संभावना नहीं रहें।
4. डी.एम.एम. को सील करने एवं सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने संबंधी सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से कराई जाये

<u>नगरीय निकायों के सदस्यों के निर्वाचनों के पश्चात् डी.एम.एम. को सील करने की प्रक्रियाः–</u>

a) सीलिंग प्रभारी मतगणना के उपरान्त डी.एम.एम. को ई.वी.एम. की कन्ट्रोल युनिट से बाहर निकालकर छोटी प्लास्टिक की डिब्बी, जिसका आकार 4.5 से.मी. x 4.0 से.मी. x 2.0 से.मी. होगा, में रखेगें।
b) डी.एम.एम. पेपर सील (सफेद रंग) पर निर्वाचन से संबंधित प्रविष्टियां दर्ज कर, मतगणना स्थल पर उपस्थित इच्छुक अभ्यर्थियों अथवा उनके अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर पेपर सील में

खाली स्थान पर प्राप्त किये जायेंगे। पेपर सील (सफेद रंग) का प्रारूप Annexure-1 पर उपलब्ध है।

c) पेपर सील (सफेद रंग) के पृष्ठ भाग से ''डी'' स्टीकर को हटाकर उसे डी.एम.एम. रखी हुई प्लास्टिक की छोटी डिब्बी पर चिपकाने के बाद पेपर सील को चारों ओर इस तरह से लपेटा जायेगा कि पेपर सील के अग्र भाग के ''एम'' स्थान पर पृष्ठ भाग के अंतिम सिरे पर अंकित ''एम'' आकार चिपक जाये।
d) छोटी प्लास्टिक डिब्बी को पेपर सील से सील करने के पश्चात् उस पर अतिरिक्त सुरक्षा के लिए रबर बैण्ड से चारों तरफ से पैक किया जाएगा।
e) इस तरह पेपर सील से सील्ड एवं रबर बैंड से पैक की गई प्लास्टिक की छोटी डिब्बी को एक लिफाफे (सफेद रंग) में रखकर में आवश्यक प्रविष्टियां कर लिफाफे को चपड़ी से सील किया जायेगा। लिफाफे का प्रारूप Annexure-2 पर उपलब्ध है,
f) इस प्रकार चपडी से सील किये गये लिफाफे को मध्यम आकार की प्लास्टिक की डिब्बी, जिसका आकार 10 से.मी. x 6.5 से.मी. x 2.5 से.मी होगा, में रखा जायेगा। इस प्लास्टिक की डिब्बी के ऊपर निर्वाचन क्षेत्र एवं मतदान केन्द्र से संबंधित प्रविष्टियों के इन्द्राज के पश्चात् स्टीकर (सफेद रंग) को डिब्बी पर चिपकाया जाएगा। स्टीकर (सफेद रंग) का प्रारूप Annexure-3 पर उपलब्ध है।
g) अतिरिक्त सुरक्षा के लिए स्टीकर चिपकाने के पश्चात् इस डिब्बी को चारों ओर से एक इंच की सेलो टेप (पारदर्शी टेप) से पैक किया जाएगा।
h) इस प्रकार सील/पैक की गई मध्यम आकार की प्लास्टिक की डिब्बीयों को बड़े आकार के प्लास्टिक के डिब्बे, जिसका आकार 30 से.मी. x 12.5 से.मी. x 7.5 से.मी होगा, में रखा जायेगा।
i) मध्यम आकार की डिब्बियों को बडे प्लास्टिक के डिब्बे में रखते समय यह ध्यान रखा जाए कि एक बडे डिब्बे में एक से अधिक वार्डो की मध्यम आकार की डिब्बियां रखी जा सकेंगीं किन्तु वार्डो को तोडा नहीं जाएगा।
j) इस तरह मध्यम आकार की डिब्बियों युक्त प्लास्टिक के बडे डिब्बे पर नगरपालिका/वार्डो के मतदान केन्द्रों के विवरण अंकित करने के पश्चात् स्टीकर (सफेद रंग) चिपकाया जाएगा। स्टीकर का प्रारूप Annexure-4 पर उपलब्ध है।
k) प्लास्टिक के बडे डिब्बे की अतिरिक्त सुरक्षा के लिए इसे चारों ओर से तीन इंच की सेलो टेप (पारदर्शी) से पैक किया जाएगा।
l) इस प्रकार सेलो टेप से पैक किए गए प्लास्टिक के सभी बडे डिब्बे एक लोहे के बक्से में रखे जाएगें। बडे प्लास्टिक के डिब्बों को लोहे के बक्सों में रखते समय यह ध्यान रखा जाए कि वार्ड टूटे नहीं। बक्से का आकार 25 इंच x 22 इंच x 18 इंच होगा।
m) उक्त लोहे के बक्से को ताला लगाकर चपडी से सील कर कोषालय में सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा।

नगरीय निकायों के सदस्यों के निर्वाचनों में उपयोग में लाए गए डी.एम.एम. को उक्तानुसार सील करने की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित सामग्री का आवश्यकता होगीः—

a) सेल्फ एडेसिव डी.एम.एम. पेपर सील (सफेद रंग) (30 से.मी. x 3 से.मी.) Annexure-1
b) छोटी प्लास्टिक की डिब्बी (साईज 4.5 से.मी. x 4.0 से.मी. x 2.0 से.मी.)
c) डी.एम.एम. रखी हुई छोटी प्लास्टिक की डिब्बी को सीलबंद करने का लिफाफा (सफेद रंग) (12 से.मी. x 9 से.मी.) Annexure-2
d) मध्यम आकार की प्लास्टिक की डिब्बी (साईज 10 से.मी. x 6.5 से.मी. x 2.5 से.मी) जिसमें Annexure - 2 में वर्णित डी.एम.एम युक्त लिफाफा (सफेद रंग) रखा जायेगा।
e) मध्यम आकार की प्लास्टिक की डिब्बी के ढ़क्कन पर चिपकाने हेतु स्टीकर (सफेद रंग) । Annexure-3
f) बड़े आकार का प्लास्टिक का डिब्बा (साईज 30 से.मी. x 12.5 से.मी. x 7.5 से.मी)
g) बड़े आकार के प्लास्टिक के डिब्बे के ढ़क्कन पर चिपकाने हेतु स्टीकर (सफेद रंग)। Annexure-4
h) लोहे का बक्सा (साईज 25 इंच x 22 इंच x 18 इंच)

i) रबर बैण्ड।
j) सेलो टेप (पारदर्शी) (साईज– एक एवं तीन इंच)
k) लिफाफे एवं लोहे के बक्से को सीलबंद करने के लिए चपड़ी, मोमबत्ती, माचिस, धागा, कपडा आदि ।

डी.एम.एम. को सील करने के बाद ई.वी.एम. को सील करने की आवश्यकता नहीं है। इन ई.वी.एम. को नवीन डी.एम.एम. लगाने के बाद अगले चुनाव कार्य में उपयोग में लाई जा सकेंगी।

साथ ही उक्तानुसार प्लास्टिक की छोटी एवं बडी डिब्बी, प्लास्टिक का बडा डिब्बा, चपड़ी, मोमबत्ती, माचिस, धागा, कपड़ा, सेलो टेप, रबर बैण्ड की व्यवस्था जिला स्तर पर किया जाना सुनिश्चित करावे जबकि सेल्फ एडेसिव पेपर सील, स्टीकर एवं सफेद लिफाफा आयोग द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा।

भवदीय
ह0
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव,

Annexure-1

डी.एम.एम. पेपर सील प्ररूप (सफेद रंग)

(प्लास्टिक की छोटी डिब्बी को सील करने हेतु)

D	
Sr. No. 00001	
पृष्ठ भाग	M
SEC	**SEC**
Rajasthan	**Rajasthan**
	राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान **डी.एम.एम. पेपर सील क्रमांक** **नगरीय निकाय चुनाव** जिला .... ननि / नप / नपा .... मतदान केन्द्र सं. ....
	मतदान केन्द्र का नाम .... DMM क्र... मतगणना दिनांक .... DMM में उपलब्ध मतगणना परिणाम सदस्य वार्ड क्र. .... आर.ओ. / ए.आर.ओ. हस्ताक्षर / सील

M

Annexure-2

लिफाफे का प्ररूप (सफेद रंग)

(Size - 12cm X 9cm)

(पेपर सील से पैक डी.एम.एम. युक्त प्लास्टिक की छोटी डिब्बी को रखकर चपडी से सील करने हेतु)

S E C
Rajasthan

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

नगरीय निकाय निर्वाचन

जिला ....

ननि / नप / नपा का नाम.................

निर्वाचन का विवरण ....

मतदान केन्द्र का नाम ....

मतदान केन्द्र संख्या

डी.एम.एम. क्रमांक ....

मतगणना दिनांक ....

डी.एम.एम. में उपलब्ध परिणाम

सदस्य वार्ड क्र. ....

आर.ओ. / ए.आर.ओ.
हस्ताक्षर एवं सील

Annexure-3

छोटे स्टीकर का प्रारूप (सफेद रंग)

(Size - 8cm X 5cm)

(मध्यम आकार की प्लास्टिक की डिब्बी पर चिपकाया जाना है)

नगरीय निकाय निर्वाचन

S E C
Rajasthan

जिला ....

निनि/नप/नपा का नाम ....

निर्वाचन का विवरण ....

मतदान केन्द्र संख्या

मतदान केन्द्र का नाम ....

डी.एम.एम. क्र. ....

Annexure-4

बड़े स्टीकर का प्ररूप (सफेद रंग)
(Size - 20cm X 6cm)

(प्लास्टिक के बडे डिब्बे पर चिपकाया जाना है)

नगरीय निकाय निर्वाचन

S E C
Rajasthan

जिला ....

ननि/नप/नपा का नाम ....

पद (जिसके निर्वाचन से संबंधित है) ....

नगर निकाय के सदस्य वार्ड संख्या ....

मतदान केन्द/बूथ संख्या

से	तक

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
Email: **secraj@rajasthan.gov.in**

क्रमांकः एफ. 1(2)(1) नपा–पंचा / सा.आ. / रानिआ / 14 / 882 दिनांक :– 23.01.2026

आदेश

सां.आ. क्रमांकः 151 / 2026 – राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 58 के उप नियम (1) में यह प्रावधान है कि कोई अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता, ऐसे साधारण या विशेष निर्देशों के अध्यधीन रहते हुये, जो निर्वाचन आयोग समय–समय पर इस निमित्त जारी करें, मतपत्रों की गणना के समय अपनी ओर से उपस्थित रहने के लिये गणन अभिकर्ता नियुक्त कर सकेगा।

उक्त के संबंध में आयोग द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 362 / 27.10.1994 (सां. आ. 07 / 1994) को अधिक्रमित करते हुए उक्त नियमों के नियम 58 के उप नियम (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश देता है कि निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों से मतों की गणना के लिये निर्धारित तारीख से कम से कम 2 दिन पहले गणन अभिकर्ताओं की सूची मय उनके फोटो रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा प्राप्त की जायेगी। फोटो सहित ऐसी सूची देने पर, निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों के गणन अभिकर्ताओं के फोटो पहचान पत्र गणन अभिकर्ता के लिये बनाये गये बैजेज पर फोटो चिपकायी जाकर तैयार किये जायेंगे तथा एक फोटो प्ररूप–19 पर चिपकायी जायेगी। गणन अभिकर्ताओं के रूप में नियुक्त व्यक्तियों की फोटोएं संबंधित व्यक्ति जो कि गणन अभिकर्ता के रूप में अपनी सहमति देता है, के द्वारा हस्ताक्षरित होगी और अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता के द्वारा प्रमाणित की जायेगी। मतों की गणना के दिन केवल फोटो पहचान पत्र वाले गणन अभिकर्ताओं को ही गणना हॉल के अन्दर जाने की अनुमति दी जायेगी।

आज्ञा से,
ह0
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in , FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमाक : एफ 1(4)(1)न.पा. / रा.नि.आ. / 14 / 2292 दिनांक : 09.03.2026

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) राजस्थान।

विषयः–नगरपालिका निर्वाचनों में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों से मतदान की स्थिति में मतगणना हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के अध्याय 3 के नियम 57 से 61 एवं 65 से 73 तक में तथा इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों से मतगणना हेतु अध्याय 3–क के नियम 46–क, 62–क, 63–ख, एवं 64–क में प्रावधान विहित किए हुए है। नगरपालिका निर्वाचनों में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों से मतदान होने की स्थिति में उक्त प्रावधानों की पालना एवं मतगणना कार्य के सफल संचालन के लिए आयोग द्वारा उक्त के संबंध में अपने पूर्व आदेश क्रमांक 4249 दिनांक 22.10.2019 को अधिक्रमित करते हुए निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी किए जाते हैंः–

1. सामान्य किन्तु ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिन्दु :–

1. मतगणना निर्वाचन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। इसलिए आपको मतगणना का कार्य अत्यधिक सजगता एवं सर्तकता से करना है।
2. इलेक्ट्रोनिक वोटिग मशीन से मतदान होने पर मतगणना मतदान केन्द्रवार (बूथवार) होती है। मतगणना दोष–रहित हो और निर्वाचन के परिणाम के बारे में अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता के मन में कोई भ्रम नहीं रहे। इसके लिये प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी हो और व्यवस्था सही रखी जाये।

2. कानूनी प्रावधानः–

1. ऐसे निर्वाचनों में जहॉ मतदान मशीने प्रयुक्त की जाती है, मतगणना सम्बन्धी कानूनी प्रावधान राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के अध्याय 3 के नियम 57 से 61 एवं 65 से 73 तक में तथा अध्याय 3–क के नियम 46–क, 62–क, 63–ख, एवं 64–क में बताये गये है। इसके अतिरिक्त राज्य निर्वाचन आयोग ने निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों को डाक मतपत्र जारी करने के संबंध में आदेश क्रमांक एफ 1(4)(1) नपा / रानिआ / 14 / 1418 दिनांक 05.02.2026 तथा डाक मतपत्रों के प्ररूप हेतु आदेश क्रमांक 572 दिनांक 16.01.2026 (सां. आ. 147 / 2026) भी जारी किये है।
2. मतगणना के समय और स्थान, गणन अभिकर्ता की नियुक्ति तथा ऐसी नियुक्तियों का निरस्तीकरण (Revocation), गणना के लिये नियत स्थान में प्रवेश मतदान की गोपनीयता को बनाये रखने, लगातार गणना, पुनः मतदान के पश्चात गणना के पुनः आरम्भ, मतों की पुनर्गणना, निर्वाचन के परिणाम की घोषणा और निर्वाचित अभ्यर्थी को निर्वाचन के प्रमाण–पत्र जारी करने संबंधित प्रावधान (नियम 57 से 61, 65 से 73) उसी प्रकार लागू है जैसे वे ऐसे निर्वाचनों की मतगणना के सम्बन्ध में लागू होते है, जिनमें मतपत्रों तथा मतपेटियों की पद्धति अपनायी जाती है। डाक–मतपत्रों की गणना से संबंधित नियम 46–क एवं 64–क के उपबंध तथा आयोग के उक्त दोनों आदेश दिनांक 16.01.2026 एवं 05.02.2026 में वर्णित प्रावधान लागू होते है। नियम 62–क, 63–क तथा 63–ख

गणना के पूर्व मतदान मशीनों की संवीक्षा और निरीक्षण, मतदान मशीनों में रिकार्ड किये गये मतों की वास्तविक गणना करने और गणना के पश्चात् मशीनों को सील करने के लिए उपबंध करते है।

3. मतगणना की तारीख, स्थान और समयः–

1. मतगणना कार्य नगरपालिका मुख्यालय पर ही किया जाना है।
2. आयोग द्वारा घोषित मतगणना कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए नियम 57 के अन्तर्गत रिटर्निंग अधिकारी को मतगणना हेतु तिथि, समय एवं स्थान का चयन कर मतगणना कार्य करना है।
3. मतों की गणना एक ही भवन में की जाये। नगर निगमों के मामलें में जहॉ मतदान केन्द्रों की संख्या ज्यादा है, वहां जिला निर्वाचन अधिकारी दो भवनों का भी चयन कर सकते है। एक वार्ड की गणना एक कक्ष में एक साथ की जाये। यदि हॉल बडा है तो उसे एक से अधिक कक्षों में अस्थाई पार्टीसन से विभाजित कर एक से अधिक वार्डों की मतगणना भी की जा सकती है लेकिन प्रत्येक कक्ष का प्रभारी पृथक सहायक रिटर्निंग अधिकारी हो।
4. गणना की तारीख, समय और स्थान के संबंध में आपको प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को लिखित में सूचना देनी होगी। यह सूचना प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को मतदान की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पूर्व दी जानी चाहिये। यदि किसी अपरिहार्य कारण से इस प्रकार नियत तथा अभ्यर्थियों को सूचित की गयी तारीख या समय या स्थान में परिवर्तन होता है, तो आपको ऐसे परिवर्तन की सूचना पुनः प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को लिखित में देनी चाहिए।
5. यह आवश्यक है कि मतगणना हॉल पर्याप्त बडे हो जिसमें आपके एवं आपके कार्मिको, अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के लिए पर्याप्त स्थान हो। वहां पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। मतों की गणना अस्थायी ढाचें में नहीं की जाए। मतगणना भवन के परिसर में सुरक्षा की दोहरी व पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाए कि परिसर में भीड़–भाड़ न हो।

4. गणना करने हेतु टेबिलों की संख्या और उनकी व्यवस्थाः–

1. सदस्य चुनाव की मतगणना को दृष्टिगत रखते हुये पहले से ही यह निश्चय कर लें कि प्रत्येक गणना स्थान पर कितनी गणना मेजें रखना चाहते है, क्योंकि इसी बात पर निर्भर करेगा कि आपको कितने गणना पर्यवेक्षकों और कितने गणन सहायकों की नियुक्ति करनी होगी और प्रत्येक अभ्यर्थी कितने गणन अभिकर्ता नियुक्त करने का हकदार होगा। वार्डों की संख्या और वार्ड में मतदान केन्द्रों की संख्या से यह अवधारित किया जायेगा कि गणना करने हेतु मेजों की संख्या कितनी होगी, जिन पर मतों की गणना एक ही समय पर की जा सके।
2. बडे वार्डों में जहां एक कक्ष में एक से अधिक टेबिल लगायी जाये वहां टेबिलों को क्रम संख्यांकित किया जाये। टेबिलों के मध्य गणन पर्यवेक्षकों, गणन सहायकों, अभ्यर्थियों/गणन अभिकर्ताओं को बैठने के लिए पर्याप्त स्थान छोडा जाना चाहिए।
3. वार्ड सदस्यों की मतगणना वाले एक कक्ष में एक से अधिक वार्डों की गणना की जा सकेगी लेकिन एक वार्ड की मतगणना पूरी होने के बाद ही अन्य वार्ड की मतगणना का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। जिस समय जिस वार्ड की मतगणना हो रही हो, उस दौरान संबंधित वार्ड के अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं को ही मतगणना कक्ष में रहने दिया जाये, और जिन वार्डों को मतगणना में लिया जाना शेष है, उनके

अभ्यर्थियों/निर्वाचन/गणन अभिकर्ताओं को मतगणना केन्द्र के भवन में ही एक नियत कक्ष में इन्तजार करने हेतु कहा जाये।

5. गणन पर्यवेक्षक/गणन सहायक एवं रिटर्निंग अधिकारी के सहायकः–

1. नियम 59 के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी से अनुमोदन से गणन पर्यवेक्षक व गणन सहायक नियुक्त करेगा। एक टेबिल पर एक गणन पर्यवेक्षक और एक गणन सहायक नियुक्त करने है।

2. गणन पर्यवेक्षक राजपत्रित या समकक्ष अधिकारियों को रखा जाए, जो राज्य सरकार के विभिन्न विभागों या राज्य सरकार के अधीनस्थ निगमों, मण्डलों, संस्थानों के भी हो सकते है। गणन सहायक हालांकि राजपत्रित स्तर के न हो, लेकिन यथासंभव पर्यवेक्षकीय पदों (Supervisory Post) पर कार्यरत कर्मचारियों के स्तर के हो। किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी से जुडे हुये व्यक्ति एवं नगर निकाय कार्यालयों के कार्मिकों को गणन पर्यवेक्षक या गणन सहायक नियुक्त नहीं किए जाएं। गणन पर्यवेक्षक व गणन सहायक निष्पक्ष व कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी/अधिकारी होने चाहिए। गणन पर्यवेक्षकों व सहायकों (रिजर्व स्टाफ सहित) को भली–भॉति प्रशिक्षण दिया जाए।

3. रिटर्निंग अधिकारी ईवीएम/एसडीएमएम/डीएमएम (यदि मल्टी पोस्ट सिंगल वोट एवं मल्टीपोस्ट मल्टीवोट मशीने उपयोग में ली गई हैं) व अन्य निर्वाचन संबंधी कागजातों को सील करने के लिये भी सहायकों की नियुक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुमोदन से करेगें।

6. गणन अभिकर्ताओं की संख्या व उनकी नियुक्तिः–

1. नियम 58 के अनुसार अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतगणना के समय उसकी ओर से उपस्थित रहने के लिये गणन अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। गणन अभिकर्ताओं की संख्या गणना के लिये लगायी गयी मेजों, जिसमें रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी की मेज भी शामिल है, की संख्या से अधिक नही होगी। एक अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता वार्ड सदस्य चुनाव में प्ररूप–19 में दो प्रतियों में गणन अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकता है, जिसकी एक प्रति रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी और दूसरी प्रति मतगणना प्रारम्भ होने से कम से कम एक घण्टा पहले रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष गणन अभिकर्ता के द्वारा प्रस्तुत की जायेगी। एक अभ्यर्थी प्ररूप–19 में एक पत्र पर एक से अधिक अभिकर्ताओं की नियुक्ति भी कर सकता है। अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता जिन व्यक्तियों को गणन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करें तो ऐसे व्यक्तियों के हस्ताक्षर ऐसी नियुक्ति की सहमति के रूप में होने आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर गणन अभिकर्ता की सहमति के रूप में नहीं हो तो उसकी नियुक्ति मान्य नहीं होगी।

2. मतगणना के प्रारम्भ होने के कम से कम एक घण्टा पूर्व गणन अभिकर्ता प्ररूप–19 की घोषणा पढकर उस पर हस्ताक्षर करेगा तथा हस्ताक्षरित करने के पश्चात रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करेगा अन्यथा मतगणना केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता गणन अभिकर्ता की नियुक्ति का निरस्तीकरण (Revocation) वार्ड सदस्य के मामले में प्ररूप–20 के द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत कर किया जा सकता है और किसी गणन–अभिकर्ता को निरस्तीकरण (Revocation) किये जाने के पश्चात अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता उसकी एवज में अन्य गणन अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है।

3. गणन अभिकर्ताओं, संबंधित अभ्यर्थियों एवं निर्वाचन अभिकर्ताओं को यह स्पष्ट रूप से बता दिया जाये कि गणना कार्य के बीच में गणना कक्ष से जाने नहीं दिया जायेगा और

एक बार जाने के पश्चात पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यह ध्यान रखा जाए मतगणना कक्ष में अनावश्यक भीड–भाड नहीं हो।

4. मतगणना के दिन, मतगणना केन्द्र के भवन में गणन अभिकर्ताओं को फोटो युक्त बैज के द्वारा ही प्रवेश दिया जाये। बैज पर बैज संख्या, गणन अभिकर्ता का नाम, अभ्यर्थी का नाम, वार्ड संख्या, या अध्यक्ष चुनाव यथास्थिति, कक्ष नम्बर, तथा आवंटित की गई टेबिल संख्या अंकित की जायेगी। बैज रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील से जारी किए जाएगें। गणन अभिकर्ताओं को दिये जाने वाले समस्त बैजों का इन्द्राज इस हेतु संधारित रजिस्टर में भी किया जायेगा।
5. रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता को यह सूचित कर देना चाहिए कि जिन व्यक्तियों को गणन अभिकर्ताओं के रूप में नियुक्त किया जाना हैं, उन व्यक्तियों का नियुक्ति पत्र प्ररूप–19 (दो प्रतियों में) जिन पर पासपोर्ट साईज फोटा चिपका हुआ हो रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष मतगणना दिवस से कम से कम दो दिन पूर्व प्रस्तुत कर दिया जाए। रिटर्निंग अधिकारी को प्ररूप–19 में प्रस्तुत किए गए दोनों नियुक्ति पत्रों पर चिपकाए गए फोटो पर गणन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किए गए व्यक्ति के हस्ताक्षर होगें तथा अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता के द्वारा ऐसे फोटों को प्रमाणित भी किया जायेगा।
6. अभ्यर्थी एवं उसके निर्वाचन अभिकर्ताओं को भी फोटो युक्त बैज दिये जायेगें।
7. गणन अभिकर्ताओं के लिये की गई उपरोक्त व्यवस्था के बारे में संबंधित राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय पूर्व, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सूचित किया जायेगा। अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को रिटर्निंग अधिकारी उपरोक्त व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम–57 के अन्तर्गत दी जाने वाली सूचना के साथ ही अवगत कराये।
8. जिला स्तर पर राजनैतिक दलों को उपरोक्त व्यवस्था के बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी भी सूचित करेगे।
9. गणन अभिकर्ता गणना कक्ष में आवंटित की गई टेबिल पर ही बैठ सकेगा अन्य कही नहीं। मात्र अभ्यर्थी व उसके निर्वाचन अभिकर्ता को किसी भी टेबिल पर जाने का अधिकार है।
10. मतगणना कक्ष में जिस समय जिस वार्ड की मतगणना हो रही हो, उस दौरान संबंधित वार्ड के अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं को ही मतगणना कक्ष में तत्समय रहनें दें, शेष को किसी अन्य कक्ष में इन्तजार करने हेतु उनके बैठने की व्यवस्था भी की जाये।

7. गणना मेजों पर अपेक्षित लेखन सामग्रीः–

प्रत्येक मतगणना मेज पर निम्नलिखित लेखन सामग्री की व्यवस्था करें:–

1. एक नीली स्याही का बॉल–पॉइंट पेन,
2. सीलों को तोडकर खोलने के लिए चाकू या ब्लेड,
3. प्ररूप 14 ग के भाग 1 में रिकार्ड किये गये मतो का लेखा, (इस प्ररूप के भाग 2 में गणन पर्यवेक्षक द्वारा गणना का परिणाम लिखा जायेगा)
4. कागज की दो शीटें।

8. गणना कक्ष में अनुशासनः–

गणना कक्ष में धुम्रपान करना पूर्णतः वर्जित रहेगा। नियम 60 के उप नियम–(2) के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतगणना के दौरान रिटर्निंग अधिकारी के विधि सम्मत् निर्देशों का पालन नहीं करता है या अवचार करता है तो उसे मतगणना कक्ष से बाहर निकाल दिया जायेगा जिसके लिये मतगणना कक्ष के बाहर मौजूद पुलिस अधिकारी की मदद ली

जा सकती है। रिटर्निंग अधिकारी को यह आश्वस्त होना है कि मतगणना के दौरान सुव्यवस्थित और अनुशासनात्मक तरीके से मतगणना का कार्य सम्पन्न हो।

9. मतों की गोपनीयता बनाये रखना:–

नियम 61 के प्रावधानों के अनुसार मतगणना के दौरान प्रत्येक अधिकारी, लिपिक, अभिकर्ता या ऐसा व्यक्ति जो मतगणना या उनके अभिलेखन से संबंधित कोई कार्य करता है, तो उसे मतों की गोपनीयता बनायी रखनी होगी। लोक–प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128, जो कि नगरपालिका चुनावों में भी लागू है, के प्रावधानों के बारे में मतगणना प्रारम्भ करने से पूर्व मतगणना कक्ष में सभी उपस्थित व्यक्तियों को समझा दिया जाना चाहिये।

10. मतगणना स्थल में प्रवेश:–

1. नियम 60 के उप नियम–(1) के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी निम्नलिखित मात्र 4 प्रकार के व्यक्तियों को ही मतगणना स्थल में आने की अनुमति देगा:–
   (क) गणन पर्यवेक्षक और गणन सहायक,
   (ख) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति,
   (ग) निर्वाचन के संबंध में ड्यूटी पर तैनात लोक–सेवक एवं
   (घ) अभ्यर्थी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता और प्रति गणन मेज पर एक गणन अभिकर्ता।
2. मतगणना केन्द्र पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारी व अधिकारी को, कानून व्यवस्था से संबंधित या अन्य ऐसे ही किसी उद्देश्य के लिये, रिटर्निंग अधिकारी गणना कक्ष में बुला सकता है। सामान्य स्थिति में पुलिस कर्मचारी व अधिकारियों को गणना कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिये, क्योंकि किसी अभ्यर्थी अथवा राजनीतिक दल द्वारा ऐसी शिकायत की जा सकती है कि गणना–कक्ष में अनावश्यक रूप से पुलिसकर्मियों को नियोजित किया गया है।
3. सरकार का कोई भी मंत्री किसी अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं हो सकता। अतः मतगणना केन्द्र पर किसी मंत्री को, यदि वह अभ्यर्थी नहीं है तो, प्रवेश नहीं दिया जा सकता।
4. गणना–कक्ष में व्यक्तियों की आवाजाही सुचारू–रूप से रखी जाये ताकि भीड–भाड नहीं हो और किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो।

11. डाक द्वारा प्राप्त मतों की गणना:–

1. सर्वप्रथम डाक मतपत्रों की गणना की जानी है। जिस कक्ष में ईवीएम मतगणना कार्य किया जा रहा है, उसी कक्ष में डाक मतपत्रों को गणना में पहले लिया जावे, लेकिन यह ध्यान रखे कि ईवीएम की मतगणना पूरी होने से पूर्व ही डाक मतपत्रों की गणना का कार्य पूर्ण हो जाये।
2. मतगणना प्रारम्भ होने के लिये नियत समय के पश्चात प्राप्त डाक मतपत्र का कोई लिफाफा नहीं खोला जाना चाहिए। उन्हें बिना खोले ही अस्वीकार कर देना चाहिए और अलग से लिफाफे में रखकर सील कर देना चाहिए तथा उस पर समुचित विवरण भी लिख देना चाहिए।
3. डाक मतपत्र दो प्रकार के होगे:–
   (क) निवारक निरोध में नजरबंद व्यक्तियों से प्राप्त डाक मतपत्र :– राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 25 के परंतुक के अनुसार निवारक निरोध में नजरबंद व्यक्तियों द्वारा उनके मताधिकार के उपयोग करने के प्रावधान है।

(ख) निर्वाचन–ड्यूटी स्टाफ से प्राप्त डाक मतपत्र :– राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 46–क के उपनियम (4) में निर्वाचन ड्यूटी पर नियुक्त स्टाफ को डाक मतपत्र जारी करने का प्रावधान है।

उक्त बिन्दु संख्या (क) एवं (ख) के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने ऐसे डाक मतपत्रों की गणना करने की रीति और उनको प्रतिक्षेपित (नामंजूर) करने के संबंध में आयोग द्वारा आदेश क्रमांक एफ1(4)(1)नपा/रानिआ/14/1418 दि. 05.02.2026 तथा आदेश क्रमांक 1451 दि. 06.02.2026 (सां. आ. संख्या 157/2026) जारी किये हुए है।

4. उक्तानुसार प्राप्त डाक मतपत्रों में से प्राप्त विधिमान्य मतों की गणना की जानी चाहिए और प्रत्येक अभ्यर्थी का दिये गये मतों को उसके पक्ष में गणना की जाकर प्रत्येक अभ्यर्थी को डाक मतपत्रों के रूप में प्राप्त कुल मतों की गणना की जानी चाहिए और अभ्यर्थियों की जानकारी के लिए उन्हे सुनाया जाना चाहिये। मशीनों में रिकार्ड किये गये अभ्यर्थीवार मतों में डाक मतपत्रों के रूप में अभ्यर्थीवार वैद्यमतों को जोड कर गणना के परिणाम को प्ररूप 21 में दिये गये परिणाम पत्र में उपयुक्त स्थान पर प्रविष्ट किया जाना चाहिए।

5. तत्पश्चात वार्ड सदस्य के लिए सभी विधिमान्य मतपत्रों और सभी अस्वीकृत मतपत्रों के पृथक–पृथक बण्डल एक साथ पैकेट में रख दिया जाना चाहिए और उस पैकेट को रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी की मुहर से और ऐसे अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या गणन अभिकर्ताओं की मुहरों से, जो उस पर लगाना चाहे, मुहरबन्द कर देना चाहिए तथा पहचान के लिए सभी विवरण जैसे नगरपालिका का नाम, वार्ड संख्या, गणना की तारीख और उसमें रखी गई वस्तुओं का संक्षिप्त वर्णन अभिलिखित कर दिया जाना चाहिए।

मतदान मशीनों में रिकार्ड किए गए मतों की गणना

12. नियंत्रण यूनिटों की संवीक्षा और निरीक्षण:–

1. वार्ड सदस्यों की मतगणना में जहां एक वार्ड में अधिक मतदान केन्द्र है वहां गणना–टेबिल पर नियंत्रण यूनिटों का वितरण मतदान केन्द्रों के क्रमानुसार किया जाना चाहिए, अर्थात मतदान केन्द्र संख्या एक में प्रयुक्त नियंत्रण यूनिट को गणना टेबल संख्या 1 को दी जानी चाहिए, मतदान केन्द्र संख्या 2 की गणना टेबल संख्या 2 को दी जानी चाहिए, और इसी प्रकार आगे भी दी जानी चाहिए। ऐसे वितरण का लेखा रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी अपने पास भी रखे और इसका चार्ट मतगणना कक्षों के बोर्ड पर भी लगायें।

2. गणना के समय, उस मतदान केन्द्र, जिस पर नियंत्रण यूनिट प्रयुक्त की गयी है, के मतदान परिणाम को सुनिश्चित करने के लिए मतदान मशीन की केवल नियंत्रण यूनिट ही अपेक्षित है, बैलेट यूनिट अपेक्षित नहीं है। फिर भी, मतदान केन्द्रों से प्राप्त बैलेट यूनिटें संग्रहण केन्द्र पर वार्डवार और मतदान केन्द्रवार नियंत्रण यूनिटों के साथ रखी जानी चाहिए, बैलेट यूनिट को गणना हाल में केवल तब ही ले जाया जाना चाहिए जब किसी भी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता की मांग पर या अन्यथा किसी भी विशेष मामले में इसका निरीक्षण आवश्यक हो जाये, किन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड की पोस्ट MK-V मॉडल की ईवीएम में परिणाम की जानकारी के लिए कन्ट्रोल यूनिट के साथ बैलेट यूनिट को कनेक्ट किया जाना आवश्यक है।

3. किसी मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त की गयी नियंत्रण यूनिट के साथ प्ररूप 14–ग में अभिलिखित उस मतदान केन्द्र से संबंधित मतों का सुसंगत लेखा भी गणना–टेबल पर दिया जाना चाहिए।

13. नियंत्रण यूनिटों के कैरिंग बक्सों का खोला जानाः–

1. पीठासीन अधिकारियों द्वारा, नियंत्रण यूनिटें मतदान केन्द्रों से उनके कैरिंग बक्सो में सम्यक रूप से रखी हुई और सीलबंद रूप से प्राप्त होंगी।
2. प्रत्येक कैरिंग बॉक्स ज्योंही गणना टेबल पर लाया जाये उस पर मतदान केन्द्र में पीठासीन अधिकारी के द्वारा लगायी गयी सील की जांच की जाये। यदि किसी कैरिंग बक्से की सील किसी मामले में अविकल (Intact) न भी पायी जाये तो भी उसमें रखी गयी नियंत्रण यूनिट में कोई भी गडबडी होने की संभावना नहीं है, यदि उस यूनिट पर लगी हुई सील और विशेषतः उस पर लगी स्ट्रिप सील व पिंक पेपर सील अविकल (Intact) हो।
3. कैरिंग बक्सों की सीले हटा दें। नियंत्रण यूनिट को बाहर निकाल लें और उसे गणना टेबल के पास उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं के समक्ष उस पर लगी स्ट्रीप सील, स्पेशल टैग व पिंक पेपर सीलों के निरीक्षण और जांच के लिए गणना टेबल पर रख दें। भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड की MK-V मॉडल की ईवीएम के संबंध में बैलेट यूनिट के लिए भी यही प्रक्रिया रहेगी।

14. नियंत्रण यूनिट पर लगी सीलों और पहचान चिन्हों की जांचः–

प्रत्येक नियंत्रण यूनिट की क्रम संख्या की जांच कर लें और अपना इस बारे में समाधान कर लें कि यह वही नियंत्रण यूनिट है, जो आपके द्वारा पीठासीन अधिकारी को उस मतदान केन्द्र पर उपयोग के लिए दी गयी थी तथा नियंत्रण यूनिट के कण्डीडेट सैट सैक्शन की सील वही है जो आपके द्वारा उस मतदान केन्द्र को मशीन दिये जाने के पूर्व लगायी गयी हो। पीठासीन अधिकारी द्वारा भी मतदान केन्द्र पर स्ट्रिप सील लगायी गई है और स्पेशल टैग पर सील लगायी गयी है। यदि इन सीलों में से कोई सील क्षतिग्रस्त हो तब भी नियंत्रण यूनिट में कोई भी गडबडी होने की संभावना नही है, बशर्ते परिणाम अनुभाग के भीतरी कवर पर लगायी गई पिंक पेपर सील अविकल (Intact) हो।

15. नियंत्रण यूनिटों पर सीलों का निरीक्षणः–

किसी भी कन्ट्रोल यूनिट में रिकार्ड किये गये मतों की गणना किये जाने से पूर्व, गणना टेबल के पास उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन या उनके गणन अभिकर्ताओं को ऐसी पेपर सीलें और अन्य ऐसी महत्वपूर्ण सीलें, जो कैरिंग बक्सों और नियंत्रण यूनिट पर लगायी गयी हो, का निरीक्षण करने दिया जाए और उन्हें स्वयं का समाधान करने दिया जायेगा कि सीले अविकल (intact) है। आप स्वयं का भी समाधान करेंगे कि किसी भी मतदान मशीन के साथ छेडछाड नहीं की गयी है। यदि आपका समाधान हो जाता है कि किसी मतदान मशीन में वास्तव में कोई गडबडी की गयी है, तो आप उस मतदान मशीन में रिकार्ड किये गये मतों की गणना नहीं करेंगे और इन निर्देशों के अन्तिम भाग में वर्णित बिन्दु **गणना के स्थगन** के अधीन अधिकथित प्रक्रिया का, जो भी उस मतदान केन्द्र के संबंध में लागू होती हो, जहां कि वह मशीन प्रयुक्त की गई थी, अनुसरण करेंगे।

16. पेपर सील के क्रम संख्यांक का मिलानः–

1. परिणाम अनुभाग के बाहरी कवर को खोलने पर आपको पीठासीन अधिकारी की सील से सीलबंद किया हुआ भीतरी कवर दिखायी देगा। उक्त सील की भी जांच कर लें।

यदि मुहर क्षतिग्रस्त भी हो तो भी, नियंत्रण यूनिट में कोई भी गडबड होने की संभावना नहीं है बशर्ते कि पिंक पेपर सील अविकल (intact) हो और उससे छेडछाड नहीं की गई हो। परिणाम अनुभाग के भीतरी कवर में दो पेपर सील होगी। पेपर सील पर क्रम संख्यांक का उस क्रम संख्या से मिलान कर लिया जाना चाहिए जो पीठासीन अधिकारी द्वारा प्ररूप 14 ग के भाग I में मद सं. 9 पर तैयार किये गये पेपर सील लेखा में दी गयी हो। गणना टेबल के पास उपस्थित अभ्यर्थी/अभ्यार्थियों को या उनके अभिकर्ताओं को भी पेपर सील के ऐसे क्रम संख्यांक का मिलान करने दें।

2. यदि नियंत्रण यूनिट में प्रयुक्त पेपर सील के क्रम संख्यांक का पेपर–सील लेखे में पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा दर्शित क्रम संख्यांक से मिलान नहीं होता है तो, फिर यह हो सकता है कि पेपर सील लेखे में कोई भूल हो या प्रथम दृष्टया यह इस सन्देह का कारण होगा कि मतदान मशीन से छेडछाड की गयी है। इस प्रश्न का विनिश्चय पीठासीन अधिकारी द्वारा लौटायी गयी अप्रयुक्त पेपर सीलों के क्रम संख्याकों की और मतदान केन्द्रों में अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं द्वारा की गयी शिकायतों और अन्य सुसंगत परिस्थितियों की जांच करके करें। यदि आप इसे लिपिकीय भूल का मामला पाये, तो उस असंगति को नजर अन्दाज कर दें।

17. गडबडी पाये जाने पर नियंत्रण यूनिटों को अलग रखा जानाः–

यदि आपका समाधान हो जाये कि मतदान मशीन में गडबड की गयी है, या मतदान मशीन वह नहीं है जो मतदान केन्द्र पर उपयोग के लिए दी गयी थी, तो मशीन को अलग रख दिया जाये और उसमें रिकार्ड किये गये मतों की गणना नहीं की जाये। आपको ऐसे मामले की रिपोर्ट आयोग को करनी चाहिए। समूची गणना को स्थगित करना आवश्यक नहीं है।

18. परिणाम सुनिश्चित करनाः–

1. मतों की गणना के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना चाहिए :–
   - (i.) पीछे के कम्पार्टमेन्ट में लगे हुए पावर स्विच को दबाकर ऑन स्थिति में लाये और नियंत्रण यूनिट को ऑन करें। नियंत्रण यूनिट को ऑन करने पर प्रदर्शन अनुभाग में हरी बत्ती चमकने लगेगी।
   - (ii.) परिणाम–अनुभाग के भीतरी कवर के उपरी छिद्र के नीचे लगे परिणाम बटन के उपर पेपर–सील को निकाल दे।
   - (iii.) 'Result-1' बटन को दबा दे।
   - (iv.) 'Result-1' बटन को इस प्रकार दबाये जाने से, मतदान केन्द्र पर प्रत्येक अभ्यर्थी एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) के पक्ष में रिकार्ड किये गये मतों की कुल संख्या नियंत्रण यूनिट के पैनल में एक–एक कर स्वतः ही प्रदर्शित हो जायेगी।
   - (v.) उपर्युक्त परिणाम को प्ररूप 14–ग मतगणना का परिणाम के भाग II में यथादर्शित अभ्यर्थीवार नोट कर लें तथा नोटा (इनमें से कोई नहीं) को प्राप्त मतों को इसके लिए निर्धारित कॉलम में अंकित कर लें।
2. यदि आवश्यक हो, अभ्यर्थियों और/उनके अभिकर्ताओं को उपर्युक्त परिणाम नोट करने देने के लिए 'Result-1' बटन को फिर से दबायें।
3. परिणाम के नोट कर लिये जाने के पश्चात् परिणाम–अनुभाग के कवर को बन्द कर दें और नियंत्रण यूनिट को "स्विच ऑफ" कर दें।
4. अपग्रेडेड पोस्ट 2006 MK-V,M3A की EVM के संबंध में नियन्त्रण यूनिट में परिणाम निर्धारित करने के लिए उससे संबंधित बैलेट यूनिट को नियन्त्रण यूनिट से जोड़ना होगा। शेष प्रक्रिया यथावत रहेगी।

19. **इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) द्वारा निर्मित मल्टी पोस्ट सिंगल वोट** (MPSV) एवं मल्टी पोस्ट मल्टी वोट (MPMV) ईवीएम से निर्वाचन होने की स्थिति में मतगणना करनें हेतु निर्देश–

नगरीय निकायों के चुनाव में MPSV/MPMV मशीनों का उपयोग एक पद एवं एक ही वोट के लिए होगा। ऐसी स्थिति में अन्य मशीनों जैसे भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (BEL) की M3A एवं MK-V की भांति ही ये मशीनें उपयोग में ली जावेगी। MPSV/MPMV मशीनों से परिणाम ज्ञात करने के लिए केवल CU की आवश्यकता होगी।

20. प्ररूप 14–ग भाग–II (गणना का परिणाम) का पूरा किया जाना :–

1. ज्योंही प्रत्येक अभ्यर्थी एवं नोटा द्वारा प्राप्त मत नियंत्रण यूनिट के प्रदर्शन पैनलों पर दिखाये जायें, वैसे ही गणना पर्यवेक्षक को ऐसे मतों की संख्या को प्ररूप 14 ग के भाग–II में प्रत्येक अभ्यर्थीवार एवं नोटा के लिए पृथक–पृथक गणना का परिणाम में अभिलिखित कर लेना चाहिए। गणना पर्यवेक्षक को यह भी मिलान कर लेना चाहिए कि उक्त प्ररूप 14 ग के भाग–II में यथादर्शित मतों की कुल संख्या उस प्ररूप के भाग–I की मद 5 के सामने दर्शाई गई मतों की कुल संख्या के समान ही हो। उक्त प्ररूप के सही रूप से पूर्ण होने के पश्चात गणना पर्यवेक्षकों को इस पर हस्ताक्षर करने चाहिए। उस गणना–टेबल के पास उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं के भी हस्ताक्षर उक्त प्ररूप 14–ग पर करवाने चाहिए।
2. गणना पर्यवेक्षक द्वारा प्रारूप 14–ग के भाग–II को सम्यक् रूप से भरे जाने और हस्ताक्षर किये जाने और उस पर अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करा लिये जाने के पश्चात् उसे उस प्ररूप को रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी को सौंप देना चाहिए। रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी, स्वयं का यह समाधान कर लेने के पश्चात कि प्ररूप समुचित ढंग से भरा और सभी प्रकार से पूर्ण किया गया है, स्वयं भी हस्ताक्षर करेगा। ऐसे हस्ताक्षरित किये हुये उक्त प्ररूप को अन्तिम परिणाम पत्र (प्ररूप–21) तैयार कर रहे अधिकारी को सौंप देना चाहिए।

21. अंतिम परिणाम पत्र की तैयारी :–

1. अंतिम परिणाम पत्र (प्ररूप–21) की पूर्ति मशीनों में रिकार्ड किये गये मतों की गणना तथा डाक मतपत्रों की गणना के पश्चात की जायेगी। प्रत्येक अभ्यर्थी को मशीनों में रिकार्ड किये गये नोटा (इनमें से कोई नहीं) सहित अभ्यर्थीवार मतों व डाक मतपत्रों में पाये गये अभ्यर्थीवार नोटा (इनमें से कोई नहीं) सहित विधि मान्य मतों को जोडकर प्ररूप–21 की पूर्ति की जायेगी।

2. यदि राज्य निर्वाचन आयोग ने किसी भी मतदान केन्द्र में किसी पुनर्मतदान का निर्देश दिया है तो परिणाम पत्र में पुनर्मतदान के सम्बन्ध में ही गणना के परिणाम को सम्मिलित किया जाना चाहिए। कुल योग तब तक नहीं लगाया जाना चाहिए जब तक कि परिणाम पत्र में ऐसे पुनर्मतदान के सम्बन्ध में गणना का परिणाम सम्मिलित नहीं कर लिया गया हो।

3. कुल योग की सत्यता की जांच कर लेवें क्योंकि योग में किसी भी तरह का अन्तर मतदान के परिणाम को और परिणाम की घोषणा को, जो कि इस प्ररूप के आधार पर की जानी है, तात्विक रूप से प्रभावित करेगा। उस प्ररूप के किसी भी फर्क को आयोग द्वारा गंभीरता से लिया जायेगा और कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही का कारण बनेगा।

22. पुनर्गणनाः—

1. सामान्यतया मतदान मशीन द्वारा रिकार्ड किया गया प्रत्येक मत एक विधि मान्य मत है और उसकी विधिमान्यता के विषय में या अन्यथा कोई विवाद नहीं उठेगा। अधिक से अधिक यह हो सकता है कि कुछ अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ता किसी विशेष मतदान केन्द्र पर उस समय मतदान के परिणाम को सम्यक् रूप में लिख नहीं पाये हो, जब नियंत्रण यूनिट में वह सूचना दिखायी गयी थी। यदि पुनर्सत्यापन की आवश्यकता उत्पन्न हो, तो ऐसा परिणाम—बटन को दबाकर किया जा सकेगा, जिस पर उस मतदान केन्द्र के मतदान का परिणाम नियंत्रण यूनिट के उस प्रदर्शन पैनलों पर पुनः दिखायी देगा।

2. मतदान मशीनों के उपयोग से पुनर्गणना की आवश्यकता के पूर्णतया निवारण हो जाने पर भी नियम 67 के अन्तर्विष्ट पुनर्गणना से संबंधित उपबंध अब भी लागू होते है। तदनुसार जब गणना पूरी हो जाये और प्ररूप 21 में अंतिम परिणाम—पत्र तैयार कर लिया जाये, तब आपको अन्तिम परिणाम पत्र में यथा प्रविष्ट प्रत्येक अभ्यर्थी एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) द्वारा प्राप्त मतों की कुल संख्या घोषित कर देनी चाहिए और आपको कार्यवाही एक या दो मिनट के लिए रोक देनी चाहिए। यदि इस कालावधि के दौरान कोई भी अभ्यर्थी, या उसकी अनुपस्थिति में उसका कोई निर्वाचन/गणन अभिकर्ता पुनर्गणना की मांग करता है तो आपको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनको पुनर्गणना के लिए लिखित आवेदन देने में कितना समय लगेगा। यदि आपके विचार में मांगा गया समय उचित है तो आप उसकी अनुमति देवें और इसे घोषित भी करें।

3. यदि पुनर्गणना के लिए नियम 67 में कोई आवेदन पत्र दिया जाता है तो आपको उसमें बताये गये आधारो पर विचार करना चाहिए और उस मामले में अपना निर्णय देना चाहिए। आपका निर्णय अन्तिम होगा, किन्तु आपको प्रत्येक मामले में अपने निर्णय के कारणों को संक्षेप में अभिलिखित कर देना चाहिए।

4. यदि आप किसी मामले में पुनर्गणना के लिए किसी आवेदन पत्र को पूर्णतः या अंशतः स्वीकार करते है तो आपको अपने निर्णय के अनुसार मतदान मशीन में रिकार्ड किये गये मतों की गणना पुनः करा लेनी चाहिए। डाक मतपत्रों की भी, यदि आप ऐसा निर्णय लें, गणना पुनः शुरू की जायेगी, पुनर्गणना के पश्चात् आपको परिणाम पत्र को आवश्यकतानुसार संशोधित कर लेना चाहिए। आपके द्वारा इस प्रकार किये गये संशोधनों, यदि कोई हो, की घोषणा करें। प्रत्येक अभ्यर्थी एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) द्वारा प्राप्त मतों की कुल संख्या की घोषणा करने के बाद परिणाम पत्र को पूरा कर लें और उस पर हस्ताक्षर कर दें। यहां यह उल्लेखनीय है कि नोटा (इनमें से कोई नहीं) को प्राप्त मतों से परिणाम प्रभावित नहीं होगा अपितु सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी ही निर्वाचित घोषित किया जायेगा।

5. नियम 67 के अधीन किसी अभ्यर्थी द्वारा मतों की मांग करने के अधिकार का यह अर्थ नहीं है कि किसी अभ्यर्थी के कहने मात्र से ही पुनर्गणना की मांग स्वीकार की जा सकती है। पुनर्गणना की मांग करने वाले पक्ष को यह सिद्ध करना आवश्यक होगा, जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हो कि मतों की विवरणी ठीक नहीं है और न्याय के हित में पुनर्गणना आवश्यक है।

6. आपके द्वारा परिणाम पत्र को पूर्ण कर दिये जाने और उस पर हस्ताक्षर करने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को पुनर्गणना की मांग करने का अधिकार नहीं है। परिणाम पत्र को

पूरा कर लेने और उस पर अपने हस्ताक्षर कर देने के बाद मतों की पुनर्गणना की किसी भी मांग को आप अस्वीकार कर दें।

23. गणना का स्थगनः–

1. यदि आपको किसी अपरिहार्य कारण से गणना को उसके पूर्ण होने से पूर्व ही निलंबित या स्थगित करना पडे तो सभी मतदान मशीनों और निर्वाचन से संबंधित सभी अन्य कागज पत्रों को सीलबंद कर दें। प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता यदि प्रत्येक मतदान मशीन और पैकेट आदि, जिनमें निर्वाचन के कागजात पत्र रखे हुए हो, पर अपनी सील लगाना चाहे तो आप उसे ऐसा करने की अनुमति दे।
2. सभी सीलबंद मतदान मशीनों और पैकेट आदि एक पृथक कमरे में रखे जायें और कमरे को आपकी सील और अभ्यर्थियों की सील से सीलबंद और सुरक्षित कर लें। विकल्प के तौर पर ऐसे कमरों पर आपके तालों के साथ–साथ अभ्यर्थी भी अपने ताले लगा सकते है।

24. गणना के पूर्ण होने के पूर्व मतदान मशीन के विनष्ट हो जाने, उसको हानि पहुंचाये जाने आदि की दशा में अनुसरण की जानी वाली प्रक्रियाः–

नियम 55 के अन्तर्गत आयोग सभी महत्वपूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखकर मतों की गणना रोक दिये जाने का निर्देश देने और यदि आवश्यक हो तो नवीन मतदान कराये जाने का आदेश देने के लिए सक्षम है। यदि मतों की गणना के पूर्ण होने के पूर्व रिटर्निंग अधिकारी द्वारा यह रिपोर्ट की जाये कि किसी मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त की गयी मतदान मशीनः–

(i.) उसके पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में से विधि विरूद्ध निकाली ली गयी है, या

(ii.) घटनावश या साशय विनष्ट हो गयी है या कर दी गयी है या खो गयी है या खो दी गयी है, या

(iii.) उसको उस सीमा तक नुकसान पहुंचाया गया है या उसमें गडबडी कर दी गयी है कि उस मतदान केन्द्र के मतदान के परिणाम को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता। या

(iv.) वोटिंग मशीन में मतदान या मतगणना के दौरान तकनीकी खराबी आ गयी हो, या

(v.) मतदान केन्द्र पर मतदान प्रक्रिया दूषित हो गयी हो, या

(vi.) बूथ कैप्चरिंग के कारण मतदान केन्द्र का परिणाम विनिश्चित नहीं किया जा सकता हो,

तो आपको ऐसे सभी तथ्यों की रिपोर्ट आयोग को तुरन्त भिजवानी चाहिए और उस मतदान केन्द्र के मतों की गणना के सम्बन्ध में आयोग के निर्देशों की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

25. पुनः मतदान के पश्चात गणनाः–

यदि किसी मतदान केन्द्र पर मतदान पुनः करवाया गया है तो उस मतदान में रिकार्ड किये गये मतों की गणना के लिए तारीख, समय और स्थान नियत करना चाहिए और इसकी लिखित सूचना प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को देनी चाहिए। आपको इस गणना में भी उपर बतायी गयी विस्तृत कार्यविधि का ही, जहां तक कि वह लागू हो, पालन करना चाहिए।

26. परिणामों की घोषणाः–

मतों की गणना का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी सदस्यों के परिणामों के लिए प्ररूप–21 में विवरण तैयार करेगा और यदि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अन्यथा

निर्देशित नहीं किया गया है तो परिणाम घोषित किये जायेगें। उस अभ्यर्थी, जिसे अधिकतम संख्या में विधिमान्य मत प्राप्त हुये है, को निर्वाचित घोषित किया जायेगा। यदि मतों की गणना के पश्चात किन्ही अभ्यर्थियों के बीच में मतों की समानता पायी जाए और केवल एक मत को जोडने से ही अभ्यर्थियों में से किसी को भी निर्वाचित घोषित किये जाने का हक मिलता है, तो रिटर्निंग अधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं की उपस्थिति में तत्काल लॉटरी निकाले जाने की कार्यवाही करेगा तथा इसका कार्यवाही विवरण बनाया जावेगा, जिस पर उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन/गणन अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर, यदि वे करें तो कराये जायेंगे। कार्यवाही विवरण को अन्य कागजात के साथ पृथक लिफाफे में रख कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा। अंतिम परिणाम–पत्र (प्ररूप–21) एवं परिणाम की घोषणा (प्ररूप–22) में ऐसे अभ्यर्थियों जिनके पक्ष में लॉट निकला है, के सामने डाले गये मतों के आगे यथानुकूल प्रविष्टि अंकित कर दी जायेगी। लॉटरी निकाले जाने की सम्पूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी कराई जाएगी।

27. निर्वाचन का प्रमाण–पत्र

रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचित घोषित किये गये सदस्यों को प्ररूप–23 में निर्वाचन का प्रमाण–पत्र भी दिया जायेगा। निर्वाचित घोषित किये गये अभ्यर्थी को निर्वाचन का प्रमाण–पत्र देने पर ऐसे अभ्यर्थी से रसीद भी प्राप्त की जावे और उसके विधिवत हस्ताक्षर भी लिए जावे। ऐसी प्राप्ति रसीद एवं परिणाम संबंधित दस्तावेज राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जावे।

28. निर्वाचन के परिणाम के बाद तैयार किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण :–

1. अंतिम परिणाम–पत्र (प्ररूप–21)
2. परिणाम की घोषणा (प्ररूप–22)
3. निर्वाचन का प्रमाण पत्र (प्ररूप–23)
4. रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रमाणित निर्वाचन का प्रमाण–पत्र (प्ररूप–23) की प्राप्ति रसीद।

उपरोक्त कागजातों पर रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए एवं हस्ताक्षर के नीचे नाम, तारीख एवं स्थान अंकित होना चाहिए एवं रिटर्निंग अधिकारी की मोहर भी स्पष्टतः लगी हुई होनी चाहिए। उक्त बिन्दु में अंकित दस्तावेज आयोग को प्रेषित करने के संबंध में निर्देश आदेश क्रमांक 1374 दिनांक 04.02.2026 (सांविधिक आदेश 155/2026) के द्वारा जारी किए हुए है।

29. गणना के पश्चात मतदान मशीनों को पुनः सीलबंद करनाः–

1. किसी नियंत्रण यूनिट में अभिलिखित मतदान के अभ्यर्थीवार परिणाम अभिनिश्चत कर लिये जाने और प्ररूप 14–ग के भाग–II ''गणना का परिणाम'' में और प्ररूप 21 में अंतिम परिणाम–पत्र में प्रविष्ट कर दिये जाने के पश्चात, नियंत्रण यूनिट को नियम 63–ख के अधीन रिटर्निंग अधिकारी की सील से और ऐसे अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन/गणन अभिकर्ताओं, जो उस पर अपनी सील लगाना चाहें, की सीलों से पुनः सीलबंद किया जाना चाहिए। तथापि, पुनः सीलबंद ऐसी रीति से किया जाना चाहिए कि नियंत्रण यूनिट में रिकार्ड किये गये मतदान का परिणाम मिट नहीं जाये और यूनिट ऐसे परिणाम की स्मृति को बनाये रख सके।

यहां यह उल्लेखनीय है कि इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) द्वारा निर्मित मल्टी पोस्ट सिंगल वोट ईवीएम/मल्टी पोस्ट मल्टी वोट ईवीएम को सील नहीं किया जाना है। इन मशीनों मे प्रयुक्त किए गए सिक्योर डिचेबल मेमोरी मॉड्यूल (SDMM) एवं डिचेबल मेमोरी मॉड्यूल (DMM) को ही सील किया जाएगा। एसडीएमएम को सील करने के संबंध में आयोग द्वारा पत्रांक 705 दिनांक 20.01.2026 एवं डीएमएम को सील करने के संबंध में आयोग द्वारा पत्रांक 826 दिनांक 23.01.2026 के द्वारा दिशा–निर्देश

प्रदान किए हुए है। एसडीएमएम को सील करने के पश्चात् उक्त मल्टीपोस्ट सिंगल वोट (MPSV) ईवीएम को तथा डीएमएम (DMM) को सील करने के पश्चात् उक्त मल्टीपोस्ट मल्टी वोट (MPMV) ईवीएम को आगामी मतदान के लिए क्रमशः नवीन एसडीएमएम (SDMM) एवं नवीन डीएमएम (DMM) प्रयुक्त कर पुनः उपयोग में लिया जा सकेगा।

2. **नियंत्रण यूनिट को पूर्वोक्त रूप में पुनः सील बंद निम्नलिखित रीति से किया जाना चाहिएः—**

(i) सील को हटाकर नियंत्रण यूनिट के कैंडिडेट सैट सेक्शन की बैटरी को हटा दें। बैटरी को हटाये जाने के बाद में कैंडिडेट सेक्शन का कवर पुनः सीलबंद किया जाना चाहिए।

कृपया ध्यान दीजियेः— **बैटरी का हटाया जाना आवश्यक है जिससे कि यह समय बीतने के साथ—साथ फूल नहीं जाये और मशीन को क्षति नहीं पहुचें। तथापि, बैटरी को हटाये जाने से नियंत्रण यूनिट में रिकार्ड किये गये मतदान का परिणाम मिटता नहीं है, क्योंकि नियंत्रण यूनिट अपनी स्मृति को बनाये रखेगी, चाहे बैटरी हटा दी जाये।**

(ii) परिणाम—सेक्शन के बाहरी कवर को बन्द कर दें और इसे पुनः सीलबंद कर दें।

(iii) इस प्रकार पुनः सीलबंद की गयी नियंत्रण यूनिट को उसके कैरिंग बक्से में रखें।

(iv) कैरिंग बक्से को पुनः सीलबंद कर दे।

(v) कैरिंग बक्से के हेंडल पर एड्रेस टेग को दृढतापूर्वक लगा दें, जिसमें निम्नलिखित विवरण दिया गया होः—

(क) नगरपालिका का नाम
(ख) वार्ड संख्या
(ग) उस मतदान केन्द्र का विवरण जहां नियंत्रण यूनिट प्रयुक्त की गयी है
(घ) नियंत्रण यूनिट की क्रम संख्या
(ड) मतदान की तारीख
(च) गणना की तारीख

(vi) आप अपनी सील के साथ—साथ अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को, यदि वे ऐसा चाहे, उनकी सीलें लगाने की अनुमति दें।

3. इस प्रकार पुनः सीलबंद की गई नियंत्रण यूनिटों को सुरक्षित भण्डारण के लिए विशेष रूप से तैयार किये गये बडे बक्सों में रखा जाना चाहिए।

4. भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड की MK-V मॉडल की EVM के मतदान यूनिटों के अतिरिक्त अन्य मतदान यूनिटों को साधारणतया, गणना के समय खोले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि किसी मतदान यूनिट को निरीक्षण या गणना के समय सत्यापन के लिए इसके कैंरिग बक्से से बाहर निकाला जाता है तो इसे ऐसे निरीक्षण या सत्यापन के पश्चात् इसके कैरिंग बक्से में वापस रखकर सीलबंद कर दिया जाना चाहिए।

5. सुरक्षित भण्डारण के लिए मतदान यूनिटों को भी विशेष रूप से तैयार किये गये बडे बक्सों में रखा जाना चाहिए। इस प्रकार निर्वाचन में प्रयुक्त सभी नियंत्रण यूनिटें ओर मतदान यूनिटें भंडारण स्थल पर ले जाये जाने के लिए तैयार की जावे।

30. सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अन्य निर्वाचन कागज पत्रों को सील बंद करना :—

1. **मतदान मशीनों के अतिरिक्त कई अन्य महत्वपूर्ण निर्वाचन संबंधी कागजात हैं, जिनका सीलबंद किया जाना और सुरक्षित किया जाना तथा भंडारण किया जाना अपेक्षित है।**

नियम 74—क के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट निर्वाचन संबंधी कागजपत्रों के पैकेट किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा न तो खोले जायेंगे और न उनकी अन्र्तवस्तु का निरीक्षण किया जायेगा और न ही वे वस्तुए उसके समक्ष पेश की जायेगी। इस प्रकार इन कागज पत्रों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए विशेष सावधानी बरतनी पडेगी। जहां मतदान मशीने प्रयुक्त की गयी है, वहां ये कागजपत्र निम्नलिखित है:—

(i) प्ररूप 14—क में मतदाता रजिस्टरों के पैकेट,
(ii) अप्रयुक्त डाक मतपत्रों के उनसे संलग्न प्रतिपर्णों के साथ पैकेट,
(iii) प्रयुक्त डाक मतपत्रों के, चाहे वे विधिमान्य हो या प्रतिक्षेपित, पैकेट (उन पैकेटों को सम्मिलित करते हुए जिनमें विलम्ब से प्राप्त डाक मतपत्र वाले लिफाफे भी है),
(iv) प्रयुक्त डाक मतपत्रों के प्रतिपर्णों के पैकेट,
(v) प्रयुक्त और अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों के पैकेट,
(vi) अप्रयुक्त (अधिशेष) मतपत्रों (मतदान यूनिटों पर प्रदर्शित करने के लिए और निविदत्त मतपत्रों के रूप में प्रयोग करने के लिए मुद्रित) के पैकेट,
(vii) निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रतियों के पैकेट, और
(viii) निर्वाचकों द्वारा की गई घोषणाओं और उनके हस्ताक्षरों के अनुप्रमाणन के पैकेट।

2. **उपर्युक्त मद (iii) और (viii) पर बताये गये कागज पत्रों के पैकेट गणना के समय ही बना लिए जायेगें और ऐसे पैकेट आपके द्वारा मतों की गणना की समाप्ति के तुरन्त पश्चात आपकी सील से सीलबन्द कर दिये जायेंगे। यह सील उन सीलों के, यदि कोई हो, अतिरिक्त होगी जो इन पैकेटों पर किन्ही अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन या गणन अभिकर्ताओं, जो उन पर अपनी सील लगाना चाहें, द्वारा लगायी जायेगी। आपको वहां उपस्थित अभ्यर्थियों और उनके अभिकर्ताओं को बता देना चाहिए कि इन पैकेटों पर वे अपनी सील अवश्य लगायें और ऐसा करना उनके अपने ही हित में है ताकि किसी पैकेट में कोई गडबडी न की जा सके।**

3. **ऊपर पैरा 1 की मद संख्या (i), (v) और (vii) में बताये गये कागजपत्रों के सभी पैकेट मतदान केन्द्रों के पीठासीन अधिकारियों से सम्यक रूप से सीलबन्द पैकेटों में प्राप्त किये जायेंगे। चूंकि मतगणना के समय इन पैकेटों की किसी प्रयोजन के लिए आवश्यकता नहीं होती है, अतः इनमें से प्रत्येक को निर्वाचन कागजपत्र प्राप्त करने के स्थान पर प्राप्त करने के तुरन्त बाद सीलबंद कर दिया जाना चाहियें और लोहे के संदूक में रख दिया जाना चाहिये।**

4. **इन पैकेटों को वस्तुतः सीलबंद करने के कार्य के पर्यवेक्षण के लिए आपकों एक उत्तरदायी प्रभारी अधिकारी लगाना चाहिए अन्यथा, निर्वाचन के महत्त्वपूर्ण कागजपत्रों के इधर—उधर हो जाने की संभावना है, जिसका परिणाम यह होगा कि जब कोई सक्षम न्यायालय इन कागजपत्रों को पेश करने का आदेश देगा, तब जटिलतायें और गडबडी पैदा हो जायेगी।**

5. **लोहे के प्रत्येक संदूक में दो ताले लगाये जाये और प्रत्येक ताला सीलबंद कर दिया जाये।**

31. कार्यवाहियों का लेखबद्ध किया जाना:—

1. मतों की गणना के पश्चात गणना स्थल पर ही मतदान मशीनों और निर्वाचन के कागजपत्रों को सीलबंद कर दिये जाने के पश्चात आपको निम्नलिखित का उल्लेख करते हुए कार्यवाही लेखबद्ध करनी चाहिए—

(i.) गणना हॉल में उपस्थित अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं का पूर्ण विवरण,

(ii.) यह तथ्य कि उनसे मतदान मशीनों और निर्वाचन के पैकेटों पर, यदि वे ऐसा चाहे, अपनी सीलें लगाने को कहा गया था, और

(iii.) उन व्यक्तियों का विवरण, जिन्होने मतदान मशीनों और पैकेटों पर अपनी सीलें लगायी थी और उन व्यक्तियों का विवरण, जिन्होने ऐसा करने से इन्कार कर दिया था।

2. तब आपको कार्यवाहियों पर हस्ताक्षर करने चाहिए और उस पर ऐसे अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं के जो उपस्थित हो और हस्ताक्षर करना चाहें, हस्ताक्षर करवाने चाहिये। कार्यवाहियों को एक लिफाफे में रखा जाना चाहिए और सीलबंद किया जाना चाहिये। सीलबंद लिफाफे को निर्वाचन के कागजपत्रों के पैकेटों के साथ रखा जाना चाहिए।

32. निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन अभिलेखों की सुरक्षित अभिरक्षाः—

1. निर्वाचन के परिणाम की घोषणा कर दिये जाने के पश्चात तुरन्त उसी दिन समस्त मतदान मशीनों और उपर्युक्त उल्लेखित पैकेटों को अन्तर्विष्ट करने वाले सीलबंद संदूक को सरकारी कोषागार/उपकोषागार या इस हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए स्थान में दो तालों के अन्दर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा। प्रत्येक संदूक के ताले की चाबी कोषागार अधिकारी को या कोषागार संहिता के अधीन प्राधिकृत कोषागार/उपकोषागार के किसी अन्य अधिकारी के सुपुर्द कर दी जानी चाहिए और प्रत्येक संदूक के दूसरे ताले की चाबी स्वयं निर्वाचन अधिकारी द्वारा या निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अपने पास रखी जानी चाहिए।

2. मतों की गणना आरंभ होने से पूर्व जिस कमरे में ये संदूक रखे जाते है, उस कमरे के बाहर तैनात सशस्त्र पुलिस रक्षक दल को गणना की समाप्ति हो जाने के पश्चात ही हटा नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि मतदान मशीनों और निर्वाचन अभिलेख कोषागार/उपकोषागार या इस हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए स्थान को भेज नहीं दिये जाते। जहां तक संभव हो, उसी रक्षक दल को इन कागज पत्रों के परिवहन के दौरान भी उसकी सुरक्षा के लिए तैनात किया जाना चाहिए। इस तथ्य का उस रक्षक दल द्वारा रखी जाने वाली लॉग बुक में उल्लेख कर दिया जाना चाहिए।

नोटः— यह भी ध्यान रहे कि मतगणना कार्य उसी दिन पूर्ण किया जाना है। मतगणना कार्य के बाद परिणामों की घोषणा के पश्चात् निर्वाचित सदस्यों को उसी दिन शपथ दिलवा दें, ताकि महापौर/सभापति/अध्यक्ष के चुनाव में सदस्यों द्वारा भाग लिया जा सके।

भवदीय,
ह0
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः प.1(2)(1)नपा–पंचा/सां.आ./रानिआ/14/1451 दिनांक : 06.02.2026

आदेश

सां. आ. 157/2026 – राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 64–क के उप नियम (1) के उपबन्धों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त दिए गए साधारण या विनिर्दिष्ट निर्देशों के अधीन रहते हुए नियम 64 के उपबन्ध नियम 46–क के उप नियम (4) में निर्दिष्ट डाक मतपत्रों को प्रतिक्षेपित (नामंजूर) करने के संबंध में लागू होंगे।

अतः राज्य निर्वाचन आयोग उक्त नियम नियम 64–क सपठित नियम 64 एवं 46–क के उप नियम (4) के उपबन्धों के अनुसरण में पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 4207 दिनांक 21.10.2019 (सां. आ. 125/2019) को अधिक्रमित करते हुए सदस्य पदों के निर्वाचन हेतु डाक मतपत्रों को प्रतिक्षेपित किए जाने के संबंध में निम्नांकित निर्देश जारी करता है :–

1. रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतगणना प्रारम्भ करने के लिए नियत समय की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त लिफॉफा–ख (प्ररूप 16–ग) को खोला नहीं जायेगा और ऐसे किसी लिफाफे में अन्तर्विष्ट किसी मत की गणना नहीं की जायेगी।
2. निर्धारित समयावधि में प्राप्त होने वाले लिफाफे को एक–एक करके खोला जायेगा और जैसे ही प्रत्येक लिफाफे को खोला जाए, रिटर्निंग अधिकारी प्रथमतः उसमें अन्तर्विष्ट प्ररूप 16–क में की गई घोषणा की संवीक्षा करेगा।
3. यदि प्ररूप 16–क में की गई घोषणा नहीं पायी जाती है या उसे सम्यक रूप से हस्ताक्षरित और अनुप्रमाणित नहीं किया गया है, अर्थात् सारतः त्रुटिपूर्ण है या यदि उसमें यथा प्रविष्ट मतपत्र का क्रम संख्यांक लिफाफा–क (प्ररूप 16–ख) पर पृष्ठांकित क्रम संख्यांक से भिन्न है तो लिफाफा–क (प्ररूप 16–ख) को खोला नहीं जायेगा और उस पर समुचित पृष्ठांकन करने के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी उसमें अन्तर्विष्ट मतपत्र को प्रतिक्षेपित (नामंजूर) कर देगा।
4. बिन्दु संख्या–3 के अनुसार प्रतिक्षेपित (नामंजूर) किए गए ऐसे समस्त पृष्ठांकित लिफाफे–क (प्ररूप 16–ख) और उनके साथ प्राप्त प्ररूप 16–क में घोषणा को पुनः लिफाफा–ख (प्ररूप 16–ग) में रखा जाएगा और इस तरह समस्त लिफाफा–ख (प्ररूप 16–ग) को एक पृथक बडे पैकेट में रखा जाएगा, जिस पर नगरपालिका नाम, वार्ड संख्या, गणना की तारीख और उसकी अन्तर्वस्तुओं का संक्षिप्त वर्णन अभिलिखित कर पैकेट को मुद्राबन्द किया जाएगा।
5. इसके पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्ररूप 16–क में की गयी उन सभी घोषणाओं को, जो उसने सही पायी हैं, को पृथक पैकेट में रखेगा एवं मुद्राबंद किया जाएगा। इसके बाद ही रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लिफाफा–क (प्ररूप 16–ख) को खोलना प्रारम्भ किया जायेगा और जिस पर उपरोक्त मद संख्या–4 में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां अभिलिखित की जाएगी।
6. प्ररूप 16–ख (लिफाफा–क) में उन लिफाफों को, जिनके मामले में उपरोक्त मद संख्या–5 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है, को एक–एक करके खोला जाएगा और रिटर्निंग अधिकारी हर एक मतपत्र की संवीक्षा करेगा और उस पर अभिलिखित मत की विधिमान्यता का विनिश्चय करेगा।
7. उपरोक्त मद संख्या–6 के अन्तर्गत संवीक्षा में डाक मतपत्र को प्रतिपेक्षित (नामंजूर) कर दिया जाएगा–

    (क) यदि उस पर कोई चिह्न (मत को अभिलिखित करने के लिए चिह्न से भिन्न) या लेख है जिससे निर्वाचक की पहचान हो; या

    (ख) यदि उस पर कोई मत अभिलिखित नहीं है; या **मतपत्र के पीछे वाले हिस्से पर मत अभिलिखित किया गया है; या**

(ग) यदि उस पर मत एक से अधिक अभ्यर्थियों अथवा किसी एक अभ्यर्थी तथा 'नोटा' (इनमें से कोई नहीं) के पक्ष में दिए गए हैं;

(घ) यदि वह बनावटी मतपत्र है; या

(ङ) यदि वह ऐसे रूप में क्षत या विकृत है कि असली मतपत्र के रूप में उसकी अनन्यता स्थापित नहीं की जा सकती है; या

(च) यदि उसे उस लिफाफे में रखकर नही लौटाया गया है जो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचक को उसके साथ भेजा गया था।

(छ) यदि मत को उपदर्शित करने वाला चिन्ह मतपत्र पर ऐसी रीति से लगा है कि वह बात सन्देहपूर्ण हो जाती है कि मत किस अभ्यर्थी को दिया गया है।

उपरोक्त परिस्थितियों के अतिरिक्त अन्य किसी भी आधार पर डाक मतपत्र प्रतिक्षेपित नहीं किया जायेगा। रिटर्निंग अधिकारी ऐसे प्रतिक्षेपित किए गए डाक मतपत्र के संबंध में प्रतिक्षेपित किए जाने का स्पष्ट कारण अंकित करेगा। डाक मतपत्र के वैध या प्रतिक्षेपित होने के संबंध में रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

स्पष्टीकरण I – ऐसे डाक मतपत्र जो किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में स्पष्ट रूप से अभिलिखित हो उसे मात्र इस कारण नामंजूर नहीं किया जायेगा कि उस पर अभिलिखित करने वाला चिन्ह निर्धारित उपकरण से अन्यथा लगाया गया है। किसी भी अभ्यर्थी के लिये मतपत्र में निर्दिष्ट स्थान में, जिसे मतदाता अपना मत अभिलिखित करना चाहता है, बालपैन या स्याही से ''X'' (क्रॉस) अथवा ''✓'' (राईट टिक) का अंकन पर्याप्त होगा।

स्पष्टीकरण II – डाक मतपत्र पर अभिलिखित मत को केवल इस आधार पर कि मत को उपदर्शित करने वाला चिन्ह अस्पष्ट है या एक से अधिक बार लगाया गया है, प्रतिक्षेपित नहीं किया जाएगा यदि यह आशय कि मत किसी विशिष्ट अभ्यर्थी अथवा 'नोटा' (इनमें से कोई नहीं) के लिए है, मतपत्र चिह्नित किए जाने के ढंग से स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है।

8. बिन्दु 7 के अधीन किसी डाक मतपत्र को नामंजूर करने से पूर्व रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को, जो उपस्थित हो, डाक मतपत्र का निरीक्षण करने का युक्तियुक्त अवसर देगा किन्तु उसे किसी डाक मतपत्र को छूने नहीं देगा।

9. रिटर्निंग अधिकारी ऐसे प्रत्येक डाक मतपत्र पर, जिसको वह नामंजूर/प्रतिक्षेपित करे, उस पर **नामंजूर/प्रतिक्षेपित किया गया** शब्द का अंकन करेगा और नामंजूर/प्रतिक्षेपित करने का कारण संक्षिप्त रूप में स्वयं के हाथ से या रबड़ की मुहर से पृष्ठांकित करेगा।

10. रिटर्निंग अधिकारी उन सभी विधिमान्य मतों की, जो डाक मतपत्र द्वारा हर एक अभ्यर्थी अथवा 'नोटा' (इनमें से कोई नहीं) के पक्ष में दिए गए हैं, गणना करेगा। और इस प्रकार गणना करके उनके जोड़ को प्ररूप–21 परिणाम पत्र में अभिलिखित करेगा और उसे सुनाएगा।

11. तदुपरांत सभी विधिमान्य मतपत्रों और सभी प्रतिक्षेपित (नामंजूर) मतपत्रों के पृथक–पृथक बंडल बनाए जाएंगे और सभी विधिमान्य मतपत्रों और सभी प्रतिक्षेपित (नामंजूर) मतपत्रों को पृथक–पृथक पैकेट में रखा जाएगा, जिन्हें रिटर्निंग ऑफिसर की और ऐसे अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्त्ताओं या गणन अभिकर्तात्ताओं की, जो इस पर अपने हस्ताक्षर एवं मुद्राए अंकित करना चाहें, मुद्राओं से मुद्रांकित किया जाएगा। ऐसे मुद्राबंद पैकेटों पर नगरपालिका का नाम, वार्ड संख्या, गणना की तारीख और उनकी अन्तर्वस्तुओं का संक्षिप्त वर्णन अभिलिखित किया जाएगा।

भवदीय,
–ह0–
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

(58)

राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग

क्रमांकः एफ.4.(1)(2)न.पा. एवं पं./रानिआ/94/1063 जयपुर,दिनांकः 13.12.94

आदेश

सां.आ.11/94–यतः राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 22 के उप–नियम (2) में उपबन्धित है कि निक्षेप प्रतिदेय होगा सिवाय इसके कि वह किसी ऐसे अभ्यर्थी के मामले में समपहत हो जायेगा जो निर्वाचन में डाले गये कुल विधिमान्य मतों का कम से कम षाठांश प्राप्त करने में असफल रहता है;

यतः उपरोक्त नियम के प्रावधान के अनुसार कुल विधिमान्य मतों के षष्ठांश मतों की संख्या से कम मत प्राप्त करने यदि कोई अभ्यर्थी निर्वाचित होता है तो उसका निक्षेप भी समपहृत हो जाता है, जो कि नैतिक एवम् व्यवहारिक दृष्टि से उचित नहीं है;

यतः उपरोक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार सम्पन्न होने वाले चुनाव के समान ही चुनावों के लिये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 158 की उप–धारा (4) में उप–बंधित है कि यदि ऐसे निर्वाचन में, जिसमें मतदान हुआ है, अभ्यर्थी निर्वाचित नहीं होता और उसे प्राप्त विधिमान्य मतों की संख्या सब अभ्यर्थियों को प्राप्त विधिमान्य मतों की कुल संख्या के छठे भाग से, या निर्वाचन में एक से अधिक सदस्यों के निर्वाचन की दशा में उस संख्या के छठे भाग से, जो ऐसे पडे हुए विधिमान्य मतों की कुल संख्या को, निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या से, भाग देने पर आए, अधिक नहीं है, तो निक्षेप समपहृत हो जाएगा। इसी प्रकार के प्रावधान निरसित राजस्थान नगरपालिका निर्वाचन आदेश,1960 के क्लाज 10(3) में थे;

अतः उपरोक्त कठिनाई के निराकरण हेतु राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 97 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग इन नियमों के नियम 22 के उप–नियम (2) के प्रावधानों के रहते हुए एतद्द्वारा निदेश देता है कि कोई अभ्यर्थी, जिसके द्वारा या जिसकी ओर से उप–धारा (1) में निर्दिष्ट निक्षेप कराया गया है यदि निर्वाचित हो जाय भले ही वह डाले गये कुल विधिमान्य मतों का कम से कम षष्ठांश प्राप्त करने में असफल रहा हो, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा परिणाम घोषित कर देने के पश्चात अभ्यर्थी को या उस व्यक्ति को जिसने उसकी ओर से निक्षेप कराया है, जैसे भी स्थिति हो, लौटा दिया जोयगा।

– ह. –
(बी.बी.महान्ति)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in, ph. 0141.2227280ए 2227072

क्रमांकः एफ.4(1)(8)नपा/रानिआ/2009/4650 दिनांकः 04.11.2019

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(नगरपालिका)(कलक्टर), राजस्थान।

विषय :— नगरपालिका निर्वाचनों में मतदान स्थगन, मतदान मशीनों को बाधा या नुकसान, बूथ का बलात् ग्रहण आदि से संबंधित स्थगित मतदान को पूरा करने/नये सिरे से मतदान के मामलों में रिटर्निंग अधिकारी की रिपोर्ट से संबंध में।

संदर्भ :— आयोग का पत्र क्रमांक एफ.4(1)(13)नपा/रानिआ/94/3283 दिनांक 18.11.1999

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा नगरपालिका निर्वाचनों में मतदान स्थगन, मतदान मशीनों को बाधा या नुकसान, बूथ का बलात् ग्रहण आदि से संबंधित स्थगित मतदान को पूरा करने/नये सिरे से मतदान के मामलों में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा रिपोर्ट भिजवाने के संबंध में समुचित निदेश दिये गये थे। वर्तमान में नगरपालिका के चुनाव मतदान मशीन के द्वारा कराये जा रहे है अतः प्रासंगिक आदेश को अधिक्रमित करते हुए आयोग यह निदेश देता है कि :—

राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 53 में अंकित कारणों से जब मतदान केन्द्र पर मतदान कराया जाना सम्भव न हो तो पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र पर मतदान स्थगित कर देगा और रिटर्निंग अधिकारी को तुरन्त सूचित करेगा। रिटर्निंग अधिकारी इसकी रिपोर्ट, राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगा।

इसी प्रकार नियम, 55 के अन्तर्गत :—

(1) किसी मतदान केन्द्र पर उपयोग में लायी गयी कोई मतदान मशीन पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा से विधि विरूद्धतया निकाल ली जाती है या घटनावश या साशय विनष्ट हो जाती है, या खो जाती है या ऐसी सीमा तक नुकसान पहुँचाया जाता है या गड़बड़ कर दी जाती है कि उस मतदान केन्द्र पर मतदान का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता, या
(2) किसी मतदान मशीन में मत रिकार्ड करने या मतगणना करने के दौरान कोई यांत्रिक विफलता पैदा हो जाती है, या
(3) किसी मतदान केन्द्र पर प्रक्रिया संबंधी ऐसी कोई गलती या अनियमितता की जाती है जिससे यह सम्भाव्य है कि मतदान दूषित हो जाये, या
(4) किसी मतदान केन्द्र पर बूथ का बलात् ग्रहण ऐसी रीति से किया गया है जिससे ऐसे मतदान केन्द्र पर मतगणना का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता हो, तो रिटर्निंग अधिकारी को उस मामले में अपनी रिपोर्ट आयोग को तुरन्त भेजनी होगी।

नियम 62क के उप नियम (4) के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी का मतगणना के दौरान यदि यह समाधान हो जाता है कि किसी मतदान मशीन के साथ वास्तव में गड़बड़ी की गई है तो वह उस मतदान मशीन में अभिलिखित मतों की गणना नहीं करेगा और नियम 55 में बतायी गयी प्रक्रिया के अनुसार रिपोर्ट आयोग को भेजेगा।

उपरोक्त नियमों के नियम 53, 55, एवं 62क के अन्तर्गत रिपोर्ट भेजे जाने पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ऐसे निर्वाचन में मतगणना का कार्य रोक दिया जायेगा, चूँकि नगरपालिका चुनावों में वार्ड ही निर्वाचन क्षेत्र होता है जिसमें एक मतदान केन्द्र पर भी यदि पुनः मतदान हो तो उसके परिणाम का असर संबंधित वार्ड के परिणाम पर पड़ने की संभावना रहती है।

अतः उपर्युक्त परिस्थितियों में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए आयोग यह निदेश देना उचित समझता है कि नियम 53, 55 और 62ए के प्रावधानों के अन्तर्गत भेजी गयी रिपोर्ट के मामलों में रिटर्निंग अधिकारी तत्संबंधित वार्ड की मतगणना का शेष कार्य रोक दिया जाये और आगे की कार्यवाही आयोग से निदेश प्राप्त होने पर ही करे। रिटर्निंग अधिकारी को संबंधित नगरपालिका के समस्त मतदान केन्द्रों की ऐसी सभी मामलों की रिपोर्ट एक साथ भेजनी है।

मामलों में रिटर्निंग अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर आयोग द्वारा यथासंभव शीघ्रता से निर्णय करके आवश्यक निर्देश दिये जावेंगे। अतः आवश्यक है कि रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ऐसे मामलों में रिपोर्ट प्रेषित करते समय एक बारगी ही समस्त तथ्यों के साथ पूर्ण रिपोर्ट प्रेषित की जाए ताकि आयोग स्तर पर निर्णय में अनावश्यक विलम्ब ना हो।

आयोग द्वारा उपरोक्त नियमों के अधीन रिपोर्ट भिजवाने हेतु मॉडल फार्म तैयार कर दिये गये हैं, जो कि संलग्न कर भिजवाये जा रहे हैं इनकी जानकारी समस्त रिटर्निंग अधिकारियों एवं निर्वाचन कार्य से नियोजित अन्य अधिकारियों को प्रदान की जावे।

उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चित की जावे।

संलग्न :— यथा उपरोक्त।

आज्ञा से,
— ह0 —
(श्याम सिंह राजपुरोहित)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in , FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमाक : एफ 1(4)(1)न.पा./रानिआ/14/5164 दिनांक : 15.11.2019

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) (नगरपालिका) राजस्थान।

विषयः–नगरपालिका अध्यक्षीय पदों के निर्वाचन हेतु दिशा–निर्देश।
संदर्भः–स्थानीय निकाय विभाग, की अधिसूचना संख्या प.8(Ga)( ) Rules/ DLB/19/33841 दिनांक 16.10.2019

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित अधिसूचना द्वारा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 में कतिपय संशोधन किये गये हैं। संशोधन की इस अधिसूचना द्वारा दिनांक 31.01.2019 के कुछ प्रावधानों को प्रतिस्थापित किया गया है, जिनमें अध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित नियम–78 का संशोधन प्रमुख है। इसके अतिरिक्त नियम 79, 80 एवं 96 अनुसूची–VIII, प्ररूप 1A एवं 2A को भी संशोधित किया गया है। अध्यक्षीय पदो के चुनाव के लिए नाम निर्देशन पत्र हेतु प्ररूप 3A को भी प्रतिस्थापित किया गया है। अध्यक्ष के प्रत्यक्ष चुनाव हेतु विहित किए गए प्ररूप 9A, 10A, 14CC, 17A, 19A, 20A एवं 21A को विलोपित किया गया है। विभाग द्वारा जारी उक्त अधिसूचना दिनांक 16.10.2019 की प्रति संलग्न है।

उक्त अधिसूचना के द्वारा किए गए संशोधनों के अनुसार अध्यक्ष (Chairperson) के पद के निर्वाचन की तैयारी हेतु निम्नांकित बिन्दुओं को विचार में रखा जाना हैं:–

1. अध्यक्ष (Chairperson) पद के चुनाव के लिए नियम 10 से 23, 56, 71 से 75, 86, 87 एवं 88 के प्रावधान भी यथोचित रूप में नियम 78(6) के खण्ड (i) से (xv) में अंकित परिवर्तनों के साथ लागू रहेगें।
2. अध्यक्ष (Chairperson) पद का चुनाव नगरपालिका के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जायेगा।
3. अध्यक्ष (Chairperson) पद का चुनाव लडने के लिए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार नगरपालिका सदस्य के लिए निर्धारित योग्यता होना आवश्यक है एवं निर्योग्य नहीं होना चाहिए। कोई भी निर्वाचित सदस्य अध्यक्ष के रूप में चुने जाने एवं उसका पद धारण करने का पात्र होगा।
4. कोई व्यक्ति जो संसद या राज्य विधानसभा का सदस्य है या वह किसी पंचायती राज संस्था का अध्यक्ष या सदस्य है अध्यक्ष के रूप में चुने जाने या उसका पद धारण करने का पात्र नहीं होगा।
5. अध्यक्ष का पद जिस जाति एवं वर्ग (यथा अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछडा वर्ग/महिला/जाति, जनजाति या पिछडा वर्ग महिला) के लिए आरक्षित है, उसी जाति एवं वर्ग का अभ्यर्थी ही अध्यक्ष के रूप में चुने जाने या उसका पद धारण करने के योग्य होगा। इस हेतु अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र के साथ राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
6. नियम–9 के अनुसार अध्यक्षीय पदों के चुनाव के लिए भी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा रिटर्निंग अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी की सहायतार्थ आवश्यकतानुसार सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया जा सकेगा। नियम 78(6) के अनुसार नियम 86 के प्रावधान भी अध्यक्षीय पदों के निर्वाचन में यथाशक्य परिवर्तनों के साथ लागू रहेगें। नियम 86(2) के अन्तर्गत रिटर्निंग अधिकारी की सहायता के लिए निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए जाने का प्रावधान भी किया गया है।

7. अध्यक्ष (Chairperson) पद के लिए नाम निर्देशन पत्र प्ररूप 3A में भरा जा जायेगा। प्ररूप 3क का हिन्दी रूपान्तरण पत्र के साथ **संलग्नक–1** पर उपलब्ध है।

8. अध्यक्ष (Chairperson) पद के अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र किसी निर्वाचित सदस्य द्वारा प्रस्तावक के रूप में सम्यक रूप से हस्ताक्षरित होना आवश्यक है।

9. अध्यक्ष पद का चुनाव लडने वाले समस्त अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र के साथ–
   (i) आयोग के पत्रांक 4149 दिनांक 21.10.2019 के द्वारा विहित दोषसिद्धि एवं विचाराधीन आपराधिक मुकदमों संबंधी सूचना हेतु निर्धारित घोषणा पत्र,
   (ii) उक्त पत्रांक के द्वारा विहित संतानों की सूचना हेतु निर्धारित घोषणा पत्र,
   (iii) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा–21(g) के अन्तर्गत आयोग के पत्रांक 4537 दिनांक 01.11.2019 के द्वारा विहित घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय तथा खुले में शौच नहीं जाने के संबंध में निर्धारित घोषणा पत्र/अंडरटेकिंग,
   (iv) आयोग के पत्रांक 3795 दिनांक 04.10.2019 के अनुसार रूपये 50/– के नॉन न्यायिक स्टाम्प पेपर पर उपाबन्ध–I (शपथ पत्र) एवं
   (v) सांख्यिकी सूचना हेतु फॉर्म भरकर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

   किसी अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र के साथ उक्त दस्तावेजों को संलग्न नहीं किए जाने की स्थिति में उक्त उपबिन्दुओं में वर्णित आयोग के पत्रों में अंकित निर्देशों के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी द्वारा कमी की पूर्ति के लिए मीमो जारी किया जाएगा। निर्धारित समयावधि के पश्चात् भी अभ्यर्थी द्वारा कमी की पूर्ति नहीं की जाती है तो संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसका नाम निर्देशन अस्वीकार किया जा सकेगा।

10. उक्त नियम 78(6) के खण्ड (i) से (iii) के अनुसार नाम निर्देशन पत्र के साथ अमानत राशि निम्नानुसार निर्धारित की गई है। –
   (i) महापौर (Mayor)पद के निर्वाचन में सामान्य वर्ग के लिए रूपये 30,000/–एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला उम्मीदवार के लिए रूपये 15,000/–
   (ii) सभापति (President) पद निर्वाचन में सामान्य वर्ग के लिए रूपये 20,000/– एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला उम्मीदवार के लिए रूपये 10,000/–
   (iii) अध्यक्ष (Chairman)पद निर्वाचन में सामान्य वर्ग के लिए रूपये 10,000/– एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला उम्मीदवार के लिए रूपये 5,000/–

   अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र के साथ चुनाव लडने वाले पद एवं वर्ग के लिए निर्धारित राशि की रसीद प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

11. अध्यक्ष (Chairperson)पद के लिए निर्वाचन की लोकसूचना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्ररूप–1A में एवं रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्ररूप–2A में घोषित कार्यक्रम के अनुसार जारी की जाएगी। उक्त लोकसूचनाओं में अध्यक्ष (Chairperson)पद के निर्वाचन का विवरण यथा नाम निर्देश पत्र प्रस्तुत करने हेतु अवधि, संवीक्षा तथा नाम वापसी की तिथि एवं समय, मतदान की तिथि एवं समय आदि का अंकन होगा। विहित प्ररूप में लोकसूचना जारी कर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नगरपालिका कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी। प्ररूप 2क की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–2)**

12. उक्त नियम 78(6) के खण्ड (v) से (viii) एवं (x) में अध्यक्षीय पदों के लिए नामाकंन प्रस्तुत करने, उनकी संवीक्षा करने, नाम वापसी, चुनाव चिन्ह आवंटन एवं मतदान तिथि/अवधि निर्धारित की गई है। अध्यक्षीय पदों संबंधी उक्त सभी प्रक्रियाएं आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के समय इस हेतु निर्धारित किए गए तिथिवार कार्यक्रम के अनुसार सपन्न की जानी है।

13. अध्यक्ष (Chairperson)पद के चुनाव के लिए नियम 20 के प्रावधानों को यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू किए जाने से इनके चुनाव भी सदस्यों की भांति दलीय आधार पर होगें। इस संबंध में आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटन हेतु जारी अधिसूचना क्रमांक 2979 दिनांक 20.08.19 एवं इस अधिसूचना में संशोधन हेतु जारी आदेश क्रमांक 3880 दिनांक 07.10.19 के अनुसार कार्यवाही की जाए।

14. नियम 78(6)(IX) के उपबंधों के अनुसार मतपत्र का प्ररूप आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा एवं मतपत्र पर विशिष्टियां हिन्दी में देवनागरी लिपि में होगी। इस संबंध में मतदान हेतु मतपत्र का प्ररूप आयोग के आदेश क्रमांक 4189 दिनांक 21.10.2019 (सां. आ. 123/2019) के द्वारा विहित किया जाकर प्रति आपको प्रेषित की जा चुकी है। मतपत्र का प्रारूप **संलनग्क–3** पर उपलब्ध है।

15. उक्त नियम 78(6) के खण्ड (xi) के अन्तर्गत नाम वापसी के लिए निर्धारित समय की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् निर्वाचन अधिकारी द्वारा नगरपालिका के नोटिस बोर्ड पर निर्वाचित सदस्यों की बैठक हेतु नोटिस चस्पा किया जाएगा, जिसमें मतदान के समय एवं मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात् मतगणना होने संबंधी आशय का अंकन भी किया जाएगा। बैठक हेतु नोटिस का प्रारूप आयोग के पत्र क्रमांक 4930 दिनांक 11.11.2019 के द्वारा निर्धारित किया गया है। नोटिस का प्रारूप **संलनग्क–4** पर उपलब्ध है।

16. मतदान निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही किया जाना है, किन्तु चुनाव लडने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी मतदान एवं मतगणना की प्रक्रिया देखने के लिए उपस्थित रह सकता है, चाहे वह निर्वाचित सदस्य हो या नहीं।

17. मतदान निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही किया जाएगा अतः मतदान हेतु निर्वाचित सदस्यों की सूची तैयार कर ली जाए। मतदान के समय संबंधित निर्वाचित सदस्यों को मतपत्र जारी करते समय सूची में उस सदस्य के नाम पर सही का निशान लगा दिया जाए।

18. नियम 78(6) के खण्ड (xii) के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी, आवश्यक होने पर मतदान के समय को बढा सकेगा एवं सभी निर्वाचित सदस्यों द्वारा मतदान कर दिए जाने की दशा में मतदान को निर्धारित समय से पहले समाप्त कर सकेगा।

19. निर्वाचित अध्यक्ष (Chairperson)जिला कलक्टर अथवा उसके द्वारा नामित अधिकारी के समक्ष नियम 69 में विहित प्ररूप में शपथ लेने के पश्चात् ही अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण कर सकेगा।

20. स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.10.2019 के द्वारा अनुसूची VIII में संशोधन किया जाने से इसे उपाध्यक्षीय पदों के साथ–साथ अध्यक्षीय पदों के लिए भी उपयोग में लिया जाना है। अनुसूची VIII के बिन्दु संख्या–10 में अंकित तालिका में चुनाव लडने वाले एवं निर्वाचित अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का नाम लिखा जाना हैं। चूंकि अध्यक्षीय पदों के चुनाव अब दलीय आधार पर होगें, किन्तु अनुसूची VIII में दल का नाम अंकित किए जाने हेतु कोई स्थान निर्धारित नहीं है। अतः इस संबंध में आयोग द्वारा निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि अध्यक्षीय पदों के निर्वाचन में अनुसूची VIII तैयार करते समय अनुसूची VIII के बिन्दु संख्या–10 में अंकित तालिका के कॉलम संख्या–2 एवं 4 में उम्मीदवार के नाम के साथ उसकी दलीय सम्बद्वता भी अंकित की जाए। संशोधित अनुसूची VIII की नमूना प्रति पत्र के साथ **संलग्नक–5** पर उपलब्ध है।

21. स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 31.01.2019 के द्वारा निर्वाचन नियमों में किए गए संशोधनों में अध्यक्ष पदों के परिणाम की घोषणा के लिए प्ररूप 22क-1, एवं निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति में प्ररूप 22कक विहित किया गया है।

22. नियम 78(6) के अनुसार नियम 87 के प्रावधान भी अध्यक्षीय पदों के निर्वाचन में यथाशक्य परिवर्तनों के साथ लागू रहेगें। नियम 87(4) के अनुसार यदि मतों की गणना पूरी हो जाने के पश्चात् किन्हीं भी अभ्यर्थियों के मध्य मतों की कोई समानता हो और एक मत के जुडने से उन अभ्यर्थियों में से कोई भी निर्वाचित किए जाने का हकदार हो जाएगा तो रिटर्निंग अधिकारी उन अभ्यर्थियों के मध्य तुरन्त लाट द्वारा विनिश्चिय करेगा और ऐसे कार्यवाही करेगा मानो उस अभ्यर्थी ने, जिसके लिए लाट डाला गया है, अतिरिक्त मत प्राप्त किया था। किन्हीं अभ्यर्थियों को समान मत प्राप्त होने की स्थिति में उपरोक्तानुसार नियम 87(4) के अन्तर्गत विहित रीति की पालना की जाए।

23. नियम 78(6) के अनुसार नियम 72 के प्रावधान भी अध्यक्षीय पदों के निर्वाचन में यथाशक्य परिवर्तनों के साथ लागू रहेगें। नियम 72 के अन्तर्गत निर्वाचित उम्मीदवारों के नाम राजपत्र में प्रकाशित कराने हेतु रिटर्निंग अधिकारी आयोग द्वारा निर्देशों के अधीन निर्वाचित अभ्यर्थी की सूचना आयोग को भेजी जायेगी। अतः अध्यक्ष पद पर निर्वाचित अभ्यर्थी के नाम राजपत्र में प्रकाशित कराने हेतु प्ररूप प्ररूप 22A-1 अथवा प्ररूप 22कक तैयार कर आयोग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

24. नियम 78(6) के अनुसार नियम 71 के प्रावधान भी अध्यक्षीय पदों के निर्वाचन में यथाशक्य परिवर्तनों के साथ लागू रहेगें। नियम 71 के अनुसार निर्वाचित अभ्यर्थी को निर्वाचन का प्रमाण पत्र दिए जाने संबंधी प्रावधान है। अध्यक्ष पद पर निर्वाचित अभ्यर्थी को निर्वाचन का प्रमाण पत्र प्ररूप 23A में जारी किया जाएगा। प्ररूप 23A की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–6)**

25. नियम 78(6) के अनुसार नियम 74 के प्रावधान भी अध्यक्षीय पदों के निर्वाचन में यथाशक्य परिवर्तनों के साथ लागू होगें। **उक्त नियम 74 में निर्वाचन कागज–पत्रों का प्रस्तुतिकरण एवं निरीक्षण के प्रावधान दिए गए हैं।** उक्त नियम 74 के प्रावधानों के अनुसरण में आयोग के आदेश क्रमांक 3148 दि. 06.01.99 (सांविधिक आदेश 28/99) के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त निर्देश अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए भी यथा आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होगें।

26. नियम 78(6) के अनुसार नियम 75 के प्रावधान भी अध्यक्षीय पदों के निर्वाचन में यथाशक्य परिवर्तनों के साथ लागू होगें। उक्त नियम 75 में निर्वाचन कागज–पत्रों के व्ययन के प्रावधान दिए गए हैं। इन प्रावधानों के अनुसरण में आयोग के आदेश क्रमांक 1442 दि. 08.05.96 (सांविधिक आदेश 20/95) के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त निर्देश अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए भी यथा आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होगें।

27. अध्यक्षीय पदों के निर्वाचन हेतु उपयोग में लिए जाने वाले प्ररूप/फॉर्म इत्यादि आपको आयोग द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाएगें। ऐसे प्ररूप/फॉर्म इत्यादि की आवश्यकतानुसार टंकित/फोटो प्रति उपयोग में ली जाए।

28. आयोग के उक्त निर्देशों एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों में किसी प्रकार की विसंगति पाई जाती है तो नियमों में विद्यमान उपबंधों को ही अंतिम माना जाए।

संलग्न : उपरोक्तानुसार संलग्नक (कुल–6)

आज्ञा से,
– ह0 –
(श्याम सिंह राजपुरोहित)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

संलग्नक–

प्ररूप – 3 क

(नियम – 78 देखिये)

नाम निर्देशन–पत्र

.... *नगरपालिक निगम/परिषद/बोर्ड के अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन

भाग–I

1. **मैं, निर्वाचित सदस्य, ... नगरपालिक *निगम/परिषद/बोर्ड के अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन के लिए .... को अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट करता हूँ।**
2. **अभ्यर्थी का नाम ....**
3. **पिता/माता/पति का नाम ....**
   लिंग .... आयु ....
4. **डाक का पता ....**
   ...
5. **इनका नाम, नगरपालिका के वार्ड संख्या .... की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या .... में क्रम संख्या .... पर प्रविष्ट है।**
6. **मेरा नाम .... है, और मैं नगरपालिका के वार्ड संख्या .... से निर्वाचित सदस्य हूँ।**

तारीख ....../......./...................

(प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

भाग–II

1. **मैं, ऊपर नामित अभ्यर्थी इस नाम निर्देशन को सहमति प्रदान करता हूँ और इसके द्वारा घोषणा करता हूँः–**
   (क) कि मैंने .... वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है।
   (ख) कि मुझे इस निर्वाचन में .... दल द्वारा खड़ा किया गया है;
   या
   (ग) कि जो प्रतीक मैंने चुने हैं वे ये हैंः–
   (i) ....
   (ii) ....
   (iii) ....
   (घ) कि मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर हिन्दी में देवनागरी लिपि में सही वर्तनी में लिखा गया है और मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरा नाम इसी रूप में मतपत्र पर प्रविष्ट कर दिया जाये।
   (ड) कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं, नगरपालिका के लिए निर्वाचित होने के लिए अर्ह हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।
2. **मैं, यह और घोषणा करता हूँ कि मैं .... जाति/जनजाति/वर्ग का सदस्य हूँ, जो राजस्थान राज्य में एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग है। मैं इसके साथ ....द्वारा ..../........./..................... को जारी किये गये जाति/जनजाति/वर्ग प्रमाण–पत्र की अधिप्रमाणित प्रति संलग्न कर रहा हूँ।**
3. **मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं संसद का सदस्य या राज्य विधानसभा का सदस्य या किसी पंचायती राज संस्था का सदस्य या अध्यक्ष नहीं हूँ।**

तारीख ....../......./...................

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

भाग–III

(रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भरा जाये)

1. नाम–निर्देशन पत्र का क्रम संख्यांक .... है।
2. यह नाम–निर्देशन मुझे मेरे कार्यालय पर .... बजे .... (तारीख) को *अभ्यर्थी / प्रस्थापक द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख ....../......./....................

(रिटर्निंग अधिकारी)

भाग–IV

(रिटर्निंग अधिकारी का विनिश्चय)

मैंने इस नाम–निर्देशन पत्र परीक्षण कर लिया है और निम्नलिखित रूप से विनिश्चय करता हूँ।

....
..

....
.

तारीख ....../......./....................

(रिटर्निंग अधिकारी)

भाग–V

(रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भरा जाये और नाम–निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को दिया जाये)

1. नाम–निर्देशन पत्र की क्रम संख्यांक ....
2. यह नाम–निर्देशन मुझे मेरे कार्यालय पर ....(तारीख) को .... बजे *अभ्यर्थी / प्रस्थापक द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख ....../......./....................

(रिटर्निंग अधिकारी)

---

* जो लागू नहीं हो उसे काट दीजिए।

संलग्नक–

प्ररूप 2क

(नियम 78 देखिए)

निर्वाचन की लोक सूचना

.... *नगरपालिक बोर्ड/नगर परिषद/नगर निगम के अध्यक्ष के पद के लिए निर्वाचन

इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि –

(1) .... *नगरपालिक बोर्ड/नगर परिषद/नगर निगम के अध्यक्ष के पद को भरने के लिए निर्वाचन कराया जाना है।

(2) उपर्युक्त पद *सामान्य है या .... (प्रवर्ग का उल्लेख करें) के लिए आरक्षित है।

(3) रिटर्निंग अधिकारी को या .... सहायक रिटर्निंग अधिकारी को .... (स्थान) पर .... से अपश्चात् किसी भी दिन प्रातः 10:30 बजे और सायं 03:00 बजे के बीच अभ्यर्थी या उसके प्रस्थापक द्वारा परिदत्त किये जा सकेंगे।

(4) नामनिर्देशन–पत्र के प्ररूप उपर्युक्त स्थान और समय पर अभिप्राप्त किये जा सकेंगे।

(5) नामनिर्देशन–पत्र संवीक्षा के लिए मेरे कार्यालय में ..../.........../............. को .... बजे लिये जायेंगे।

(6) अभ्यर्थिता को वापिस लेने की सूचना, किसी अभ्यर्थी द्वारा, या जहां अभ्यर्थी जेल में या पुलिस अभिरक्षा में हो वहां इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा मेरे कार्यालय में तारीख ..../......../........ को कार्यालय समय के दौरान 3:00 बजे सायं से पूर्व व्यक्तिशः परिदत्त की जा सकेगी।

(7) निर्वाचन लड़े जाने की दशा में, मतदान ..../......../........ को .... और .... (समय) के बीच में नगरपालिका में आयोजित की जाने वाली निर्वाचित सदस्यों की बैठक में किया जायेगा।

स्थान

तारीख ..../......../........ **रिटर्निंग अधिकारी**

जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दीजिए।

संलग्नक–

प्ररूप 23क

(नियम 78 देखिए)

निर्वाचन का प्रमाण–पत्र

नगरपालिका .... के अध्यक्ष के पद के लिए निर्वाचन

मैं, नगरपालिका .... के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अधिकारी, इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैंने 20.......... (वर्ष) के .... (मास) के .... वें दिन .... (मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल का नाम) द्वारा समर्थित श्री/श्रीमती .... को उक्त नगरपालिका के अध्यक्ष के पद के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित किया है और कि उसके प्रमाण स्वरूप मैंने यह निर्वाचन प्रमाण–पत्र उसे मंजूर किया है।

तारीख ..../......./.......
स्थान

रिटर्निंग अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर

संलग्नक–

मतपत्र का नमूना
(मतपत्र एक स्तम्भ में मुद्रित होने की स्थिति में)

मनोज कुमार	
No. ………..	अध्यक्ष / झालरापाटन / सा.नि. / 19
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	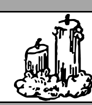
मनोज कुमार	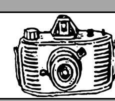
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	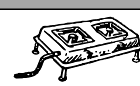
नोटा (इनमें से कोई नहीं)	

मतपत्र का नमूना
(मतपत्र दो स्तम्भ में मुद्रित होने की स्थिति में)

मनोज कुमार		मनोज कुमार	
No. ………..	अध्यक्ष / झालरापाटन / सा.नि. / 19		
मनोज कुमार		मनोज कुमार	
मनोज कुमार		मनोज कुमार	
मनोज कुमार		मनोज कुमार	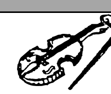
मनोज कुमार		मनोज कुमार	
मनोज कुमार		मनोज कुमार	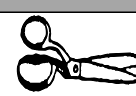
मनोज कुमार		नोटा (इनमें से कोई नहीं)	
मनोज कुमार	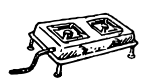		

संलग्नक–

अनुसूची–8
(नियम–88 देखिए)

....*नगरपालिका बोर्ड / नगर परिषद / नगर निगम के अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / सभापति / उप–सभापति / महापौर / उप–महापौर के लिए निर्वाचन / उपनिर्वाचन की कार्यवाही

1. निर्वाचन की तारीख ....
2. निर्वाचन का स्थान ....
3. मतदान का समय ....
4. रिटर्निंग अधिकारी का नाम ....
5. पद धारित करने वाले कुल सदस्य ....
6. बैठक में उपस्थित कुल सदस्य ....
7. बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम (सूची संलग्न) ....
8. नियुक्त किए गए मतदान अधिकारियों की कुल संख्या ....
9. गणना
   (क) गणना के लिए प्रारंभ समय ....
   (ख) परिणाम की घोषणा के लिए समय ....
10. परिणाम

क. सं.	अभ्यर्थियों के नाम (मय दलीय संबंद्वता)	डाले गए मत	निर्वाचित घोषित किए गए अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / सभापति / उप–सभापति / महापौर / उप–महापौरका नाम(मय दलीय संबंद्वता, अध्यक्षीय पदों के मामले में)
1.			
2.			
3.			
....	एवं इत्यादि		
नोटा (इनमें से कोई नहीं)			

डाले गए कुल विधिमान्य मत ....
डाले गए कुल अविधिमान्य मत ....
डाले गए कुल मत ....

रिटर्निंग अधिकारी

सदस्यों के हस्ताक्षर

1.
2.
3.
4.
5.
....

* यदि अनुपयुक्त हो तो काट दीजिए।

संलग्नक–

नगरपालिका अध्यक्ष (Chairperson)के चुनाव के लिए सदस्यों की बैठक का नोटिस

[नियम 78(6)(xi)]

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता हैः–

1. नगरपालिका बोर्ड / नगर परिषद / नगर निगम* ....के .... (अध्यक्ष / सभापति / महापौर)* के लिए निर्वाचन कराया जाना है।
2. उक्त चुनाव के लिए निर्वाचित सदस्यों की बैठक दिनांक .... को नगरपालिका बोर्ड / नगर परिषद / नगर निगम* कार्यालय में आयोजित की जायेगी।
3. मतदान प्रातः 10.00 बजे से मध्याह्न पश्चात् 2.00 बजे तक होगा।
4. मतगणना मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात होगी।
5. प्रत्येक निर्वाचन लडने वाला अभ्यर्थी चाहे वह निर्वाचित सदस्य हो या नहीं, बैठक में उपस्थित होकर मतदान प्रक्रिया और मतगणना देखने का हकदार होगा। तथापि केवल निर्वाचित सदस्य ही निर्वाचन में मतदान कर सकेंगे।

स्थानः

तारीखः

(61)

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in Ph./ FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमाक : एफ 1(4)(1)न.पा. / रानिआ / 2019 / 5360 दिनांक : 22.11.2019

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)
(न.पा.), अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर, बारां,
भरतपुर, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, हनुमानगढ़, जैसलमेर,
जालौर, झुंझुनू, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, राजसमंद,
सीकर, श्रीगंगानगर, सिरोही, टोंक एवं उदयपुर।

विषय : नगरपालिका अध्यक्षीय पदों के निर्वाचन हेतु दिशा–निर्देश।
संदर्भ : आयोग का पत्रांक 5164 दिनांक 15.11.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आयोग के उक्त प्रासंगिक पत्र द्वारा नगरीय निकायों के अध्यक्ष पद के निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। इस क्रम में आयोग निम्नांकित अतिरिक्त दिशा–निर्देश जारी करता है : –

1. अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मतपत्र गुलाबी रंग के कागज पर मुद्रित किये जाएगे इस हेतु गुलाबी रंग का कागज राजकीय मुद्रणालय से प्राप्त कर लेवे।
2. नगरीय निकायों में जहाँ वार्ड 50 से कम हो वहाँ वार्डो की संख्या से 5 अधिक व जहाँ वार्डों की संख्या 50 से अधिक हो वहाँ वार्डों की संख्या से 10 अधिक मतपत्र मुद्रित करवाये जावेगें।
3. स्थानीय निकाय विभाग की अधिसूचना संख्या प.8(Ga)( )Rules / DLB / 19 / 33841 दिनांक 16.10.2019 के द्वारा राजस्थान नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 78(6) के अनुसार इन नियमों के नियम 86 के प्रावधान नियम 78(6) के वर्णित संशोधनों के साथ नगरीय निकाय के अध्यक्ष के निर्वाचन में भी लागू होंगे। अतः नियम 83(3) में अंकित प्रावधान के अनुसार अध्यक्षीय पद के निर्वाचन के मतपत्र रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर और मोहर द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित किये जायेगें।

आपसे अनुरोध है कि सभी संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों को इन दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करें।

– ह0 –
(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक : एफ 1(4)(1)/नपा/रानिआ/14/1381 दिनांक : 04.02.2026

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर), राजस्थान।

विषय :– नगरपालिका निर्वाचन – अध्यक्ष पद पर निर्वाचन की बैठक के संबंध में।
संदर्भः– स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 33841/16.10.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित अधिसूचना द्वारा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 78 में संशोधन किया गया है। नियम 78 अध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित है। नियम 78 (6) (Xi) में नोटिस का प्रावधान निम्नानुसार दिया गया हैः–

Rule 78(6)(Xi) the returning Officer shall affix notice of meeting of elected members on the notice board of the municipality immediately after the expiry of time fixed for withdrawl of candidature stating therein,-

(a) 10.00 AM to 02.00 PM as the hours of Poll;

(b) counting of votes shall be made immediately after completion of poll; and

(c) every contesting candidate, whether he is elected member or not, is entitled to attend the meeting to watch the proceedings of poll and counting of votes. However only elected member is entitled to cast his vote in the meeting.

अध्यक्ष के चुनाव हेतु निर्वाचित सदस्यों की बैठक के लिए नोटिस के प्ररूप में समरूपता रहे इस हेतु संशोधित नियम 78 के लिए आयोग द्वारा प्ररूप तैयार कर पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाया जा रहा है।

यह आदेश आयोग के पूर्व आदेश क्रमांक 4930 दिनांक 11.11.2019 को अधिक्रमित करते हुए जारी किया जाता है। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
ह0
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः प.1(2)(1)नपा–पंचा / सां.आ. / रानिआ / 14 / 1364 दिनांक :04.02.2026

आदेश

सां. आ. 154 / 2026 – राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2019 के नियम 78(6) के खण्ड (IX) में अध्यक्षीय पदों के निर्वाचन हेतु मतपत्र के संबंध में यह प्रावधान है कि मतपत्र ऐसे प्ररूप में होगा जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किया जाए। उक्त नियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 4189 दिनांक 21.10.2019 (सां. आ. 123 / 2019) को अधिक्रमित करते हुए अध्यक्षीय पदों के निर्वाचन हेतु मतपत्र का प्ररूप निम्नांकित रूप से विहित करता है :–

1. मतपत्र की चौडाई 4 इंच होगी।

2. मतपत्र के ऊपरी भाग पर 4 MM मोटाई की छायादार (Shaded) लाईन अंकित होगी।

3. इसके पश्चात् निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) के लिए पैनल बनाए जाएगें। प्रत्येक पैनल की ऊंचाई 25 MM होगी।

4. प्रथम एवं द्वितीय पैनल को 10 MM एवं अन्य सभी पैनलों को 4 MM मोटी छायादार (Shaded) लाईन से पृथक किया जाएगा।

5. मतपत्र के प्रथम एवं द्वितीय पैनल के मध्य 10 MM की लाईन को बीच से ऊर्ध्वाधर (Vertical) रेखा से विभाजित किया जाएगा, अर्थात् 2 इंच की चौडाई के दो भाग बनाए जाएगें। बांई ओर वाले भाग में मतपत्र क्रमांक अंकित किया जाएगा। दांई ओर वाले भाग को 5 MM की क्षैतिज (Horizontal) रेखा से विभाजित कर 5 MM के दो भाग बनाए जाएगें। ऊपरी भाग में निर्वाचन की विशिष्टियां यथा अध्यक्ष, नगरपालिका का नाम, साधारण निर्वाचन या उप–निर्वाचन और वर्ष अंकित की जाएगी। (उदाहरण के लिए – ''अध्यक्ष / झालरापाटन / सा.नि. / 26'') नीचे वाले भाग को छायादार (Shaded) रखा जाएगा।

6. अभ्यर्थी का नाम पैनल में बांई ओर तथा उसका प्रतीक दाहिनी ओर अंकित होगा। इसी प्रकार अंतिम अभ्यर्थी के नीचे नोटा (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प बांई ओर तथा उसके लिए निर्धारित प्रतीक दांई ओर होगा।

7. अभ्यर्थी एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) के सम्मुख उनके लिए निर्धारित प्रतीक का आकार 35 X 20 MM (चौडाई X ऊंचाई) से अधिक नहीं होगा।

8. अभ्यर्थियों के नाम उसी रीति से दर्शित किये जायेंगे और उसी क्रम में व्यवस्थित किये जायेंगे, जिसमें वे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में आये हैं।

9. मतपत्र पर विशिष्टियॉ हिन्दी में देवनागरी लिपि में होंगी।

10. जहॉ किसी निर्वाचन में निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प सहित 9 से अधिक हो जाए वहां मतपत्र दो स्तम्भों में, 18 से अधिक होने पर तीन स्तम्भों में होगा एवं आगे भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मतपत्र का प्रत्येक स्तम्भ 4 इंच का होगा।

11. मतपत्र के दो अथवा दो से अधिक स्तम्भों में होने की स्थिति में दो स्तम्भों के मध्य 10 MM मोटाई की छायादार (Shaded) ऊर्ध्वाधर (Vertical) लाईन अंकित होगी। निर्वाचन की विशिष्टियां पहले स्तम्भ में ही अंकित की जानी है।

12. निर्वाचन लडने वाले उम्मीदवारों के नाम हिन्दी वर्णानुक्रम में निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार एक दूसरे के नीचे यथास्थिति प्रथम स्तम्भ, दूसरे, तीसरे आदि स्तम्भों में अंकित किए जाएगें। अंतिम अभ्यर्थी के बाद नोटा (इनमें से कोई नहीं) अंकित किया जाएगा।

13. नोटा (इनमें से कोई नहीं) सहित जहां निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों की संख्या विषम में हो वहां मतपत्र के दाहिने/अंतिम स्तम्भ का अंतिम पैनल पूर्णतया छायादार (Shaded) होगा।

14. मतपत्र एक एवं दो स्तम्भ में मुद्रित होने की स्थिति में नमूना मतपत्र क्रमशः परिशिष्ट–1 एवं परिशिष्ट–2 पर उपलब्ध है।

भवदीय,
ह0
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

मतपत्र का नमूना
(मतपत्र एक स्तम्भ में मुद्रित होने की स्थिति में)

विपिन कुमार	
No. ………..	अध्यक्ष / झालरापाटन / सा.नि. / 26
विपिन कुमार	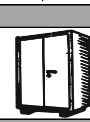
विपिन कुमार	
विपिन कुमार	
विपिन कुमार	
विपिन कुमार	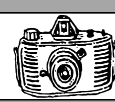
विपिन कुमार	
विपिन कुमार	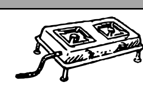
नोटा (इनमें से कोई नहीं)	

मतपत्र का नमूना
(मतपत्र दो स्तम्भ में मुद्रित होने की स्थिति में)

विपिन कुमार		विपिन कुमार	
No. ………..	अध्यक्ष / झालरापाटन / सा.नि. / 26		
विपिन कुमार		विपिन कुमार	
विपिन कुमार		विपिन कुमार	
विपिन कुमार		विपिन कुमार	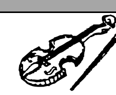
विपिन कुमार		विपिन कुमार	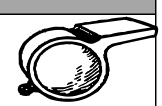
विपिन कुमार	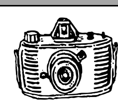	विपिन कुमार	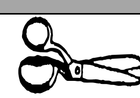
विपिन कुमार		नोटा (इनमें से कोई नहीं)	

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक एफ. 1(4)(1)नपा / रानिआ / 14 / 1357 दिनांकः 04.02.2026

आदेश

राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर द्वारा अधिसूचना संख्या एफ 8(जी.ए)( ) Rules / DLB / 19 दिनांक 31.01.2019 के द्वारा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 में संशोधन करते हुए राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) (संशोधन) नियम, 2019 जारी उपाध्यक्षीय पदों के निर्वाचन हेतु नवीन अध्याय–V जोडा गया है।

राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) (संशोधन) नियम, 2019 में उक्त अध्याय के नियम 86(3) में यह अंकित किया गया है कि उपाध्यक्षीय पदों के निर्वाचन हेतु मतपत्र का प्रारूप अनुसूची–IV के अनुसार होगा, परन्तु मतपत्र के साईज एवं अभ्यर्थियों के पैनल हेतु स्थान के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। अतः राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 97 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग उपाध्यक्षीय पदों के निर्वाचन हेतु मतपत्र का प्रारूप के संबंध में निम्नांकित दिशा–निर्देश जारी करता हैः–

1. मतपत्र की चौड़ाई 4'' होगी।
2. मतपत्र में अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार अंतिम अभ्यर्थी के नाम के बाद में 'नोटा' (इनमें से कोई नहीं) हेतु विकल्प उपलब्ध रहेगा।
3. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम एवं नोटा हेतु विकल्प मतपत्र में बांई ओर एक पैनल में प्रदर्शित होंगे।
4. मतपत्र में अभ्यर्थियों एवं नोटा हेतु विकल्प के लिए आवंटित स्थान (पैनल) की ऊचांई 2 CM होगी।
5. अभ्यर्थियों के पैनल एक दूसरे से 5 MM मोटी छायादार (Shaded) लाईन से पृथक किए जाएगें।

यह आदेश आयोग के पूर्व आदेश क्रमांक 3173 दिनांक 29.08.2019 को अधिक्रमित करते हुए जारी किया जाता है। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

भवदीय,
ह0
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

परिशिष्ट–1

अनुसूची–4
(नियम–86 (3) देखिए)
मत–पत्र

....* नगरपालिका बोर्ड / नगर परिषद / नगर निगम के
उपाध्यक्ष (Vice-Chairperson) के पद के लिये निर्वाचन

रिटर्निंग अधिकारी के
हस्ताक्षर एवं मुद्रा

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	मत चिन्ह
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

.... एवं इत्यादि

इनमें से कोई नहीं (NOTA)

---

* यदि अनुपयुक्त हो तो काट दीजिये।

(65)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in , FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमाक : एफ 1(4)(1)न.पा. / रा.नि.आ. / 14 / 4146 दिनांक : 21.10.2019

समस्त जिला (कलक्टर)
राजस्थान।

विषयः– नगरपालिका निर्वाचन में निर्वाचित हुये अध्यक्ष एवं सदस्य की शपथ के संबंध में।
प्रसंगः– आयोग का पत्रांक 3438 दिनांक 17.09.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के माध्यम से राजस्थान नगरपालिका निर्वाचनों में निर्वाचित हुए अध्यक्ष एवं सदस्य की शपथ के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये थे। किन्तु स्वायत्त शासन विभाग ने अधिसूचना संख्या एफ 8(जी.ए)( ) Rules / DLB / 19 / 33841 दिनांक 16.10.2019 द्वारा अध्यक्ष पद का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से करवाये जाने का प्रावधान लागू हो गया है अतः उक्त प्रासंगिक आदेश को अधिक्रमित करते हुए अध्यक्ष एवं सदस्य की शपथ के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैं :–

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 37 सपठित नगरपालिका (निर्वाचन) नियम 69 में यह प्रावधान है कि नगरपालिका का कोई भी निर्वाचित अध्यक्ष एवं सदस्य अपने कर्त्तव्यारूढ होने (entering upon his duties) के पूर्व कलक्टर या उसके नामनिर्देशिती (Collector or his nominee) के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2019 द्वारा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 69 में विहित शपथ के प्ररूप को संशोधित किया गया है। इन प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि अध्यक्ष (Chairperson) के कर्त्तव्यारूढ़ होने एवं सदस्यों के अध्यक्ष (Chairperson) के चुनाव में भाग लेने के लिए विहित शपथ ग्रहण किया जाना आवश्यक है।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के बाद राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 11 के अन्तर्गत लोक सूचना (Public Notice) जारी करने से लेकर नियम 68 में परिणाम की घोषणा तक की निर्वाचन की कार्यवाही का संचालन रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। अध्यक्ष के चुनाव से पूर्व सभी सदस्यों को नियम 69 में विहित प्ररूप में शपथ दिलाया जाना आवश्यक है।

उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आयोग जिला कलक्टर (District Collectors) से अपेक्षा करता है कि नगरपालिका के रिटर्निंग अधिकारी / सहायक रिटर्निंग अधिकारी को अध्यक्ष एवं सदस्यों को शपथ या प्रतिज्ञान दिलाने के लिए नियम 69 के अन्तर्गत नामनिर्देशित (nominate) किया जाये।

आज्ञा से,
–ह0–
(श्याम सिंह राजपुरोहित)
सचिव

नगरपालिका के निर्वाचित अध्यक्ष एवं सदस्य द्वारा नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 नियम 69 के अन्तर्गत ली जाने वाली शपथ का प्ररूप

''मैं .... सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं (या प्रतिज्ञान करता हूं) कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं पद के कर्तव्यों का, जिसे मैं ग्रहण करने वाला हूं, सत्यनिष्ठा से निर्वहण करूंगा,

मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्ध रहूंगा और इसके लिए समय समर्पित करूंगा,

मैं प्रति वर्ष 100 घण्टे अर्थात् दो घण्टे प्रति सप्ताह, स्वच्छता के लिए स्वेच्छा कार्य करूंगा,

मैं न तो खुद कूड़ा–करकट से गंदा करूंगा न दूसरों को कूड़ा–करकट से गंदा करने दूंगा। मैं स्वच्छता के लिए जांच की शुरूआत स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे परिक्षेत्र से, मेरे गांव से और मेरे कार्यस्थल से करूंगा,

मेरा विश्वास है कि दुनिया के देशों में जहां स्वच्छता दिखायी देती है इसका कारण यह है कि उनके नागरिक कूड़ा–करकट से गंदा करने में लिप्त नहीं रहते और न ही वो ऐसा होने देते हैं,

इस दृढ़ विश्वास के साथ, मैं स्वच्छ भारत मिशन के सन्देश का प्रचार गांवों और कस्बों में करूंगा,

मैं 100 अन्य व्यक्तियों को इस प्रतिज्ञा के लिए प्रोत्साहित करूंगा जो मैंने आज की है,

मैं यह प्रयास करूंगा कि वे स्वच्छता के लिए अपने 100 घण्टे समर्पित करें, और मुझे विश्वास है कि, स्वच्छता के प्रति मेरे द्वारा बढ़ाया गया प्रत्येक कदम मेरे देश को स्वच्छ बनाने में सहायक होगा।

कलक्टर या उसके नामनिर्देशिती के हस्ताक्षर

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर''।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा/सा.आ./रानिआ/14/1374 दिनांकः 04.02.2026

आदेश

सां. आ. 155/2026 – राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 72 सपठित नियम 68 के उपबन्धों के प्रावधानान्तर्गत सदस्य पदों पर निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों के नाम राजपत्र में प्रकाशित कराने हेतु परिणामों की घोषणा के **तीन दिवस के भीतर** रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा निम्नानुसार परिणाम संबंधी दस्तावेज राज्य निर्वाचन आयोग को भिजवाए जाने हैं :–

उक्त नियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग निर्देश जारी करता है कि

1. संलग्न प्रारूप में निर्वाचित सदस्यों की सूचना मय सॉफ्ट कॉपी। (मंगल फॉन्ट एवं MS Word में)
2. प्ररूप 21 (अंतिम परिणाम पत्रक) की एक मूल प्रति।
3. प्ररूप 22 (परिणाम की घोषणा) की एक मूल प्रति।
4. प्ररूप 23 (निर्वाचन का प्रमाण पत्र) की मूल प्राप्ति रसीद।

रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा परिणाम संबंधी दस्तावेज भिजवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त सभी दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर, नाम, पदनाम एवं मोहर अंकित हो। जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा भी यह सुनिश्चित किया जाएगा कि रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय सीमा में उक्त परिणाम संबंधी दस्तावेज आयोग को भिजवा दिए गए हैं।

यह आदेश आयोग के पूर्व आदेश क्रमांक 4228 दिनांक 21.10.2019 (सां.आ. 126/2019) को अधिक्रमित करते हुए जारी किया जाता है। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
ह0
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

प्ररूप – 21

(नियम – 66 देखिये)

अन्तिम परिणाम पत्र

नगरपालिका ....

वार्ड संख्या ....

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	संबंद्ध दल	डाले गये मतों की संख्या
1	2	3	4

नोटा (इनमें से कोई नहीं)

डाले गये विधि मान्य मतों की कुल संख्या ....

ऊपर अंकित सारणी के कालम 4 का भाग ....

नोटा को दिये गये कुल मतों की संख्या ....

अस्वीकृत मतों की संख्या ....

निविदत्त मतों की कुल संख्या ....

तारीख ....

रिटर्निंग अधिकारी

प्ररूप – 22
परिणाम की घोषणा
(नियम – 68 देखिये)
(वार्डवार भरा जावे)

.... नगरपालिका मण्डल/परिषद/निगम के वार्ड संख्या .... के स्थान के लिए निर्वाचन के परिणाम को उपदर्शित करने वाली विवरणी गणना की तारीख ....
..

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	(संबंद्ध दल)	डाले गये मतों की संख्या
1	2	3	4

कुल मत ....

डाले गये विधि मान्य मतों की कुल संख्या ....

ऊपर वर्णित सारणी के कालम 4 का योग ....

नोटा (इनमें से कोई नहीं) को डाले गये मतों की कुल संख्या ....

अस्वीकृत मतों की कुल संख्या ....

निविदत्त मतों की कुल संख्या ....

मैं घोषणा करता हूँ कि :–

.... (नाम) ....
....

.... (पता) वार्ड संख्या ....नगरपालिका मण्डल/नगरपरिषद्/नगरनिगम ....के स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गया है।

स्थान ....

तारीख ....

रिटर्निंग अधिकारी

प्ररूप – 23
(नियम – 71 देखिये)
निर्वाचन का प्रमाण पत्र

नगरपालिका ....

वार्ड संख्या .... के लिए निर्वाचन

मैं, ... के नगरपालिका .... के निर्वाचन के लिए वार्ड संख्या .... का रिटर्निंग अधिकारी इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैंने 20........... के .... (मास) के .... व दिन .... द्वारा खड़े किये गये।

(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल का नाम)

श्री/श्रीमती .... को उक्त वार्ड से निर्वाचन में सदस्य होने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित किया है और कि उसके साक्ष्य स्वरूप मैंने यह निर्वाचन प्रमाण पत्र उसे मंजूर किया है।

तारीख ....

स्थान ....

रिटर्निंग अधिकारी के
हस्ताक्षर और मोहर

कार्यालय नगरपालिका ....

क्रमांक : दिनांक :

निर्वाचित सदस्यों की सूचना

मैं, ... रिटर्निंग अधिकारी, नगरपालिका मंडल / नगर परिषद / नगर निगम .... सूचित करता हूँ कि माह .... में सम्पन्न हुये साधारण / उप निर्वाचन में नगरपालिका मंडल / नगर परिषद / नगर निगम .... के लिये निम्नानुसार सारणी में उल्लिखित सदस्य निर्वाचित घोषित हुये हैः–

सारणी

वार्ड संख्या	आया सामान्य है, या अ.जा.,अ.ज.जा. / पिछडे वर्गो या महिलाओं के लिए आरक्षित है	निर्वाचित सदस्य का नाम
1	2	3

स्थानः–
दिनांकः–

हस्ताक्षर व नाम
रिटर्निंग अधिकारी
(पद नाम सहित)
नगरपालिका ....
जिला ....

क्रमांक : दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
2. जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) ....

हस्ताक्षर व नाम
रिटर्निंग अधिकारी
(पद नाम सहित)
नगरपालिका ....
जिला ....

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक एफ. 1(4)(1)नपा/रानिआ/14/1607 दिनांकः 11.02.2026

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(नगरपालिका) (कलक्टर), राजस्थान।

विषयः– नगरपालिका निर्वाचन – उपाध्यक्षीय पदों के निर्वाचन हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान द्वारा अधिसूचना क्रमांक 23179 दिनांक 31.01.2019 के माध्यम से अध्यक्षीय पदों के निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से कराए जाने हेतु जारी किए गए राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) (संशोधन) नियम, 2019 के नियम 14 के द्वारा अनुसूची I, III-A, III-B, IV, V, VI एवं VII में जहां–जहां भी अभिव्यक्ति ''अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभापति/उप–सभापति/महापौर/उप–महापौर'' अंकित है, के स्थान पर अभिव्यक्ति ''उपाध्यक्ष'' प्रतिस्थापित की गई है **तथा अनुसूची VIII में जहां अभिव्यक्ति ''उपाध्यक्ष'' अंकित है, के स्थान पर अभिव्यक्ति ''अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभापति/उप–सभापति/महापौर/उप–महापौर'' प्रतिस्थापित की गई है।''**

राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 86(3) में अंकित किया गया है कि उपाध्यक्षीय पदों के निर्वाचन हेतु मतपत्र का प्रारूप अनुसूची–4 के अनुसार होगा, परन्तु नियमों में इस हेतु कोई प्ररूप विहित नहीं किया गया है। इस व्यवहारिक कठिनाई के निवारण हेतु आयोग द्वारा आदेश क्रमांक 1357 दिनांक 04.02.2026 के द्वारा उपाध्यक्षीय पदों के निर्वाचनों हेतु मतपत्र का प्ररूप विहित किया है। अनुसूची–4 के अन्तर्गत निर्धारित फॉर्म में नमूने का मतपत्र पत्र के साथ परिशिष्ट–1 संलग्न किया जा रहा है। **मतपत्र फॉर्म में 'मत चिन्ह' वाले कॉलम में चुनाव चिन्ह अंकित नहीं किया जाएगा, बल्कि मत देने वाले सदस्यों द्वारा मत अभिलिखित करने वाला चिन्ह यानि ऐरोक्रॉस मार्क लगाया जाएगा।**

उपाध्यक्षीय के पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन अधिकारी द्वारा वार्डो से निर्वाचित सदस्यों की सूची एवं निर्वाचित सदस्यों की बैठक हेतु नोटिस की आवश्यकता होगी। निर्वाचित सदस्यों की सूची एवं नोटिस हेतु नियमों में कोई फॉर्म निर्धारित नहीं किया हुआ है। अतः आयोग द्वारा उपाध्यक्ष के पदों के निर्वाचन हेतु निर्वाचित सदस्यों की सूची एवं निर्वाचित सदस्यों की बैठक हेतु नोटिस के लिए मॉडल फॉर्म तैयार किए गए हैं। माडल फॉर्म परिशिष्ट–2 एवं 3 पर संलग्न हैं। सभी संबंधित अधिकारियों को उक्तानुसार अवगत करावें।

इस सम्बंध में आयोग द्वारा पूर्व में जारी पत्रांक 3564 दिनांक 23.09.2019 को अधिक्रमित करते हुए यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

संलग्न : 1. अनुसूची 1 से 8
2. मतपत्र का प्रारूप (परिशिष्ट–1)
3. सदस्यों की सूची एवं बैठक नोटिस हेतु फॉर्म (परिशिष्ट–2 एवं 3)

भवदीय,
ह0
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

अनुसूची–1
{नियम–81 (1)}

.... *नगरपालिका बोर्ड / नगर परिषद् / नगर निगम के
उपाध्यक्ष (Vice-Chairperson) पद के लिये निर्वाचन का नाम निर्देशन का प्ररूप

1. अभ्यर्थी का पूरा नाम ....
2. पिता या पति का नाम ....
3. आयु ....
4. लिंग ....
5. जाति ....
6. पता ....
7. प्रस्थापक का पूरा नाम और पता ....
   ....

स्थान ....
तारीख ....

प्रस्थापक के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी की घोषणा

मै, उपर्युक्त नामित अभ्यर्थी, इस नाम निर्देशन के लिए मेरी सहमति देता हूँ और इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मुझमें राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 में प्रगणित कोई भी निरर्हताएं नहीं हैं और यह कि मैं उक्त अधिनियम के उपबंधो के अधीन उक्त स्थान के लिए अभ्यर्थी होने के लिए अर्हित हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे इस निर्वाचन में .... (दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया है।

स्थान ....
तारीख ....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पृष्ठांकन

क्र.सं.

यह नाम निर्देशन पत्र मुझे .... (नाम) .... द्वारा .... (तारीख व समय) पर प्रस्तुत किया गया।

स्थान ....
तारीख ....

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

रिटर्निंग अधिकारी का आदेश

स्वीकृत / अस्वीकृत
अस्वीकृत किये जाने के कारण ....

स्थान ....
दिनांक ....

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

अभिस्वीकृति

.... नगर पालिका बोर्ड / नगर परिषद् / नगर निगम के ....के रूप में निर्वाचन के लिये श्री .... का नाम निर्देशन पत्र, जो मुझे, आज दिनांक .... को .... (समय) बजे श्री .... द्वारा पेश किया गया, प्राप्त हुआ।

स्थान ....
दिनांक ....

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

---

*यदि अनुपयुक्त हो तो काट दीजिए।

अनुसूची–2
(नियम–81 (5))

..* नगरपालिका बोर्ड/नगर परिषद्/नगर निगम के ....के रूप में निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन हेतु प्रस्थापित अभ्यर्थियों की सूची

क्र.सं.	**अभ्यर्थी का नाम और विवरण**	**अभ्यर्थी का पता**	**अभ्युक्तियां**
1			
2			
3			
4			
5			
6			

स्थान ....
तारीख...

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

*यदि अनुपयुक्त हो तो काट दीजीए।

अनुसूची–3
(नियम–83)

....* नगरपालिका बोर्ड/नगर परिषद्/नगर निगम के ....के रूप निर्वाचन के लिए विधिमान्यतः नाम निर्देशित अभ्यर्थियों की सूची

क्र.सं.	**अभ्यर्थी का नाम और विवरण**	**अभ्यर्थी का पता**	**अभ्युक्तियां**
1			
2			
3			
4			
5			
6			

स्थान ....
तारीख...

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

* यदि अनुपयुक्त हो तो काट दीजीए।

अनुसूची–3क
(नियम–84 (1))

वापसी का नोटिस

..............................* नगरपालिका बोर्ड/नगर परिषद्/नगर निगम के उपाध्यक्ष (Vice-Chairperson) का निर्वाचन

प्रेषित,
रिटर्निंग अधिकारी
नगरपालिका ....

मै,..उपर्युक्त निर्वाचन के लिए नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी नोटिस देता हूँ कि मैं अपनी अभ्यर्थिता वापस लेता हूँ।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

यह नोटिस मुझे अभ्यर्थी श्री .... के द्वारा व्यक्तिगत रूप दिनांक **...**को .... बजे मेरे कार्यालय में परिदत्त किया गया।

रिटर्निंग अधिकारी

---

* यदि अनुपयुक्त हो तो काट दीजिए।

अनुसूची–3ख
(नियम–84(3)देखिए)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

..................................* नगरपालिका बोर्ड/नगर परिषद्/नगर निगम के
उपाध्यक्ष (Vice-Chairperson) के पद के लिए निर्वाचन

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता
1		
2		
3		
4		
5		

स्थान ....

तारीख...

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

* यदि अनुपयुक्त हो तो काट दीजीए।

अनुसूची–4
(नियम–86(3) देखिए)

मतपत्र

......................................* नगरपालिका बोर्ड / नगर परिषद / नगर निगम के उपाध्यक्ष (Vice-Chairperson) के पद के निर्वाचन के लिए

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

क. सं.	अभ्यर्थी का नाम	मत चिन्ह
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
.... एवं इत्यादि		
	नोटा (इनमें से कोई नहीं)	

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान ....

तारीख ....

* यदि अनुपयुक्त हो तो काट दीजिए।

अनुसूची–5
(नियम 85 देखिए)
(जब स्थान निर्विरोध हो तब निर्वाचन में उपयोग के लिए)

....*नगरपालिका बोर्ड/नगरपरिषद/नगर निगम के उपाध्यक्ष (Vice-Chairperson) के पद के परिणाम की घोषणा

नियम 85 के उप नियम (1) में अन्तर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूॅ कि :–

नाम ....

पता ....

....*नगरपालिका बोर्ड/नगरपरिषद/नगर निगम के उपाध्यक्ष (Vice-Chairperson) के पद को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्विरोध निर्वाचित हुआ है।

स्थान ....

तारीख ....

रिटर्निंग अधिकारी

---

*यदि अनुपयुक्त हो तो काट दीजिए।

अनुसूची–6
(नियम 87 देखिए)
(जब स्थान सविरोध हो तब निर्वाचन में उपयोग के लिए)

.....................................*नगरपालिका बोर्ड/नगरपरिषद/नगर निगम के उपाध्यक्ष (Vice-Chairperson) के पद के परिणाम की घोषणा

नियम 87 के उप नियम (6) में अन्तर्विष्ट उपबंधो के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूॅ कि :–

नाम ....

पता ....

....*नगरपालिका बोर्ड/नगरपरिषद/नगर निगम के उपाध्यक्ष (Vice-Chairperson) के पद को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुआ है।

स्थान ....

तारीख ....

रिटर्निंग अधिकारी

---

*यदि अनुपयुक्त हो तो काट दीजिए।

अनुसूची–7
(नियम 95 देखिए)
(किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोगार्थ)

....*नगरपालिका बोर्ड / नगरपरिषद / नगर निगम के उपाध्यक्ष (Vice-Chairperson) के पद के परिणाम की घोषणा

नियम 95 में अन्तर्विष्ट उपबंधो के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :–

श्री .... के *पदत्याग / की मृत्यु / के हटाए जाने / के विरूद्व अविश्वास प्रस्ताव पारित होने / का निर्वाचन शून्य कर दिए जाने के कारण उपाध्यक्ष (Vice-Chairperson) के पद की रिक्ति को भरने के लिए

नाम .... पता ....
....

....
...

सम्यक रूप से निर्वाचित हुए हैं।

रिटर्निंग अधिकारी

---

*यदि अनुपयुक्त हो तो काट दीजिए।

अनुसूची–8
(नियम–88 देखिए)

....*नगरपालिका बोर्ड / नगर परिषद / नगर निगम के अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / सभापति / उप–सभापति / महापौर / उप–महापौर के लिए निर्वाचन / उपनिर्वाचन की कार्यवाही

1.	निर्वाचन की तारीख	....
2.	निर्वाचन का स्थान	....
3.	मतदान का समय	....
4.	रिटर्निंग अधिकारी का नाम	....
5.	पद धारित करने वाले कुल सदस्य	....
6.	बैठक में उपस्थित कुल सदस्य	....
7.	बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम (सूची संलग्न)	....
8.	नियुक्त किए गए मतदान अधिकारियों की कुल संख्या	....
9.	गणना	
	(क) गणना के लिए प्रारंभ समय	....
	(ख) परिणाम की घोषणा के लिए समय	....
10.	परिणाम	

क. सं.	**अभ्यर्थियों के नाम**	**डाले गए मत**	**निर्वाचित घोषित किए गए अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / सभापति / उप–सभापति / महापौर / उप–महापौर का नाम**
1.			
2.			
3.			
....	एवं इत्यादि		
	नोटा (इनमें से कोई नहीं)		

डाले गए कुल विधिमान्य मत ....
डाले गए कुल अविधिमान्य मत ....
डाले गए कुल मत ....

रिटर्निंग अधिकारी

सदस्यों के हस्ताक्षर
1.
2.
3.
4.
5.
6.

* यदि अनुपयुक्त हो तो काट दीजिए।

परिशिष्ट–1

अनुसूची–4
(नियम–86 (3) देखिए)
मत–पत्र

....* नगरपालिका बोर्ड / नगर परिषद / नगर निगम के
उपाध्यक्ष (Vice-Chairperson) के पद के लिये निर्वाचन

रिटर्निंग अधिकारी के
हस्ताक्षर एवं मुद्रा

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	मत चिन्ह
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

.... एवं इत्यादि

इनमें से कोई नहीं (NOTA)

* यदि अनुपयुक्त हो तो काट दीजिये।

परिशिष्ट–2

मॉडल फॉर्म

नगरपालिका चुनाव, 20........

उपाध्यक्ष (Vice-Chairperson) का निर्वाचन

................................*नगरपालिका बोर्ड/नगर परिषद/नगर निगम के निर्वाचित सदस्यों की सूची

क्र. सं.	निर्वाचित सदस्य का नाम	वार्ड संख्या जहां से निर्वाचित हुआ	विशेष विवरण सदस्य आया, अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व., या सामान्य वर्ग का है तथा महिला है या पुरूष

* यदि अनुपयुक्त हो तो काट दीजिए।

परिशिष्ट–3

मॉडल फॉर्म
नगरपालिका चुनाव, 20........

बैठक नोटिस

....*नगरपालिका बोर्ड / नगर परिषद / नगर निगम के उपाध्यक्ष (Vice-Chairperson) का निर्वाचन

उपाध्यक्षीय पद यदि आरक्षित हैं तो उसकी श्रेणी ....

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 43 एवं राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 79 के अन्तर्गत उपाध्यक्ष (Vice-Chairperson) के निर्वाचन के लिए मैं, ... (केवल विभागीय पद) निर्वाचन अधिकारी नियम 80 के अनुसार एतद्द्वारा सूचित करता हूँ कि :–

1. उक्त पद के चुनाव के लिए निर्वाचित सदस्यों की बैठक नगरपालिका बोर्ड / नगर परिषद / नगर निगम के कार्यालय में दिनांक .... की पूर्वान्ह 10.00 बजे होगी।
2. नाम निर्देशन पत्र उम्मीदवार या उसके प्रस्तावक द्वारा निर्वाचन अधिकारी को उक्त नगरपालिका बोर्ड / नगर परिषद / नगर निगम के कार्यालय में दिनांक .... को पूर्वान्ह 10.00 बजे से 11.00 बजे के बीच परिदत्त किए जा सकेंगे।
3. नाम निर्देशन पत्र उक्त स्थान से प्राप्त किए जा सकेंगे।
4. नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा निर्वाचन अधिकारी द्वारा उक्त स्थान पर उक्त दिनांक को पूर्वान्ह 11.30 बजे से की जावेगी।
5. उम्मीदवारी वापस लेने की सूचना उम्मीदवार द्वारा व्यक्तिगत रूप से रिटर्निंग अधिकारी को उक्त स्थान पर व उक्त दिनांक को अपरान्ह 2.00 बजे से पूर्व परिदत्त की जा सकेगी।
6. निर्वाचन लडे जाने की दशा में मतदान उक्त दिनांक को उक्त स्थान पर मध्यान्ह 2.30 बजे से मध्यान्ह 5.00 बजे के मध्य होगा तथा
7. मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात् उक्त स्थान पर मतगणना होगी।

स्थान ....

तारीख ....

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

---

* यदि अनुपयुक्त हो तो काट दीजिए।

भाग – 13

लेखा सम्बंधी आदेश/निर्देश

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः प.1(32)/रानिआ/लेखा/बजट/2025–26/322 दिनांकः 09.01.2026

कार्यालय आदेश

पंचायत राज सस्ंथाओं एवं नगरीय निकाय आम चुनाव–2026 में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (EVM) की प्रथम स्तरीय जॉच (FLC) एवं तैयारी हेतु राशि रू. 10/– प्रति बैलेट यूनिट एवं राशि रू. 10/– प्रति कन्ट्रोल यूनिट की दर से पारिश्रमिक के रूप में भुगतान करने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है। यह स्वीकृति राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय/पंचायत चुनाव कार्य हेतु जिला निर्वाचन कार्यालयों को आवंटित इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों के लिए ही लागू होगी।

उपरोक्त राशि का व्यय पंचायत चुनाव के संबंधित बजट मद 2515–00–800–(01)–{02}–57– विभागों द्वारा विशिष्ट सेवाओं पर व्यय (पंचायत) तथा 2217–80–191–09–00–57– विभागों द्वारा विशिष्ट सेवाओं पर व्यय (नगर निगम) एवं 2217–80–192–09–00–57– विभागों द्वारा विशिष्ट सेवाओं पर व्यय (नगर पालिका/परिषद) में उपलब्ध बजट से किया जा सकेगा। व्यय की गई राशि के लिए पृथक से रिकार्ड संधारित किया जावे। **जिला निर्वाचन अधिकारी प्रस्तावित व्यय करने से पूर्व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 में निर्धारित प्रक्रिया की पालना अपने स्तर पर सुनिश्चित करावें।**

उक्त स्वीकृत वित्त (व्यय–5) विभाग की आई.डी. संख्या 331900582 दिनांक 19.07.2019 के अनुसरण में जारी की गई है।

ह0
(राजेश वर्मा)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

(69)

STATE ELECTION COMMISSION, RAJASTHAN

(2nd Floor, Vikas khand, Secreatiat, Jaipur-302005)

(Email-secraj@rajasthan.gov.in, Website-raisec.rajasthan.gov.in)

No. F.1 (21)SEC/Acctt/2026/402 Date: 12.01.2026

OFFICE ORDER

Subject:- Honorarium/Remuneration to officers/officials for preparation and revision of Municipal/Panchayat Electoral Rolls 2026.

The State Election Commission has senctioned the rates of Honorarium / Remuneration to be paid to the following categories of officers / officials connected with the preparation and revision (Intensive Nature) of Municipal/Panchayat Electoral Rolls 2026 as per details shown against each.

S. No.	**Categoy of Officer/Officials**	**Rates (for General Election)**
1	(a) Enumerators (प्रगणक) (b) Information Assistant (सूचना सहायक)	Rs. 1500 (lumpsum) Rs. 1000 (lumpsum)
2	Designated Officers	Rs. 200/- Per Working day (Max. 2 days)
3	Electoral Registration Officers	Rs. 1200 (lumpsum)
4	Assistant Electoral Registration Officers (each ERO will be allotted more than one constituency)	Rs. 1000 (lumpsum)
5	Staff (Election staff only)	Rs. 600 each (lumpsum)
6	Class IV (Election staff only)	Rs. 400 each (lumpsum)
7	District Election Officers	Rs. 2000 (lumpsum)
8	Dy. District Election Officers	Rs. 1600 (lumpsum)

Note:- **Expenditure on Ball Pen, Refills & Carbons by enumerators will be borne by themselves**.

The expenditure on this account will be debited to the concerned Municipal/ Panchayat Election budget head.

The sanction bears the concurrence of Finance (Exp.-V) Department vide their I.D. No. 332501914 dated 07.01.2026

Chief Electoral Officer & Secretary
State Election Commission,
Rajasthan

STATE ELECTION COMMISSION, RAJASTHAN

(2nd Floor, Vikas khand, Secreatiat, Jaipur - 302005)
(Email - secraj@rajasthan.gov.in, Website -rajsec.rajasthan.gov.in)

No. F.1 (23)(2)SEC/Acctts/2025-26/622 Date : 19.01.2026

ORDER

Sub. :- Procedure for settlement of hire and detention charges of the motor vechicles requisitioned for Municipal/Panchayat Election and Supply arrangements of P.O.L. for vehicles.

In order to ensure prompt settlement of the hire and detention charges of motor vehicles requisitioned for the conduct of local bodies / PRI's elections and to simplify the procedure for arrangements of P.O.L. for the motor vehicles in each district, the State Election Commission is issuing the following instructions in super session of all previous instructions issued in this regard :-

PART - I

RATES OF HIRE AND DETENTION CHARGES OF PRIVATE VEHICLES / RSRTC BUSES

1. **Hire and detention charges in respect of vehicles belonging to private owners / RSRTC buses will be paid at the following rates :**

S. No.	Type of Vehicle	Proposed rates For Panchayat/Municipal Election,2026			
		Petrol/Diesal	CNG Consumption	Rate per day (Amount in Rs.)	Deduction Rates in Rs. (Per hour)
1	2	3	4	5	6
1	Contract Carriage Buses & CNG Buses				
	I. **14 to 25 Seater**	5 Km per liter	6 KMP/KG	1750/-	60/-
	II. **26 to 35 Seater**	4 Km per liter	5 KMP/KG	2400/-	80/-
	III. **36 & Above Seater**	3 Km per liter	4 KMP/KG	3000/-	105/-
2	Stage Carriage Buses (including RSRTC Buses)				
	I. **14 to 25 Seater**	5 Km per liter	6 KMP/KG	1450/-	50/-
	II. **26 to 35 Seater**	4 Km per liter	5 KMP/KG	1800/-	60/-
	III. **36 & Above Seater**	3 Km per liter	4 KMP/KG	2225/-	75/-
3	Contract Carriage Mini Buses	5 Km per liter	-	1750/-	60/-
4	Taxi (Indica, Jeep, Ambassador, etc.) & CNG Buses	14 Km per liter	15 KMP/KG	1100/-	40/-
5	Auto Rickshaw & CNG Buses	25 Km per liter	26 KMP/KG	330/-	15/-
6	Taxi (Dezire, ETIOS, Indigo etc.) & CNG Taxi (Dezire, ETIOS, Indigo etc.)	10 Km per liter	11 KMP/KG	1325/-	45/-

7	Taxi Innova & Ertiga	10 Km per liter	11 KMP/KG	1625/-	55/-
8	Maxi cab (Bolero, Commandor, Jeep & others)	10 Km per liter	-	1325/-	45/-
9	Tata Magic / Mahindra Maximo	15 Km per liter	-	660/-	25/-
10	Tractor with Trolly	3 Km per liter	-	480/-	25/-
11	Truck **I. Up to RLW 7500 kg. (7M.T.)** **II. RLW More than 7500 kg. (7 M.T.) Up to 12000 kg (12M.T.)** **III. More than RLW 12000 Kg. (12 M.T.)**	 9Km per liter 5Km per liter 3Km per liter		 960/- 1200/- 1450/-	 35/- 40/- 50/-
12	Crane/JCB	Actual Dip measurement		4200/-	150/-
13	Mini Crene	Actual Dip measurement		3000/-	105/-
14	In case of sending requisite vehicles to other District Rs. 250/- will be paid as night haultage charges to vehicle Driver/Khalasi.				
15	Mobil Oil at the rate of one liter be allowed for every 250 kilometer or part thereof for the Vehicle in category 1, 2, 3,10,11 & 12. Similarly one liter mobile oil be allowed every 800 kilometer for car taxi at catetgory 4, 6, 7,8,9 & 13.				

Note:-

(i) Deductions should not exceed per day rate of Hire & Detention Charges.

(ii) Hire Charges will not be payable to that vehicles which are acquired after 4.00 PM.

(iii) Crane/JCB/Mini crane may be acquired as and when required only.

PART - II

PAYMENT OF HIRE AND DETENTION CHARGES OF PRIVATE VEHICLES

1. District Election Officers will make payment of hire and detention charges of the private vehicles in cash on the day the vehicles are released from election duty. Sufficient amount required for making payment of such hire charges will be drawn in advance through the A.C. Bills.

2. Record of each vehicle requisitioned for election duty shall be maintained in the vehicle register in form 'A'.

3. A separate log-sheet-cum-hire bill will given to the officer-in-charges of the vehicles after completion of Part-I by the District Election Officer (in form 'B' of vehicle Log-sheet-cum-hire charges) while allotting the vehicle for polling duty.

4. The Officer-in-charge of the vehicle (Presiding Officer or any other officer) will make respective entries in Part-II of the log sheet during the period the vehicle remains under his charge. At the time of handing over of the vehicle to the District Election Officer at the close of the Election Duty the officer-in-charge will hand over the log-sheet completing all the respective entries and duly attesting the same.

5. The District Election Officer will complete Part-III of the log-sheet in respect of the amount of hire charges payable to the vehicle and the deductions in respect of the P.O.L. balance calculated in the manner as mentioned in para 10 of Part-II.

6. The vehicles requisitioned, not used but kept in reserve will be paid hiring charges at the rates mentioned in para 1 of Part-I.

7. The Hire and Detention charges of vehicles used by the polling parties should not ordinarily be paid by for more than Three days for Municipal Election and 6 days for Panchayat Election. Requisition order to the Vehicle Owners may be served well in advance asking them to report for duty on a particular date as per requirement for the movement of Polling Parties and should be released soon after the arrival of the Parties from Polling Duty. In such cases, where the District Election Officer considers necessary, may, however, allow to use the Vehicle for Four Days for Municipal Election and seven days for Panchayat Election. No Vehicle for more than Four/Seven Days should be used by the District Election Officer without prior approval of the Secretary, State Election Commission, Rajasthan Jaipur.

8. As far as possible Govt. vehicles should be provided to Zonal Magistrate/Sector Magistrate/Area Magistrate. In case Govt. vehicles are not available private vehicles may be provided for maximum limit of as per State Election Commission guideline.

9. The vehicles requisitioned for transportation of ballot boxes, Electronic Voting Machines, polling articles, furniture and other articles in connection with election should be paid for actual days these remain on election duty irrespective of dates.

10. Calculation of P.O.L. remaining in balance at the close of the elections will not be required. P.O.L. balance at the end will be calculated on the bases of total P.O.L. supplied to the vehicles and total consumption calculated as para 1 of Part-I

11. All payments to be made within a month. No claim will be entertain after a month.

12. Cost of excess supply will be recovered from the hiring charges bill. In case of the vehicle whose milometer is in order total run will be determined on the bases of the first and last milometer reading. In case of vehicles whose milometers are not in working order, run will be calculated on the basis of the distance of destination covered by them. At the time of surrender of vehicles by the Officer-in-charges, the District Election Officer (Collector) will ensure that the log-sheet are complete in all respect. Net amount payable to the vehicle owner after deductions, will be checked and pass order will be recorded by the Officer authorized by the District Election Officer (Collector). The log-sheet so passed will then become bill of the vehicle. Payment will be made in cash/e-payment on the basis of this bill from the cash counter/e-mathed to the owner of vehicle. In case owner is not present, payment will be made to the driver or any other person on the basis of authority of the owner of vehicle. If authority is not given then payment will be made in case/e-payment to driver after obtaining following undertaking.

"Received payment Rs. ……….……………………….. of the hire charges of the vehicle No ……………… on behalf of the owner, I declare that I am authorized to receive hire charges of the vehicle on behalf of the owner. In case of any dispute regarding payment of the hire charges, I shall indemnify the State Government to that extent.

Signature ………………….

Name ………………………

Address ……………………

……………………………..

License No. ………………..

……………………………..

PART - III

GENERAL - IMPORTANT DIRECTION

1. The Hire charges in respect of the vehicles of the central and its Autonomous statutory bodies and public sector undertaking under the control of the Central Government will not be paid by the State Election Commission as per direction of Government of India vide their No. G27031(6)87-B&A dated 17.12.87 (Ministry of Law & Justice). However, Petrol, Diesel and Mobil-Oil will be supplied to such vehicles at the cost of the State Government and expenditure of minor repair will also be borne by the State Government of such vehicles during the period of requisitioning T.A. & D.A. of Drivers will be paid out of election budget. These directions will also be applicable for vehicles of State Government & its Autonomous Corporations (except RSRTC buses), Local Bodies etc.

2. These rates of hire charges shown from Part-I to Part-II are exclusive of P.O.L. but inclusive of pay and allowances of drivers etc. T.A. & D.A. of the drivers accompanying these vehicle will be paid by the respective vehicle owners.

3. No hiring charges in respect of vehicles of District pool and other Government vehicles used in connection with Panchayat & Municipal Election will be paid. However, their P.O.L. expenses for the election period and also the expenditure on account of minor repairs of the extent of Rs. 2500/- (Rupees Two Thousand Five Hundred Only) per vehicle of District pool and Rs. 1000/- (Rupees One Thousand Only) per vehicles for other Government vehicle shall be debitable to concerning election head of account.

4. The District Election Officers (Collectors) shall draw sufficient funds on A.C. Bills for making payment of the hiring charges.

5. The expenditure on this account will be debitable concerning head of panchayat / municipal election.

6. D.C. Bills will be rendered by the District Election Officers to the Accountant General, Rajasthan, Jaipur within one month after making complete entries in the vehicle register so that the complete record is available of hire charges paid by the district offices.

7. For the vehicles of RSRTC requisitioned for poll Duty, hire charges will be paid at the rates mentioned in Part-I as applicable.

8. Payment of Hire Charges and POL of the Vehicles requisitioned for the Police Department.

   (i) For Panchayat Election:- The Payment of the hire charges and POL of the vehicles requisitioned for the Police Department for maintenance of law and order duty will be made by respective District Election (Collectors) at the rates mentioned above.

   (ii) For Municipal Election:- The Payment of the hire charges and POL of the vehicles requisitioned for the Police Department for maintenance of law and order duty will be made by respective District Election (Collectors) at the rates mentioned above.

The rates of hire charges are as per concurrence of the Finance Department (Exp-5) I.D. No. 332501913 dated 13-01-2026.

Chief Electoral Officer &
Secretary,
State Election Commission,
Rajasthan

STATE ELECTION COMMISSION, RAJASTHAN

(2nd floor, Vikas khand, Secreatiat, Jaipur-302005)
(Email-secraj@rajasthan.gov.in, Website-rajsec.rajasthan.gov.in)

No.F.1(20)(2)SEC/Acctt/O.R./2025-26/231 Date: 07.01.2026

OFFICE ORDER

The State Election Commission has sanctioned the rates for making outright payments and incurring expenditure up to the extent noted against each item subject to the Budget Provision in each case as under :-

S. No.	Nature of Sanction	Extent of power	For Panchayat & Municipal Election (Rs.)
1	Sanction for making outright payment of **Rs. 105/- (Rupees One Hundred Five Only)** for per polling station to Presiding Officer/Patwari or any other officer to whom D.E.O. (Collector) may think fit for hiring or otherwise charges for the election articles for which no account will be required to be rendered. The simple utilization certificate of the concerned Presiding Officer/Patwari or any other officer will be sufficient.	Lighting Arrangment at Polling Booth	83.00
		Buckets & Lotas	15.00
		Locks	7.00
		Total Rs.	105.00
Note:-	**Since some of the items could be available with the District Election Stores, it is necessary to break-up the amount for issuing the articles or the amount in full or part, as the case may be.**		
2	Sanction for making outright payment of- **1) Rs. 10/- (Rupees Ten Only) to each polling officer (excluding class IV ervant). (10x3)** **2) Rs. 17/- (Rupees Seventeen Only) on account for the cost of Refill, match box, Blade and Ball Pen, one for Presiding officer and other for the use of Voters for signatures etc.** **3) Rs. 17/- (Rupees Seventeen Only) for R.O. (Panchayat) on account for checking of nomination of Panch & Sarpanch, to make the list of candidates.**	Each Polling Officer (excluding class IV servant)	30.00
		Each Presiding Officer	17.00
		Each R.O. (Panchayat)	17.00
		Total	64.00
3	Sanction for making outright payment @ 22/- (Rupees Twenty Two Only) per polling Station to, Presiding Officer/Patwari or any other officer to whom DEO (Collector) may think fit for hiring or otherwise, charges of Bamboos for which no account will be required to be rendered. The simple utilization certificate of the concerned Presiding officer/Patwari will be sufficient.	Each Polling Station	22.00
4	Sanction for incurring expenditure for **1) Providing water to the Polling Parties and** **2) Providing essential first aid medicines.**	Providing water the Polling Parties.	45.00
		Providing essential First Aid Medicines	33.00
		Total Rs.	78.00
5	Sanction for making outright payment Rs. 45/- (Rupees Fourty Five Only) to be	Presiding Officer per Polling Station	45.00

	given to each Prisiding Officer per Polling Station to meet unforeseen expenses for which no account will be rendered.		
6	Sanction for incurring expenses @ Rs. 600/- (Rupees Sis Hundred Only)for erecting each temporary Polling Structure, if necessary.	For erecting each temporary Polling structure.	600.00
7	Sanction for incurring exp. @ Rs. 300/- (Rupees Three Hundred Only) for set up of voter assistance booth in building having more than 2 Polling Booths.	For Voter assistance booth at Polling Station	300.00
8	Providing drinkingwater to voters During poll, sanction for making outright payment per polling station building (i.e. where one or more polling booth situated) to any officer whom DEO may think fit for arrangements. The simple utilization certificate of the concerned officer will be sufficient.	Providing water to electors at polling stations (per polling building)	500.00
9	Sanction for incurring expenses for providing temporary ramps where polling booths are notified & permanent ramps could not be provided as per direction of Election Commission of India & decision of Hon'ble Supereme Court. The simple utilization certificate of the concerned officer will be sufficient.	For Temporary ramps per building (Under condition)	1000.00 maximum
10	Sanction for incurring expenses for providing temporary arrangements for shade in the polling station where there is no arrangement of shade.	For polling station where there in no arrangement of shade.	1000.00 per polling station
11	Refreshment/lunch/dinner for the officers/ officials appointed by District Election Officer for postal ballot paper facility centre at polling party training centres at district level in Ist & IInd training.	For lunch/refreshment	upto Rs. 150.00 per officer/officials
12	Refreshment/lunch/dinner for the officials who are detained in oddhours at polling material distribution and collection centers on the day of departure & arrival of polling parties.	For lunch/refreshment	upto Rs. 150.00 per officer/officials
13	Sanction for incurring expenditure on account of hire charges of tents, furniture, electricity articles etc. required for election purposes on hire.	Office of the Chief Electoral Officer & Secretary, State Election Commission, Rajasthan, Jaipur and concerning District Election Officers (Collectors) should take necessary action as per Rajasthan Transparency in Pubilc Procurement Rule, 2013 subject to the condition that the hire charges should not exceed the actual cost of the goods and ceiling directed by the State Election Commissioner.	

14. Purchase Committees at District Level are hereby constituted subject to the following condition:-

Purchase will be made as per the procedure laid down in Rajasthan Transparency in Public Procurement Act 2012 & Rules 2013 and GF & AR.

DISTRICT LEVEL PURCHASE COMMITTEE

Dy. District Election Officer
Treasury Officer of the District
An Officer nominated by the District Election Officer (Collector)
The expenditure is debitable to concerning Municipal Board/Council/Corporation/ Panchayat Election Head.
This bears concurrence of Finance (Exp-V) Department vide their I.D.No 331900434 Dated 31.05.2019 .

Chief Electoral Officer &
Secretary,
State Election Commission, Rajasthan

STATE ELECTION COMMISSION, RAJASTHAN

(2nd Floor, Vikas khand, Secreatiat, Jaipur - 302005)
(Email-secraj@rajasthan.gov.in, Website -rajsec.rajasthan.gov.in)

No. F.1 (27)SEC/Acctt/2025-26/ 330 Date: 09.01.2026

From:

Chief Electoral Officer & Secretary,
State Election Commission, Rajasthan.

To:

All District Election Officers,
(Collectors) (Municipal/Panchayat)

Subject:- Regarding payment of Honorarium to officers deputed for imparting training to staff deployed for conducting Municipal /Panchayat General Election, 2026.

On the subject cited above **the payment of Honorarium to Officers deputed for imparting training to staff deployed for conducting Municipal / Panchayat General Election, 2026 will be made @ Rs. 500/- (Rupees Five Hundred Only) per session per Trainer subject to maximum of Rs. 1500/- (Rupees One Thousand Five Hundred Only) per day.**

The expenditure on this account will be debited to the concerned Municipal /Panchayat Budget Head.

This bears Concurrence of the Finance (Exp.-V) Department vide their I.D. No. 331900580 dated 30-07-2019

-Sd-

(Rajesh Verma)
Chief Electoral Officer & Secretary,
State Election Commission,
Rajasthan

<u>अत्यावश्यक</u>
<u>डाक / ई–मेल</u>

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

(द्वितिय तल विकास खण्ड सचिवालय जयपुर –302005)

क्रमांकः प.1(29)(2) रानिआ / लेखा / बजट / 2025–26 / 5199 दिनांकः 30.12.2025

प्रेषक–

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति–

जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर) समस्त।

विषयः–पंचायत राज संस्थाओं / नगरीय निकायों के आम चुनाव 2026 से संबंधित बजट मदों से व्यय करने सम्बन्धी दिशा निर्देश।

महोदय,

आगामी नगर निकाय एवं पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 से संबंधित बजट मदों से व्यय करने हेतु निम्नानुसार सामान्य दिशा निर्देश जारी किये जाते हैंः–

(अ) <u>स्टेशनरी / मतदान सामग्री का क्रयः–</u>

1. **यथा संभव नगर निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव हेतु सामग्री सेवाओं की कुल आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए एकजाई निविदा दरें प्राप्त की जाये। निविदा आमंत्रण में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 / नियम 2013 के प्रावधानों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाये।**

   सामग्री की प्राप्ति व निर्गमन हेतु नियमानुसार रिकार्ड संधारित किया जावे। व्यवस्था / सामग्री क्रय हेतु लिखित आदेश जारी किये जावें एवं निविदा के अनुबन्ध संपादित किए जावे।

2. चुनाव के दौरान प्रशिक्षण लेने एवं देने वालों की संख्या को ध्यान में रखते हुए टैन्ट, माइक एवं विद्युत व्यवस्था की जावे तथा सामग्री का व्यय वास्तविक उपयोग दिवस के लिए ही हो, इसका उल्लेख निविदा शर्तों में अनिवार्य रूप से किया जाये। उपयोगहीन दिवसों के लिए सामग्री का प्रमाणन एवं भुगतान नही किया जाये। कीमती फर्नीचर, सजावटी पर्दे, कारपेट, एवं कालीन आदि का उपयोग नहीं किया जाये।

3. प्रशिक्षण कार्यक्रम यथासंभव राजकीय परिसर, सामुदायिक केन्द्र, आडिटोरियम आदि में रखा जावे। ऐसे परिसर उपलब्ध ना होने की स्थिति में सिनेमा हॉल आदि को नियमानुसार अधिग्रहण कर उपयोग में लिया जायें।

4. प्रशिक्षण कार्यक्रम से पूर्व प्रशिक्षण हेतु पारियों की संख्या, प्रशिक्षणार्थियों की संख्यानुसार बैठक क्षमता एवं टैण्ट, माईक, लाईट आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जायें।

5. विद्युत व्यवस्था के लिए जहाँ तक संभव हो, अलग से कनेक्शन नहीं लिया जाए, संस्था के विद्युत मीटर से ही वास्तविक उपभोग की गणना कर विद्युत व्यय का भुगतान किया जाये।

6. विद्युत कनेक्शन नहीं होने या अन्य किसी कारण से जनरेटर की आवश्यकता हो तो कितनी क्षमता के जनरेटर की आवश्यकता है, इसका भी ध्यान रखा जावे। अनुपयोगी दिवसों के लिए भुगतान नहीं किया जायें।

7. प्रायः यह देखा गया है कि भण्डार/कार्यालय में कार्य करने हेतु बल्ब, हैलोजन भी किराये पर लिये जाते है जबकि स्टोर/कार्यालय में स्थायी बल्ब, हैलोजन एवं ट्यूब लाईट लगे होते हैं। अतः बल्ब, हैलोजन, ट्यूब लाईट आदि भण्डार/कार्यालय हेतु किराये पर नहीं लिये जायें।

8. कितने परिसर में विद्युत व्यवस्था की जानी है, यह भी पूर्व सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

9. **निविदा शर्तों/अनुमोंदित दरों की प्रतियॉ व्यवस्था प्रभारियों को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जावे एवं भुगतान सें पूर्व प्रस्तुत बिलों की जॉच सम्बधित प्रभारी अधिकारी से कराई जावे।**

10. **चुनाव के दौरान किराये पर ली जाने वाली सामग्री यथा टैन्ट, माईक, विद्युत एवं बैरिकेडिंग इत्यादि के भौतिक सत्यापन हेतु सक्षम अधिकारी के नेतृत्व में लेखाकर्मी तकनीकी कार्मिक को सम्मिलित करते हुए एक समिति का गठन किया जाये। यह कमेटी व्यवस्था के विभिन्न स्थानों पर व्यक्तिशः जाकर किराये पर प्राप्त की गई सामग्री की मात्रा, गुणवत्ता तथा उपयोग दिवसों का भौतिक रूप से सत्यापन कर वांछित पंजिका का संधारण करेगी। उक्त समिति उप जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में, व्यवस्था प्रभारी से सामंजस्य स्थापित करते हुए सम्पूर्ण कार्यवाही संपादित करेगी। बिलों के भुगतान से पूर्व उक्त कमेटी की रिपोर्ट को दृष्टिगत रखा जाये।**

11. **विडियोग्राफी तथा डिजीटल कैमरा फोटोग्राफी आयोग द्वारा निर्देशित संख्या एवं दिवसों के लिए ही की जावे।**

12. **नाम निर्देशन प्रस्तुत करते समय जिला निर्वाचन अधिकारी/ई.आर.ओ. कार्यालयों पर की जाने वाली बेरीकेडिंग, प्रशिक्षण स्थलों, मतदान व मतगणना केन्द्रों की बेरीकेडिंग के अतिरिक्त अन्य स्थलों/नगर की सड़कों पर कानून व्यवस्था हेतु की गई बेरीकेडिंग का भुगतान चुनाव फण्ड से नहीं किया जावे।**

13. स्टॉक इन्द्राज एवं प्रमाणन की प्रविष्टी बिल पर आवश्यक रूप से की जाये।

14. कार्यालय उपयोग के लिए जारी की जाने वाली सामग्री नियमानुसार मांगपत्र प्राप्त कर जारी की जावे। चुनाव के पश्चात् शेष सामग्री को स्टोर में वापस जमा किया जाये।

15. स्थाई प्रकृति/सौंदर्यकरण की सामग्री चुनाव फण्ड से क्रय नहीं की जाये।

16. चुनाव फण्ड से किसी भी प्रकार की मरम्मत/नवीन निर्माण कार्य आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना नही किया जाये।

17. **आवश्यकतानुसार उचित मात्रा में ही डाक स्टाम्प क्रय किये जाये।**

(ब) यात्रा भत्ता भुगतानः–

1. रिजर्व मतदान/मतगणना दल की संख्या, वास्तविक मतदान/मतगणना दलों के 10 प्रतिशत तक की सीमा में ही रखा जाना सुनिश्चित किया जायें।

2. चुनाव कार्य हेतु जिला मुख्यालय से बाहर के कार्मिकों को अनावश्यक रूप से अधिक लम्बे समय तक दैनिक भत्ता भुगतान की शर्त पर नहीं रखा जाये।

3. पंचायत चुनावों से संबंधित मतदाता सूची की तैयारी में लगे प्रगणकों को अत्यावश्यक यात्रा (अधिकतम तीन यात्रा) हेतु ही नियमानुसार यात्रा भत्ता भुगतान किया जाये। सामान्य स्टॉफ को तीन दिवस से अधिक यात्रा भत्ते के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त की जाये।

4. चुनाव के मतदान दल/मतगणना ड्यूटी में नियुक्त किये गये ऐसे कार्मिक जो किन्हीं अपरिहार्य कारणों से स्वेच्छा से चुनाव ड्यूटी निरस्त करवा लेते हैं, उन्हें प्रशिक्षण दिवसों के लिए यात्रा भत्ता (TA & DA) देय नहीं होगा।

5. कानून एवं सुरक्षा व्यवस्थार्थ लगे पुलिस कार्मिकों को TA & DA का भुगतान चुनाव मद से नही किया जावे।

(स) पी.ओ.एल/वाहन किराया भुगतानः–

1. जहां तक सम्भव हो नगर निकाय/ पंचायत आम चुनाव के लिए नियुक्त जोनल/एरिया मजिस्ट्रेट को सरकारी/निगमों/बोर्डो से अधिग्रहित वाहन उपलब्ध कराया जाये। विशेष परिस्थिति व सरकारी वाहनों की अनुपलब्धता पर ही प्राईवेट वाहनों का अधिग्रहण किया जाये। अनावश्यक व अधिक मात्रा में वाहनों का अधिग्रहण नही किया जाये। अधिग्रहित किये गये वाहनों को रवानगी दिवस से मात्र एक दिन पूर्व रिपोर्ट हेतु निर्देशित किया जाये तथा मतदान के बाद पार्टी के पहुँचने के पश्चात् अधिग्रहित वाहन को अतिशीघ्र मुक्त किया जाये।

2. चुनाव के लिए कुल आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए ही प्राईवेट/सरकारी वाहनों का अधिग्रहण किया जाये। मतदान दलों के लिए उपयोग में आने वाले वाहनों की संख्या के अधिकतम 10% तक ही वाहन रिजर्व में रखे जावें। रिजर्व वाहनों को कार्य समाप्ति के तुरन्त पश्चात् मुक्त किया जावें।

3. **एक ही रूट के मतदान केन्द्रों पर जाने वाले मतदान दलों की ग्रुपिंग इस प्रकार की जावे कि कम से कम वाहनों की आवश्यकता पड़े।**

4. नगर निकाय/पंचायत चुनाव के दौरान उपयोग में लिये जाने वाले जिला पूल के वाहनों की लघु मरम्मत पर रू. 2500/– प्रति वाहन से अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जाये। चुनाव अवधि से पूर्व/पश्चात कराए गए कार्य का भूगतान चुनाव मद से नही किया जावे।**वाहन के टायर ट्यूब, बेट्री, कुशन वर्क, पर्दे व ऐसेसरीज लघु मरम्मत की श्रेणी में सम्मिलित नही है।**

5. **सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिस वाहनों को पी.ओ.एल./वाहन किराया एवं मरम्मत आदि पर व्यय, चुनाव फण्ड से देय नहीं है।**

6. कलेक्ट्रेट कार्यालय व पूल के वाहन जो सामान्य कार्यालय के उपयोग हेतु लिये जाते हैं, उनका पी.ओ.एल. चुनाव फण्ड से वहन नहीं किया जाये। चुनाव हेतु उपयोग किये जाने वाले कलेक्ट्रेट/पूल के वाहनों को चुनाव उपयोग में लेने से पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जाये।

7. पी.ओ.एल. के कूपन जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के स्तर पर ही छपवाये जायें तथा अधिकृत कार्मिकों को ही कूपन जारी किये जाये। पी.ओ.एल. के कूपन वितरण के लिए समुचित अभिलेखों का संधारण किया जाये।

8. **वाहन किराया/पी. ओ. एल. के बिल अधिकतम एक माह के भीतर प्राप्त कर भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।**

(द) अन्य सामान्य निर्देश :–

1. आयोग द्वारा नियुक्त चुनाव पर्यवेक्षकों के सर्किट हॉउस/होटल/लॉज में ठहरने के दौरान भोजन/अल्पाहार तथा कमरें का किराया स्वयं के द्वारा (दैनिक भत्ते से) वहन किये जायेंगे। अतः उक्त व्यवस्था पर चुनाव फण्ड से किसी प्रकार का व्यय नही किया जाये।

2. नगर निकाय/पंचायत चुनाव से पूर्व/पश्चात के असंबद्ध बिलों का भुगतान चुनाव फण्ड से नही किया जाये। बजट आवंटन से अधिक व्यय आयोग की पूर्व स्वीकृति बिना नहीं किया जावे। अतिरिक्त बजट आवंटन की आवश्यकता होने पर औचित्य पूर्ण प्रस्ताव आयोग को प्रस्तुत करेंगे।

3. आयोग द्वारा स्वीकृत अस्थाई दूरभाष मात्र स्वीकृत अवधि व स्थानों पर ही स्थापित किये जाये। चुनाव के दौरान् लिये गये दूरभाषों का भुगतान समय पर करना सुनिश्चित करें।

4. आयोग द्वारा स्वीकृत दूरभाषों के अतिरिक्त कलेक्ट्रेट/ई.आर.ओ./तहसील कार्यालय व अधिकारियों के घरों पर पूर्व में ही स्थाई रूप से स्थापित दूरभाषों का भुगतान चुनाव फण्ड से नहीं किया जाये। आयोग की स्वीकृति के अतिरिक्त जिन दूरभाषों का भुगतान चुनाव फण्ड से वहन किया जाना आवश्यक है, उसकी स्वीकृति (निर्धारित अवधि हेतु) राज्य निर्वाचन आयोग से आवश्यक रूप से प्राप्त की जाये।

5. कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिस कर्मियो को अल्पाहार एवं चाय नाश्ते आदि की व्यवस्था चुनाव मद से नही की जायें। **केवल मतगणना के दौरान मतगणना स्थल परिसर के भीतर नियुक्त पुलिस कर्मियों को ही चुनाव मद से अल्पाहार की व्यवस्था की जाये।**

6. पुलिस/सुरक्षा दलों के ठहरने के स्थानों की टैण्ट/विद्युत व्यवस्था चुनाव फण्ड से नही की जाये। **किन्तु पुलिस अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया एवं आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों की जानकारी हेतु प्रशिक्षण की समस्त व्यवस्थाओं का व्यय जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव मद से किया जा सकेगा।**

7. चुनाव के समय मतदान दलों/मतगणना दलों/जोनल मजिस्ट्रेट आदि के प्रशिक्षण/रवानगी व मतगणना आदि का कार्य यथा संभव राजकीय कार्यालयों/भवनों में ही किया जाये।

8. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम की प्रदत्त शक्तियों/बजट सीमा के बाहर एवं आवश्यकता से अधिक मात्रा में ए.सी. बिलों का आहरण नहीं किया जाये। ए.सी. बिलो के डी.सी. बिल निर्धारित समय (एक माह) के भीतर कोष कार्यालय के माध्यम से महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित किये जायें एवं प्रेषित किये गये डी. सी. बिल के मुख्य तथा पृष्ठ भाग की छायाप्रति राज्य निर्वाचन आयोग को आवश्यक रूप से प्रेषित की जाये।

9. चुनावों के दौरान भारी मात्रा में अस्थायी अग्रिम नहीं दिया जाये एंव दिये गये अग्रिम का समायोजन नियमानुसार चार सप्ताह में अनिवार्य रूप से कराया जावे। निर्धारित अवधि के पश्चात् समायोजन की स्थिति में नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जाये।

10. विभिन्न चुनाव कार्यो हेतु अन्य विभागों/कार्मिकों को दिये गये अग्रिम के संबंध में कार्य समाप्ति के तुरन्त पश्चात्, व्यय का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाये।

11. रोकड बही का नियमानुसार संघारण, सत्यापन, आकस्मिक जाँच की जावे एवं रोकड बही में अधिक मात्रा व अधिक समय तक राशि अवितरित नहीं रखी जाये।

12. चुनाव अवधि के दौरान आहरित की जाने वाली नगद राशि डबल लॉक में पूर्ण सुरक्षा के साथ रखी जाये ताकि चोरी इत्यादि के मामलों से बचा सके।

13. **नगर निकाय एवं पंचायत चुनाव के समस्त व्यय का भुगतान चुनाव सम्पन्न होने के एक माह के भीतर करना सुनिश्चित करें। चुनाव सम्पन्न होने के एक माह पश्चात् किसी भी दायित्व/व्यय का भुगतान करना संभव नहीं होगा।** फोटोस्टेट बिलों का भुगतान नियमानुसार निविदा प्राप्त किये जाने के आधार पर ही किया जाये। निविदा आवश्यकता के आधार पर ई.आर.ओ. स्तर पर भी की जाये एवं फोटोस्टेट कराने की प्रक्रिया में यह भी सुनिश्चित करें, कि किसके द्वारा किस दस्तावेज की फोटो प्रति कराई है। अधिकृत व्यक्ति की Slip से ही फोटो प्रति कराई

जावे। इस कार्य हेतु जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर 3–4 लोगों को अधिकृत करना उचित होगा।

14. आयोग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे।

15. लोकसभा/विधानसभा चुनाव के दायित्वों का भुगतान नगर निकाय/पंचायत चुनाव बजट से नहीं किया जावे।

16. चुनाव में प्राप्त राजस्व को अविलम्ब राजकोष में जमा कराया जावे।

17. पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के आम चुनाव/उपचुनावों में अभ्यार्थियों की जब्त जमानत/अवितरित राशि का लेखा संधारण एवं राजकोष में जमा कराने के संबंध में आयोग के परिपत्र क्रमांक पं.2(8)लेखा/रानिआ/94/2283 दिनांक 09.07.2019 एवं समसंख्यक परिपत्र क्रमांक 2178 दिनांक 20.06.2019 की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

18. निर्वाचन संबंधी मदवार व्यय रिपोर्ट संलग्न प्रपत्र में प्रति पखवाड़े आयोग को Online/Hard Copy के माध्यम से प्रेषित की जावे।

जिला निर्वाचन अधिकारी व्यक्तिगत रूप से चुनाव के व्यय के संबंध में उपरोक्त दिशा निर्देशों की पालना कराया जाना सुनिश्चित करें। उपरोक्त दिशा निर्देशों को चुनाव की विभिन्न व्यवस्थाओ में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के ध्यान में भी लाया जावे।

भवदीय,
ह0
(राजेश वर्मा)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

Office of District Election Officer...

Statement of Monthly Detailed Expenditure on...

Budget Head ....Month.........................

1	Bill No. & Date	TV No.	date	Honorarium	T.A. /D.A.	P.O.L./ Hire Charges	Stationery	Videography	Refreshment	Postage Telephone & Fax	Ex-Gratia on Death	Ballot Box Repair/Oil Greasing	Outright Payment	Tent/ Barricading / Electrical Expe.	Strong	Voter List Preparation Expenditure	Ballot Paper Printing	Polling Material	Remuneration for Voter List	Photo State	Exp. On EVM's FLC	miss Expenses	Total Paid Amount
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
	Total of This Month																						
	Expenditure upto last Month																						
	Total Expendiyure																						
	Budget Alloted by SEC																						
	Balance Available																						

Signature of

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
email- secraj@rajasthan.gov.in, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः प.1(20)(2)/रानिआ/लेखा/बजट/2025–26/528 दिनांकः 16.01.2026

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 3848 दिनांक 07.10.2019 के अतिक्रमण में नगर निकायों एवं पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त/नियोजित कार्मिकों, होम गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस (कानून–व्यवस्था को छोड़कर) के यात्रा भत्ता भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यात्रा भत्ता की समान दरें निर्धारित है, जो निम्नानुसार हैः–

1. इन नियमों में जिन शर्तों का कोई विशेष अर्थ नही दिया गया है उनका अर्थ राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 1971 में विहित है, जो समय–समय पर संशोधित किये जाते है।
2. यात्रा भत्ता दावेः– चुनाव ड्यूटी पर कार्यरत सभी कार्मिकों के यात्रा भत्ता दावें संबंधित जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आहरित एवं संवितरित किये जायेंगे। यह व्यय सम्बंधित चुनाव बजट मद (नगरनिकाय/पंचायत) से किया जायेगा।
3. दैनिक भत्ताः– मतदान/मतगणना ड्युटी में नियोजित समस्त कार्मिकों (आरक्षित दल सहित) को प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने, मतदान सामग्री एकत्रित करने एवं मतदान/मतगणना ड्युटी के लिये की गई यात्रा हेतु निम्न दरों पर दैनिक भत्ते का भुगतान किया जायेगाः–

S.No.	Name of post	Daily Allowance per day or part thereof
1	Sector officer/Area/Zonal Magistrate	Rs. 600 Per Day
2	Returning Officer (Panchayat)	Rs. 500 Per Day
3	Presiding Officer	Rs. 500 Per Day
4	Polling Officer	Rs. 400 Per Day
5	Asstt. Polling Officer(Class-IV)	Rs. 350 Per Day
6	Counting Supervisor	Rs. 500 Per Day
7	Counting Assistant	Rs. 450 Per Day
8	Police Personnel (attach with Polling Party/Zonal Magistrate)	Rs. 400 Per Day
9	Other Staff(As per Class-IV)	Rs. 350 Per Day

नोटः–

(i) उपरोक्त दरें चुनाव कार्य में धारित पदानुसार निर्धारित की गई है। मतदान/मतगणना कार्यो के लिये कार्मिकों को होटल चार्जेज देय नही होंगे।

(ii) प्रशिक्षण कार्य में भाग लेने वाले कार्मिकों को दैनिक भत्ता देय होगा।

(iii) मतदान/मतगणना कार्मिकों को उपरोक्त दैनिक भत्ते की देयता जिला निर्वाचन अधिकारी या उनके द्वारा अन्य अधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित रिर्पोटिंग समय से होगी।

(iv) नगरनिकाय/पंचायत चुनाव के दौरान मतदान दिवस को जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदान केन्द्र पर मतदान दल की सहायतार्थ तैनात की गई महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को राशि रूपये 250/– की दर से दैनिक भत्ता एवं अल्पाहार/लंच पैकेट देय होगा।

4. राज्य सरकार के कार्मिक को यात्रा भत्ता की देयता निम्नानुसार होगीः–

(i) ऐसे सरकारी कार्मिक जिनका मुख्यालय रिपोर्टिंग सेन्टर से 15 किमी. की परिधि में है, वे माइलेज भत्ते हेतु पात्र नही होंगे। कस्बे व शहर की स्थिति में यह सीमा संबंधित नगर निकाय की सीमा तक विस्तृत होगी।

(ii) मतदान/मतगणना ड्यूटी में नियुक्त कार्मिक यदि अपने मुख्यालय से 15 किमी दूर ड्यूटी पर है तो उसे दैनिक भत्ते के अलावा राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 1971 के प्रावधानों के अनुसार यात्रा भत्ता देय होगा।

5. प्रभारी अधिकारी द्वारा ड्यूटी सत्यापन पश्चात भुगतानः– यात्रा भत्ता व दैनिक भत्ते का भुगतान दावों की जांच उपरान्त संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा संबंधित चुनाव बजट मद से देय होगा। जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव ड्यूटी पर प्रतिनियुक्त पुलिस कार्मिको के लिये पृथक रजिस्टर (मतदान कर्मियों के रजिस्टर की तर्ज पर) बनाया जायेगा। प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत यात्रा भत्ता बिल सत्यापन पश्चात् अविलम्ब रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टी की जावेगी। सामान्य कानून एवं व्यवस्था में प्रतिनियुक्त पुलिस कार्मिकों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नही होगा।

6. मतदान/मतगणना दल के सदस्यों के अतिरिक्त चुनाव कार्य में सम्मिलित कार्मिकों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता का भुगतान राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 1971 के अनुसार देय होगा।

7. मतदान दलों को अल्पाहारः– चुनाव कार्य में नियुक्त मतदान दल कार्मिक(पुलिस कार्मिक सहित), होम गार्ड/फॉरेस्ट गार्ड/ग्राम रक्षक दल/NCC (service) भूतपूर्व सैनिक/CPF/BLO/मतदान बूथ सहायक आदि को वास्तविक मतदान दिवस पर अल्पाहार हेतु लंच पैकेट अथवा 150/– नकद का भुगतान किया जाये। हालांकि यह भी स्पष्ट किया जाता है कि चुनावी कार्य में तैनात कार्मिकों को वास्तविक मतदान दिवस के लिये ही अल्पाहार हेतु भुगतान किया जाये। सामान्य कानून एवं व्यवस्था में तैनात पुलिस कार्मिकों को अल्पाहार देय नही होगा। उपरोक्त व्यय संबंधित चुनाव बजट मद से जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जायेगा। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस हेतु किये गये व्यय का लेखा अनिवार्य रूप से रखा जायेगा।

8. मतगणना कर्मचारियों को अल्पाहारः– मतगणना केन्द्रों पर नियुक्त कार्मिकों (पुलिस कार्मिकों सहित) को अल्पाहार हेतु लंच पैकेट अथवा 150/– रू. नकद भुगतान किया जाये। यह भुगतान मतगणना केन्द्रों पर वास्तविक मतगणना दिवस पर मतगणना कार्मिकों को किया जायेगा। सामान्य कानून एवं व्यवस्था में नियोजित पुलिस कार्मिकों को अल्पाहार का भुगतान मान्य नही होगा। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस हेतु किये गये व्यय का लेखा अनिवार्य रूप से रखा जायेगा।

9. मतदान दलों के सदस्यों हेतु यात्रा भत्ता बिल बनाने की प्रक्रिया, जांच और भुगतानः–

(i) सभी मतदान कार्मिकों द्वारा प्रशिक्षण के अन्तिम दिन Part-I व Part-II की प्रविष्टी पूर्ण करने के उपरान्त संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष अपना यात्रा भत्ता दावा (प्रपत्र संलग्न कर) एक प्रति में प्रस्तुत किया जायेगा। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यात्रा भत्ता दावों में वर्णित उपस्थिति को सत्यापित किया जायेगा।

(ii) जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव ड्यूटी में नियम–3 के अनुसार भुगतान हेतु मान्य कुल कार्य दिवस की प्रविष्टी Part-III में की जायेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के लिये यात्रा भत्ता दावों की एक प्रति कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी। यात्रा भत्ता दावों का विवरण प्रतिलिपि (Duplicate) में तैयार किया जा सकता है और इस विवरण की एक प्रति Bill के साथ महालेखाकार कार्यालय राजस्थान जयपुर को भेजी जाये एवं एक अन्य प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में सुरक्षित रखी जायेगी।

(iii) जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान समाप्ति पश्चात् मुख्यालय वापसी तक के किराये सहित यात्रा भत्ता एवं अन्य दावे की जॉच की जायेगी।

(iv) जिला निर्वाचन अधिकारी मतदान दलों को देय यात्रा भत्ता एवं अन्य दावों की उपरोक्त विवरणानुसार गणना करेगा। गणना की गई राशि के समान राशि का भुगतान मतदान दल कर्मियों को मतदान सामग्री प्रदान करते समय या मतदान के अन्तिम दिन से पूर्व किया जायेगा।

(v) पीठासीन अधिकारी मतदान दल के सभी सदस्यों के यात्रा भत्ता एवं अन्य दावे के बिलों को मतदान ड्यूटी से मुक्त होने के समय स्वयं के यात्रा भत्ता एवं अन्य बिलों की उचित रसीद प्रत्येक मतदानकर्मी से प्राप्त करेगा।

(vi) चुनाव ड्यूटी से मुक्त होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा यात्रा भत्ता एवं अन्य दावों का लेखा (प्राप्ति रसीद की प्रतिलिपि संलग्न कर) संबंधित काउन्टर पर जमा कराया जायेगा।

10. पीठासीन अधिकारी द्वारा नगर निकाय/पंचायत चुनाव हेतु जब्त जमानत राशि एवं अवितरित जमानत राशि को संबंधित काउन्टर पर जमा कराया जायेगा। तत्पश्चात आयोग के कार्यालय आदेश क्रमांक 2178 दिनांक 20.06.2019 एवं क्रमांक 2283 दिनांक 09.07.2019 के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपरोक्त आशय का लेखा संधारित कर प्राप्त जब्त जमानत राशि को संबंधित मद में जमा कराया जायेगा।

11. पुलिस कार्मिक (सामान्य कानून एवं व्यवस्था के अतिरिक्त), होम गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड SPO मतदान पार्टी/सेक्टर ऑफिसर/जोनल मजिस्ट्रेट/एरिया मजिस्ट्रेट आदि पर यह नियम लागू होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनावी बजट से इनके यात्रा भत्ता दावों का भुगतान किया जायेगा।

12. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा यात्रा भत्ता दावों हेतु रजिस्टर का संधारणः– संबंधित जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान दलों (पुलिस कार्मिकों सहित) के यात्रा भत्ता दावों हेतु एक रजिस्टर संधारित किया जायेगा। मतदान दल सदस्यों द्वारा यात्रा भत्ता बिल प्रस्तुत किये जाने पर ड्यूटी सत्यापनकर्ता अधिकारी के नाम सहित अन्य आवश्यक इन्द्राज रजिस्टर में किये जायेंगे।

13. नगर निकाय/पंचायत चुनाव में मतदान/मतगणना ड्यूटी में नियुक्त किये गये ऐसे कार्मिक जो किन्हीं अपरिहार्य कारणों से स्वेच्छा से ड्यूटी निरस्त करवा लेते है, उन्हें प्रशिक्षण दिवसों के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

14. उपरोक्त निर्देश समस्त कार्मिक यथा राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, स्थानीय स्वायत संस्थानों, निकायों, सरकारी व अर्द्ध सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों, विश्वविद्यालयों आदि पर लागू होंगे।

यह आदेश वित्त विभाग (व्यय–V) की आई.डी. संख्या 101704852 दिनांक 06.10.2017 (यात्रा भत्ता दर), आई.डी. संख्या 331900439 दिनांक 11.06.2019 (अल्पाहार दर) एवं आई.डी. संख्या 332600015 दिनांक 08.01.2026 के क्रम में जारी किया गया है।

(राजेश वर्मा)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः प1(29)(2)रानिआ / लेखा / बजट / 2025–26 / 953 दिनांकः 24.01.2026

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान जयपुर।

प्रेषिति,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर निकाय),
(कलक्टर), राजस्थान।

विषयः–नगर निकाय आम चुनाव 2026 की वीडियोग्राफी व टैण्ट–बैरीकेडिंग, विद्युत एवं माईक व्यवस्था पर व्यय सीमा निर्धारण बाबत।

नगर निकाय आम चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने एवं राज्य में स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन हेतु वीडियोग्राफी कराये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश आयोग के पत्रांक प.1(4)(1)नपा / रानिआ / 14 / 187 दिनांक 06.01.2026 द्वारा प्रदान किये हुए हैं। आगामी नगर निकाय आम चुनाव 2026 के लिये की जाने वाली वीडियोग्राफी (नामांकन तिथि से मतगणना तक) तथा टैण्ट / बैरीकेडिंग,विद्युत व्यय / माईक व्यवस्था पर होने वाले व्यय में मित्तव्ययता को दृष्टिगत रखते हुए मतदान केन्द्रों की संख्या के आधार पर प्रति निकाय निम्नानुसार व्यय की सीमा निर्धारित की जाती है–

क्र.सं	मतदान केन्द्रों की संख्या	विडियोग्राफी	टैण्ट / बैरीकेडिंग,विद्युत व्यय / माईक व्यवस्था
1.	01 से 34 मतदान केन्द्रों तक	55,000	82,000
2.	35 से 59 मतदान केन्द्रों तक	82,000	1,10,000
3.	60 से 100 मतदान केन्द्रों तक	1,10,000	1,65,000
4.	101 से 200 मतदान केन्द्रों तक	1,65,000	3,30,000
5.	201 से 300 मतदान केन्द्रों तक	2,20,000	4,40,000
6.	300 से अधिक मतदान केन्द्रों	3,30,000	5,50,000

टैण्ट / बैरीकेडिंग के संबंध में यह भी निर्देशित किया जाता है कि मतदान दलों / मतगणना दलों के प्रशिक्षण कार्यक्रम यथासंभव राजकीय परिसर / सामुदायिक केन्द्र या ऑडिटोरियम आदि में आयोजित किया जावे। प्रशिक्षण / रवानगी दिवसों में अन्य विकल्प नहीं होने की दशा में टैण्ट की व्यवस्था आवश्यक हो तो साधारण टैण्ट की व्यवस्था की जावे तथा टैण्ट आदि का भुगतान वास्तविक उपयोग दिवस के लिए ही किया जावें।

वीडियोग्राफी के संबंध में यह भी निर्देशित किया जाता है किए आदर्श आचार संहिता की पालना के बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए नामांकन की तिथि से मतदान दिवस, मतगणना दिवस तथा अध्यक्षध्उपाध्यक्ष के चुनाव दिवस पर महत्वपूर्ण घटनाओं की वीडियो ग्राफी की जा सकेगी।

उक्तानुसार निर्धारित व्यय सीमा (सीलिंग) की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे। विशेष परिस्थिति में अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता प्रतीत होने पर आयोग की पूर्व अनुमति आवश्यक रूप से प्राप्त की जावे।

सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः प.2(8)लेखा/रानिआ/94/2283 **दिनांक :09.07.2019**

परिपत्र

राजस्थान नगर पालिका (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 22 में चुनाव में वैध मतों के 1/6 से कम मत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की जमानत राशि जब्त करने संबंधी प्रावधान है। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग–1 के नियम 6 के अनुसार राज्य सरकार की बकाया या अभिरक्षा के रूप में प्राप्त धनराशियां राज्य की संचित निधि अथवा लोक लेखा में जमा करायी जायेगी। आयोग के ध्यान में ऐसे मामले आये हैं जिसमें जमानत राशि को लम्बे समय तक राजकोष में जमा नहीं करवाया गया हैं। ऐसी राशि को समय पर राजकोष में जमा नहीं कराना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त लम्बे समय तक राजकीय जमाओं को राजकोष में जमा नहीं कराने से ऐसे धन के दुरूपयोग होने के साथ गबन की संभावना भी बनी रहती है।

प्रकरण में समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांकः प. 2(8)लेखा/रानिआ/94/1415 दिनांक 05.04.2018 का अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार दिशा–निर्देश प्रदान किये जाते हैः–

1. नगर निकाय (नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम) चुनाव हेतुः–

(i) नगर निकाय संस्थाओं के चुनाव में अभ्यर्थिता वापस लेने वाले तथा जिन अभ्यर्थियों ने कुल वैध मतों के 1/6 या इससे अधिक मत प्राप्त किये है, उनकी जमानत राशि चुनाव परिणाम घोषित होने के पश्चात् 15 दिवस में अभ्यर्थी के प्रपत्र–1 में आवेदन करने पर वापस की जायेगी।

(ii) वे अभ्यर्थी जिन्होंने उक्त निर्वाचनो में वैध मतों का 1/6 या इससे अधिक मत प्राप्त किये हैं, उनके द्वारा यदि बिन्दु सं. 1 में दर्शायी गयी प्रक्रिया के अनुसार प्रपत्र 1 में अभ्यर्थी द्वारा जमानत राशि की मांग नहीं करने पर इस राशि को अवितरित मानते हुए अगले 7 दिवस में संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जरिये चालान संबंधित बजट मद में राजकोष में जमा कराया जायेगा। (प्रपत्र–3)

(iii) नगर निकायों के परिणाम घोषित होने के तीन दिवस में रिटर्निंग अधिकारी चुनाव लड़ने वाले उन अभ्यर्थियों, जो निर्वाचित नहीं हुए हैं तथा जिन्हें वैध मतों के 1/6 से कम मत प्राप्त हुए हैं, उनकी जमानत राशि जब्त करने के आदेश प्रपत्र–2 में जारी करेंगे, तथा उक्त जब्त जमानत राशि को संबंधित रिटर्निंग अधिकारी राजकोष में 7 दिवस में संबंधि बजट मद में जरिये चालान जमा करायेंगे।

(iv) जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा समस्त जिले का लेखा संधारण कर संकलित सूचना प्रपत्र–4 में 30 दिवस में राज्य निर्वाचन आयोग में प्रेषित की जायेगी तथा उक्त लेखों की जाँच अंकेक्षण के दौरान भी की जा सकेगी।

2. नगर निकाय चुनाव हेतु प्राप्त जब्त जमानत राशि को निम्नानुसार मद में जमा कराया जायेगा :–

0217 – शहरी विकास
60 – अन्य शहरी विकास योजनाएं
800 – अन्य प्राप्तियां
03 – विविध प्राप्तियां

3. नगर निकाय चुनाव में प्राप्त अवितरित जमानत राशि निम्नानुसार मद में जमा कराया जायेगाः–

8443 – सिविल जमा
00 –
103 –
00 –

– ह0 –
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

प्रपत्र–1

नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम के अध्यक्षों द्वारा चुनाव में नाम वापस लेने अथवा कुल वैध मतों के 1/6 से या अधिक मत प्राप्त करने की स्थिति में जमानत राशि लौटाने के आवेदन का प्रारूप

सेवा में,

रिटर्निंग अधिकारी,
नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगम ....
जिला ....

विषयः– जमानत राशि लौटाने के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम के अध्यक्ष/सदस्य वार्ड सं. .... पद के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया था जिसके साथ जमानत राशि रू. ..../– जरिये रसीद संख्या.........../दिनांक .... जमा करायी गयी थी। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि मेरी जमा जमानत राशि लौटाने का श्रम करावें, क्योंकि –

1. **मैंने नाम निर्देशन पत्र नियत तिथि से पहले वापस ले लिया है।**

या

2. **मैंने डाले गये कुल वैध मतों के 1/6 या इससे अधिक मत प्राप्त किये है।**

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
नाम ....
नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम
के अध्यक्ष/सदस्य ....

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी की जमानत राशि क्रम संख्या ...... में वर्णित कारण से लौटाने योग्य है।

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी से ली जाने वाली रसीद का प्रारूप

मेरे द्वारा जमा कराई गई जमानत राशि ..../– रसीद संख्या .... के पेटे आज दिनांक .... को प्राप्त कर ली गई है।

(भुगतान प्रमाणित)

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम ....

हस्ताक्षर अभ्यर्थी
नाम ....
..

नोटः– मूल रसीद प्राप्त कर संलग्न की जावें।

प्रपत्र–2

नगर पालिका / नगर परिषद / नगर निगम .... जिला ....

रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जमानत राशि जब्त करने संबंधी प्रपत्र का प्रारूप

आदेश

राजस्थान नगर पालिका (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 22 के अन्तर्गत नगर पालिका / नगर परिषद / नगर निगम अध्यक्ष एवं सदस्य के चुनाव में निम्नलिखित अभ्यर्थियों, जो निर्वाचित नहीं हुए है एवं कुल वैध मतों के 1/6 से कम मत प्राप्त करने के कारण उनकी जमानत राशि जब्त की जाती है।

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम मय पिता / पति का नाम	निर्वाचन का प्रकार अध्यक्ष / सदस्य (सदस्य के निर्वाचन की स्थिति में वार्ड सं. अंकित करें)	श्रेणी (SC, ST, OBC, Gen., महिला)	जमानत राशि	रसीद संख्या एवं दिनांक	जब्ती योग्य जमानत राशि का विवरण

हस्ताक्षर
रिटर्निंग अधिकारी नगर पालिका / नगर परिषद / नगर निगम
नाम ....

प्रपत्र–3

नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम .... जिला ....

रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जब्त तथा अवितरित जमानत राशि के विवरण का प्रारूप

आदेश

राजस्थान नगर पालिका (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 22 के अन्तर्गत नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम के अध्यक्ष एवं सदस्यों के चुनाव में जब्त अमानत राशि एवं अवितरित जमानत राशि का विवरण।

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम मय पिता/पति का नाम	निर्वाचन का प्रकार अध्यक्ष/सदस्य (सदस्य के निर्वाचन की स्थिति में वार्ड सं. अंकित करें)	श्रेणी (SC, ST, OBC, Gen., महिला)	जमानत राशि	रसीद संख्या एवं दिनांक	जमानत राशि का विवरण		7 व 8 का योग
						जब्ती योग्य जमानत राशि	अवितरित जमानत राशि का विवरण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								

कुल जमा योग्य राशि रू. ..../– अक्षरे राशि रू. .... मात्र।

हस्ताक्षर
रिटर्निंग अधिकारी
नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम ....
जिला ....

क्रमांक : **दिनांक :**

प्रतिलिपिः– जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला .... को जमानत राशि का लेखा मय चालान की प्रति के साथ प्रेषित है।

हस्ताक्षर
रिटर्निंग अधिकारी
नगर पालिका/नगर परिषद............
जिला ....

प्रपत्र–4

जिले का नाम ....

नगर निकाय संस्थाओं के चुनावों में प्राप्त जमानत राशि जमा कराने का संकलित विवरण

क्र. सं.	जिले में स्थित नगर निकायों के नाम	जमानत राशि का विवरण				4 व 6 का योग	चालान नं. /दिनांक
		जब्ती योग्य जमानत राशि		अवितरित जमानत राशि			
		अभ्यर्थियों की संख्या	राशि	अभ्यर्थियों की संख्या	राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8

कुल राशि रू. ..../– अक्षरे राशि रू. .... मात्र।

हस्ताक्षर
जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला ....

क्रमांक : **दिनांक :**

प्रतिलिपिः– सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर (राजस्थान) को सूचनार्थ प्रेषित है।

हस्ताक्षर
जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला ....

(77)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः प.1(9)/रानिआ/लेखा/बजट/2025–26/541 दिनांकः16.01.2026

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति,

जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत/नगर निकाय),
कलक्टर (समस्त),राजस्थान।

विषयः – पंचायतीराज संस्थाओं/नगरीय निकाय आम चुनाव–2026 मे मतदान दलों के कार्मिकों को प्रशिक्षण दिवस पर अल्पाहार/भोजन व्यवस्था बाबत्।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं/नगरीय निकाय आम चुनाव–2026 में मतदान दलों के कार्मिकों को चुनाव संबंधी प्रशिक्षण के दौरान अल्पाहार/भोजन व्यवस्था हेतु निम्नानुसार दरें निर्धारित की जाती हैः–

1. आधे दिवस के प्रशिक्षणो हेतु राशि रु 75/– प्रति प्रशिक्षणार्थी
2. पूर्ण दिवस के प्रशिक्षण हेतु राशि रू 150/– प्रति प्रशिक्षणार्थी

जिला निर्वाचन अधिकारी उक्त निर्धारित दरों की सीमा में अल्पाहार/भोजन व्यवस्था हेतु व्यय विभागीय दिशा–निर्देशों, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम–2012 एवं नियम–2013 में निर्धारित प्रक्रिया की पालना अपने स्तर पर सुनिश्चित करावें।

उक्त व्यय संबंधित चुनाव मद से वहन किया जायेगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–5) विभाग की आई.डी.संख्या 332600040 दिनांक 12.01.2026 के अनुसरण में प्रदान की जाती है।

(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

भाग – 14

विविध

(78)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in , FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/666 दिनांकः 20.01.2026

आदेश

राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 513 दिनांक 07.11.1994 एवं 7127 दिनांक 04.01.2010 को अधिक्रमित करते हुए निर्दिष्ट किया जाता कि उक्त नियम में विहीत किये गये ऐसे सभी प्रपत्र जो कि अभ्यर्थियों के उपयोग के है, उन्हे इच्छुक व्यक्तियों को निःशुल्क वितरित किये जाने के आदेश जारी किये जाते है तथा इन प्रपत्रों की छायाप्रति भी स्वीकार्य होंगी। साथ ही आयोग द्वारा मतदान केन्द्रों की सूची के विक्रय मूल्य की दरें निर्धारित की गयी है जो निम्नानुसार हैः–

1. मतदान केन्द्रों की सूची की दर – रू. 2/– प्रति पृष्ठ एक तरफ
   (प्रविष्टियों की संख्या की परवाह किये बिना प्रति पृष्ठ)

2. मतदान केन्द्रों की सूची की दर – रू. 4/– प्रति पृष्ठ दोनों तरफ
   (प्रविष्टियों की संख्या की परवाह किये बिना)

उपरोक्त दरों में कागज की लागत सम्मिलित है तथा विक्रय से प्राप्त राशि संबंधित नगरपालिका एवं पंचायत मद में जमा करवायी जाएगी।

भवदीय,
ह0
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक एफ. 1(4)(1)नपा/रानिआ/14/1614 दिनांकः 11.02.2026

आदेश

सां.आ. 159/2026 – **राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 75** के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन संबंधी कागज–पत्रों के निपटाने के संबंध में निर्देश देता है कि आयोग द्वारा या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिये गये किसी प्रतिकूल निर्देश के अधीन रहते हुये और नीचे पैरा–4 में समाविष्ट अनुदेशों के अधीन रहते हुये निर्वाचन संबंधी कागज–पत्रों को नीचे बताते हुये ढंग से निपटाया जा सकेगा :–

(1) नियम 75 (क) के अधीन निर्देश :

(क) मतदान की समाप्ति के पश्चात् पीठासीन अधिकारियों द्वारा लौटाये गये और नियम 75 के खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रतिपर्ण सहित अप्रयुक्त मतपत्रों के पैकिटों को जो दो तालों (Double lock) वाले स्टील ट्रकों में 6 माह की अवधि तक रखे हुये हैं, निर्वाचन की समाप्ति के पश्चात् कोषागार में रखा जायेगा और तत्पश्चात् नष्ट कर दिया जायेगा।

(ख) रिटर्निग अधिकारी के पास मतदान केन्द्रों पर उपयोग करने के लिये पीठासीन अधिकारियों को जारी करने के बाद बचे हुये अवितरित मतपत्रों का प्रतिपर्ण सहित स्टॉक, मतदान के तुरन्त बाद जिला निर्वाचन अधिकारी को वापिस कर दिया जायेगा और जिला नगरपालिक निर्वाचन अधिकारी इस प्रकार के मतपत्रों को 6 माह तक रखेगा तत्पश्चात् उसके पर्यवेक्षण के अधीन ऊपर विनिर्दिष्ट रीति से उन्हें नष्ट किया जा सकेगा।

2. नियम 75 (ख) के अधीन निर्देश :

(क) नियम 74 में निर्दिष्ट प्रयुक्त मतपत्रों चाहे वे गिने हुये हों, रद्द हों, विधि मान्य हो या निविदत्त हो, के मोहरबन्द पैकिटों को (उन पैकिटों को छोडकर जिनमें प्रयुक्त मतपत्रों के प्रतिपर्ण रखे हैं), और निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रतियों के पैकिटों, प्ररूप–14क में मतदाताओं के रजिस्टरों से युक्त पैकेट, निर्वाचकों द्वारा और उनके हस्ताक्षरों के सत्यापन की घोषणाओं के पैकेटों को जिन्हें मोहरबन्द स्टील के ट्रकों में रखकर दो तालों में बन्द करके कोषागार में रखा गया है, निर्वाचन की समाप्ति के पश्चात् एक वर्ष की अवधि तक रखा जावे और फिर नष्ट कर दिया जावे।

(ख) नियम 74 तथा नियम 75 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रयुक्त मतपत्रों के प्रतिपर्णों वाले पैकिटों को निर्वाचन की समाप्ति के पश्चात् एक वर्ष की अवधि तक रखा जायेगा और उसके बाद, सिवाय उन मामलों के जिनके संबंध में निर्वाचन याचिकायें या निर्वाचन अपीलें, या प्रतिरूपण के लिये अभियोजन विचाराधीन हो, सभी मामलों में आयोग के अनुमोदन पश्चात उन्हें नष्ट कर दिया जायेगा।

(3) नियम 75 (ग) के अधीन निर्देश :

(क) अनुलग्नक में विनिर्दिष्ट कागज–पत्रों को परिणाम की घोषणा होने की दिनांक से 6 माह बीत जाने पर नष्ट कर दिया जायेगा,

(ख) आक्षेपित मतों की सूची (प्ररूप–13) और आक्षेप फीस की वसूली के लिये उपयोग में ली गई रसीद, बुक, निवारक निरोध में रोके गये मतदाताओं को डाक मतपत्रों के प्रेषण

रजिस्टर और नाम निर्देशन पत्रों के प्ररूपों को परिणाम की घोषणा होने की दिनांक से 5 वर्ष व्यतीत होने से पूर्व, या उनकी लेखा परीक्षा होने और यदि लेखा परीक्षा की आपत्तियों का यदि कोई हो, निराकरण हो जाने तक, जो भी पहले हो नष्ट नहीं किया जाना चाहिये,

(ग) किसी व्यक्ति को पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी नियुक्त किये जाने का प्रत्येक आदेश उस निर्वाचन की समाप्ति से जिससे नियुक्ति सम्बन्धित हो, तीन वर्ष बीतने के पहले नष्ट नहीं किया जाना चाहिये,

(घ) अन्तिम परिणाम–पत्र (प्ररूप–21) और निर्वाचन के परिणाम की घोाषणा (प्ररूप–22) को निर्वाचन के स्थाई अभिलेख के रूप में रखा जाना चाहिये,

(ड.) निक्षेपों से संबंधित रजिस्टरों को राजस्व रजिस्टरों को नष्ट किये जाने की रीति के अनुसार ही नष्ट किया जाये, किन्तु किसी भी दशा में इन रजिस्टरों को दस (10) वर्ष से पहले नष्ट नहीं किया जायेगा।

(4) याचिका के अनिर्णित रहने तक कागज–पत्रों को रोके रखना :

जहां कहीं कोई निर्वाचन याचिका सक्षम न्यायालय द्वारा विचारण के लिये लम्बित पडी है, या निर्वाचन संबंधी कोई अन्य मामला न्यायालय द्वारा न्याय निर्णयन के लिये लम्बित पडा हो, तो उनसे संबंधित कागजात, जैसा कि उपरोक्त पैरा (1), (2) तथा (3) में बताया गया है, ऐसी याचिका या मामलों के अंतिम निपटान की तारीख से 3 महीनों तक नष्ट नहीं किया जावे।

(5) निर्वाचन संबंधी कागज–पत्रों के निस्तारण की रीति :

निर्बन्धित या गोपनीय कागज–पत्रों सहित सभी निर्वाचन कागजातों जैसे प्रयुक्त मतपत्र और उनके प्रतिपर्ण, निर्वाचक नामावलियों की प्रतियों आदि के छोटे–छोटे टुकडे कर दिये जावे और उसके पश्चात् उसकी लुग्दी बना दी जावे जिसे कागज आदि दुबारा बनाने के प्रयोग किये जा सकें। निर्बन्धित श्रेणी के कागजातों के मामलों में इस तरह के टुकडे राजपत्रित अधिकारियों की उपस्थिति में किये जावें तथा संबंधित अधिकारी द्वारा एक प्रमाण–पत्र भी रिकार्ड किया जावे।

इस सम्बंध में आयोग द्वारा पूर्व में जारी पत्रांक 1442 दिनांक 08.05.1996 (सां.आ. 20/95) को अधिक्रमित करते हुए यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

संलग्नः एक

भवदीय,

(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

अनुलग्नक

परिणाम की घोषणा के 6 माह पश्चात् नष्ट कर दिये जान वाले कागज–पत्रों की सूची

क्र.सं.	कागज–पत्रों का विवरण	
1.	निर्वाचन का लोक नोटिस।	प्ररूप–2
2.	नियम–15 के अधीन विधिमान्यतः अभ्यर्थियों की सूची।	प्ररूप–4
3.	अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना।	प्ररूप–5
4.	निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची।	प्ररूप–6
5.	निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति।	प्ररूप–7
6.	निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण।	प्ररूप–8
7.	मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति।	प्ररूप–9
8.	मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण।	प्ररूप–10
9.	अंधे और शिथिलांग निर्वाचकों की सूची।	प्ररूप–12
10.	निविदत्त मतों की सूची।	प्ररूप–14
11.	किसी मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति से भिन्न प्रतियां।	नियम–30(3)
12.	मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन किये जाने पर रद्ध किये गये मतपत्रों एवं खराब हुये और लौटाये गये मतपत्रों के पैकिट।	नियम–37(6) और 45(2)
13.	पीठासीन अधिकारी द्वारा रखी गई टिप्पणियाँ और अभिलेख, मतदान अभिकर्ताओं द्वारा की गई घोषणायें और कोई अन्य कागज जिन्हें रिटर्निंग अधिकारी ने माहरबन्द पैकिट में रखने का निर्देश दिया हो।	
14.	निवारक निरोध के अधीन रखे गये व्यक्तियों के नामों की सूची।	
15.	निवारक निरोध के अधीन रखे गये व्यक्तियों से डाक–मतपत्र द्वारा मतदान करने की अनुमति के लिये रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राप्त किये गये आवेदन पत्र।	
16.	निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण–पत्र के लिए आवेदन एवं निर्वाचक ड्यूटी प्रमाण–पत्र।	प्ररूप–15 प्ररूप–16
17.	गणन अभिकर्ता की नियुक्ति एवं कार्यालय प्रतियाँ ।	प्ररूप–19
18.	गणन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण।	प्ररूप–20
19.	मतों की पुनर्गणना के लिए आवेदन पत्र।	नियम–67
20.	प्रतिपर्ण सहित अप्रयुक्त मतपत्र	
21.	मतों की गणना के समय, स्थान एवं दिनांक आदि की सूचना।	
22.	रिटर्निंग अधिकारी और उम्मीदवारों व निर्वाचन या गणन अभिकर्ताओं के बीच पत्र व्यवहार।	
23.	प्रतीकों के आवंटन हेतु आवेदन पत्र।	
24.	क्षतिग्रस्त पत्र मुद्रायें और अप्रयुक्त मुद्रायें जो पीठासीन अधिकारियों से वापस प्राप्त हुयी है।	
25.	पीठासीन अधिकारी से प्राप्त सामान्य रिर्पोट, डायरियां व ज्ञापन, नोट बुकें आदि।	
26.	नियम 30 के उप नियम (1) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन नोटिस।	
27.	ऐसे पैकिट जिनमें मतदान और मतों की गणना के दौरान उम्मीदवारों और अभिकर्ताओं द्वारा आक्षेप रखे हैं।	
28.	मतों की गणना के पश्चात्, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा तैयार की गई कार्यवाहियों के मोहर बन्द पैकिट।	
29.	मतों की गणना के लिये चैक मीमों के माहर बन्द पैकिट।	
30.	मतपत्र लेखा।	प्ररूप–17
31.	निर्वाचन ड्यूटी स्टॉफ मतपत्र लेखा।	प्ररूप–18
32.	प्रयुक्त पेपर सील का अभिलेख।	
33.	प्रचार सामग्री जैसे दीवार पर लगाने के पोस्टर, हैण्ड–बिल और निर्वाचन के समय उममीदवारों द्वारा जारी किये गये खुले बयान।	

(80)

RAJASTHAN STATE ELECTION COMMISSION

NO.F.4(2)(1)/P&M/SEC/94/2332 JAIPUR, DATED: 24.8.1995

O R D E R

In supersession of its earlier order No. F.4(2)(1)P&M/ SEC/94/2294 dated: 23.8.95 the State Election Commission hereby authorises all Divisional Commissioners for general supervision on conduct of municipal elections within their respective jurisdiction. The Divisional Commissioner and the officer/official put for their assistance shall be treated on election duty and will be entitled to enter into polling stations and counting centres.

By Order,

Sd/-
(S.S. TRIPATHI)
Chief Electoral Officer & Secretary
State Election Commission, Raj.

(81)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

क्रमांक : प.4(2)(1)पं. / नपा / रानिआ / 94 / 3148 जयपुर, दिनांक : 6.11.99

आदेश

सां.आ. 28 / 99 राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 74 में सेशोधन किए गए हैं जिसके अनुसार अब नियम 74 में यह प्रावधान है कि रिटर्निंग अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए मतपत्र चाहे गिने हुए, नामंजूर, रद्द किए हुए या निविदित्त हों, और उनके प्रतिपर्णों के प्ररूप 14–क में मतदाता रजिस्टर के और मतदाता सूची की चिन्हित प्रति के पैकिटों तथा निर्वाचकों द्वारा की गयी घोषणाओं एवं उनके हस्ताक्षरों के अनुप्रमाणन के पैकिटों के अलावा निर्वाचन से संबंधित समस्त अन्य दस्तावेज ऐसी शर्तों के और ऐसी फीस के संदाय के, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिश्चित की जाये, अध्यधीन जनता के निरीक्षण के लिये खुले रहेंगे और कोई भी व्यक्ति ऐसी शर्तों की अनुपालना करने पर और ऐसी फीस का संदाय करने पर उसकी या उसके किसी भाग की प्रति या प्रतियां प्राप्त करने का हकदार होगा।

अतः उक्त नियम 74 के अनुसरण में राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक : एफ. 1(2)(2)नपा / रानिआ / 94 / 346 दिनांक 25.10.94 को जारी अपने सांविधिक आदेश संख्या–6 / 94 का अधिक्रमण करते हुए निम्न प्रकार आदेश करता है :–

(1) निरीक्षण :–

- (क) उक्त दस्तावेजों के निरीक्षण हेतु प्रत्येक आवेदन पत्र लिखित रूप में दिये जायेंगे और उसमें उस अभिलेख का जिसका निरीक्षण अपेक्षित है, संबंधित विवरण दिया जाना चाहिये।
- (ख) दस्तावेजों को निरीक्षण करने की किसी भी व्यक्ति को इसके लिये उसी दर पर शुल्क का भुगतान करने पर अनुमति दी जायेगी जो दर दस्तावेजों के निरीक्षण के लिये राजस्व न्यायालय नियमावली के प्रावधानों के तहत राजस्व अधिकारी द्वारा वसूल की जाती है।

(2) प्रमाणित प्रतिलिपि :–उक्त दस्तावेजों में से किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि उसके लिये आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति को उसी दर पर शुल्क का भुगतान करने पर दी जायेगी जो दर राज्य में राजस्व न्यायालय नियमावली के प्रावधानों के तहत किसी आदेश की प्रतिलिपि के लिये राजस्व अधिकारी द्वारा वसूल की जाती है।

(3) आवेदन पत्र में निरीक्षण के लिये या दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां दिये जाने के लिये आवेदक का अधिकार सिद्ध किया जाना चाहिये और इस प्रयोजन के लिये यह स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिये कि आवेदक का ऐसे दस्तावेज या दस्तावेजों में प्रत्यक्ष और सुनिश्चित हित है और ऐसा हित किस प्रकार का है।

(4) जब दस्तावेज का निरीक्षण करना या प्रमाणित प्रतियां लेना सरकारी प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो कोई फीस नहीं ली जायेगी।

(5) जब निर्वाचन अभिलेखों का निरीक्षण हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निर्वाचन समाप्त होने के तुरन्त बाद किया जा रहा हो तब कर्मचारियों द्वारा प्रभावकारी पर्यवेक्षण रखना आवश्यक है। अभिलेखों में किसी कागज के हटाये जाने से बचने के लिये बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ निरीक्षण करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

(6) प्ररूप–21 अंतिम परिणाम पत्र एवं प्ररूप–22 या यथास्थिति, प्ररूप–22–क में परिणाम की घोषणा की प्रतिलिपियां यदि मांगी जाये तो उसी दर पर शुल्क का भुगतान करने पर दी जायेगी, जो उपरोक्त अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियों की आपूर्ति के लिये लिया जाता है।

आज्ञा से,
–ह0–
(आर.के. पारीक)
उप सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा/सा.आ./रानिआ/14/1600 दिनांकः 11.02.2026

आदेश

सां. आ. 158/2026 **राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम, 75–क** के उपबन्धों के अनुसरण में राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों के व्ययन के संबंध में यह निर्देश जारी करता है कि आयोग द्वारा या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिए गए किसी प्रतिकूल निर्देश के अधीन रहते हुये और अधोलिखित पैरा–4 में समाविष्ट अनुदेशों के अधीन रहते हुये निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों को निम्नलिखित रीति से निपटाया जा सकेगा :–

(1) नियम 75 क (क) के अधीन निर्देश :–

(क) मतदान की समाप्ति के पश्चात् पीठासीन अधिकारियों द्वारा लौटाये गये और नियम–75 के खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रतिपर्ण सहित अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों के पैकिटों को जो दो तालों (Double Lock) वाले स्टील ट्रंकों में 6 मास की कालावधि के लिए रिटर्निंग अधिकारी के पास प्रतिधृत (Retain) रखे हुए हैं, निर्वाचन की समाप्ति के पश्चात् कोषागार में रखा जायेगा और तत्पश्चात् नष्ट कर दिया जायेगा।

(ख) रिटर्निंग अधिकारी के पास डाक मतपत्रों को जारी करने के पश्चात् बचे हुए अवितरित प्रतिवर्ण सहित डाक मतपत्रों का स्टॉक तथा मतदान केन्द्रों पर उपयोग करने के लिए पीठासीन अधिकारियों को जारी करने के बाद बचे हुए प्रतिपर्ण सहित अवितरित निविदत्त मतपत्रों का स्टॉक, मतदान के तुरन्त बाद जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी को वापिस कर दिया जायेगा और जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी इस प्रकार के मतपत्रों के पैकिटों को 6 मास तक रखेगा तत्पश्चात् उसके पर्यवक्षण के अधीन ऊपर विनिर्दिष्ट रीति से उन्हें नष्ट किया जा सकेगा।

(2) नियम 75 क (ख) के अधीन निर्देश :–

(क) मतों की गणना के पश्चात् नियम 74–क के उप नियम (2) के अधीन रिटर्निंग अधिकारी की अभिरक्षा में रखी गई मतदान मशीन की यूनिटें ऐसी कालावधि के लिए जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 36 की उपधारा (1) में किसी निर्वाचन याचिका को प्रस्तुत करने के लिए बतायी गयी है, के अवसान तक अर्थात् निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख से 30 दिन तक अभिकल्पित रूप से अधिकृत (Retain) रखी जायेगी, तत्पश्चात् मतदान मशीनों की मुद्रा हटाकर और इन्हें खोलकर नियंत्रण यूनिट में अंतर्विष्ट सूचना हटा दी जायेगी तथा मतदान यूनिट में प्रदर्शित मतपत्र को हटा दिया जायेगा।

(ख) मतदान मशीनों के संबंध में उक्त पैरा (क) में वर्णित कार्यवाही के पश्चात् इन्हें रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को वापस कर दिया जायेगा।

(ग) नियम 74क के उपनियम (1) में निर्दिष्ट से भिन्न अन्य पैकेट एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रतिधृत रखे जायेंगे और तत्पश्चात् नष्ट कर दिये जायेंगे।

इस प्रकार मतदान मशीन की दोनों ही प्रकार की यूनिटें (नियंत्रण यूनिट व मतदान यूनिट) रिटर्निंग अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 36 की उप धारा (1) में किसी निर्वाचन याचिका को प्रस्तुत करने के लिए बतायी गयी कालावधि के अवसान तक अभिकल्पित रूप से सुरक्षित रखी जायेगी।

(3) नियम 75 क (घ) के अधीन निर्देश :–

(क) अनुलंग्नक में निर्दिष्ट कागज पत्रों को परिणाम की घोषणा होने की तारीख से 6 मास व्यतीत हो जाने पर नष्ट कर दिया जायेगा।

(ख) आक्षेपित मतों की सूची (प्ररूप–13) और आक्षेप फीस की वसूली के लिए उपयोग में ली गई रसीद बुक, मतदाताओं को डाक मतपत्रों के प्रेषण रजिस्टर और नाम निर्देशन पत्रों के प्ररूपों को परिणाम का घोषणा होने की दिनांक से पांच वर्ष व्यतीत होने से पूर्व नष्ट नहीं किया जाना चाहिये।

(ग) किसी व्यक्ति को पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी नियुक्त किये जाने का प्रत्येक आदेश उस निर्वाचन की समाप्ति से जिससे नियुक्ति संबंधित हो, तीन वर्ष बीतने के पहले नष्ट नहीं किया जाना चाहिये।

(घ) अंतिम प्रमाण–पत्र और निर्वाचन की घोषणा प्ररूप–22 या यथास्थिति प्ररूप 22–क को निर्वाचन के स्थायी अभिलेख के रूप में रखा जाना चाहिए।

(ड.) निक्षेपों से संबंधित रजिस्टरों को राजस्व रजिस्टरों को नष्ट किए जाने की रीति के अनुसार ही नष्ट किया जाये, किन्तु किसी भी दशा में इन रजिस्टरों को 10 वर्ष से पहले नष्ट नहीं किया जायेगा।

(4) याचिका के अनिर्णित रहने तक कागज–पत्रों को रोके रखना :–

(क) जहां कहीं कोई निर्वाचन याचिका सक्षम न्यायालय द्वारा विचारण के लिए लम्बित पड़ी है, या निर्वाचन संबंधी कोई अन्य मामला न्यायालय द्वारा न्याय निर्णयन के लिए लम्बित पड़ा हो, तो उनसे संबंधित कागजात जैसा कि उपरोक्त पैरा (1) तथा (3) में बताये गये हैं, ऐसी याचिका या मामलों के अंतिम निपटान की तारीख से 3 महीनों तक नष्ट नहीं किये जायेंगे।

(ख) जहां कहीं कोई निर्वाचन याचिका सक्षम न्यायालय द्वारा विचारण के लिए लम्बित पड़ी है तो ऐसी याचिका के अंतिम निपटान की तारीख 3 महीनों तक उनसे संबंधित नियंत्रण यूनिटें (यूनिटों) को न तो खोला जायेगा और न ही उनमें अन्तर्विष्ट सूचना को हटाया जायेगा।

(5) निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों के निस्तारण की रीति :–

मतदान मशीनों की नियंत्रण यूनिटों के सिवाय सभी निर्बन्धित या गोपनीय निर्वाचन कागजातों जैसे प्रयुक्त मतपत्र और उनके प्रतिपर्ण, प्रयुक्त डाक मतपत्र और उनके प्रतिपर्ण, निर्वाचकों द्वारा की गई घोषणायें व उनके अनुप्रमाणन और निर्वाचक नामावलियों की चिन्हित प्रतियों के छोटे–छोटे टुकड़े कर दिये जाएं और उसके पश्चात् उसकी लुग्दी बना दी जाए जिसे कागज आदि दुबारा बनने के प्रयोग किए जा सकें। निर्बन्धित श्रेणी के कागजातों के मामलों में इस तरह के टुकड़े राजपत्रित अधिकारियों की उपस्थिति में किये जावें तथा संबंधित अधिकारी द्वारा एक प्रमाण–पत्र भी रिकार्ड किया जावे।

इस संबंध में आयोग द्वारा पूर्व में जारी पत्रांक 3150 दिनांक 06.11.1999 को अधिक्रमित करते हुए यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

संलग्न : एक

भवदीय,
ह0
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

अनुलग्नक

परिणाम की घोषणा के 1 वर्ष पश्चात् नष्ट कर दिये जान वाले कागज–पत्रों की सूची

क्र.सं.	कागज–पत्रों का विवरण	
1.	निर्वाचन का लोक नोटिस।	प्ररूप–2
2.	नियम–15 के अधीन विधिमान्यतः अभ्यर्थियों की सूची।	प्ररूप–4
3.	अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना।	प्ररूप–5
4.	निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची।	प्ररूप–6
5.	निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति।	प्ररूप–7
6.	निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण।	प्ररूप–8
7.	मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति।	प्ररूप–9
8.	मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण।	प्ररूप–10
9.	अंधे और शिथिलांग निर्वाचकों की सूची।	प्ररूप–12
10.	निविदत्त मतों की सूची।	प्ररूप–14
11.	किसी मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति से भिन्न प्रतियां।	नियम–30(3)
12.	मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन किये जाने पर रद्द किये गये मतपत्रों एवं खराब हुये और लौटाये गये मतपत्रों के पैकिट	नियम–37(6) और 45(2)
13.	पीठासीन अधिकारी द्वारा रखी गई टिप्पणियाँ और अभिलेख, मतदान अभिकर्ताओं द्वारा की गई घोषणायें और कोई अन्य कागज जिन्हें रिटर्निंग अधिकारी ने माहरबन्द पैकिट में रखने का निर्देश दिया हो।	
14.	निवारक निरोध के अधीन रखे गये व्यक्तियों के नामों की सूची।	
15.	निवारक निरोध के अधीन रखे गये व्यक्तियों से डाक–मतपत्र द्वारा मतदान करने की अनुमति के लिये रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राप्त किये गये आवेदन पत्र।	
16.	निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण–पत्र के लिए आवेदन एवं निर्वाचक ड्यूटी प्रमाण–पत्र।	प्ररूप–15 प्ररूप–16
17.	गणन अभिकर्ता की नियुक्ति एवं कार्यालय प्रतियाँ ।	प्ररूप–19
18.	गणन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण।	प्ररूप–20
19.	मतों की पुनर्गणना के लिए आवेदन पत्र।	नियम–67
20.	प्रतिपर्ण सहित अप्रयुक्त मतपत्र	
21.	मतों की गणना के समय, स्थान एवं दिनांक आदि की सूचना।	
22.	रिटर्निंग अधिकारी और उम्मीदवारों व निर्वाचन या गणन अभिकर्ताओं के बीच पत्र व्यवहार।	
23.	प्रतीकों के आवंटन हेतु आवेदन पत्र।	
24.	क्षतिग्रस्त पत्र मुद्रायें और अप्रयुक्त मुद्रायें जो पीठासीन अधिकारियों से वापस प्राप्त हुयी है।	
25.	पीठासीन अधिकारी से प्राप्त सामान्य रिर्पोट, डायरियां व ज्ञापन, नोट बुकें आदि।	
26.	नियम 30 के उप नियम (1) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन नोटिस।	
27.	ऐसे पैकिट जिनमें मतदान और मतों की गणना के दौरान उम्मीदवारों और अभिकर्ताओं द्वारा आक्षेप रखे हैं।	
28.	मतों की गणना के पश्चात्, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा तैयार की गई कार्यवाहियों के मोहर बन्द पैकिट।	
29.	मतों की गणना के लिये चैक मीमों के माहर बन्द पैकिट।	
30.	मतपत्र लेखा।	प्ररूप–17
31.	निर्वाचन ड्यूटी स्टॉफ मतपत्र लेखा।	प्ररूप–18
32.	प्रयुक्त पेपर सील का अभिलेख।	
33.	प्रचार सामग्री जैसे दीवार पर लगाने के पोस्टर, हैण्ड–बिल और निर्वाचन के समय उममीदवारों द्वारा जारी किये गये खुले बयान।	
34.	निर्वाचक द्वारा की गई घोषणाओं और उनके हस्ताक्षरों के अनुप्रमाणन पैकिट।	नियम–38(1)

(83)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः प.1(2)(1)नपा–पंचा/सां.आ./रानिआ/14/2285 दिनांक : 09.03.2026

आदेश

सां.आ. 160/2026 – राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 73 के परन्तुक में उपबन्धित प्रावधानों के अनुसार किसी निर्वाचन में परिणाम की घोषणा के पश्चात् प्रयुक्त मतदान मशीनें रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में ऐसी रीति से रखी जायेगी जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निर्देशित करे ;

अतः उक्त नियम 73 के परन्तुक के उपबंधों के अनुसरण में राज्य निर्वाचन आयोग अपने पूर्व आदेश क्रमांक 3718/01.10.2019 (सां. आं 119/2019) को अधिक्रमित करते हुए निम्नांकित निर्देश जारी करता हैः–

(1) निर्वाचन के परिणाम की घोषणा कर दिये जाने के तुरन्त पश्चात् नियम 63–ख के अन्तर्गत बतायी गयी रीति से नियंत्रण यूनिटों (Control Units) को उनके वहन बक्सों में रखकर सीलबन्द किया जाएगा। आवश्यकतानुसार मतगणना के दौरान खोली गई मतदान यूनिटों (Ballot Units) को भी उनके वहन बक्सों में रखकर सीलबंद किया जाएगा। इस प्रकार सभी नियत्रंण यूनिट (Control Unit) एवं खोली गई मतदान यूनिटों (Ballot Units) सहित समस्त मतदान यूनिटों (Ballot Units) के वहन बक्सों को रिटर्निंग अधिकारी इनके प्रयोजनार्थ तैयार किए गए बड़े बक्सों/सन्दूकों में रखेगा; तत्पश्चात् उसी दिन इस हेतु नियत किए गए स्थान पर दो तालों के अन्दर सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

(2) प्रत्येक बड़े बक्सों या सन्दूक के एक ताले की चाबी जिला निर्वाचन अधिकारी या उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्वयं के पास रखी जायेगी। प्रत्येक बड़े बक्से या सन्दूक के दूसरे ताले की चाबी स्वयं रिटर्निंग अधिकारी या संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिये निर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी को सुपुर्द की जायेगी।

(3) इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) की मल्टी पोस्ट सिंगल वोट (MPSV) एवं मल्टी पोस्ट मल्टी वोट (MPMV) ईवीएम से निर्वाचन की स्थिति में परिणामों की घोषणा के पश्चात् इन ईवीएम मशीनों के वहन बक्सों को सील करने की आवश्यकता नहीं है एवं इनका भण्डारण भी बिन्दु संख्या 1 एवं 2 में अंकित ईवीएम के साथ नहीं किया जाना है। चूंकि इन ईवीएम को पुनः मतदान के लिए प्रयोग में लिया जा सकता है, अतः इनको पृथक भण्डारगृह (Warehouse) में सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाए।

इन मशीनों से निर्वाचन की स्थिति में परिणामों की घोषणा के पश्चात् कन्ट्रोल युनिट (Control Units) में प्रयुक्त हुए सिक्योर डिटेचेबल मेमोरी मॉड्यूल (SDMM) एवं डिटेचेबल मेमोरी मॉड्यूल (DMM) को ही सील बंद कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना है। **एसडीएमएम को सील करने के संबंध में आयोग द्वारा पत्रांक 705 दिनांक 20.01.2026 एवं डीएमएम को सील करने के संबंध में आयोग द्वारा पत्रांक 826 दिनांक 23.01.2026 के द्वारा दिशा–निर्देश प्रदान किए हुए है।**

भवदीय,
ह0
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

(84)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

क्रमांकः एफ.4(2)(1)पं / नपा / रानिआ / 94 / 3154   जयपुर, दिनांक : 9.11.99

आदेश

सां.आ. 32 / 99 राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 74—क के उपबन्धों के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए अप्रयुक्त डाक मतपत्रों के और उनसे संलग्न प्रतिपर्णों के पैकिट, प्रयुक्त डाक मतपत्रों के चाहे वे विधि मान्य हो, प्रतिपेक्षित या रद्ध किए गए हों और उनके प्रतिपर्णों के पैकिट, प्रयुक्त व अप्रयुक्त निविदत मतपत्रों के पैकिट, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रतियों के पैकिट, प्ररूप 14—क में मतदाता रजिस्टर वाले पैकिट, निर्वाचकों द्वारा की गई घोषणाओं और उनके हस्ताक्षरों के अनुप्रमाणन के पैकिट तथा नियंत्रण यूनिटों के अलावा निर्वाचन से संबंधित सभी अन्य कागज

1. उक्त दस्तावेजों में से किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि उसके लिये आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति को उसी दर पर शुल्क का भुगतान करने पर दी जायेगी जो दर राज्य में राजस्व न्यायालय नियमावली के प्रावधानों के तहत किसी आदेश की प्रतिलिपि के लिये राजस्व अधिकारी द्वारा वसूल की जाती है।

2. आवेदन—पत्र में निरीक्षण के लिये या दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां दिये जाने के लिये आपेदक का अधिकार सिद्ध किया जाना चाहिये और इस प्रयोजन के लिये यह स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिये कि आवेदक का ऐसे दस्तावेज या दस्तावेजों में प्रत्यक्ष और सुनिश्चित् हित है और ऐसा हित किस प्रकार का है।

3. जब दस्तावेज का निरीक्षण करना या प्रमाणित प्रतियां लेना सरकारी प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो कोई फीस नहीं ली जायेगी।

4. जब निर्वाचन अभिलेखों का निरीक्षण हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निर्वाचन समाप्त होने के तुरन्त बाद किया जा रहा है तब कर्मचारियों द्वारा प्रभावकारी पर्यवेक्षण रखना आवश्यक है। अभिलेखों में किसी कागज के हटाये जाने से बचने के लिये बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ निरीक्षण करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

5. प्ररूप—21 अंतिम परिणाम पत्र एवं प्ररूप—22 या यथास्थिति प्ररूप 22—क में परिणाम की घोषणा प्रतिलिपियां यदि मांगी जायें तो उसी दर पर शुल्क का भुगतान करने पर दी जायेगी, जो उपरोक्त अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियों की आपूर्ति के लिये लिया जाता है।

आज्ञा से,
—ह0—
(आर.के. पारीक)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांक–एफ4(2)(1)/नपा/रानिआ/03/7127 दिनांकः–04.01.2010

आदेश

विषयः– मुद्रित फार्मों के विक्रय की दरों के संबंध में।
सन्दर्भः–आयोग का आदेश कमांक एफ 4(1)(1)नपा/रानिआ/94/513 दिनांक 7.11.94

आयोग के सन्दर्भित आदेश के द्वारा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के संलग्न प्ररूपों के मुद्रित प्रपत्रों की विक्रय **दरें एक रूपया प्रति प्रपत्र वसूल करने के आदेश जारी किये गये थे।**

निर्वाचनों के सुचारू संचालन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग उचित मानता है कि चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित प्रपत्र निःशुल्क उपलब्ध होने चाहिये।

अतः राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में विहीत किये गये ऐसे सभी प्रपत्र जो कि अभ्यर्थियों के उपयोग के है, उन्हे इच्छुक व्यक्तियों कों निःशुल्क वितरित किये जाने के आदेश जारी किये जाते है और इस स्थिति में संदर्भित आदेश एफ 4(1)(1)नपा/रानिआ/94/513 दिनांक 7.11.94 के खण्ड (iii) व (iv) को तत्काल प्रभाव से विलोपित समझा जावे। इन प्रपत्रों की छायाप्रति भी स्वीकार्य होंगी।

कृपया मतदान दलों को प्रशिक्षण के दौरान यह जानकारी अवश्य दी जाये। साथ ही मार्गदर्शिका, अन्य निर्देशों, पुस्तकों तथा लिफाफों/प्रपत्रों में इस आशय का संशोधन माना जाये जिसके लिए भी रिटर्निंग अधिकारियों सहित सभी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत करावे।

(आर.के. जैन)
कसचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

State Election Commission, Rajasthan

II Floor, Development Building, Secretariat, Jaipur